राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक ।] पंचम विधान सभा के प्रथम सत्र का 53 वां दिवस [संख्या 23

बृहस्पतिवार,

दिनांक 11 मई, 1972

विधान सभा की बैठक म. पू. 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई ।

(श्री रामकिशोर व्यास, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[सिंचाई, विद्युत्, पंचायत, समाज कल्याण, राजस्व, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा, सैनिक कल्याण, खाद्य, आयुर्वेद, यातायात, सार्वजनिक निर्माण, श्रम, पुनर्वास-विभाग]

श्री अध्यक्ष : प्रश्न ।

प्रश्न संख्या 431

श्री नाथूराम ।

(अनुपस्थित: कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 432

श्री बनवारीलाल ।

(अनुपस्थित: कृपया आगे देखिये)

श्री गुरदयालसिंह संधु !

ग्राम पंचायत पदमपुर क्षेत्र में लीजपर दी हुई आबादी भूमि

433. **श्री गुरदयालसिंह संधु** (करणपुर) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या ग्राम पंचायत पदमपुर क्षेत्र में आबादी भूमि लीज पर दी हुई है ?

(2) क्या यह भी सही है कि यदि कोई दुकानदार समय पर लीज की रकम अदा न करे तो उस पर एक पैसा प्रति रुपया, प्रति दिन के हिसाब से जुर्माना किया जाता है जिसके कारण बहुत से दुकानदार किराया देने में असमर्थ हैं और उन पर असल रकम से छः सात गुना तक जुर्माना कायम हो चुका है ?

(3) क्या सरकार इस मामले की निष्पक्ष जांच करवाकर भविष्य में पंचायत को ऐसी कार्यवाही करने से रोकेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

पंचायत मंत्री (श्री ओंकारलाल) । (1) जी नहीं, किराये पर दी हुई है ।

(2) निर्धारित अवधि में किराया जमा न कराने पर एक पैसा प्रति रुपया

(श्री ओंकारलाल)

प्रति दिन के हिसाब से अधिक वसूल किया जाता है। तीन मामलों में किराये की राशि से जुर्माने की राशि अधिक हो गई है।

(3) राजस्थान पंचायत अधिनियम 1953 की धारा 91 के प्रावधान के अनुसार बनाये गये उप नियमों के अन्तर्गत ग्राम पंचायत, पदमपुर जुर्माने की राशि वसूल करने के लिए सक्षम है। अतः जांच करवाने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

श्री गुरदयालसिंह संधु : मेरा प्रश्न यह था कि क्या वह लीज पर दी गई है ?

श्री ओंकारलाल : मैने निवेदन किया कि वह किराये पर है।

श्री गुरदयालसिंह संधु: तो क्या किराया डबल तक वसूल करना सरकार उचित समझती है ?

श्री ओंकारलाल : इसमें उचित और अनुचित का प्रश्न नहीं है। नियम बने हुए हैं और निश्चित अवधि के अन्दर किराया जमा कोई नहीं करायेगा तो उसके ऊपर एक पैसा प्रति रुपया प्रति दिन के हिसाब से जुर्माना होगा।

श्री गुरदयालसिंह संधु : पचायतें समय पर डिफाल्टर्स को नोटिस नहीं देती तो क्या उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है ?

श्री ओंकारलाल : यह तो नियमों के अन्तर्गत ही है। मैं समझता हूँ कि माननीय सदस्य इसकी अहमियत को समझेंगे और कोई व्यक्ति किराया जमा नहीं कराता तो सिवाय इसके कि जुर्माना हो और कोई दूसरा चारा नहीं है और जुर्माने की वसूली भी नियमों के अन्तर्गत ही की जायेगी।

श्री गुरदयालसिंह संधु : डिफाल्टर्स को नोटिस देना चाहिये या नहीं ?

श्री ओंकारलाल : जी हां, देना चाहिये।

श्री गुरदयालसिंह संधु : क्या सरकार इसकी जांच करायेगी कि डिफाल्टर्स को नोटिस नहीं दिया जाता और उनको कागजों में लम्बे अर्से तक पड़े रहने दिया जाता है ताकि जुर्माने की रकम बढ़ती जाये, क्या यह सही है ?

श्री ओंकारलाल : मैं इसको देख लूंगा अगर ऐसा हुआ तो।

श्री गुरदयालसिंह संधु : क्या सरकार दुगने से भी ज्यादा रकम हो जाती है उसके लिए कोशिश करेगी कि इतनी लम्बी रकम जुर्माने की न हो ?

श्री ओंकारलाल : इस सम्बन्ध में नियमों में प्रावधान की बात है। नियमों के अन्तर्गत तो अदायगी वास्तविक रूप से सही मानी जावेगी।

प्रश्न संख्या 434

श्री अध्यक्ष : श्री नारायणसिंह।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखिये)

श्री मीठालाल।

ग्राम बिलोना की अनुसूचित जनजाति की कालोनी

435. **श्री मीठालाल** (लालसोट) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सच है कि जयपुर जिले की लालसोट पंचायत समिति के अन्तर्गत बिलोना ग्राम में विभाग की ओर से सहायता प्राप्त कुछ मकान अनुसूचित जन जाति के लिये अलग कालोनी में बनवाये गये थे ?

(2) क्या यह सच है कि उक्त मकान कई वर्षों से अधूरे पड़े हुए हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

समाज कल्याण मंत्री (श्री ओंकारलाल) (1) जी हां।

(2) इस विभाग द्वारा पंचायत समिति को आवंटित राशि का उपयोग पंचायत समिति द्वारा 5 वर्ष पूर्व किया जा चुका है। 15 भवनों के निर्माण कार्य में तीन भवनों को छोड़ कर शेष भवनों का कार्य पूर्ण हो चुका है। तीन भवनों के अपूर्ण रहने की जिम्मेदारी अनुदानियों की ही है क्योंकि उन्हें अनुदान की पूर्ण राशि प्रति परिवार 750) रु. की दर से चुकाई जा चुकी है।

श्री मीठालाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, वैसे तो माननीय मंत्रीजी जवाब दे है वह सरासर गलत है। एक भी मकान पूरा नहीं हुआ है और इस समय 3 मकान अधूरे बता रहे हैं और 5 साल पहले जो राशि देनी थी वह सहायता के बतौर दी तो ये मकान अब तक अधूरे क्यों रहे ? बाकी के 3 अधूरे पड़े हुए है यह क्यों पड़े हुए हैं। इसके बारे में आप क्या कार्यवाही कर रहे हैं ? आपकी राशि भी खर्च हुई और मकान भी पूरे नहीं हुए।

दूसरे आप यह बताये कि 12 मकान पूरे बता रहे हैं तो क्या आदमियों ने इनमें रहना शुरू कर दिया है ?

श्री ओंकारलाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले सवाल का उत्तर यह है कि 750 रुपया प्रति परिवार नियमों के अन्तर्गत दिया गया है और माननीय सदस्य भी समझेंगे और महसूस करेंगे कि 750 रुपये धनराशि वास्तव में कम होती है लेकिन यह अनुदान की राशि है बाकी रुपया तो अनुदानियों की जिम्मेदारी है कि उसको लगाकर मकान पूरा करें।

दूसरे 12 मकानों में दरवाजे, खिड़कियां नहीं हैं लेकिन दरवाजे खिड़कियों का न होना यह विभाग की ऐसी खामी नहीं मानी जा सकती। यह भी जिनको अनुदान दिया जाता है उनकी जिम्मेदारी है कि वह दरवाजे खिड़कियां पूरे करे।

एक और प्रश्न पूछा गया कि अभी इनमें कोई नहीं रह रहा है तो यह सही है कि कोई नहीं रह रहा है।

श्री मीठालाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, काफी काम अधूरा है। किसी किसान की स्थिति खराब है और वह मकान पूरा नहीं करवा सकता तो क्या सरकार कर्ज के बतौर या अनुदान देकर भवनों को पूर्ण कराने की कार्यवाही करेगी ?

श्री ओंकारलाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य के प्रश्न से सहानुभूति रखता हूं लेकिन नियमों के अन्तर्गत 750 रुपये से ज्यादा नहीं दिया जाता। अब जो नयी योजना है वह 1000 रुपये की है। यह जिनको अनुदान दिया जाता है उनकी जिम्मेदारी है कि वह अपने पास से रुपया लगाकर इसको पूरा करें।

श्री विद्यासागर : क्या सरकार नियमों में परिवर्तन करके 750 रुपये को आगे बढ़ाने की इच्छा रखती है?

श्री ओंकारलाल : मैं समझता हूं कि 750 की जगह 1000 रुपया हो गया है।

श्री मीठालाल : अब जो मकान बने हुए हैं उनमें पैसा लग गया और मकान पूरे नहीं हो रहे हैं और आप नयी योजना बनाने में लगे हैं तो क्या इसके लिए आप विशेष प्रावधान रख रहे हैं जिससे कि मकान पूरे हो जायें।

श्री मोहनराज (बाली) : अध्यक्ष महोदय, ये भवन अधूरे पड़े रह गये क्या सरकार अनुदान की राशि देने के पूर्व यह पूरी तरह से जांच नहीं कर पाती कि इनने अनुदान की राशि देने के बाद यह भवन पूरे हो जायेंगे और बिना जांच किये ही अनुदान दे देते हैं? अधूरे कैसे पड़े रह गये? इनके तो एस्टीमेट्स बनते हैं उतनी ही राशि वह खुद मिलाते हैं या पूरा भवन बनने की आशा है तब ही अनुदान दिया जाता है? वास्तव में यह कहां गलती हुई?

श्री ओंकारलाल : यह बात इस प्रकार से नहीं है जिस प्रकार से कही गयी है क्योंकि 750 रुपया में मकान नहीं बनता लेकिन 750 रुपये तक अनुदान की राशि है। इस राशि के अलावा अनुदानियों को जो मकान बनाना चाहते हैं वे अपने पास से रुपया लगाकर मकान बनाना चाहिए। इसकी जांच होती है और जांच होने के बाद ही कार्यवाही चालू होती है। अगर कोई अनुदायी का मकान पूरा नहीं हुआ तो ऋण की व्यवस्था है वह ऋण ले सकता है और अपने मकान को पूरा करा सकता है।

श्री अध्यक्ष : ऋण की सीमा है?

श्री ओंकारलाल : 4 हजार तक है।

श्री अध्यक्ष : श्री उम्मेदीलाल।

जगर बंध की नहर के निर्माण में आई भूमि का लगान

426. श्री उम्मेदीलाल (हिन्डौन) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सच है कि जगर बंध, हिन्डौन की नहर-निर्माण हेतु जिन काश्तकारों की कृषि भूमि ली गई थी उस भूमि का नहर बनने के बाद भी लगान वसूल किया गया है? यदि हां, तो किन काश्तकारों से किस किस सन् में जमीन ली गई तथा जमीन के लगान का विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(1) क्या सरकार वसूल किये गये लगान को उन्हें वापिस करने का इरादा

(श्री उम्मेदीलाल)
रखती है ? अगर हां, तो कब तक ? अगर नहीं, तो क्यों ?

राजस्व मंत्री (श्री रामचन्द्र चौधरी): (1) जी हां, जगर बंध, हिन्डौन की नहर निर्माण हेतु जिन काश्तकारों की भूमि ली गई थी उस भूमि का नहर बनने के बाद कोई लगान वसूल नहीं किया जा रहा है।

(2) प्रश्न पैदा नहीं होता।

श्री उम्मेदीलाल : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह है कि जो भूमि ली गई और नहर निर्माण में जो भूमि आई तो काश्तकारों से काफी अर्से तक लगान वसूल किया गया और उन काश्तकारों को अभी तक छुटकारा नहीं मिला है।

श्री रामचन्द्र चौधरी : नहर बनने के बाद में भूमि का कोई लगान नहीं लिया जा रहा है और अगर आप किसी आदमी का नाम बतायेंगे तो उसकी जांच करा ली जायेगी।

श्री उम्मेदीलाल : अध्यक्ष महोदय, बहुत से काश्तकार ऐसे हैं जिनके पास दो दो बीघा जमीन थी जो नहर में आ गई फिर भी न उनको मुआवजा मिला और न उनको और कोई जमीन मिली, बल्कि उनसे अभी तक लगान लिया गया है । सरकार का यह रवैया है तो क्या आप इस पर विचार करेंगे ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : मुआवजे का अलग से सवाल है।

श्री मोठालाल: अध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह है कि जिनके पास दो-दो बीघा भूमि थी वह नहर में चली गई, उनको न तो मुआवजा दिया गया और न उनको कोई जमीन दी गई।

श्री निरंजननाथ आचार्य (मावली) : मैं भी अर्ज कर देता हूं फिर एक साथ जवाब दे दें। यदि जैसा शिकायत है कि जमीन ले लेने के बाद भी अगर लगान लिया गया तो उसकी जानकारी तो आप स्वतः ही कर सकते हैं और यह मालूम हो कि लगान लिया गया है तो क्या उसको वापिस लौटाने का प्रयत्न कर सकते हैं ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : मेरा निवेदन है कि जो जमीन नहर के नीचे आ गई है उनका लगान लिया ही नहीं गया।

श्री उम्मेदीलाल : अध्यक्ष महोदय, मैं पहले भी एम. एल. ए. था और मैंने उस वक्त भी इस बात का सवाल रखा था और मुझे माननीय मन्त्री महोदय ने उस वक्त जवाब दिया था कि यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है। उन्होंने कहा था इसका लगान नहीं लिया जायगा लेकिन उसके बाद भी लगान लिया गया है।

प्रश्न सं. 437

श्री अध्यक्ष । श्री चुन्नीलाल इन्दलिया

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखिये)

श्री वृद्धिचन्द्र जैन।

गाडोलिया लुहारों को स्थाई तौर पर बसाने की योजना

438. **श्री वृद्धिचन्द्र जैन** (बाड़मेर) : क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राज्य सरकार ने विभिन्न जिलों में गाडोलिया लुहारों को स्थाई तौर पर बसाने के लिए योजना बनाई थी ?

(2) यदि हां, तो कब और उसको क्रियान्वित करने के लिए कितनी राशि किस मद पर कहां कहां व्यय हुई ? तालिका सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या यह सही है कि बाड़मेर नगर के नेहरू नगर मोहल्ले में उन्हें बसाने के लिए जमीन एक रुपये में दी गई और उन पर मकान बनाने के लिए अनुदान दिया गया ? यदि हां, तो उनके नाम, पते, प्रत्येक को अनुदान की राशि दी गई का विवरण देते हुए सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(4) क्या यह सही है कि उनकी ओर से मकान बनाने के लिए और राशि अनुदान के तौर पर देने से प्रार्थना पत्र कई अर्से से पेंडिग हैं ?

(5) क्या यह सही है कि उनके अलावा भी दूसरे गाडोलिया लुहारों के प्रार्थना पत्र एक एक रुपया की राशि में जमीन प्राप्त करने और उन पर मकान बनाने के लिए अनुदान प्राप्ति के लिए कई अर्से से पेंडिग है ?

(6) क्या समाज कल्याण विभाग उनकी वाजिब मांग की पूर्ति कर उन्हें स्थाई तौर पर बसाने में सहायता देने का विचार रखती है ?

समाज कल्याण मन्त्री (श्री ओंकारलाल चौहान) : (1) जिलेवार बसाने की कोई योजना नहीं थी।

(2) गाडिया लोहारों को मकान सहायता के लिए अनुदान दिया गया जिसकी सूची (अ) सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) जी नहीं। बाड़मेर नगर के नेहरू नगर मोहल्ले में उन्हें बसाने के लिए एक एक रुपये में जमीन नहीं दी गई किन्तु यह सही है कि कुछ गाडोलिया लुहारों को मकान बनाने के लिए अनुदान दिया गया था, जिसकी सूची (ब) सदन की मेज पर रख दी गई है।

(4) जी हां। पर अब इस योजना के बन्द हो जाने के कारण उन्हें शामिल पत्रादि कर दिया गया है।

(5) नगरपालिका एवं जिलाधीश, बाड़मेर के कार्यालय तथा इस विभाग में एक एक रुपये की राशि में जमीन दिलाने हेतु कोई प्रार्थना-पत्र पेंडिग नहीं है। अनुदान के सम्बन्ध में स्थिति प्रश्न 4 के उत्तर के अनुसार है।

(6) इस समय कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

(कृपया परिशिष्ट 1 देखिये)

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : अध्यक्ष महोदय, यह जो योजना बनी थी यह 1956–57 में बनी थी और उस समय गाडोलिया लुहारों को बसाने के लिए चित्तौड़ में एक बड़ा सम्मेलन हुआ था जिसमें जवाहरलालजी नेहरू ने अध्यक्षता की। अब उनको बसाने के लिए 350 या 300 रुपये अनुदान के रूप में दिये गये हैं। क्या यही आपका बसाने का तरीका है। वे 15 वर्षों से कोशिश कर रहे हैं कि उनको राशि और मिलें। जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को राशि मिलती है, बन थाउजण्ड की, उतनी राशि तो इनको भी मिलनी चाहिए। क्या राज्य सरकार इस सम्बन्ध में कोई आश्वासन देगी कि यह राशि हम उनको भी दिलायेंगे ?

श्री औंकार लाल चौहान : माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय सदस्य ने बताया कि गाडोलिया लुहारों को बसाने के लिए 1956-57 में सम्मेलन हुआ था, वास्तव में यह 1955–56 में हुआ था। माननीय सदस्य मेरी राय से इत्तफाक करेंगे कि ये लोग घुमक्कड जाति के हैं जो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं। इसलिये यह योजना चालू की गई कि इनको एक जगह बसाया जाय लेकिन उनकी परम्परागत ऐसी ट्रेडीशन पड़ गई है जिसके अन्तर्गत वे बसने को तैयार नहीं है। उनको राजस्थान सरकार ने बसाने की पूरी कोशिश की है और उस हेतु ही अनुदान दिया गया। मैं यह मानता हूँ कि यह राशि कम पड़ती है मकान बनाने के लिए और इसलिए इस पर विचार किया जा सकता है कि जिन लोगों को ऋण दिया गया है या जिनको अनुदान दिया गया है उनको कुछ अधिक रुपया ऋण के रूप में और दिया जाय। उनको बसाने की कार्यवाही की जा सकती है।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : बसाना नहीं चाहते, यह प्रश्न नहीं है....

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीया (बून्दी) : यह जिस संस्था के द्वारा....

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्त्ता।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : अध्यक्ष महोदय, यह लोग नेहरू नगर में बस गए हैं, उनके मकानों की स्थिति अच्छी नहीं है और इसलिए निवेदन किया गया है, जो नहीं बसे हैं वह तो अलग से प्रश्न है। लेकिन जो बस गए हैं और इस बुरी स्थिति में रह रहे हैं उनके लिए मैं चाहता हूं कि सरकार स्पष्ट आश्वासन दे कि इस साल उनकी सहूलियत के लिए कोई व्यवस्था कर दी जायेगी।

श्री औंकारलाल चौहान : सहूलियत देने की अवश्य कोशिश की जाएगी।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : कोशिश की जाएगी नहीं, क्या सरकार उनको अनुदान दिलाएगी ?

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : अध्यक्ष महोदय, यह पालिसी का प्रश्न है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को जितनी अनुदान की राशि एक हजार रुपया प्रति परिवार आप देते हैं तो क्या गाडोलिया लुहारों को भी उतनी ही राशि आप देने को तैयार हैं ?

श्री औंकारलाल चौहान : मैंने आप से निवेदन किया कि अब तक 300–350 रु.

(श्री औंकारलाल चौहान)
दिये हैं, अब अगर और चाहेंगे तो बाकी और भी दिये जा सकते हैं उनको बसाने के लिए।

श्री अध्यक्ष : श्री मोहनलाल छंगाणी।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : यह ऐसा प्रश्न है कि जिसको पिछले 15 साल से कोशिश कर रहे हैं और यही जबाव दिया जाता है कि कोशिश कर रहे हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ अध्यक्ष महोदय, कि मंत्री महोदय यह आश्वासन दें कि यह राशि इस साल दे दी जाएगा यह ठीक है कि इसमें दो महीने, तीन महीने लग सकते हैं लेकिन यह आश्वासन दें कि इस साल दे दी जायेगी।

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीया : इसी प्रश्न के साथ मैं यह भी जानकारी चाहता हूं कि इन लोगों को बसाने के लिए एक संस्था विमुक्त जाति सेवक संघ जिसके अध्यक्ष श्री वर्मा जी थे, ने काम किया था और उसको कितना एड-वांस गवर्नमेंट की तरफ से हुआ और उस संस्था ने कितना काम किया, कितना खर्चा किया, इस बारे में मैं मंत्री महोदय से आशा करूंगा कि वे इस बारे में एक रिपोर्ट हाउस के सामने रखें।

श्री औंकारलाल चौहान : यह अलग से प्रश्न है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : एक प्रश्न माननीय मंत्री महोदय। यह प्रश्न नीति का और पालिसी का है। गाडोलिया लुहारों के साथ साथ बन्जारे भी हैं और गाडोलिया लुहार भी हैं, दोनों ही घुमक्कड जाति के लोग हैं। मैं समाज कल्याण मंत्री से निवेदन करूंगा कि क्या आप जिलाधीश स्तर पर ऐसी घुमक्कड जातियों की कोई सेंसस कराकर यह जानकारी करेंगे कि ऐसी कितनी घुमक्कड़ जातियां हैं और उनमें कितने लोग हैं और उनको बसाने के लिए उनको काश्त की जमीन देने का प्रयास करेंगे। इस सम्बन्ध में कोई नीति अख्तियार करने का प्रयास करेंगे।

श्री औंकारलाल चौहान : वास्तव में यह घुमक्कड जातियों का ऐसा प्रश्न है जो कि वास्तव में दयनीय स्थिति में है इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं कोशिश करूंगा और जिलाधीशों से परामर्श करके उनकी सेंसस करवाने पर और उनके बारे में पूरी जानकारी लेकर उनको सहायता दिलाने का प्रयास किया जाएगा।

श्री वृद्धि चन्द्र जैन : अध्यक्ष महोदय, मैं तो नेहरू नगर के बारे में आश्वासन चाहता हूं कि इस साल उनके लिए अनुदान की व्यवस्था कर दी जाएगी या नहीं कर दी जाएगी।

श्री औंकारलाल चौहान : मैंने निवेदन किया कि अब इस प्रकार का कोई प्रोविजन नहीं है। सन् 55–56 में यह स्कीम लागू की गई थी लेकिन अब इसमें कोई प्रोविजन नहीं है जिसके अन्तर्गत सहायता दी जा सके। लेकिन फिर भी उनकी दयनीय स्थिति को देखते हुए और उनको बसाने के लिए जो कुछ भी हो सकता है उनको मदद देने की अवश्य कोशिश की जाएगी।

श्री शंकरसिंह रावत (नसीराबाद) : सवाल इस बात का है कि उनको सहायता,

(श्री शंकरसिंह रावत)

दी जाय। हमारे स्वर्गीय प्रधान मंत्री नेहरूजी ने उस सम्मेलन की अध्यक्षता कर राजस्थान में ऐसी घुमक्कड़ जातियों को बसाने का प्रयत्न किया था, इसलिए परम्परा तोड़ने का तो प्रश्न नहीं है। परम्परा तो तोड़ दी गई है और उनको बसाने का प्रयास किया गया है। अब तो सवाल उसको कार्यान्वित करने का है अभी तक 15 साल से जो हालत चल रही है अगर वही हालत चलती रहती है तो 15 साल तो क्या 50 में भी उनको नहीं बसा सकेगी जैसा मंत्री महोदय ने बताया कि उनकी परम्परा है तो उस परम्परा को तो तोड़ा है स्वर्गीय प्रधान मंत्री जी ने। अब तो उनको बसाने का प्रश्न है :—

(व्यवधान—अश्रव्य)

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीया : बसाने के सवाल के साथ ही विमुक्त जाति सेवक संघ का सवाल जुड़ा हुआ है। यह अलग से प्रश्न नहीं है।

श्री ओंकारलाल चौहान : मैंने निवेदन किया कि विमुक्त जाति सेवक संघ का प्रश्न अलग से है। यहां प्रश्न केवल घुमक्कड़ जातियों से सम्बन्धित पूछा गया है और उसीका मैंने जवाब दिया है। अगर आप इस संस्था के बारे में अलग से पूछेंगे तो मैं अवश्य इसका भी जवाब माननीय सदस्य को दूंगा।

श्री अध्यक्ष : श्री मोहनलाल छंगाणी

श्री गुमानमल लोढा (जोधपुर) : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है...

श्री अध्यक्ष : श्री बद्रीप्रसाद।

श्री गुमानमल लोढा : एक प्रश्न नीति का है।

श्री अध्यक्ष : आई हेव टेकन अनोदर क्वश्चन।

प्र. सं. 439

श्री मोहनलाल छंगाणी।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखिये)

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता।

क्रेश प्रोग्राम के अन्तर्गत पंचायत समिति बानसूर में किये गए कार्य

440. **श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (बानसूर)** : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बानसूर पंचायत समिति में भारत सरकार के बेरोजगारी मिटाने संबंधी क्रेश प्रोग्राम के अन्तर्गत अब तक कितने कार्य मंजूर किये गए थे उनमें से कितने कार्य चालू है? और अब तक उन पर कितना रुपया खर्च हुआ है?

(2) क्या यह सही है कि जितने कार्य स्वीकार किए गए हैं उनमें कुछ को अभी तक मंजूरी नहीं मिली है? यदि हां, तो इसका क्या कारण है?

पंचायत मंत्री (श्री ओंकारलाल चौहान) : (1) तीन कार्य मंजूर किए गए थे। तीनों ही कार्य चालू है व इन पर 8922.50 रुपया खर्च हुआ है।

(श्री ओंकारलाल चौहान)

(2) कार्यों की प्रशासनिक स्वीकृति दी जा चुकी है। दो कार्यों में वित्तीय स्वीकृति भी दे दी गई हैं। एक कार्य की वित्तीय स्वीकृति दिया जाना शेष है क्योंकि प्रस्ताव चालू माह के प्रथम सप्ताह में ही प्राप्त हुआ है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : क्या यह सरकार की जानकारी में है कि जब प्रपोजल एक बार वहां से तैयार होकर आ जाते हैं और उस पर आपके डिपार्टमेंट से टेकनीकल संक्शन हो जाती है तो भी दुबारा स्वीकृति के लिए आना पड़ता है और इसमें काफी समय बर्बाद होता है। अभी हमारे वहां पर मीटिंग हुई थी और कलेक्टर साहब ने सभी एम. एल. एज. को जानकारी कराई थी कि दुबारा अप्रूवल के लिए डिपार्टमेंट में भेजना पड़ता है और इसमें बड़ा लम्बा समय लग जाता है। काफी डिले होता है।

श्री ओंकारलाल चौहान : ऐसी बात नहीं है। किसी योजना या स्कीम में गड़बड़ी रह जाती है तो उसमें ऐसा हो सकता है। मैंने जैसा कि निवेदन किया कि दो योजनाओं की स्वीकृति अभी होनी है...

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैं अर्ज कर रहा हूं कि राज्य भर में यह दिक्कत हो रही है अध्यक्ष महोदय। इस कारण से ही साढे बारह लाख की स्कीम में से 60 हजार का ही काम हुआ है। पी. डब्ल्यू. डी. और इर्रीगेशन में तो यह है कि एक बार स्वीकृति हो जाने पर काम शुरू हो जाता है लेकिन आपके यहां ऐसा नहीं है। एस्टीमेट तैयार हो जाते हैं, आपके यहां से उन पर टेक्निकल सेंक्शन हो जाती है फिर भी दुबारा यहां पर अप्रूव्ल होने के लिए आना पड़ता है, उसमें डिले हो जाती है। एक बार अप्रूव्ल हो जाने के बाद दुबारा आना जरूरी नहीं होना चाहिए। आप इसको एग्जामिन करा लीजिए।

श्री ओंकारलाल चौहान : इसको मैं एग्जामीन करवा लूंगा।

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीया : इसका नतीजा यह है कि बहुत कम काम हुआ है। यह जो टेकनीकल डिफिकल्टी माननीय सदस्य ने रखी है...

श्री अध्यक्ष : नेकस्ट।

प्रश्न संख्या 441

श्री मूलचन्द सामरिया

(अनुपस्थित कृपया आगे देखिये)

श्री शंकरलाल।

पाली में शक्कर वितरण हेतु नियुक्त डीलर्स

442. **श्री शंकरलाल** (पाली) : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पाली शहर और तहसील के किन किन वार्डों और किन किन गांवों में राज्य सरकार द्वारा शक्कर वितरण हेतु डीलर्स मुकर्रर किये हुये हैं और उन डीलर्स के क्या क्या नाम हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ?

(2) क्या यह सही है कि राज्य सरकार की नीति ऐसे मामलों में सहकारी

(श्री शङ्करलाल)
समितियों को प्राथमिकता देने की है ? यदि हां तो इस कार्य हेतु पाली शहर और तहसील की किन किन सहकारी समितियों ने प्रार्थना पत्र दिये और किन किन वार्डों और नगरों के लिये कार्य की मांग की ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या यह सही है कि कई स्थानों पर सहकारी समितियों द्वारा मांग होने के बावजूद भी व्यक्तिगत डीलर्स को मुकर्रर किया गया है ?

(4) पाली शहर और तहसील में कुल कितने डीलर्स हैं और उसमें व्यक्तिगत डीलर्स कितने हैं और सहकारी समितियां कितनी हैं ?

(5) क्या व्यक्तिगत डीलर्स की जगह यदि सहकारी समितियां कार्य करने को तैयार हो तो उन्हें कार्य दिया जायेगा ?

सहकारिता मंत्री (श्री ओंकारलाल) :

(1) शक्कर वितरण हेतु डीलर्स मुकर्रर किये गये हैं उनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी हां, सूची सदन की मेज पर रख दी गई हैं।

(3) जी नहीं।

(4) पाली शहर और तहसील में कुल 55 दुकानें हैं उनमें से व्यक्तिगत डीलर्स 36 एवं सहकारी समितियां 17 है और 2 स्थान रिक्त है।

(5) जी नहीं। जब तक पूर्व में नियुक्त व्यक्तिगत डीलर्स के विरुद्ध शिकायत प्राप्त होकर सिद्ध न हो तब तक उनको हटाकर दूसरे की नियुक्ति करना सभव नहीं है।

(कृपया परिशिष्ट 2 देखिये)

श्री शंकरलाल : यह सरकार की नीति कहां पर रही है कि सरकारी समितियों को प्राथमिकता दी जायेगी। सरकारी समितियों को देने का प्रावधान नहीं है तो बाद में देने का प्रश्न कहां पर आता है ?

श्री ओंकारलाल : यह निवेदन किया है कि जो सहकारी समितियां हैं, अगर वे सामने नहीं आती हैं तो यह स्वाभाविक है कि व्यक्तिगत डीलर्स को यह काम दिया जाये, राशन की दुकान उसको दी जाये।

श्री शंकरलाल : क्या कारण है कि सहकारी समितियों को नहीं दिया गया है और डीलर्स की नियुक्ति कर दी जाती है। अगर सहकारी समितियां काम करने को तैयार है तो क्या आप यह काम सहकारी समितियों को देगें ताकि काम अच्छी तरह से हो सके और भ्रष्टाचार न पनपे। यह सरकार की नीति होनी चाहिये। प्राथमिकता सहकारी समितियों को दी जानी चाहिये वह क्यों नहीं दी जा रही है ?

श्री ओंकारलाल : सरकार की यह नीति है और जैसा कि बताया गया है सहकारी समितियों को इस काम के लिये प्राथमिकता दी जाती है और वह दी जा रही है।

श्री शंकरलाल : अध्यक्ष महोदय, नम्बर दो में यह कहा है कि सूची दे दी गई है परन्तु

Page No.12

(श्री शङ्करलाल)
मुझे यह सूची नहीं मिली है। किन किन लोगों ने डिमान्ड की यह सूची मुझे नहीं मिली है। एक व्यक्तिगत डीलर पाली में है नाम है इब्राहीम मूसा–इसके खिलाफ शिकायत है। क्या मंत्री महोदय इसके खिलाफ जांच करायेंगे। वहां पर घोटाला है।

श्री ओंकारलाल : मैं अवश्य ही इसकी जांच करवाऊंगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल: आखरी प्रश्न है, उसका क्या उत्तर दिया है। व्यक्तिगत डीलर की जगह सहकारी समिति काम करने को तैयार है तो इस सम्बन्ध में आपकी क्या नीति है?

श्री ओंकारलाल : एक यह निवेदन कर दिया है कि एक दफा अगर व्यक्तिगत डीलर नियुक्त हो जाता है तो वह काम सहकारी समिति को देना मुश्किल हो जाता हैं। अगर सहकारी समिति समय पर न आवे, सक्षम न होवे या असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार सिफारिश न करे और उस जगह पर व्यक्तिगत डीलर को मुकर्रर किया जाता हैं तो उसको हटाना मुश्किल हो जाता हैं। अगर उसके खिलाफ शिकायत हो तो जांच की जाकर उसको हटाया जा सकता है।

श्री मोहनराज : इस परटीकूलर मामले में–पाली शहर और पाली तहसील में जो डीलर्स मुकर्रर किये गये हैं, तो क्या उसके पहले सहकारी समितियों को सूचना दी गई थी। अगर ऐसा नहीं किया गया तो सरकार को प्राथमिकता देने की जो नीति है उसका पूरा पालन नहीं किया गया है। ऐसी सूरत में जिन्होंने प्राथमिकता देने की नीति का पालन नहीं किया है, उन अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जाये और अब जो सहकारी समितियां हैं उनको प्राथमिकता देने की नीति के आधार पर विचार किया जायेगा?

श्री ओंकारलाल : जी हां।

श्री रामानन्द अग्रवाल : नीति के सम्बन्ध में, सहकारिता के बारे में राज्य सरकार की क्या नीति है कि जिस कार्यक्षेत्र में व्यक्तिगत लोग काम कर रहे हैं जब तक वह स्वतः ही न मर जाये तब तक राज्य सरकार उनको हटाकर समिति को वह काम नहीं दे सकती?

श्री ओंकारलाल : माननीय सदस्य, मैं सोचता हूं, कि अगर एक व्यक्तिगत डीलर को, एक व्यक्ति को मुकर्रर कर दिया गया है और सहकारी समिति ने अपना नाम पेश नहीं किया है तो सरकार के लिये यह मुश्किल हो जाता हैं कि वह उसको हटा कर सहकारी समिति को दे दे।

श्री शंकरलाल : जब सरकार की नीति है तो इसको ड्राप करना चाहिये। इसके अलावा एक डिपार्टमेन्ट का सरक्यूलर निकला है कि जहां पर नये डीलर्स नियुक्त किये जाये वहां पर पुरानों को ही नियुक्त किया जाये? तब तो सहकारी समितियों का नम्बर आयेगा ही नहीं और ये व्यक्तिगत डीलर्स अधिकारियों से मिलकर भ्रष्टाचार करते हैं। इसलिये ये सहकारी समितियों को नहीं आने देना चाहते हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : एक वार एक अधिकारी ने एक व्यक्तिगत डीलर को जिसमें

(श्री रामानन्द अग्रवाल)
कि वह इन्टरेस्टेड है, मुकर्रर कर दिया और जैसा कि आप कह रहे हैं अगर वहां पर सहकारी समिति नहीं है और उसको मुकर्रर कर दिया गया तो उसको नहीं हटा रहे हैं। इस प्रकार तो सहकारिता का क्षेत्र नहीं बढ़ सकेगा, उसको प्राथमिकता नहीं दे सकेंगे। व्यक्तिगत डीलर मुकर्रर कर दिया हैं तो उसका एक मीनीमम पीरियड होना चाहिये और उसको किसी तरीके से मुआवजा दे दे। कोई न कोई इस तरह का कानून होना चाहिये ताकि सहकारिता को प्रश्रय मिल सके।

श्री हीरालाल देवपुरा (कुम्भलगढ़) : क्या मंत्री महोदय यह वताने की कृपा करेंगे कि इसमें कानून की कोई वाधा है और उससे ही यह मुश्किल हो जायेगी। ऐसा कोई कानूनी वन्धन नहीं है। जव डीलर की नियुक्ति की जाती हैं तो यह लिखा होता हैं कि सरकार जव चाहे मुकर्रर कर सकती हैं और हटा सकती हैं।

श्री ओंकारलाल : कानूनी कोई वाधा नहीं है लेकिन फिर भी एक एग्रीमेन्ट, टर्म्स आफ रैफरेंन्स होती है डीलर के साथ। अगर उसके खिलाफ सहकारी समिति आती हैं और नहीं आती हैं तो उस जगह पर व्यक्तिगत डीलर को मुकर्रर करना पड़ेगा। यह सही वात है। एक जगह नोटिस में आया। सहकारी समितियों में खामी हैं, उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर हैं तो मैं समझता हूं कि सहकारी समितियों को काम नहीं मिल सकता। सरकार की नीति यह रही हैं कि सहकारी समिति को पहले काम दिया जाये। अगर ऐसा कोई उदाहरण हो कि सहकारी समिति आगे आई हो और उसको काम न मिला हो तो मुझे बताया जाये, मैं उसके खिलाफ एक्शन लूंगा और उसको काम दूंगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अगर सहकारी समिति आने को तैयार हैं तो क्या आप डीलर को हटाने के लिये तैयार हैं?

श्री ओंकारलाल : यह संभव नहीं हो सकता हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री देवीलाल।

श्री शंकरलाल : वह संभव क्यों नहीं हो सकता? क्या कानूनी वला हैं?

श्री अध्यक्ष : जवाव आ गया है माननीय सदस्य।

श्री शंकरलाल : अगर आप भ्रष्टाचार को रोकना चाहते है तो सहकारी क्षेत्र को वढ़ाना होगा। एक तरफ आप वह काम को-आपरेटिव सेक्टर को वढ़ावा देने को है। क्या इसमें कोई कानूनी वाधा है? तव फिर आप किस प्रकार से कार्यवाही नहीं कर रहे हैं।

श्री मनोहरलाल (कामां) : अध्यक्ष महोदय, व्यक्तिगत दुकानदार द्वारा चीनी का वितरण भी जारी है। वो ही गुलाम चीनी 2–10 पैसे वेच रहा है और वाजार की चीनी 3–10 पैसे किलो बेच रहा है। तो एक रुपया प्रति किलो वह खा जाता है, कौन खा जाता है, मंत्री महोदय वताने की कृपा करेंगे? गुलाम चीनी 2–10 पैसे और वाजार चीनी 3–10 पैसा तो यह एक रुपया कौन खा जाता है?

श्री निरंजननाथ आचार्य : गुलाम चीनी की व्याख्या करिये ?

श्री ओंकारलाल : इस प्रकार की कोई शिकायत मेरे सामने नहीं आई है।

श्री शंकरलाल : सहकारी समितियों में इस प्रकार की गड़बड़ नहीं हो सकती है। क्योंकि उनको हिसाब रखना पड़ता है।

श्री अध्यक्ष : श्री देवीलाल।

प्रश्न संख्या 443

श्री देवीलाल।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री चिमनसिंह भाटी।

ब्यावर तहसील में मालगुजारी की दर

444. **श्री चिमनसिंह भाटी** (भीम) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सच है कि अजमेर जिले की ब्यावर तहसील में मालगुजारी वर्तमान दर से बढ़ाई जा रही है ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या राज्य सरकार बन्दोवस्त से पहले भी मालगुजारी बढ़ा सकती है ? यदि हां, तो किन नियमों के अन्तर्गत ?

राजस्व मंत्री (**श्री रामचन्द्र चौधरी**) : (1) यह सही नहीं है कि तहसील ब्यावर में मालगुजारी की वर्तमान दर बढ़ाई जा रही है।

(2) बन्दोवस्त से पहले राज्य सरकार आमतौर पर मालगुजारी (रेट) की दर नहीं बढ़ाती।

श्री केसरीमल (ब्यावर) : माननीय मंत्री महोदय, क्या यह सही है कि वहां पर जो अब तक लगान लिया जाता है उससे दुगना, चौगना अब लगान क्यों लिया जा रहा है जब कि लगान की दर नहीं बढ़ाई है ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : यह बात सही नहीं है क्योंकि पहले ब्यावर तहसील में जब कि अजमेर ब्रिटिश साम्राज्य के अन्दर था तब बन्दोवस्त हुआ था और जब अजमेर राजस्थान में विलीन हो गया तो उसके बाद में वह जो बिचौलिये थे उनको हटा दिया गया और सबको खातेदार बना दिया गया और खातेदार बनने के बाद में जो बन्दोवस्त की स्वीकृत दर थी, जो कि एक ही गांव के एक ही किस्म की जमीन के लिये दूसरे किसानों से ली जा रही थी वही ली जाने लगी है, लेकिन जो बिस्वेदार थे उनसे जो पहले उनसे लगान कायम था वही लिया जाता रहा। लेकिन अब जब लेण्ड रिकार्डस में तरसीम हुआ तो इस गलती को डिडेक्ट किया गया और उसके बाद जो हरेक किसान देता है उतना ही लगान उनसे भी लिया जाता है क्योंकि खातेदार खातेदार में फर्क नहीं किया जा सकता है, और एक ही गांव की एक ही किस्म की जमीन के दो लगान नहीं हो सकते हैं और जो आम किसान से लगान लिया जाता है वही बिस्वेदार से और बिचौलियों से लिया जाता है। कोई रेंट रेट नहीं बढ़ाई है।

Page No.15

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : क्या यह सही है कि कुछ खातेदारों से जो लगान लिया जा रहा था कितने ही वर्षों से उससे इसकी मात्रा इस समय बढ़ाकर करीब डेढ गुनी या दुगनी उसको लिया जा रहा है?

श्री रामचन्द्र चौधरी : मैंने आपसे अर्ज किया है कि रेंट रेट नहीं बढ़ाई है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : एमाउन्ट।

श्री रामचन्द्र चौधरी : अजमेर में जो उस समय बिस्वेदार थे उनसे एक सीधी रकम कोई मुकर्रर रकम साल भर की ली जाती थी और वे अपने काश्तकारों से रेंट रेट मनमाने दरों से वसूल करते थे। जब टेनेन्सी एक्ट को वहां पर अमल में लाया गया तो वे सब के सब खातेदार बन गये और सब खातेदारों की हैसियत एक हो गई। जिनकी खुदकाश्त थी वह बिस्वेदार भी खातेदार हो गये और जो बिस्वेदार खातेदार बने थे उनसे ब्रिटिश साम्राज्य के समय का ही लगान वसूल किया जाता रहा अब जब लैंड रेकर्ड में तरमीम हुई तब यह गलती डिटेक्ट हुई तो पहले से स्वीकृत दरें बन्दोबस्त की वही उनसे ली जा रही हैं, जो कि दूसरे किसानों से ली जा रही हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आप तो रीजन एक्सप्लेन कर रहे हैं, लेकिन यह फैक्ट तो है ही कि उन किसानों से जिन किसानों की केटेगरी आप बता रहे हैं उनसे सन् 47 से 71 तक जो लगान लिया जा रहा था उससे कई गुना बढ़ाकर अब लिया जा रहा है? कारण क्या हैं वह आपने एक्सप्लेन कर दिये लेकिन यह फैक्ट तो माने?

श्री रामचन्द्र चौधरी : मैंने निवेदन किया कि दरें नहीं बढ़ी हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अमाउन्ट।

श्री रामचन्द्र चौधरी : बिचौलिये थे।

श्री चिमनसिंह भाटी (भीम) : 47 से लेकर वसूल क्यों नहीं किया?

श्री रामचन्द्र चौधरी : मैंने निवेदन किया कि गलती डिटेक्ट नहीं हो पाई। लैंड रेकार्ड में तरमीम की गई तो मालूम हुई।

श्री चिमनसिंह भाटी : जिन व्यक्तियों ने गलती की उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई? उसको ठीक करके वसूल कर रहे हैं और बन्दोबस्त को लागू नहीं कर रहे हैं हैं तो पहले से जो रेट ले रहे हैं वही क्यों नहीं ली जाती है।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : गलती किसने की थी उसके खिलाफ क्या कार्यवाही कर रहे हैं?

श्री गुरदयालसिंह सन्धु (करणपुर) : भारत सरकार के किसी एक्ट के तहत वह छूट थी, किसी साम्राज्य की वजह से थी तो किसी केन्द्रीय शासन की बगैर इजाजत उस छूट को समाप्त क्यों कर रहे हैं।

श्री रामचन्द्र चौधरी : ब्रिटिश साम्राज्य की छूट अब कायम नहीं रही और सब खातेदार बन गये। अब बिस्वेदार के मायने में, इस्तमरारदार के मायने में नहीं रहे। वे

Page No.16

(श्री रामचन्द्र चौधरी)
विस्वेदार भी थे और जमींदार भी थे और मालिक भी थे। अब वे सब खातेदार मान लिये गये तो एक ही गांव में एक ही किस्म की जमीन का लगान जो एक खातेदार किसान देता है वही लगान उनसे लिया जा रहा हैं।

श्री गुरदयालसिंह सन्धु : पिछला जो सेटिलमेंट हुआ तो उस समय भी उस एरिया को एसेस किया गया था जिस पर कि लगान बढ़ाया गया है?

श्री रामचन्द्र चौधरी : एसेस किया गया था।

श्री गुरदयालसिंह सन्धु : उसकी रिपोर्ट नहीं ली गई। यदि वह एसेस किया गया था तो एसेसमेंट की रिपोर्ट आपके पास में है?

श्री रामचन्द्र चौधरी : उसी एसेसमेंट की रिपोर्ट के आधार पर दूसरों से जो लैण्ड रैवेन्यू वसूल किया जा रहा है वह आज से तो नहीं है।

श्री गुरदयालसिंह सन्धु : जब सेटिलमेंट उस एरिया का आपने करवाया तो उस समय लगान क्यों नहीं बढ़ाया था? यह किस की गलती है?

श्री रामचन्द्र चौधरी : यह मैंने पहले भी अर्ज किया था कि गलती उस समय डिटेक्ट नहीं हुई इसलिए अभी तक चलता रहा। अब लैण्ड रिकार्ड्स में तरमीम का अभियान चला अजमेर में, तब मालूम हुआ। तो जो पहले लिया जाता था पहले लगान वही ले रहे हैं। जब यह मालूम हुआ तो हमने यह शुरू किया कि जो आम किसान से लगान लिया जा रहा है वही विस्वेदार से और इस्तमरारदार से भी लिया जाय।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या उस समय लगान की दरें तय करने का आधार यह था कि जो टेनेन्ट्स एट विल थे तो जो टेनेन्ट्स एट विल थे उनके लगान को दरें जो खुद विस्वेदार वगैरह थे उनसे भी ज्यादा जो सरकार के टेनेन्ट्स एट विल थे उनको दरें रखी गई हैं? विस्वेदार डाईरैक्टली सरकार से ताल्लुक रखते थे, और विस्वेदारों का एक छोटा सा तबका इन्टरमीजियेरीज हो सकता है वर्ना वे डाईरैक्टली खुद काश्त करने वाले थे, और विषमता यह है कि अजमेर जिले में और मेरे खुद के जिले में आज विस्वेदारों की तादाद अपने आप में बहुत ज्यादा है बनिस्पत उनके जो सब-टेनेन्ट्स थे या या टेनेन्ट्स एट विल थे। तो दरअसल में वे विस्वेदार इन्टरमीजियेरीज नहीं थे और दरअसल में वही बड़ी तादाद में खातेदार हैं। तो अगर यह था कि एक युनिफार्म रेट करना चाहिए था तो जो रेट बिस्वेदार की थी और जो खातेदार बनता है उनकी रेट मुकर्रर की है तो उस मुताबिक दूसरे टेनेन्ट्स की रेट भी नीचे ले आते और जो उनसे लगान लिया जाता था वह कम कर देते बजाय इसके कि माइनोरिटी की जो रैट्स थी वह मेजोरिटी पर लागू करके जो खुद काश्त करने वाले थे उन पर लगान बढ़ा दिया।

श्री रामचन्द्र चौधरी : जब अजमेर में सेटिलमेंट के बाद में जो दरें कायम हुई तो··

(श्री रामचन्द्र चौधरी)

ज्यादातर जो इलाका है वहां पर खालसा था, जागीरी इलाका नहीं था और बीच बीच में बिस्वेदार और जमींदार थे। खालसा इलाका में आम किसान होता है जिसका सीधा ताल्लुक गवर्नमेंट से होता है। बन्दोबस्त में लगान की दरें कायम कर दी गई हैं, लेकिन बीच में बिस्वेदार और दूसरे थे जैसा कि आप बता रहे हैं तो उनसे एक बाकायदा एक रकम एक मुश्त ली जाती थी और बाकी छूट थी जिस पर वे अपने किसानों से कुछ भी वसूल करें। जब टैनेन्सी एक्ट लागू हुआ तो खातेदार बने और खुदकाश्त जमीन के ये खातेदार बन गये। तो खातेदार बनने के बाद उनसे वही लगान वसूल किया जाना चाहिये था जो आम किसानों से वसूल किया गया है, लेकिन गलती से यह रकम वसूल नहीं की गई। अब जब कि लैण्ड रेकार्ड्स में तरमीम हुई और जांच की गई तो यह गलती हमें मालूम हुई तो जो आम किसान से दरें ली जा रही हैं वही इनसे वसूल करने का प्रावधान रखा है।

श्री केसरीमल: एक प्रश्न और...

श्री जिम्मनसिंह भाटी: मंत्री महोदय, क्या यह बतायेंगे...

श्री अध्यक्ष: अगला सवाल।

बून्दी जिले के गावों का विद्युतीकरण

445. **श्री नन्दलाल बैरवा (पाटन)**: क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) बूंदी जिले की कौन, कौन सी तहसीलों के किन किन गांवों में विद्युतीकरण किया जा चुका है? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) बूंदी जिले की कौन कौन सी तहसीलों के गांवों का विद्युतिकरण किये जाने हेतु सर्वे किया जा चुका है और किन किन गांवों की विद्युतिकरण की योजना आरम्भ कर दी गई है अथवा की जा रही है? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

विद्युत मंत्री (श्री हरिदेव जोशी): (1) बूंदी जिले के जिन गांवों का विद्युतिकरण किया जा चुका है उनकी सूची 'अ' सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) सन् 1971–72 में जिला बून्दी तहसील बूंदी, तालेड़ा, केशवराय पाटन, हिन्डोली और नैनवा के 112 गांवों को बिजली देने हेतु सर्वे किया जाकर स्कीम रिपोर्ट बनाई गई, जिनमें से 23 गांवों को बिजली देने की स्वीकृति दे दी है, 43 गांवों की स्कीम बनाने पर लाभप्रद नहीं पाई गई है और शेष विचाराधीन है। सूची (ब) व (स) संलग्न है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

श्री नन्दलाल बैरवा: अध्यक्ष महोदय, क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जो सूची मुझे 23 गावों की दी गई है उनमें से कितने गांवों में इस वक्त काम चल रहा है और कब से चालू है?

श्री हरिदेव जोशी: अगर काम पूरा नहीं हुआ तो इस वर्ष में पूरा कर दिया जायगा।

श्री नन्दलाल बैरवा: अभी जो 23 गांवों की सूची दी है उनमें कई गांवों में

(श्री नन्दलाल बैरवा)

काम शुरू नहीं हुआ है केशोराय पाटन में काम चालू नहीं हुआ है। क्या मंत्री महोदय काम चालू करायेंगे ?

श्री हरिदेव जोशी : जल्दी ही चालू कर दिया जायगा।

तहसील झालावाड़ के ग्रामों में तालाबों का निर्माण कार्य

446. **श्री रामप्रसाद बोहरा** (झालरापाटन): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जिला झालावाड़ तहसील झालरापाटन के ग्राम रीजोन व ग्राम सारंगाखेड़ा में तालाब बनाये जाने की स्वीकृति हो चुकी है ? यदि हां, तो इनके लिये कितनी कितनी रकम की स्वीकृति कब कब हुई तथा इस से कितनी भूमि की सिंचाई होगी ?

(2) क्या यह सही है कि इन तालाबों का कार्य बन्द किया जा चुका है, यदि हां, तो क्यों ?

(3) सारंगा खेड़ा तहसील झालरापाटन में तलाब बनाने से कौन कौन से ग्राम या कितनी जमीन डूब में आने वाली है ?

राज्य मंत्री, सिंचाई (श्री मूलचन्द) :
(1) जी नहीं।

(2) प्रश्न नहीं उठता।

(3) सूची संलग्न है।

(कृपया परिशिष्ठ 8 देखिये)

श्रीराम प्रसाद बोहरा : क्या यह सही है कि सारंगाखेड़ा तालाब की मन्जूरी हो चुकी है। आपने फर्माया जी नहीं, तो क्या मन्जूरी नहीं हुई थी ? वहां पर काम शुरू कर दिया गया था और फिर बन्द किया गया।

श्री मूलचन्द : इसका जब सर्वे किया गया तो 78 हजार रुपये का एस्टीमेट बना था लेकिन ए. सी. रेशियो कम होने के कारण काम बन्द किया गया और एक मिली जुली योजना बनाई जो सारंगाखेड़ा के नाम से है। उसका कार्य और तखमीना चालू है और वित्तीय वर्ष के लिये सवा लाख रुपये मन्जूर हो चुके हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री सुरेशचन्द्र।

कोटपुतली में विद्युत् सहायक अभियन्ता का कार्यालय खोलने की मांग

447. **श्री सुरेशचन्द्र** (कोटपुतली): क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) कोटपुतली के कनिष्ठ अभियन्ता विद्युत् विभाग के अन्तर्गत कितनी तहसीलों के ग्राम आते हैं ?

(2) क्या बिजली के उपभोक्ताओं की संख्या बड़े क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए सरकार कोटपुतली में सहायक अभियन्ता विद्युत विभाग का कार्यालय खोलने पर विचार कर रही है ?

(3) यदि हां, तो कब तक उपरोक्त कार्यालय खोला जावेगा ?

विद्युत मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) : (1) कोटपुतली, जिला जयपुर तथा जिला

(श्री हरिदेव जोशी)
अलवर की तहसील बानसूर, बहरोड़ तथा थानागाजी के कुछ गांव आते हैं।

(2) जी नहीं।

(3) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री सुरेशचन्द्र : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने जवाब दिया कि चार तहसील पड़ती हैं। तो जो जूनियर इन्जीनियर वहां नियुक्त किया है, क्या एक जूनियर इन्जीनियर काम कर सकता है। क्या मंत्री महोदय, इस बात को महसूस नहीं करते कि वहां एक ए. ई. एन. का आफिस होना चाहिये ?

श्री हरिदेव जोशी : कन्जुमर्स बढ़ने पर इस पर विचार किया जायेगा।

श्री सुरेशचन्द्र : कन्जूमर्स तो काफी हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या सरकार ने इस प्रकार कोई माप दंड मुकर्रर कर रखा है कि कन्जुमर्स होने पर या इतने कनेक्शन होने पर अथवा इतनी बिजली कन्ज्यूम होने पर इस प्रकार का आफिसर मुकर्रर किया जायेगा ?

श्री हरिदेव जोशी : आठ हजार कन्जुमर्स पर एक सब डिवीजन कर दिया जाता है।

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय : जहां तक कन्जुमर्स का सवाल है, पहले आप दुकान खोलेंगे तब ही तो ग्राहक आयेंगे, या पहले ग्राहक आयेंगे तब दुकान खुलेगी ?

श्री हरिदेव जोशी : दुकान तो पहले ही खुली हुई है।

श्री सुरेशचन्द्र : आर. एस. ई. बी. का आफिस आपको खोलना चाहिये ताकि पोटेन्शिल ऑफ कन्जुमर्स बढ़ सके।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या वहां पर 8 हजार से ज्यादा कनेक्शन नहीं हैं ?

श्री हरिदेव जोशी : जी नहीं।

श्री अध्यक्ष : श्री भानु कुमार शास्त्री।

पदक प्राप्त बहादुरों को राज्य सरकार द्वारा दी गई सुविधाएं

448. श्री भानुकुमार शास्त्री (उदयपुर): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) हाल ही के भारत पाक युद्ध में राजस्थान के किन किन व्यक्तियों को बहादुरी के लिये किस किस प्रकार के पदक प्राप्त हुए हैं ?

(2) ऐसे व्यक्तियों को राज्य सरकार द्वारा किस किस को कब कब और कितनी कितनी विशेष सुविधाएं दी गई ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

राजस्व मंत्री (श्री रामचन्द्र चौधरी)
(1) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) उपरोक्त सूची में सूचना उपलब्ध करदी गई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री भानु कुमार शास्त्री : क्या यह सूची गलत है ? एक तो श्री परिहार, जिसे वीर चक्र मिला है, उसका सूची में उल्लेख नहीं है। और दूसरा क्या समझा जाये कि जिन्होंने हिन्द पाक लड़ाई में वीर पद प्राप्त किया, था जिनको मैलन्टरी अवार्डस मिले, उनकी 114 व्यक्तियों की आपने सूची दी है, उनको किसी प्रकार की भूमि का आवंटन नहीं किया गया, केवल यह कहा गया है कि कलेक्टर को लिखा गया और कार्यवाही चालू है।

श्री रामचन्द्र चौधरी : इनकी सूचना हमें देहली, बोम्बे और पूने से अलग अलग प्राप्त होती है और वह भी पहले हेडक्वार्टर्स को लिखते हैं, इसलिये इसमें देरी होती है।

श्री भानुकुमार शास्त्री : उदयपुर के स्टेशन पर बड़े बड़े बोर्ड लगे हुए हैं, क्या वह बोर्ड आपको दिखाई नहीं देते? वहां पर जिन लोगों को मैलन्टरी अवार्ड मिला है उनके नाम लिखे हुए हैं। उनमें से किसी को भी भूमि नहीं दी गई। अध्यक्ष महोदय, 114 में से किसी एक को भी भूमि अलाट नहीं की गई है। हिन्द पाक की लड़ाई में जो उन लोगों को तकलीफें हुई उनका उनको इतना दर्द नहीं जितना लाल फीताशाही से, और कलेक्टर और दूसरे अधिकारियों के पास चक्कर काटने से होता है। अच्छा होता उनको अवार्ड ही नहीं देते, या यह कह देते कि हम भूमि नहीं देंगे। इस प्रकार के झूठे आश्वासन देते हैं और फिर सदन को गलत सूची देते हैं जिसमें राजस्थान के ही उन वीरों का जिनका नाम उदयपुर के स्टेशन पर बड़े बड़े बोर्डों पर लिखा हुआ है, उनका नाम नहीं है।

श्री निरंजन नाथ आचार्य (मावली) : दुर्गाशंकर पालीवाल, इन्जन ड्राइवर हैं। उनका आपकी सूची में उल्लेख है कि नहीं? उनकी तो सब को सूचना है।

श्री रामचन्द्र चौधरी : हमारे पास हेडक्वार्टर्स से जिनकी सूचना आती है उनका नाम हम ऐड कर सकते हैं।

श्री भानुकुमार शास्त्री : क्या आप खुद एनक्वायरी नहीं कर सकते हैं कि राजस्थान में किन किन ज़िलों में किस किस को वीर पदक प्राप्त हुआ है।

श्री रामचन्द्र चौधरी : जिनके नाम आप बता रहे हैं उनको वेरीफाई करके उनके नाम भी ऐड कर देंगे।

श्री भानुकुमार शास्त्री : मैं बता सकता हूं, मैं उनका नाम और नम्बर बता सकता हूं। आज चार महीने हो गये उनको सरकारी आफिसेज में भटकते हुए। क्लेक्टर के पास जाते हैं तो वह उनको तहसीलदार वल्लभनगर के पास भेज देते हैं और वल्लभ नगर के तहसीलदार उनको मावली के तहसीलदार के पास भेज देते हैं, मावली का तहसीलदार वापिस उनको क्लेक्टर उदयपुर के पास भेज देता है। इस तरह से वे चार महीने से परेशान हो रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री रघुनाथ विश्नोई।

श्री भानु कुमार शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, 114 में से किसी एक को भी जमीन नहीं दी गई है।

श्री रामचन्द्र चौधरी : मेरे पास तो कोई नहीं आया।

श्री भानुकुमार शास्त्री : आपके पास आने का तो उनको समय ही कहां मिलता है। उनको छुट्टी दिलवा दीजिये तो आपके पास भी आ जायेंगे। माननीय अध्यक्ष, इन से यह पूछा जाये कि कब तक उनको जमीन दी जायेगी।

श्री अध्यक्ष : श्री रघुनाथ विश्नोई।

तहसील सांचोर के पंचायत केन्द्रों पर औषधालय खोलने की मांग

449. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचौर) : क्या आयुर्वेद मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सत्य है कि तहसील सांचौर में कई पंचायत केन्द्रों पर आयुर्वेद अस्पताल नहीं खोले गये हैं ? अगर हां, तो कितने पंचायत केन्द्रों पर ? अब तक पूरी तहसील में कितने आयुर्वेद अस्पताल खोले गये हैं ? इतने कम अस्पताल खोलने के क्या कारण हैं और इस कमी को कब तक पूरा कर दिया जावेगा ?

(2) ग्राम डूंगरी, ग्राम पुर व ग्राम डुदाऊ में आयुर्वेद अस्पताल कब तक खोले जावेंगे जहां की जनसंख्या दो हजार से अधिक है ?

(3) एक स्थान पर प्राथमिकता से आयुर्वेद अस्पताल खोलने के क्या आधार हैं ? क्या इन आधारों पर ही सब अस्पताल अब तक खोले गये हैं ? अगर नहीं, तो क्यों?

आयुर्वेद मंत्री (हरिदेव जोशी) : (1) जी हां, 39 पंचायत केन्द्रों पर सांचौर तहसील में छः औषधालय कार्यरत है धनाभाव के कारण। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

(2) विचार चल रहा है।

(3) जिला परिषद् से प्राप्त प्रस्तावों पर योजनानुसार औषधालय खोले जाते हैं।

श्री रघुनाथ विश्नोई : डेढ़ लाख से ज्यादा जन संख्या है और केवल 6 आयुर्वेदिक औषधालय हैं, यह बहुत कम हैं, इनको राज्य सरकार पूरा करने का विचार रखती है ?

श्री हरिदेव जोशी : मुझे लगता है कि कम हैं, और आगे औषधालय खोलते हुए तो इस पर विचार करेंगे।

प्रश्न सं. 450

श्री अध्यक्ष : श्री मनोहर कोठारी।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री मालाराम।

नीम-का-थाना तहसील के ग्रामों के विद्युतीकरण की योजना

451. श्री मालाराम (नीम-का-थाना) : क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) नीम का थाना तहसील में वर्ष 1971–72 में कितने ग्रामों की विद्युतीकरण की योजना बनाई गई थी ?

(2) क्या यह सही है कि नीम-का-थाना तहसील के किसी भी ग्राम को बिजली नहीं दी गई है ? यदि हां, तो क्यों ? अब सरकार कब तक इन ग्रामों को बिजली देने का कार्य शुरू करेंगे ?

विद्युत मन्त्री (श्री हरिदेव जोशी) : (1) वर्ष 1971–72 में 10 ग्रामों की स्कीम रिपोर्ट बनाई गई थी जो विचाराधीन है।

(2) जी नहीं, इस तहसील के 9 ग्रामों का विद्युतीकरण अब तक हो चुका है। प्रश्न नहीं उठता। शेष ग्रामों के विद्युतीकरण के बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा ता।

श्री मालाराम : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय से जानकारी करना चाहूंगा कि जिन गांवों की स्वीकृति हो चुकी है उन गांवों को बिजली क्यों नहीं दी जाती ?

श्री हरिदेव जोशी : मुझे आप अलग से बतला दीजिये। आप मुझसे अलग से मिल लीजियेगा, अगर स्वीकृति हो चुकी है तो क्यों नहीं बिजली दी जा रही है, इसकी जांच कर लेंगे और अगर कोई टेक्निकल फाल्ट है तो उसकी जांच कर लीजायेगी।

श्री मालाराम : कब मिलूं आपसे ?

श्री हरिदेव जोशी : बाद में मिल लें।

श्री अध्यक्ष : श्री केदारनाथ।

तहसील श्री माधोपुर के पटवार हल्का गुरारा की कृषि भूमि

452. **श्री केदार नाथ** (श्री गंगानगर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जिला सीकर तहसील श्री माधोपुर के पटवार हल्का गुरारा में कितनी धनराशि तकाबी लोन के रूप में कृषकों को दी गई ? किसान का नाम भूमि का खसरा नम्बर तथा कितनी धनराशि दी गई उसका विवरण सहित सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) हल्का गुरारा में क्या सभी किसान खातेदारों को पास बुकें दे दी गईं ? यदि हां, तो कुल कितनी पास बुकें दी गईं और 30 मार्च, 1971 तक इस हल्के में कुल कितने खातेदार हैं ?

(3) ग्राम गुरारा में पिछली (सम्वत् 2014) चक बन्दी के होने तक कुल कितनी भूमि चरागाह में थी और अब कितनी भूमि चरागाह में है ?

(2) क्या चरागाह की भूमि का किसी को आवन्टन किया गया है ? यदि हां, तो किस को, नाम, पेशा, निवास स्थान आदि विवरण के साथ बतायें कि कितनी भूमि ग्राम गुरारा के चरागाह से आवंटित की गई है ?

राजस्व मंत्री (श्री रामचन्द्र चौधरी) : (1) वांछित सूचना संलग्न सूची में अंकित है।

(2) जी नहीं, एक सौ पास बुकों का वितरण किया गया है। 31–3–71 तक कुल खातेदार 415 थे। शेष खातेदारों को भी पास बुक दी जाने की व्यवस्था की जा रही है।

(3) ग्राम गुरारा के चकबन्दी रजिस्टर सं. 2008 से सं. 2026 के

Page No.23

(श्री रामचन्द्र चौधरी)
अनुसार 809 बीघा 7 बिस्वा रकबा चरागाह में थी जो अब भी है।

(4) चरागाह से किसी को भूमि आवंटन नहीं किया गया है।

(कृपया परिशिष्ट 4 देखिये)

श्री अध्यक्ष : श्री मोहर्रसिंह।

चूरू जयपुर मार्ग का राष्ट्रीयकरण

354. **श्री मोहर्रसिंह (चूरू)** : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) चूरू से जयपुर मार्ग का राष्ट्रीयकरण कब तक किया जावेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

(2) अब तक इस मार्ग का राष्ट्रीयकरण न किये जाने का क्या कारण है?

(3) क्या यह सही है कि इसके लिये जनता बराबर मांग करती रही है?

यातायात मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) : (1) अभी तक इस मार्ग के राष्ट्रीयकरण की कोई योजना निगम द्वारा प्रकाशित नहीं की गई है। योजना के प्रकाशित होने पर उसे अन्तिम रूप देने की कार्यवाही की जावेगी।

(2) निगम द्वारा इस मार्ग के राष्ट्रीयकरण की योजना अभी तक प्रसारित नहीं की गई है।

(3) निगम के पास इसके लिये कोई मांग नहीं प्राप्त हुई है।

श्री मोहर्रसिंह : छः साल पहले इसी सदन में आश्वासन दिया गया था उसकी ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

श्री हरिदेव जोशी : राष्ट्रीयकरण की योजना में इसको भी इन्क्लूड कर लेंगे।

श्री मोहर्रसिंह : बीकानेर और चूरू वालों को बहुत परेशानी होती है। इसको सरकार को राष्ट्रीयकरण करना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती मदन कौर।

ग्राम सिणली जागीर में भूमि का आवंटन

454. **श्रीमती मदन कौर (पचपदरा)**: क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1966, 1967 और 1968 में तहसील पचपदरा के गांव सिणली जागीर में लगभग 70 काश्तकारों को खसरा नम्बर 274 और 145 में भूमि आवंटित की गई थी?

(2) क्या यह सही है कि इन काश्तकारों ने सनद फीस भी नियमानुसार जमा करादी है? यदि हां तो फिर सम्बन्धित पटवारी इन काश्तकारों को बेदखली और जुर्माना करने की धमकी क्यों देते हैं?

राजस्व मंत्री (श्री रामचन्द्र चौधरी) : (1) जी हां, यह सही है कि 1966, 1967 व 1968 में तहसील पचपदरा के गांव सिणली जागीर में कुल 78 व्यक्तियों को खसरा नं. 274 व 145 में से भूमि आवंटित की गई थी।

(श्री रामचन्द्र चौधरी)

(2) आवंटित काश्तकारों में से जिन जिन व्यक्तियों ने, न तो सनद फीस जमा कराई और न आवंटित भूमि का कब्जा ही लिया उनके आवंटन को निरस्त कर दिया गया है। कुछ व्यक्तियों के पास पहले से खातेदारी भूमि अधिक होने के कारण उनका आवंटन निरस्त कर दिया गया। शेष व्यक्तियों का आवंटन नियमित होने के कारण उनको वेदखल नहीं किया गया है।

श्रीमती मदन कौर : अध्यक्ष महोदय, भाग (2) में जो मंत्री महोदय ने कहा है कि सनद फीस जमा नहीं कराई है, पर वहां तो विवाद इस बात को है कि जहां पर भूमि आवंटित की गई है वह गोचर बता रहे हैं, लेकिन वहां पर कोई गोचर नहीं है। इसका क्या जवाब है ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : सनद फीस जमा हो गई है, विवाद चल रहा है। खसरा नं. 274 व 145 में भूमि आवंटित की गई उस जमीन के लिए वहां के पटवारी और तहसीलदार कह रहे हैं कि गोचर है लेकिन वास्तव में गोचर नहीं है इसलिए पट्टा नहीं दे रहे हैं।

श्री रामचन्द्र चौधरी : जिलाधीश बाड़मेर द्वारा सन् 1960-61 में तहसील पचपदरा ग्राम सिणली में खसरा नं 274 व 145 को गोचर घोषित कर दी गई थी लेकिन इसका अमल दरामद पटवारी ने कागजात में नहीं किया इसलिए 1966-67 में तहसीलदार ने यह भूमि दूसरे लोगों को एलाट कर दी। गल्ती, जब मालूम हुई तो उस पटवारी को सजा मिली और जो लोग उस पर काबिज हो गए जमीन को काश्त करने के लिए, भूमिहीनों के पास रहने दी गई और दूसरी जमीन चारागाहों में दी गई।

श्रीमती मदनकौर : तो इन काश्तकारों को जिनको खसरा नम्बर 274 और 145 एलाट किया गया है, क्या उसको रेग्युलराइज किया जायेगा? जो आदेश दे दिए गये हैं उनको निरस्त किया जायगा ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : उनमें से 18 आदमी जिन्होंने फीस दाखिल नहीं की है उनको तो निरस्त किया गया है बाकी सबको बाकायदा जमीन दे दी गई है, वेदखल नहीं किया जायेगा।

श्री अध्यक्ष : श्री भीमसेन।

कस्बा सिंथल में औषधालय को क्रमोन्नत और जच्चाखाना खोलना

455. **श्री भीमसेन** (लूणकरणसर) : क्या आयुर्वेद मन्त्री यह बतावे की कृपा करेंगे :--

क्या यह सही है कि कस्बा सिंथल (बीकानेर) में सिंथल जन सहयोग से आयुर्वेद औषधालय एवं जच्चा खाना के लिए उपयुक्त भवन बनाया हुआ है ? अगर हां तो क्या सरकार उक्त औषधालय को 'बी' श्रेणी में क्रमोन्नत करने एवं जच्चाखाना खोलने का इरादा रखती है।

आयुर्वेद मन्त्री (श्री हरिदेव जोशी) : जी हां। किन्तु वित्तीय वर्ष 1971-72 में 15 औषधालयों को क्रमोन्नत किया जाना

(आयुर्वेद मंत्री)

था। उस अनुसार तुलनात्मक दृष्टि से जन संख्या एवं रोगी संख्या को ध्यान में रखते हुए उसका चयन नहीं हो सका। चालू वित्तीय वर्ष में औषधालयों का क्रमोन्नत सम्बन्धी प्रावधान स्वीकृत नहीं है।

श्री भानुकुमार शास्त्री : क्या रोगियों की संख्या बढ़ाने का विचार है ?

प्रश्न सं. 456

श्री अध्यक्ष : श्रीमती भगवती देवी।
(अनुपस्थित: कृपया आगे देखिये)

श्री चेतराम।

तहसील नादौती के बांधों और तालाबों का निर्माण कार्य

457. **श्री चेतराम** (टोडा भीम) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि तहसील नादौती (जिला सवाई माधोपुर) के नादौती ढहरिया, बरदाला, खूहा, चैनपुर, गुडली, केमा, आंधिया खेड़ा, भीलपाड़ा, गढ़ खेड़ा, सलावद रायसोन के बन्धों/तालाबों का निर्माण कार्य अधूरा पड़ा हुआ है और इस समय कोई निर्माण कार्य नहीं हो रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि सरकार उपरोक्त कार्यों को चालू वर्ष में पूरा कर देना चाहती है। यदि हां, तो किस किस बांध/तालाब के लिए कितनी कितनी धनराशि निर्धारित की गई ? और ये कार्य कब तक पूर्ण हो जाने की सम्भावना है ?

सिंचाई राज्य मन्त्री (श्री मूलचन्द) : (1) जी हां, इन कार्यों के लिए कोई प्रावधान नहीं है।

(2) जी नहीं।

श्री चेतराम : क्या सरकार इसे पूरा कराने के लिए प्रबन्ध करेगी ?

श्री मूलचन्द : जब इसके लिए प्रावधान नहीं है और योजना के अन्तर्गत नहीं है...

श्री चेतराम : मैं माननीय मन्त्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि ये जो गांव हैं आदिवासी क्षेत्र में हैं। जब सरकार आदिवासी क्षेत्रों को प्राथमिकता देती है तो आप ध्यान क्यों नहीं देते हैं ?

श्री मूलचन्द : माननीय सदस्य ने जो बात बताई वे छोटे छोटे तालाब हैं, सिंचाई विभाग के अन्तर्गत नहीं है इसीलिए मजबूरी है।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती गौरी पूनिया।

श्री चेतराम : जो भी कार्य हुए हैं वे सब सिंचाई विभाग द्वारा हुए हैं।

प्रश्न संख्या 458

श्री अध्यक्ष : श्रीमती गौरी पूनिया।
(अनुपस्थित: कृपया आगे देखिये)

श्री बृजेन्द्र पाल।

दुरगसी घटा और कोटा छाबर बांध का सर्वे

459. **श्री बृजेन्द्रपाल** (करौली) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि मेजर और माइनर सिंचाई योजना के अंतर्गत बांध दुरगसी

Page No.26

(श्री बृजेन्द्र पाल)
घटा और बांध कोटा छावर की सर्वे की गई है? यदि हां तो यह सर्वे कार्य किस वर्ष हुआ?

सिंचाई मंत्री (श्री रामचन्द्र चौधरी): जी नहीं।

श्री बृजेन्द्र पाल : क्या राज्य सरकार सर्वे कराने का विचार करेगी ?

श्री **रामचन्द्र चौधरी** : इस पर सरकार विचार करेगी।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : कब करेगी ?

श्री **रामचन्द्र चौधरी** : जल्दी।

श्री अध्यक्ष : श्री प्रद्युम्नसिंह।

राजाखेड़ा कलस्टर योजना के तहत गांवों का विद्युतीकरण

460. श्री **प्रद्युम्नसिंह** (राजाखेड़ा): क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजाखेड़ा कलस्टर योजना के तहत अब तक कितने गांवों में बिजली का कार्य पूरा हो चुका है?

(2) इस योजना के तहत इन गांवों को बिजली कब तक दे दी जायेगी ?

(3) इस पूरी योजना के तहत जो गांव आवेंगे उनको बिजली कहां से सप्लाई की जायेगी ?

(4) क्या यह सही है कि इन गांवों को बिजली देने के लिए भरतपुर से एक अलग लाइन खींची जा रही है? यदि हां तो वह कब तक पूरी हो जाएगी ?

विद्युत मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) :
(1) राजाखेड़ा कलस्टर योजना के अन्तर्गत अब तक छः ग्रामों का विद्युतीकरण किया जा चुका है।

(2) इस योजना के गांवों का विद्युतीकरण चालू वर्ष में करने की संभावना है।

(3) धौलपुर 33/11 के0 वी0 सब स्टेशन से बिजली दी जावेगी।

(4) जी हां। 33 के. वी. भरतपुर से धौलपुर लाइन का कार्य इसी वर्ष में करने की सम्भावना है।

श्री अध्यक्ष : श्री राजेन्द्र सिंह।

अलाभकारी जोत पर भू-राजस्व समाप्त करने की कार्यवाही

461. **श्री राजेन्द्र सिंह** (उनियारा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राज्य सरकार अलाभकारी जोत पर जो कि 5 एकड़ तक है, पर से भूराजस्व समाप्त करने का विचार करती है? यदि हां तो कब तक निर्णय लिया जावेगा?

(2) क्या यह सही है कि गुजरात राज्य ने अभी हाल ही में यह निर्णय लिया है कि 5 एकड़ तक की भूमि पर से भूराजस्व वसूल न किया जावे ?

(श्री राजेन्द्र सिंह)

(3) क्या यह सही है कि 1967 में राज्य सरकार ने 5 एकड़ या 15 बीघा भूमि पर से लगान माफ करने की घोषणा की थी ? यदि हां तो लगान फिर क्यों वसूल किया गया ?

(4) क्या यह सही है कि वसूली के आदेशों में यह उल्लेख था कि उक्त भूमि से की गई वसूली की राशि स्थानीय विकास कार्य में खर्च की जावेगी ? यदि हां तो कुल कितनी वसूली इस मद से हुई और किन किन कार्यों पर खर्च हुई ? कृपया जिला व तहसीलवार पूर्ण सूची सदन की मेज पर रखें।

राजस्व मंत्री (श्री रामचन्द्र चौधरी) :

(1) ऐसा प्रश्न राज्य सरकार के इस समय विचाराधीन नहीं है।

(2) इस विषय की राज्य सरकार को अधिकृत सूचना उपलब्ध नहीं है।

(3) जी हां। जो लगान वसूल कर लिया गया है उसे लौटाने अथवा देय लगान के पेटे समायोजन करने की प्रक्रिया निर्धारित कर ली गई हैं।

(4) चूंकि वसूल शुदा राशि को बकाया के विरुद्ध समायोजन किए जाने का निर्णय लिया गया हैं अतः इस राशि को विकास कार्य हेतु खर्च करने का प्रश्न पैदा नहीं होता।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : क्या यह सही हैं कि राज्य सरकार ने जिस समय कहा कि वसूली का कानूनी रूप से सरकार को करने का अधिकार नहीं था जो माफ कर दी गई उसको वसूल किया और इस सदन में यह अंडरटेकिंग दी थी कि इस पैसे को पंचायत समितियों के विकास के काम के लिए दे दिया जाएगा। तो बगैर इस सदन की स्वीकृति के आपने उस पैसे को दूसरी जगह काम में ले लिया है, क्या इस प्रकार करना सरकार उचित समझती हैं ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : इस पैसे को दूसरी जगह काम में नहीं लिया गया हैं लेकिन कानूनी अड़चन यह आई कि जितने लोगों से वसूली कर ली है उनसे रसीद ली जाए या लिखित में लिया जाए कि सब का सब पैसा हमारे विकास कार्य में लगा दिया जाए। तो इतना सम्भव नहीं था कि हजारों लाखों लोगों से रसीदें लेते इसलिए कहा गया कि उनकी मर्जी के बगैर विकास कार्य में नहीं ले सकते इसलिए उन लोगों की जो रकम बकाया होती है उसमें इसको एडजस्ट कर देते हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : वापस कर रहे हैं।

श्री रामचन्द्र चौधरी : जी हां।

श्री भानु कुमार शास्त्री : प्रश्न के भाग 2 में आपने उत्तर दिया है कि सूचना प्राप्त नहीं हुई है। यह सूचना कब प्राप्त होगी ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : गुजरात से सूचना मंगाई है कि उन्होंने किस तरह से लगान माफ की है। इसकी पाबंदी भी नहीं है।

श्री भानु कुमार शास्त्री : आपने कहा सूचना मिली नहीं है। सूचना प्राप्त की जाए, पाबंदी करें यह राज्य का प्रश्न है।

श्री रामचन्द्र चौधरी : जब आएगी तो मैं आपको सूचना दे दूंगा।

श्री अध्यक्ष : श्री निरंजन नाथ आचार्य।

मांडलगढ़ विधान सभा क्षेत्र के गांवों का विद्युतीकरण

462. श्री निरन्जननाथ आचार्य (मावली): क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

माडलगढ विधान सभा क्षेत्र में 1 फरवरी, 1972 से 6 मार्च 1972 तक कितने गांवों का विद्युतीकरण किया गया और उस पर क्या खर्चा हुआ। इन गांवों के विद्युतीकरण की स्वीकृति कब प्राप्त हुई थी ?

विद्युत् मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) : इस अवधि में 6 ग्रामों का विद्युतीकरण किया गया है जिस पर लगभग 3,63,000 रुपये खर्च किए गए। स्वीकृति 9–11–71 को दी गई थी।

प्रश्न संख्या 286

श्री अध्यक्ष : श्री चुन्नीलाल इन्दलिया

(अनुपस्थितः कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 291

श्री मूलचन्द सामरिया।

(अनुपस्थितः कृपया आगे देखिये)

प्रश्न काल समाप्त हुआ।

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

कडाना बांध

431. श्री नाथूराम (बागीडोरा) क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) गुजरात में बन रहे कडाना बांध की ऊंचाई 419 फीट से 410 फीट करवाने का राज्य सरकार ने जो गत वर्ष निर्णय लिया था उस पर क्या कार्यवाही हुई ? नये एग्रीमेंट की प्रति सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें। यदि अब तक कोई नया एग्रीमेंट नहीं हुआ है, तो राज्य सरकार क्या कार्यवाही कर रही है, व एग्रीमेंट कब तक होने की संभावना है ?

(2) कडाना बांध की प्रस्तावित 410 फीट की ऊंचाई से डूंगरपुर-बांसवाडा जिले का कुल कितना क्षेत्र डूब में आयेगा और कितना बैक वाटर से प्रभावित होगा कृषि, अकृषि वनसम्पदा, पुल, पुलिया, सड़कों, भवनों आदि उनके मूल्यांकन तथा प्रभावित जनसंख्या के सम्बन्ध में ग्रामवाइज सूचना सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(3) राज्य सरकार द्वारा इस बांध से प्रभावित जन संख्या को बसाने के लिये क्या व्यवस्था की गई है ?

(4) क्या यह सत्य है कि कडाना बांध केवल गुजरात राज्य के हित में ही बन रहा है और उसका सारा व्यय भी वही वहन करेगा ? यदि हां, तो क्या 410 फीट की ऊंचाई के कारण डूब से बचने वाले तथा बैक वाटर आदि से प्रभावित क्षेत्रों में

(श्री नाथूराम)

आवागमन आदि के लिए आवश्यक पुलिया सडकें आदि बनानी होगी उसका भी सर्वेक्षण करा लिया गया है और उसका मुआवजा गुजरात सरकार कितना देगी ? यदि नहीं, तो कडाना बांध से राजस्थान के किस क्षेत्र में कितनी सिंचाई होने की संभावना है ?

(5) क्या यह सत्य है कि कडाना बांध से 419 व 425 फीट तक की ऊंचाई से डूब में आने वाले और बैंक वाटर से प्रभावित क्षेत्र की भी सर्वे कराई जा रही है ? यदि हां, तो क्यों ? यदि नहीं, तो जिले में इस अफवाह से जो भय व्याप्त हो रहा है, विकास के कार्य प्रभावित हो रहे है उनके निवारण के लिये सरकार ने क्या व्यवस्था की है ?

(6) क्या राज्य सरकार इस सम्बन्ध में निराकरण हेतु जिलास्तर और राज्य स्तर पर जनप्रतिनिधियों की सलाहकार समिति के गठन का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो अभी जो समितियां बनी हैं उसमें जनप्रतिनिधियों को क्यों नहीं लिया गया ?

उत्तर

(1) इस सम्बन्ध में गुजरात सरकार से पत्र व्यवहार जारी है। अभी कोई नया एग्रीमेन्ट नहीं हुआ है। प्रयत्न जारी है।

(2) 410 फीट के लेवल को सूचना सूची 'अ' में अंकित है। 410 का बैंक वाटर अभी नहीं लगाया गया है।

(3) विस्थापितों के पुनर्वास हेतु जिला बांसवाड़ा में 11 वन खण्डों को 8540 एकड़ भूमि मुक्त हो चुकी है जिसमें कृषि योग्य भूमि का सर्वेक्षण कराया जा रहा है। इसी प्रकार जिला डूंगरपुर में वन खण्ड डूंगरसारन वन खण्ड को 4000 एकड़ भूमि मुक्त हो चुकी है और अन्य भूमि को मुक्त कराने की कार्यवाही चल रही है।

(4) जी हां, एफ.आर. एन. 410 से प्रभावित होने वाले क्षेत्रों में आवागमन के साधनों सड़कों आदि की सर्वे कडाना रिजर्वायर सर्वे डिवीजन द्वारा की जा चुकी है। मुआवजे आदि के संबंध में निर्णय राज्य स्तर पर लिया जा रहा है।

(5) जी नहीं।

(6) इस सम्बन्ध में अभी कोई विचार नहीं किया गया है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

कनिष्ठ अभियन्ता तथा सहायक अभियन्ता के रिक्त पद

432. **श्री बनवारीलाल** (धौलपुर) : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राज्य विद्युत मण्डल में इस वर्ष कितने पद कनिष्ठ अभियन्ता तथा सहायक अभियन्ता के रिक्त हैं ? इन रिक्त पदों की नियुक्ति में क्या तरीका अपनाया जायेगा और इन पर कब तक नियुक्तियां होंगी ?

Page No.30

(श्री बनवारी लाल)

(2) विद्युत मण्डल में कितने डिप्लोमा तथा डिग्री होल्डर व्यक्ति वर्क चार्ज वेसिस पर कार्य कर रहे हैं ?

(3) क्या डिप्लोमा होल्डर्स को कनिष्ठ अभियन्ता के पद पर लिया जायेगा ?

(4) क्या रिक्त पदों पर चयन राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा किया जायेगा अथवा पहले की तरह मण्डल द्वारा गठित समिति के द्वारा चयन किया जायेगा ?

(5) क्या रिक्त पदों पर बोनाफाइड राजस्थानी व्यक्तियों को ही लिया जायगा अथवा भारत के किसी भी राज्य के व्यक्ति को साक्षात्कार के लिये बुलाया जायेगा ?

उत्तर

(1) विद्युत मण्डल में इस समय कनिष्ठ अभियंता के कुल 126 तथा सहायक अभियंता के 52 स्थान रिक्त हैं। जहां तक कनिष्ठ अभियन्ताओं के रिक्त स्थानों पर नियुक्ति का प्रश्न है, ये सब स्थान सीधी भर्ती द्वारा जिसके लिये शीघ्र विज्ञापन निकलने वाला है, भरे जायेंगे। सहायक अभियन्ताओं के रिक्त स्थानों को भरने के लिये मण्डल ने सेवा नियम बना रखे हैं जिसके अनुसार ये स्थान सीधी भर्ती तथा पदोन्नति द्वारा समान अनुपात में करने का प्रावधान है। सीधी भर्ती के लिये मण्डल द्वारा शीघ्र ही विज्ञापन निकलने वाला है तथा पदोन्नति का मामला भी विचाराधीन है।

(2) इस समय विद्युत मण्डल में 18 डिग्री होल्डर एवं लगभग 160 डिप्लोमा होल्डर वर्क चार्ज वेसिस पर कार्य कर रहे हैं।

(3) जी हां।

(4) जी नहीं इन रिक्त पदों पर पहले की तरह मण्डल द्वारा गठित समिति के द्वारा ही चयन किया जायेगा।

(5) इन पदों पर भारत के किसी भी राज्य के व्यक्ति को नियुक्त करने का प्रावधान है।

ग्राम सुरेरा और रूपगढ़ के बांधों का सर्वे

434. **श्री नारायण सिंह** (दांतारामगढ़): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

क्या यह सही है कि ग्राम सुरेरा और रूपगढ़ के बांधों का सर्वे काफी समय पूर्व हुआ था परन्तु निर्माण कार्य अभी तक चालू नहीं हुआ है ? क्या ऐसे बांधों के निर्माण की कोई योजना राज्य सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक यह योजना कार्यरूप में परिणित हो सकेगी ?

उत्तर

जी नहीं।

विकास अधिकारी, पंचायत समिति लाडनूं

437. **श्री चुन्नीलाल इन्दलिया** (नोखा): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सत्य है कि विकास अधिकारी, पंचायत समिति लाडनूं, जिला

(श्री चुन्नी लाल इंदलिया)
नागौर ने माह मार्च और अप्रैल, 1972 के एक ही दिन में एक से अधिक चैक काटकर समिति कोष से रकमें उठाई हैं? यदि हां, तो किन किन तारीखों में और क्यों?

(2) क्या यह भी सत्य है कि पांच हजार से अधिक की राशि बैंक से उठाने पर चैक पर प्रधान के प्रतिहस्ताक्षर होना जरूरी है और इस प्रकार से प्रधान को अपने अधिकार से वंचित रखने के लिए एक से अधिक चैक काटे गये? यदि हां, तो क्यों? और इस सम्बन्ध में विभाग ने क्या कार्यवाही की?

(3) क्या यह भी सत्य है कि समिति के उपप्रधान जो आजकल प्रधान का कार्य करते हैं, ने इस सम्बन्ध में जिलाधीश नागौर को शिकायत की थी? यदि हां, तो कब और उस पर क्या कार्यवाही की गई?

उत्तर

(1) जी, हां। चैक दिनांक 14-3 72, 27–3–72, 3–4–72, 5–4–72, व 6–4–72 को काटे गये। ऐसा प्रधान के विधायक निर्वाचित हो जाने के कारण-त्याग पत्र दे देने तथा उपप्रधान के उपलब्ध न होने के कारण करना पड़ा।

(2) पांच हजार से अधिक राशि के चैक पर प्रधान के हस्ताक्षर होना जरूरी है। प्रधान व उप-प्रधान हस्ताक्षर नहीं करवाये जाने के कारण का उल्लेख भाग (1) के उत्तर में कर दिया गया है। विभाग द्वारा कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(3) जी हां। जांच हेतु उप-खंड अधिकारी, डीडवाना के पास भेज दी गई।

चिकित्सा विभाग के अधिकारियों का पद

439. **श्री मोहनलाल छंगाणी** (फलोदी) क्या स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राज्य के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य निदेशालय एवं परिवार नियोजन कार्यालय में कौन कौन अधिकारी किस किस पद पर कब से कार्य कर रहे हैं?

(2) इनमें से कितने अधिकारी जन सेवा आयोग या विभागीय चयन समिति द्वारा चयन किये जाकर स्थायी पद पर हैं?

(3) कौन कौन अधिकारी किस किस पद पर स्थायी किये गये और वर्तमान में वे किस किस पद पर कार्य कर रहे हैं?

उत्तर

(1) सूची संलग्न है।

(2) संलग्न सूची में अंकित हैं।

(3) सूची में अंकित है।

(कृपया परिशिष्ट 5 देखिये)

जख्मी सैनिकों को राज्य सरकार द्वारा दी गई सुविधाएं

441. **श्री मूलचंद सामरिया** (दौसा): क्या सैनिक कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

गत वर्ष भारत पाक युद्ध के दौरान राज्य के कितने सैनिक जख्मी हो जाने के

Page No.32

(श्री मूलचन्द सामरियां)
कारण सेवा योग्य नहीं रहे हैं? ऐसे सैनिकों के लिए राज्य सरकार द्वारा अब तक क्या क्या सुविधायें कितने सैनिकों को दी जा चुकी हैं?

उत्तर

राजस्थान राज्य के गत भारत-पाक युद्ध के दौरान जख्मी हुए ऐसे सैनिक जो सेवा योग्य नहीं रहें हैं उनकी सूचना अभी कमाण्ड लाईजन ऑफिसर, हैडक्वार्टर्स, सदर्न कमाण्ड, पूना से प्राप्त नहीं हुई है। उन्हें इस बारे में दिनांक 15 मार्च, 1972 को सैनिक कल्याण विभाग से वांछित सूचना शीघ्र भिजवाने हेतु निवेदन भी किया जा चुका है। एक सैनिक श्री सवाई-सिंह ग्राम पनेरा, तहसील कोटपुतली के विकलांग होने की सूचना उसके रेकार्ड ऑफिस से दिनांक 24–3–72 को जिलाधीश, जयपुर को प्राप्त होने पर उसे सहायता के रूप में 1000) रुपये नकद एवं 1000) रुपये के राष्ट्रीय बचत पत्र देने की व्यवस्था पूर्ण हो चुकी हैं। अब केवल उसका पता जहां वह उपलब्ध हो सके इसकी जानकारी प्राप्त होते ही उसे उपरोक्त राशि का भुगतान, फार्म आदि भरवाये जाकर तुरन्त कर दिया जावेगा। इसके अतिरिक्त 12½ बीघा सिंचित अथवा 25 बीघा असिंचित भूमि भी आवंटित की जावेगी।

तहसील सराड़ा के गांवों के विद्युतीकरण की योजना

443. **श्री देवीलाल** (सराड़ा): क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) जिला उदयपुर की तहसील सराड़ा के गांवों का विद्युतीकरण करने के सम्बन्ध में राज्य सरकार ने कोई योजना बनाई है? यदि हां, तो सन् 1972 के अन्त तक कितने गांवों में बिजली दी जावेगी? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या जावर माइन्स के पास के गांवों में बिजली देने की कोई योजना हैं? यदि हां, तो कितनी दूरी के गांवों को बिजली दी जावेगी? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) जी हां। 7 ग्रामों को बिजली देने की योजना अब तक स्वीकृत की गई है। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। इन गांवों को इस वित्तीय वर्ष में बिजली दे दी जावेगी।

(2) जी नहीं।

(कृपया परिशिष्ट 6 देखिये)

खमनोर की लिफ्ट सिंचाई योजना

450. **श्री मनोहर कोठारी** (नाथद्वारा): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि खमनोर (तहसील नाथद्वारा) में लिफ्ट सिंचाई की योजना विचाराधीन है? यदि हां, तो आज तक उस योजना पर कितनी राशि व्यय हो चुकी है और क्या क्या कार्य पूरा हो चुका है? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(श्री मनोहरलाल कोठारी)

(2) उक्त योजना के पूर्ण होने में क्या क्या कार्य शेष है तथा यह योजना कब तक पूर्ण हो जायगी ?

उत्तर

(1) इस योजना पर अकाल राहत के अन्तर्गत अब तक कुल 1, 69, 600।। रु. खर्च हो चुका है। पम्पों, पाइप लाईन व विजली के कार्यों को छोड़कर शेष सभी कार्य पूरा हो चुका है।

(2) पम्पों को लगाना, पाइप लाईन व बिजली के कनेक्शन का कार्य शेष है। आवश्यक धनराशि को उपलब्धि पर ही इसे पूरा करवाया जा सकेगा।

निजो-बाडा पंचायत समिति भिनाय

456. **श्रीमती भगवती देवी** (भिनाय) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सत्य है कि श्री रतनलाल वर्मा भूतपूर्व प्रधान भिनाय पंचायत समिति ने अपने निजी बाड़े के निर्माण हेतु राज्य सरकार से दो बार ऋण लिया है ? यदि हां, क्या यह नियमों के विरुद्ध नहीं है ?

(2) क्या राज्य सरकार ने इसकी वसूली के लिये आदेश प्रसारित किये थे ? यदि हां, तो आज तक उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

(3) उक्त वसूली की कार्यवाही में देरी के लिये कौन जुम्मेदार हैं तथा उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई अथवा की जायगी ?

उत्तर

(1) बाड़े के निर्माण हेतु कोई ऋण नहीं दिया गया है।

(2) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

(3) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

मकराना-बोरावड़ सड़क का निर्माण कार्य

458. **श्रीमती गोरी पूनिया** (मकराना): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) मकराना से वोरावड़ सड़क किस वर्ष में मंजूर हुई थी और यह कितने मील लम्बी है ?

(2) क्या यह सड़क पूरी बन चुकी है ? अगर नहीं, तो क्यों तथा अब कब तक बन जायगी ?

उत्तर

(1) विद्यमान सड़क को डामर करने की स्वीकृति 8-11-71 को दी गई है। यह सड़क 7 कि. मी. लम्बी है।

(2) मेटलरोड पहले से बनी हुई है डामर कार्य 2 किलोमीटर में हुआ है शेष कार्य वित्तीय साधनों के उपलब्धि पर ही पूरा किया जावेगा।

कोलायत तहसील में खनिज उद्योग में लगे मजदूरों की सुविधाएँ

286. **श्री चुन्नीलाल इन्दलिया** (नोखा): क्या श्रममंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

Page No.34

(श्री चुन्नीलाल इन्दलिया)

(1) क्या यह सही है कि कोलायत तहसील जिला बीकानेर में खनिज उद्योग में लगे मजदूरों की हालत अन्य मजदूरों से खराब है, और खान मालिक उन से मन माना श्रम लेते हैं और मनमानी मजदूरी देते हैं ? यदि हां, तो क्यों तथा सरकार ने उनके हितों के लिये क्या कार्यवाही की है ?

(2) क्या यह सही है कि कोलायत तहसील के खान मजदूरों को खान मालिकों द्वारा कोई बोनस पी. एफ. व अन्य सुविधायें नहीं दी जाती है ? यदि हां तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि कोलायत तहसील के खान मजदूरों को आकस्मिक एवं रियायती छुट्टियां भी खान मालिकों द्वारा नहीं दी जाती और उनका शोषण होता है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

(4) क्या यह सही है कि खान मालिक मजदूरों के निवास के लिये कोई प्रबन्ध नहीं करते और मजदूर मैदान में सभी मौसमें निकालते हैं ? यदि हां, तो सरकार खान मालिकों के खिलाफ क्या कदम उठा रही ?

उत्तर

(1) कोलायत तहसील जिला बीकानेर में नें खाने वाईट क्ले (White Clay) तथा एक खान फुलर्स अर्थ (Fullers earth) की है । इन खानों के श्रमिकों के लिये न्यूनतम वेतन निश्चित नहीं है क्योंकि ये न्यूनतम वेतन अधिनियम के अन्तर्गत नहीं आती । इन खानों को न्यूनतम वेतन अधिनियम के अन्तर्गत लाना तथा न्यूनतम वेतन निश्चित करने की जिम्मेदारी केन्द्रीय सरकार की है । प्राप्त सूचना के अनुसार पुरुष श्रमिक को 3) रु. प्रतिदिन तथा महिला श्रमिक को 2) रु. प्रतिदिन के हिसाब से मजदूरी दी जाती है । अन्य श्रमिकों की मजदूरी काम के हिसाब से नियत है । यह मजदूरी राज्य में निश्चित न्यूनतम वेतन से कम है । राज्य सरकार को श्रमिकों से मनमाना काम लेने या मनमानी मजदूरी देने की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है यदि ऐसी कोई शिकायत प्राप्त हुई तो राज्य सरकार केन्द्रीय सरकार के संबंधित अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करेगी ।

(2) 6 खानों में से 3 खानों के मालिकों द्वारा 4 प्रतिशत के हिसाब से बोनस दिया जा रहा है । अन्य 3 खानों के मालिक बोनस इसलिये नहीं दे रहे हैं क्योंकि वे नुकसान में चल रहे हैं तथा उन्हें काम प्रारंभ किये हुए अभी 6 साल नहीं हुए हैं ।

इन खानों पर प्रोवीडेन्ट फण्ड एक्ट भी लागू नहीं है ।

(3) खानों के श्रमिकों को माईन्स एक्ट 1952 के अनुसार वार्षिक छुट्टियां दी जाती है, लेकिन आकस्मिक छुट्टियां देने का कोई प्रावधान न होने से नहीं दी जाती है । इस सम्बन्ध में श्रमिकों की मांग प्राप्त होने पर भारत सरकार के अधिकारियों से उचित कार्यवाही हेतु कहा जायेगा ।

(4) जी नहीं, मजदूर अधिकांशत: गांवों में अपने मकानों में रहते हैं । खान मालिकों को सभी श्रमिकों के लिये मकान बनाने को कानूनन बाध्य नहीं किया जा सकता ।

स्थगित प्रश्न

दिनांक

(4–5–72)

पाकिस्तान से आये शरणार्थी

291. श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा) : क्या पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) राज्य में पिछले दो वर्षों में कुल कितने शरणार्थी पाकिस्तान से आये हैं ?

(ख) इनके पुनर्वास के सम्बन्ध में राज्य सरकार ने क्या योजना तैयार की ?

(ग) इनमें से कितने लोगों को अब तक रोजगार उपलब्ध कराया जा चुका है ?

(घ) यह लोग किस-किस जिले में कितनी कितनी सिवाय चक भूमि पर काश्त कर रहे हैं ?

(ङ) इसमें से कितनी भूमि के पट्टे इनको दे दिये गए हैं ?

(च) कम से कम प्रति परिवार कितनी भूमि अलाट की गई ?

उत्तर

(क) 46775 शरणार्थी।

(ख) यह विस्थापित पाक नागरिक है जिनके पुनर्वास का प्रश्न एक नीति संबंधी मामला है जिस पर केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्णय लिया जाना है ।

(ग) 42 व्यक्तियों को।

(घ) कोई सिवाय चक जमीन काश्त नहीं कर रहें ।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

(च) प्रश्न नहीं उठता ।

अतारांकित प्रश्नोतर

इन्जीनियरिंग डिप्लोमा व डिग्री होल्डर अनुसूचित जाति के बेरोजगार इंजीनियर्स

147. श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा): क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में इन्जीनियरिंग डिप्लोमा व डिग्री होल्डर कितने ऐसे अनुसूचित जाति के व्यक्ति हैं जिनको अब तक रोजगार नहीं दिया गया ? क्या सरकार अनुसूचित जाति के इंजीनियरों को रोजगार दिलायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

(2) अनुसूचित जाति के लोग कितनी तादाद में अब तक बेरोजगार हैं ? क्या सरकार इन सभी बेरोजगारों को रोजगार दिलायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

(3) क्या यह सही है कि प्रत्येक विभाग में नियुक्तियों में अनुसूचित जाति के लोगों के लिए सुरक्षित स्थान रखे हैं फिर भी इन सुरक्षित स्थानों पर अन्य जाति के लोगों का चयन कर दिया जाता है और सरकार को यह लिख दिया जाता है कि उक्त सुरक्षित रिक्त स्थानों पर अनुसूचित जाति व जन जाति के योग्य प्रत्याशी नहीं आये ? यदि हां, तो क्या

Page No.36

(श्री चुन्नीलाल इन्दलिया)
सरकार इस भ्रष्टाचार को खत्म करने का इरादा रखती है ?

उत्तर

(1) इनका पंजीकरण जनशक्ति विभाग में होता हैं फिर भी समाज कल्याण विभाग के नियोजन प्रकोष्ठ में दर्ज हुए डिप्लोमा व डिग्री होल्डर्स अनुसूचित जाति के दिनांक 3-4-72 तक के अनुसार 27 व्यक्ति बेरोजगार हैं ।

अनुसूचित जाति के इंजीनियरों को रोजगार दिलाने के प्रयास जारी है ।

(2) दिनांक 9-5-72 तक अनुसूचित जाति के 2065 व्यक्ति बेरोजगार है ।

अभी भर्ती पर बेन लगा हुआ है ।

(3) हां, यह सही है कि प्रत्येक विभाग में नियुक्तियों में अनुसूचित जाति के लोगों के लिये 17 प्रतिशत स्थान सुरक्षित रखे हैं ।

इस प्रथा को समाप्त करने हेतु ही सरकार ने रोस्टर प्रणाली दिनांक 15-10-71 से लागू करने के आदेश जारी कर दिये है । जिससे सुरक्षित स्थानों पर अनुसूचित जाति व जन जाति के व्यक्तियों को ही नियुक्त किया जा सकेगा ।

पंचायत समिति फागी के सरपंचों व पंचों के विरुद्ध शिकायतें

148. श्री **जयकिशनलाल** तोसावडा (फागी) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) पंचायत समिति फागी के किन किन सरपंचों व पंचों के खिलाफ भ्रष्टाचार व अनियमितताओं के आरोप हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(2) जिन जिन सरपचों व पंचों पर भ्रष्टाचार व अनियमितताओं के आरोप पाये गये उनके खिलाफ सरकार द्वारा क्या क्या कार्यवाही की गई ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें ।

(3) आरोपित पंचों व सरपंचों के खिलाफ शिकायतें किस किस तारीखों में प्राप्त हुई और उनकी जांच होने में कितना कितना समय लगा इसमें हुए विलम्ब के क्या कारण हैं और जांच कब तक पूर्ण हो जावेगी ?

(स्थगित किया गया)

जिला जालौर में शक्कर का कोटा

149. श्री **रघुनाथ विश्नोई** (सांचोर) क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि जिला जालौर में शक्कर का कोटा शक्कर का कन्ट्रोल होने पर दिया गया था ? अगर हां, तो कितना कोटा जिला जालौर में अब तक किस किस माह का कब कब दिया गया है ।

(2) क्या यह सही है कि जिला जालौर के लिये एक शक्कर का थोक व्यापारी मुकर्रर किया गया है ? अगर हां, तो उसका नाम क्या है ? तथा वह कहां का रहने वाला है एवं थोक शक्कर के व्यापारी का हैड क्वार्टर कहां रखा गया है ? क्या यह भी सत्य है कि थोक व्यापारी

Page No.37

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

से रिटेल व्यापारियों को शक्कर के कोटे का वितरण कार्य दिया गया था ? अगर हां, तो जिले में पंचायत समिति का कुल कितने रिटेल व्यापारी शक्कर वितरण के लिये मुकर्रर किए गए हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) शक्कर कोटे के लिये थोक व्यापारी एवं रिटेल व्यापारी मुकर्रर करने के लिये क्या आधार निर्धारित किए गये हैं ? क्या शक्कर वितरण करने के लिये जिला स्तर पर कोई सलाहकार समिति का निर्माण किया गया है ? अगर हां, तो कब ? क्या, शक्कर वितरण के पूर्व इस सलाहकार समिति को कोई बैठक बुलाई गई थी ? अगर हां, तो कब ? अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

(4) क्या यह भी सत्य है कि अभी तक शक्कर कोटे का रिटेल व्यापारियों द्वारा गांवों में कोई वितरण नहीं किया गया है एवं सारी शक्कर काले बाजार में बेच दी गई है ? क्या सरकार इस विषय की किसी उच्च अधिकारी द्वारा स्थानीय जांच कराने को तैयार है ? अगर हां, तो कब तक ? अगर नहीं, तो क्यों नहीं ? उपरोक्त शक्कर वितरण में होने वाले भयंकर गड़बड़ घोटाले के लिये कौन जिम्मेदार है ? उनके विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जावेगी ?

(5) क्या सरकार ग्राम पंचायत वार शक्कर का रिटेल कोटा देने का विचार रखती है ? अगर हां, तो ऐसा कब तक कर दिया जावेगा ? अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(1) जी हां, जिला जालौर को अब तक कुल 11500 क्विटल शक्कर का कोटा दिया गया है । इसमें से 2300 क्विन्टल माह जनवरी का दिनांक 24-12-71 को, 2300 क्विन्टल माह फरवरी का दिनांक 22-1-72 को, 2300 क्विन्टल माह मार्च का दिनांक 26-2-72 को, 2300 क्विन्टल माह अप्रेल का दिनांक 22-3-72 को तथा 2300 क्विन्टल माह मई का दिनांक 26-4-72 को दिया गया है ।

(2) जी हां, श्री रूपराम सोनी फर्म मै नन्दलाल एण्ड कं. को मुकर्रर किया गया है जो जोधपुर का रहने वाला है। थोक व्यापारी का हैड क्वार्टर जिले में दो मुख्य स्थानों क्रमशः भीनमाल एवं जालौर में रखे गये हैं। जिले में अधिकृत रिटेल व्यापारी 64 हैं जिसकी सूची सदन की मेज पर रखदी गई है ।

(3) नियुक्ति का आधार यह है कि सहकारी समिति जिन्हें सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां सिफारिश करते हैं उनको प्राथमिकता दी जाती है । अन्यथा तहसीलदार व परगना अधिकारी की सिफारिश पर निजी व्यापारियों को जिलाधीश नियुक्त करते हैं साथ में यह भी देखा जाता है कि आवेदक के प्रति पूर्व में कोई शिकायत तो नहीं हैं । शक्कर वितरण के लिये सलाहकार समिति बनाने की कोई प्रणाली या आदेश नहीं हैं ।

(4) विभाग में इस प्रकार की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है अतः जांच का प्रश्न ही नहीं उठता ।

(खाद्य मंत्री)

(5) जी हां, उपयुक्त आवेदक उपलब्धि पर तत्काल पंचायतवार व्यवस्था की जा सकेगी।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बेरोजगार व्यक्ति

150. श्री **मूलचन्द सामरिया** (दौसा): क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(क) राज्य में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति के कितने कितने लोग शिक्षित वेकार (बेरोजगार) हैं ?

(ख) कितने कितने अशिक्षित वेकार हैं ?

(ग) कितने कितने अर्द्ध-वेकार हैं ?

(घ) कितने कितने भूमिहीन काश्तकार हैं ?

(ङ) इनको रोजगार अथवा भूमि देने की सरकार की क्या योजना है ?

उ

(क) इस विभाग में यह सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ख) इस विभाग में यह सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ग) इस विभाग में यह सूचना उपलब्ध नहीं है।

(घ) इस विभाग में यह सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ङ) गांधी जन्म शताब्दी वर्ष (1-10-69 से 14 नवम्बर 1970 तक) के अन्तर्गत समस्त कृषि योग्य उपलब्ध भूमि केवल अनुसूचित जाति व जन जाति के कृषकों को ही दी गई थी। तत्पश्चात मार्च, 1971 तक 50 प्रतिशत कृषि योग्य भूमि इन्हीं जातियों के भूमिहीन कृषकों को आवंटित करने के आदेश दिये गये थे। अब राजस्थान रेवेन्यू एक्ट के अनुसार 25 प्रतिशत कृषि योग्य भूमि इन्हीं लोगों के लिये सुरक्षित है। राजस्थान नहरी क्षेत्र में इनके लिये एक लाख एकड़ कृषि भूमि सुरक्षित रखी गई है।

अनुसूचित जाति व जन जाति के बेरोजगार व्यक्तियों के लिए राजकीय सेवाओं में क्रमशः 17 प्रतिशत एवं 11 प्रतिशत स्थान सुरक्षित रखे गये हैं।

फागी तहसील के गावों का विद्युतिकरण

151. **श्री जयकिशन लाल तोसावडा** (फागी) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राज्य सरकार द्वारा यह घोषणा की जा चुकी है कि प्रत्येक पंचायत समिति मुख्यालय पर विद्युतिकरण किया जावेगा ? यदि हां, तो फागी मुख्यालय पर विद्युतिकरण अब तक न किये जाने के क्या कारण है ?

(2) क्या चालू वित्तीय वर्ष में फागी मुख्यालय व फागी तहसील के गांवों का

(श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा)
विद्युतिकरण करने की कोई योजना सरकार के समक्ष विचाराधीन है? यदि हां, तो इसकी स्वीकृति कब तक हो जावेगी?

(3) ऐसे कितने गांव है जिनके विद्युतिकरण की योजना बन चुकी है परन्तु अभी तक स्वीकृति नहीं हो पाई है?

(4) स्वीकृति नहीं होने के क्या कारण हैं और अब स्वीकृति कब तक हो जावेगी?

उत्तर

(1) जी हां, । 11 के. वी. की योजना बनाने पर लाभप्रद नहीं पाये जाने के कारण ।

(2) जी हां । इसे चालू वित्त वर्ष में ही 33 के. वी. को एक योजना स्वीकृत किये जाने की संभावना है ।

(3) अभी जो योजना बनाई जा रही है। उसमें फागी, माधोराजपुरा, बरनारैनवाल, हरसूलिया और लाडाना को शामिल करने का प्रस्ताव है। योजना अभी विचाराधीन है जिसके इस ही वर्ष में स्वीकृत किये जाने की संभावना है।

जैतारण व रायपुर तहसील के गावों का विद्युतिकरण

152. **श्री सुखलाल संणचा** (जैतारण) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

जैतारण व रायपुर तहसीलों के कौन कौन से गांवों का विद्युतिकरण कर दिया गया है तथा किन किन गांवों में इस वर्ष विद्युतिकरण करने की योजना है? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

उत्तर

जैतारण व रायपुर तहसील के जिन ग्रामों का विद्युतिकरण कर दिया है उसकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। इस वर्ष की ग्रामों को विद्युतीकरण योजना अभी विचाराधीन है ।

(कृपया परिशिष्ट 7 देखिये)

डीडवाना और परबतसर सब डिवीजन की सड़कें

153. **श्रीमती गोरी पूनिया** (मकराना) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) डीडवाना सब-डिवीजन में कुल कितनी सड़कें हैं? इसमें कितनी तो डामर की बनी हैं तथा कितनी ग्रेवल रोडस है?

(2) सब डिवीजन परबतसर में कितनी ग्रेवल रोड्स हैं तथा कितनी डामर रोड्स हैं? पंचायत समिति मकराना के कौन कौन से गांव इन सड़कों से जुड़े हैं?

उत्तर

(1) डीडवाना सब डिवीजन में कुल 490 कि.मी. लम्बी सड़कें हैं जिसमें से 133 कि.मी. डामर की सड़कें हैं तथा 333 कि.मी. ग्रेवल की सड़कें हैं।

(2) परबतसर सब डिवीजन में 183 कि.मी. ग्रेवल रोड है तथा 138 कि.मी.

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

डामर की सड़क है। मकराना में भंगलाना, मकराना पंचायत समिति बोरावड कोलाडूंगरी, गुणावती तथा बिदियाद गांव सड़कों से जुड़े हुए हैं।

बीकानेर जिले के बारानी क्षेत्र के काश्तकारों को भूमि का अलाटमेन्ट

154. **श्री भीमसेन** (लूनकरणसर)–क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि अन्य जिलों के साथ साथ बीकानेर जिले के बारानी क्षेत्र के ऐसे काश्तकार, जिन्हें सरकारी भूमि अलाट की गई है तथा जिनका उक्त भूमि पर कब्जा 10 वर्षों से अधिक का हो चुका है, को खातेदारी अधिकार देने हेतु राज्य सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

(2) बीकानेर जिले के काश्तकार को पास बुक्स जारी कराने से पूर्व उपरोक्त दस सालों से अधिक अवधि के कब्जे वाले किसानों एवं जो गांव हाल ही मे उपनिवेशन क्षेत्र से जुदा किये गये हैं उन्हें राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा (15) के अन्तर्गत खातेदारी अधिकार तथा राजस्व रेकार्ड में इन्द्राजात कराने हेतु क्या राज्य सरकार निर्धारित अवधि में व्यवस्था करेगी ? अगर हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) बीकानेर जिले के अन्तर्गत जिन काश्तकारों को सरकार कृषि भूमि आवंटित की गई है तथा उक्त आवंटित भूमि पर 10 वर्षों से अधिक समय का अधिकार है, उन्हें उनके प्रार्थना पत्र पर खातेदारी अधिकार देने की कार्यवाही की जाकर खातेदारी अधिकार दिए जाते हैं।

(2) जिन काश्तकारों को 10 वर्ष के पूर्व आवंटन हुआ था खातेदारी पास बुक दे दी जाती है, उनका रैवेन्यू रिकार्ड में इन्द्राज किया जाता है। उपनिवेशन क्षेत्र से अलग किये गये गांवों में भी खातेदारी दी जाने हेतु पटवारियान से पूर्ण सूचियां तैयार करवाई जा रही हैं। सूचियां तैयार होने पर खातेदारी अधिकार दिये जाने की कार्यवाही की जावेगी।

विभिन्न जिलों में लगान की दरें

155. **श्री श्रीराम गोटेवाला** (किशन पोल, जयपुर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य के विभिन्न जिलों में लगान की दरें क्या क्या हैं ?

(2) क्या यह सत्य है कि जयपुर जिले में जहां कि सिंचाई के लिए राज्यस्तर पर कोई वृहद योजना नहीं है, वहां लगान की दरें सबसे ऊंची हैं ?

(3) लगान की दरों के बारे में भूतपूर्व मुख्य मंत्री द्वारा दिये गये आश्वासनों, कि लगान की दरों में समानीकरण किया जावेगा, की पूर्ति कब की जावेगी ?

उत्तर

(1) विभिन्न जिलों में लगान की दरों की सूची संलग्न है।

(राजस्व मन्त्री)

(2) जी नहीं। अन्य स्थानों पर भी इसके समान और इससे अधिक लगान की दरें हैं।

(3) समानीकरण का प्रश्न विचाराधीन है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)।

गंगनहर क्षेत्र में भूमि का आवंटन

156. श्री गुरदयालसिंह संधु (करणपुर) क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे::

(1) जिला गंगानगर के गंग नहर क्षेत्र में जनवरी, 1965 से लेकर आज तक कितनी सरकारी भूमि का स्थाई व अस्थाई आवंटन किया गया? उसमें गुरुद्वारों, मन्दिरों व माफिदारों की कितनी भूमि है और वह भूमि किस किस को आवंटित की गई?

(2) जिन व्यक्तियों को यह भूमि स्थायी या अस्थाई आवंटित की गई है उनके पास पहले से कितनी भूमि है और कितनी ऐसी भूमि है जो पुराने चले आ रहे भूमिहीनों के नाम से खारिज करके नये काश्तकारों को जो भूमिहीन नहीं हैं, किन कारणों से आवंटित की गई है?

उत्तर

(1) जिला गंगानगर के गंग नहर क्षेत्र में जनवरी 1965 से अब तक 71,000 बीघा 9 बिस्वा भूमि स्थाई व 1,83,221 बीघा भूमि 15 बिस्वा अस्थाई आवंटन की गई। उसमें से 4504 बीघा 14 बिस्वा भूमि गुरुद्वारों मन्दिरों व माफिदारों की है। जिस कदर से आवंटन हुई है उसका व्यौरा संलग्न सूची के विशेष विवरण में अंकित है।

(2) स्थायी आवंटन निर्धारित सीमा तक ही किया गया है जिन व्यक्तियों को अस्थाई भूमि आवंटित की गई है उनके पास उनकी घरू भूमि व स्थायी भूमि मिलाकर कुल 25 बीघा तक ही आवंटन की गई है।

(कृपया परिशिष्ट 8 देखिये)

जोवनदेसर की बारानी भूमि

157. श्री गुरदयालसिंह संधु (करनपुर): क्या सिचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) जोवनदेसर में जो कुरड़ाराम को बारानी भूमि 39 बीघा 7 बिस्वा मिली हुई है उसे किस आधार पर चक 31 आर. बी. फर्स्ट से पानी दिया जा रहा है?

(ख) क्या सरकार ऐसी अनियमितताओं को शीघ्र समाप्त करेगी। अगर हां, तो कब तक?

उत्तर

(क) श्री कुरड़ा राम को राजनीतिक पीड़ित होने के नाते चक 31 आर. बी. फर्स्ट से पानी दिया जा रहा है।

(ख) इसकी जांच करवाई जा रही है यदि कोई अनियमितता पाई गई तो उसे दूर करवाया जावेगा

Page No.42

तहसील करणपुर की असिंचित भूमि को अनकमान्ड घोषित करना

158. श्री गुरदयाल सिंह संधु (करनपुर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) चक 70 तहसील करणपुर में मुरब्बा नं. 51 की कब से सिंचाई हो रही है और उपरोक्त भूमि को कब किस आधार पर असिंचित भूमि को अनकमाण्ड घोषित किया गया है ?

(ख) उपरोक्त भूमि को असिंचित घोषित करते समय एक्स. ई. एन. गंगानगर द्वारा जो जो रिपोर्ट तैयार की गई है उन्हें सदन की मेज पर रखी जाये ?

(ग) क्या सरकार किसी निष्पक्ष व्यक्ति द्वारा उपरोक्त मामले की जांच करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक, यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(क) चक 7 "अ" तहसील करनपुर मुरब्बा नं0 51 में पहली बार खरीफ 1971 में 5-3 बीघा में खाल में पानी रोक कर आबपाशी की गई। इससे पहले पूर्ण सर्वे कराया गया जिसमें पाया गया कि इस मुरब्बे के लेवेल खाले में पानी के लेवल से ऊंचे हैं। इस आधार पर इसको 5/71 में अनकमाण्ड घोषित किया गया।

(ख) सूची 'अ' में संलग्न है।

(ग) इसकी कोई आवश्यकता नहीं है।

(कृपया परिशिष्ट 9 देखिये)

बीकानेर जिले के भूमिहीनों को राजस्थान नहर में भूमि का आवंटन

159. श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि संवत् 2020 में बीकानेर जिले में खुद काश्त के खातों की भूमि को खारिज करने से बिस्वल (खातेदार) भूमिहीन हो गये हैं ? यदि हां, तो कितने खातेदार हैं जो भूमि खारिज होने से भूमिहीन हो चुके हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि इन खातेदारों ने संवत् 2019 तक राजस्व चुकाया है तथा कृषि-भूमि पर उन्हीं का कब्जा है ? यदि हां, तो ऐसे खातों को क्यों खारिज किया ?

(3) क्या यह सही है कि राजस्व अधिकारियों ने कई गांवों में ऐसे खातों की भूमि की उन्हीं को पुनः खातेदारी दी है ? यदि हां, तो कितने लोगों को इनका लाभ मिला है ? क्या अन्य लोगों को भी ऐसा लाभ देने का सरकार का इरादा है ?

(4) क्या राज्य सरकार इस प्रकार से खुद काबिज खाते खारिज करने पर हुए भूमिहीन लोगों को राजस्थान नहर परियोजना में स्थायी आवंटन की भूमि देने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो ऐसे आवंटन कब तक कर दिये जायेंगे ?

उत्तर

(1) जी हां, यह सही है कि बीकानेर जिले की तहसील बीकानेर में सम्वत् 2020

(राजस्व मन्त्री)

में खुद काबिज के 436 खाते खारिज हुये जिसके कारण 328 काश्तकार भूमिहीन हुये। इसी प्रकार तहसील कोलायत के खुद काबिज के खाते भी खारिज हुए हैं लेकिन उक्त तहसील में खाते खारिज होने के बाद कोई भी खातेदार भूमिहीन नहीं हुआ। तहसील नोखा व लूनकरणसर में ऐसे खाते खारिज नहीं हुए हैं।

(2) जी हां, यह सही है कि इन खारिज खातों को राजस्व सम्वत् 2019 तक की राज्यकोष में जमा हुई है तथा कब्जा भी उन्हीं का रहा है। यह भूमि राजकीय आदेश 3 (78) राजस्व । ई 70 दिनांक 21-4-70 के अन्तर्गत राजकीय भूमि घोषित की गई है।

(3) अब तक तहसील कोलायत के 391 काश्तकारों को खातेदारी अधिकार दिये हैं एवं वे लाभान्वित हुए हैं।

(4) राजस्थान नहर क्षेत्र में खुद काबिज व्यक्तियों के नाम से अंकित भूमि खारिज करने से भूमिहीन व्यक्तियों को भूमि आवंटन करने का कोई विशेष प्रावधान नहीं है।

सिंचाई योजना का मास्टर प्लान

160 श्री केदारनाथ (गंगानगर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या सरकार ने सिंचाई योजना का कोई मास्टर प्लान बनाया है ? यदि हां, तो क्या उसे कार्यान्वित किया जा रहा है ?

(2) उक्त मास्टर प्लान के निर्देशक सिद्धान्त मोटे तौर पर क्या हैं तथा क्या उन्हें पूरे राज्य में समान रूप से अपनाया जाता है ? (1)

(3) राज्य में नहरी सिंचाई (बांध व नहर दोनों से) की कुल जल क्षमता कितनी है तथा जिलेवार नहरी पानी से कुल कितनी भूमि सिंचित होती है ? निम्न विवरण के अनुसार सूची सदन की मेज पर रखें:— (२)

(1) जिला (2) तहसील (3) नहर का नाम (4) बांध का नाम (5) सिंचित क्षेत्र। (६)

उत्तर

(1) अभी बनाया जा रहा है।

(2) राज्य भर में सारी नदियों का वाटर रिसोरसेंज की मात्रा का पता लगाकर उनमें पानी की उपलब्धी बान्ध के लिए उपर्युक्त स्थान व सिंचाई के लिए योग्य भूमि देखकर कार्यों को हाथ में लेने की प्राथमिकता तय कर लेते हैं। साथ में यह भी ध्यान में रखा जाता है कि राज्य के हर जिले में सिंचाई के कार्य हो।

(3) जिलेवार सिंचाई के आंकड़े संलग्न है। नहरवार, बान्धवार व तहसील वार सिंचाई आंकड़े अभी एकत्रित किये जा रहे हैं।

(कृपया परिशिष्ट 10 देखिये)

भूतपूर्व जागीरदारों द्वारा तालाबों के हकूकों को लेकर अपीलें

161. श्री यशवन्त सिंह नाहर (बनेड़ा)—क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

Page No.44

(श्री यशवन्त सिंह नाहर)

(1) क्या राज्य में भूतपूर्व जागीरदारों द्वारा तालावों के हकूकों को लेकर कोई मामले या अपीलें चल रही हैं ? यदि हां, तो कब से चल रही हैं ? पूर्ण सूची शुरू होने की तिथि दर्शाते हुए सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या हक को मानते हुए भी इन तालावों में भूतपूर्व जागीरदारों का सिंचाई में कोई हक है ?

(3) ऐसे कितने तालावों की पिलाई राज्य सरकार द्वारा वसूल की जा रही है ?

(4) क्या ऐसी पिलाई भूतपूर्व जागीरदार भी वसूल कर रहे हैं या नहीं ?

उत्तर

(1) जी हां, सूची 'अ' संलग्न है।

(2) जी नहीं।

(3) सूची 'अ' में अंकित सभी तालावों की पिलाई राज्य सरकार द्वारा वसूल की जाती है।

(4) भीलवाड़ा जिले के एक दो तालावों के बारे में ऐसी शिकायत प्राप्त हुई है जिस पर कार्यवाही की जा रही है।

(कृपया परिशिष्ट 11 देखिये)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष: स्थगन प्रस्ताव।

मैं, माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं कि निम्नलिखित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है।

(1) श्री केदारनाथ, सदस्य विधान सभा ने जयपुर स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल के दिनांक 26 अप्रेल, 1972 से बन्द होने से उत्पन्न स्थिति के संबन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

(2) श्री रामानन्द अग्रवाल, श्री योगेन्द्रनाथ हांडा और श्री केसरीमल, सदस्य विधान सभा ने शहरी सम्पत्ति पर सीलिंग लागू होने की घोषणा से सम्बन्धित सम्पत्ति के अनुचित स्थानान्तरण में भारी बढ़ोत्तरी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना भी दी है।

इन दोनों स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जायेगा।

(3) श्री रामानन्द अग्रवाल, सदस्य विधान सभा ने दिनांक 3 मई, 1972 को आयुर्वेद सेवा आश्रम उदयपुर में मजदूरों की हड़ताल के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी। मैं चाहूंगा कि दिनांक 17 मई, 1972 को इस विषय पर श्रम मंत्री जी एक वक्तव्य दें। मैं इस स्थगन प्रस्ताव को स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

(4) श्री रामानन्द अग्रवाल, श्री योगेन्द्रनाथ हांडा और श्री केसरीमल सदस्य विधान सभा ने राजस्थान की उत्तरी सीमा में पाक गुप्तचरों के प्रवेश से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। चूंकि आज गृह विभाग की मांगों पर विचार किया जा रहा है, अतः माननीय सदस्य चाहें तो इस विषय को बहस के

(श्री अध्यक्ष)
दौरान उठा सकते हैं, अतः मैं इस स्थगन प्रस्ताव को स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

(5) श्री गुमान मल लोढ़ा और श्री मनोरहरलाल, सदस्य विधान सभा ने राजस्थान नहर परियोजना में हुई छंटनी और श्रमिकों की भूख हड़ताल के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। इसी विषय पर एक स्थगन प्रस्ताव दिनांक 1, मई, 1972 को अस्वीकार हो चुका है और यह घटना हमले की भी नहीं है अतः मैं इसे स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

श्री केदारनाथ (गंगानगर) : अध्यक्ष महोदय, मैंने जो स्थगन प्रस्ताव दिया था वह बहुत ही अविलम्बनीय लोक महत्व का है। आज 26 अप्रेल से जयपुर स्पीनिंग और वीविंग मील में हड़ताल चल रही है। और आज तक वहां के मजदूर हड़ताल पर हैं। और हमारे विधान सभा के बाहर भी कुछ श्रमिक भूख हड़ताल पर बैठे हैं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जयपुर में जो स्पीनिंग एण्ड विविंग मिल है उसमें मिल मालिकों की बहुत ही धान्धली है। वहां कोई प्रकार का कानून नहीं है। न तो उस मिल में कोई फैक्ट्री एक्ट है, न वहां पर मजदूरों को कोई बोनस मिलता है, और ना ही मैनेजमेंट मजदूरों की वाजिब मांगों को सुनता ही है। इसके विपरीत जब मजदूरों की मांगों को लेकर, उनका डेपूटेशन मिलने गया तो उन्हें गुन्डों द्वारा पिटवाया गया और उनको पिटवाने के बाद में मिल मालिकों ने उन्हें गिरफ्तार करवा दिया। इसके लिये मेरा निवेदन था कि इस प्रकार से अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर आज केवल जानकारी प्राप्त करना उपयुक्त नहीं है। आज लोग अभी विधान सभा के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि मन्त्री महोदय से इसके बारे में एक स्टेटमेंट दिलवा दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : मैंने जानकारी के लिये भेज दिया है जो जवाब आयेगा उसकी जानकारी मैं आपको दे दूंगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक स्थगन प्रस्ताव बहुत ही महत्वपूर्ण अविलम्बनीय लोक महत्व का दिया है। इसके लिये आपने यह व्यवस्था दे दी की आज पुलिस की मांगों के दौरान उसे भी डिस्कस कर लिया जाय। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान की उत्तरी सीमा की तरफ ने गंगानगर की तरफ से दो पाकिस्तानी जासूस भारतवर्ष की सीमा में घुस आये और उन्हें बीकानेर की पुलिस ने बीकानेर शहर मे पकड़ा वो जासूस पाकिस्तान के भावलपुर जिले से आये थे और वहां से पैदल चलकर कोसों चलने के बाद वे गंगानगर के अन्दर से हिन्दुस्तान में आये। अध्यक्ष महोदय, पाक जासूस जो बीकानेर शहर में पकड़े गये उनमें से पूछताछ करने पर तथा उनके पास सामान से पता लगा कि उनमें से एक आदमी फौजी है जिसको की इस बात के लिये प्रशिक्षण दिया गया कि वो चुपके से जाकर हिन्दुस्तान में यह पता लगाये कि कहां कहां पर बड़े बड़े फौजी केन्द्र हैं और वो इन समाचारों को पाकिस्तान सरकार को भेजे। अध्यक्ष महोदय, ये पाक जासूस सैकड़ों मील पैदल चल कर भारत की सीमा में आते गये पर उन्हें किसी जगह पर नहीं पकड़ा गया। पुलिस को पता तक नहीं चला . . . . . .

श्री खेतसिंह (शेरगढ़): अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार स्थगन प्रस्तावों पर आपकी अध्यक्षीय व्यवस्था देने के बाद बोलना नियमों का उल्लंघन है।

श्री अध्यक्ष: कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री रामानन्द अग्रवाल: अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार की घटनायें बहुत आपत्तिजनक है। और आये दिन इस प्रकार की घटनायें होती रहती है पर वह पकड़े नहीं जा रहे हैं। और आपसे यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि उन दो व्यक्तियों में से एक व्यक्ति वो था जो पाकिस्तान के बनने के पहले गंगानगर जिले का ही रहने वाला था। तो इससे मैं समझता हूं उसका यहां पर किन्हीं लोगों से लिंक है जो इनको मदद करते हैं। इस प्रकार का प्रश्न इस सदन में पहले भी आ चुका है। कई बार पाक जासूस पकड़े गये हैं पर बड़े तस्करियों की वजह से या बड़े राजनेताओं के दबाव से कोई कार्यवाही सन्तोषजनक नहीं हो सकी है। इन जासूसों का ताल्लुक बड़े बड़े तस्करियों से होती है और अध्यक्ष महोदय वो ही लोग इन्हें पनाह देते हैं। इस प्रकार आज हमारे देश की खबरें बाहर जाती है। अध्यक्ष महोदय, यह एक अत्यन्त अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न है। मैं समझता हूं कि राजस्थान सरकार का होम डिपार्टमेन्ट इस बारे में जागरुक नहीं है और यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है इसलिये मेरा निवेदन है कि अगर इस स्थगन प्रस्ताव पर आज स्टेटमेन्ट नहीं दिलाया जाये तो कोई बात नहीं इसके लिये किसी और दिन राज्य सरकार से स्टेटमेन्ट दिलवा दिया जाय।

श्री गुमानमल लोढा (जोधपुर): अध्यक्ष महोदय, मेरा एक स्थगन प्रस्ताव राजस्थान नहर योजना में जो श्रमिकों और मजदूरों की छंटनी हुई है, उसके बारे में था। आज जिन व्यक्तियों को हटाया गया है उन लोगों को जब श्री हरिदेव जोशी जी वहां पर गये तब उन्होंने आश्वासन दिया था कि जिन लोगों को 6 माह से अधिक समय हो गया था उन व्यक्तियों को वापिस काम पर ले लिया जायेगा। आज तक उन लोगों को काम पर नहीं लिया गया है काफी अरसा हो गया है और वो बहुत ही परेशान हैं। उन श्रमिकों ने विधान सभा के बाहर हड़ताल कर रखी है। अध्यक्ष महोदय, इस ओर मैं राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं क्योंकि यह तो व्यवस्था का प्रश्न है। इस पर विचार करना अत्यन्त आवश्यक है। जब स्वयं मंत्रीजी ने उन श्रमिकों को आश्वासन दे दिया कि उन्हें वापिस नौकरी पर ले लिया जायेगा और फिर क्या कारण है कि उन्हें अभी तक नौकरी पर नहीं लिया गया। अध्यक्ष महोदय, यह राजस्थान सरकार के जो बड़े आफिसर हैं, उनकी वजह से आदेशों की पालना नहीं हो रही है। बड़े खेद का विषय है कि ब्यूरोक्रेसी इतनी राज्य सरकार पर छा गयी है कि वह मन्त्री महोदय के आदेश तक क्रियान्वित करने को तैयार नहीं है। इसके लिये मैं निवेदन करूंगा कि जिन अफसरों ने मन्त्री महोदय के हुक्म को नहीं माना है उनके खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिये। दूसरी बात जो मैं निवेदन करना चाहता हूं वह यह है कि अभी बीकानेर में जो दो पाक जासूस पकड़े गये हैं उसके बारे में राज्य सरकार का वक्तव्य इस सदन में दिया जाना चाहिये।

Page No.47

श्री अध्यक्ष : ध्यान आकर्षण प्रस्ताव।

श्री गुमानमल लोढा : मैं निवेदन कर रहा था कि अगर इन पाक जासूसों को नहीं रोका गया तो हमारे भारत वर्ष की आजादी को खतरा पैदा हो जायेगा। इसी प्रकार आज जो हमारे विधान सभा भवन के बाहर जो श्रमिक धरना दिये बैठे हैं जो जनता आज बाहर बैठी है उनके बारे में विचार किया जाना बहुत जरूरी है।

श्री अध्यक्ष : ध्यान आकर्षण प्रस्ताव।

श्री गुमानमल लोढा : इन लोगों के बारे में राज्य सरकार से स्टेटमेंट दिलवाना जरूरी है। आज सरकार इन्हें दबाना चाहती है। ये सरकार अध्यक्ष महोदय, लाठी गोली की है।

(एक साथ तीन चार सदस्य बोलने पर शोरगुल अव्यवस्था)

श्री गिरधारीलाल भार्गव (हवामहल, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक स्थगन प्रस्ताव दिया था उसके बारे में क्या हुआ यह जानकारी चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : वह नामंजूर कर दिया गया।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : अध्यक्ष महोदय, यह अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न

श्री अध्यक्ष : (श्री गिरधारीलाल के बोलते रहने पर) आप स्थान ग्रहण करें।

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीया : अध्यक्ष महोदय, यह आसन की आज्ञा का उल्लंघन है।

श्री अध्यक्ष : श्री सुरेन्द्रप्रसाद व्यास।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : अध्यक्ष महोदय, आपने नामंजूर तो कर दिया लेकिन उसको जानकारी तो मांगने के लिये कहा था। राजस्थान नहर परियोजना के श्रमिकों के बारे में था।

श्री अध्यक्ष : मैं आपको बता चुका हूं कि वह रिजेक्ट हो गया है।

श्री मनोहरलाल (कामा) : अध्यक्ष महोदय, आज जब मैं विधान सभा के बाहर जो भूख हड़ताली लोग बैठे है उनसे मिलने गया तो मुझे एक पुलिस के अफसर द्वारा धक्का दे दिया गया। वहां मजदूर इन्दिरा गांधी के खिलाफ नारे लगा रहे थे। इन्दिरा गांधी मुर्दाबाद। इन्द्रा गांधी आयी है गरीबों पर संकट लाई है अध्यक्ष महोदय, मैं सदन में यह जानकारी देना चाहता हूं कि पुलिस अधिकारी ने मुझे धक्का दिया और मुझे उन लोगों से मिलने नहीं दिया। मेरा आपके मारफत मन्त्री महोदय, से निवेदन है कि उस अधिकारी के खिलाफ तुरन्त जांच करा कर उसके खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिये।

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीया : यहां कोई मशीन नहीं है सो तुरन्त एक्शन ले लिया जाये।

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, विधान सभा के एक सदस्य को अगर धक्का

(श्री मनोहर लाल)
मारे और वो अगर लोगो से जो वहां थे उनसे मिलना चाहे उन्हे नहीं मिलने दे।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें।

(श्री मनोहरलाल के सदन में हाउस में टेबिल पर खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष : आप नीचे उतरिये। प्लीज कम डाउन।

श्री मनोहरलाल : अध्यक्ष महोदय उस पुलिस अधिकारी ने मुझे धक्का मारा।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य आप बैठिये।

श्री मनोहरलाल : मैं जा रहा हूं।

(श्री मनोहर लाल द्वारा सदन से बहिर्गमन)

श्री **बरकतुल्ला खां** : (मुख्य मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैंने उस पुलिस अधिकारी के खिलाफ में जांच के आदेश दे दिये है। मैं इसकी पूरी जांच कराऊंगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, यह बड़े ही खेद का प्रश्न है कि किसी विधान सभा के सदस्य का इस तरह अपमान किया जावे, यह सदन के माननीय सदस्य की प्रतिष्ठा का सवाल है।

श्री बरकतुल्ला खां : मैंने पहले ही आदेश दे दिये है आप क्यों तकलीफ कर रहे हैं।

ध्यनाकर्षण प्रस्ताव

भूतपूर्व नरेशों के विशेशाधिकार समाप्त होने के पश्चात् भी उनका यथावत उपयोग एवं निजी सम्पति के हस्तान्तरण सम्बन्धी

श्री सुरेन्द्र प्रसाद व्यास (मालपुरा) : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक ध्यान आकर्षण प्रस्ताव दिया है। आज जब राजाओं के प्रिवी परसेज और उनके प्रिविलेजेज खत्म हो गये हैं। फिर आज भी भूतपूर्व राजा महाराजा लोग वही सुविधाये प्राप्त कर रहे है। और जो भारत सरकार ने इन प्रिविलेजेज को खतम करने का कानून बनाया हैं मैं समझता हूं उस कानून का अच्छी तरह से राज्य सरकार द्वारा फोलो अप नहीं किया जा रहा है। इसके लिये मैं राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, आज भी वे लोग अपनी प्राइवेट प्रोपर्टीज को खुर्द बुर्द कर रहे हैं, उसका बेचान कर रहे हैं। उनके पास प्राचीन चित्र हैं, मूर्तियां, कलात्मक वस्तुयें, प्राचीन हथियार और कई प्रकार के हथियार और प्राचीन सिक्के हैं, वे सब उनके पास मौजूद हैं। उन्होंने उनकी लिस्ट राज्य सरकार को नहीं दी। राज्य सरकार की तरफ से कोई कार्यवाही नहीं की गयी और अध्यक्ष महोदय उन सब चीजों को उन्होंने एक म्यूजियम बना कर रखा हुआ है और आमदनी का एक श्रोत बना रखा है।

अध्यक्ष महोदय, सब ही राजघरानों की यही स्थिति है। मुख्यतया मैं राजस्थान के मुख्य 2 राजघरानों की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। दूसरे राजघराने भी इसी प्रकार की कार्यवाही कर रहे हैं। आज जयपुर के राजघराने के पास कितनी

(श्री सुरेन्द्र प्रसाद व्यास)

जमीन है। एक माननीय सदस्य ने अपने ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के द्वारा ध्यान आकर्षित किया था मोती डूंगरी, आमेर, सिटी पैलेस और 16 हजार बीघा जमीन आस पास है। सिटी पैलेस में प्राचीन चित्र, कलात्मक वस्तुयें पड़ी हुई हैं जिनका एक म्यूजियम बना रखा है। पांच रुपया एन्ट्रेन्स फीस लेते हैं, उनका पर्सनल म्यूजियम है। कितने प्राचीन चित्र हैं उनकी लिस्ट नहीं है। जमुआ रामगढ़ में जांय तो बंधे के पास हिज हाइनेस का प्राइवेट बंगला मिलेगा। पब्लिक को आस पास से जाने की रुकावट होती है, वह जा नहीं सकती। उनके शूटिंग राइट्स मौजूद हैं, फिशिंग राइट्स मौजूद हैं। वे कम नहीं किये गये। आमेर के पैलेस में टिकिट लगा रखा है और उसमें आतिश, बग्धी खाना। कोविनेन्ट में यह शर्त थी कि राज्य सरकार इनको ले सकती है और दूसरी जमीन अलाट कर सकती है। न अभी मेंन्टेन करते हैं। वह जमीन आज भी उनके पास मौजूद है।

अध्यक्ष महोदय, यह एक गम्भीर मसला हो जाता है कि कोवेनेन्ट के अन्तर्गत क्या क्या एग्रीमेन्ट हुए वे सदन की मेज पर रखे जांय। प्राचीन चित्र, मूर्तियों की चोरियां हो रही हैं। यहां से बाहर जाती हैं और अमेरिका में खरीद फरोख्त होती है। यह राजा महाराजाओं के कन्नाइवेन्स से हो रही है। इस ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के द्वारा मैं संग्राम सिंह के केस की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा जो कि चित्रों की चोरी के सम्बन्ध में पकड़ा गया था। उस केस में यह तथ्य भी सामने आये हैं कि स्वर्गीय भूतपूर्व महाराजा जयपुर ने प्राचीन चित्रों की चोरियां करवा कर अमेरिका भिजवाई और वहां उनका बेचान किया और करोड़ों रुपये की सम्पत्ति अर्जित की। मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को आपके द्वारा निवेदन करना चाहूंगा कि आज भी कलात्मक वस्तुओं की चोरियां हो रही हैं और विदेशियों के हाथ बेची जा रही हैं। संग्राम सिंह के केस में इन्वेन्टरी लिस्ट बनी उसका आज जो मौजूद है प्राचीन चित्र, मूर्तियों और हथियार उनसे मिलान किया जाय तो उसमें कमी मिलेगी। हिस्टोरिकल चीजें हैं। आज उनका बेचान किया जा रहा है। निजी फायदे के लिये बेचान किया जा रहा है। प्रापर्टी को बेच कर इस सारे मसले को ही ये लोग फ्रस्ट्रेट करना चाहते हैं। उस पर रोक लगाना अत्यावश्यक है।

महाराणा उदयपुर ने भी प्राइवेट म्युजियम मेन्टेन कर रखा है और दरबार हाल में यह किया हुआ है जिस प्रकार जयपुर ने सिटी पैलेस में किया हुआ है, वे महाराणा प्रताप की चीजों का प्रदर्शन करते हैं। राजा महाराजा ऐसी स्टेट्स के राजा महाराजा थे उस समय की कई चीजें हैं, नेशनल, हिस्टोरिकल चीजें हैं जब प्रिविपर्स सब समाप्त हो गये तो ये सब चीजें राज्य सरकार को सुपुर्द करना चाहिये और राज्य सरकार को लेकर उन चीजों की रक्षा करना चाहिये।

महाराणा उदयपुर के विषय में कहना कोई अलग बात नहीं है, जयपुर के लिये भी अलग बात नहीं है। संग्राम सिंह के मामले में जो तथ्य आये हैं, उसका आगे

(श्री सुरेन्द्र प्रसाद व्यास)

इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ । आज यह भी निवेदन करना चाहता हूँ कि जिस प्रकार जयपुर का राजघराना प्राचीन वस्तुओं को बाहर भेजने में व्यस्त है उसी प्रकार उदयपुर का महाराणा और जोधपुर के महाराजा करते हैं ।

अध्यक्ष महोदय, आज उदयपुर के अन्दर पिछोला झील है । जयसमन्द में गेम सेन्चुअरी है और फिशिंग राइट्स हैं और व्यक्तिगत उपभोग में ले रखा है । इसी प्रकार सरदार समन्द में जोधपुर हिज हाइनेस के पर्सनल राइट्स हैं ।

श्री गुमानमल लोढा : बाल समन्द ।

श्री सुरेन्द्र व्यास : बाल समन्द । तीन चार हजार बीघा जमीन के अन्दर इर्रीगेशन करते हैं । उदयपुर हिजहाइनेस ने पैलेस को होटल बना दिया । जोधपुर और जयपुर एच एच ने भी होटल चला रखे हैं । 40 दिन हो गये जयपुर एच एच ने टाटा को दे दिया । पर्सनल प्रापर्टी में लगा रखा था उनको पर्सनल प्रोपर्टी में कन्वर्ट कर दिया । और लाखों करोड़ों रुपयों का फायदा उठा रहे हैं । जब राजा महाराजाओं को हमने डिरिकाग्नाइज कर दिया, वे राजा महाराजा नहीं रहे तो जो भी सम्पत्ति रखी थी, गेम सेन्चुरीज, तालाब महल, पब्लिक से टैक्स वसूल करके ही इन तालाबों और महलों को खड़ा किया था, उनकी किसी व्यक्तिगत मेहनत साधन और व्यापार से कमाई हुई, पूंजी से खड़ा नहीं किया, यह प्रोपर्टी केन्द्रीय और राज्य सरकार को रिवर्ट होनी चाहिये और उनको कोई अधिकार नहीं है कि इस प्रोपर्टी को वे रखें । इस जमाने में जब हम समाजवाद लाने की बात करें ।

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

दो मिनिट में समाप्त कर रहा हूं ।

और भारत की जनता पर कानून लागू करायें हमने जनता को आश्वासन दिया, इस प्रकार का एक इश्यू खड़ा हुआ और जनता ने हमारे फेवर में डिसाइड किया, पार्लियामेन्ट ने एक्ट पास कर दिया अब फोलो अप एक्शन न हो, प्रिविपर्स बन्द भी कर देंगे लेकिन यह पेरेलल इन्कम पुरानी रियासतों में हजारों बीघा जमीन है और उनके कर्मचारी जो उन जमीनों पर काश्त करने वाले हैं, उनकी इस पेरेलल इनकम को आप समाप्त नहीं कर सकेंगे । सवाई माधोपुर में शूटिंग राइट्स हैं और दूसरी गेम्स सेन्चुरीज हैं उन सब राइटस को समाप्त करने चाहिये और राज्य सरकार को कार्यवाही करनी चाहिये ।

शस्त्रों के लाइसेन्स नहीं हैं इसके सम्बन्ध में विशेषतया जानकारी करना चाहूंगा । प्राचीन हिस्टोरिकल इम्पोर्टेन्स की चीजें हैं, म्यूजियम है उनको तुरन्त सील कर दिया जाय और उनको राज्य सरकार कब्जे में ले लें वरना ये सब खुद बुर्द होकर अमेरिका के हाथों में चली जावेंगी ।

वह हिन्दुस्तान में रहने वाली नहीं और इस देश से बाहर ले जाने का षडयन्त्र और योजनाबद्ध तरीके से काम कर रहे हैं और विशेषतया जयपुर का राजघराना इसमें संलग्न है । इसलिये सिटी पैलेस को तुरंत सील करना चाहिये और पुरानी चीजों को अपने हाथ में लेकर पूरी जांच राज्य सरकार को इस मामले में करनी चाहिये ।

श्री श्रीराम गोटवाला : माननीय अध्यक्ष महोदय, में इस सम्बन्ध में कुछ निवेदन करना चाहता हूँ···

श्री अध्यक्ष: आपका तो नाम है नहीं।

श्री **रामानन्द अग्रवाल**: अध्यक्ष महोदय कुछ सवाल जो इसी से उत्पन्न हुए हैं उनके संबंध में मैं निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : बहुत सूक्ष्म रूप से कहें।

श्री **रामानन्द अग्रवाल** : हां। एक तो प्रिवलेज जिसका माननीय सदस्य ने जिक्र नहीं किया राजाओं को कुछ विदेशी शराब बिना किसी कस्टम के रखने का अधिकार था में जानना चाहता हूं कि जैसे ही 25 वां कान्सटीट्यूशनल अमेन्डमेंट लागू हुआ उस दिन से इस प्रकार की शराब कस्टम फी रखना वर्जित हो गया तो क्या राज्य सरकार ने इस प्रकार की शराब जो इन भूतपूर्व राजाओं के पास उस पर्टीकुलर डेट में जो स्टाक था उस स्टाक की कोई सूची ली? उस स्टाक को जप्त किया और उसपर कस्टम ड्यूटी लगाकर फिर उनको दी या नहीं दी?

नम्बर 2–इसी प्रकार से इन भूतपूर्व राजाओं को आर्म्स बिना लाईसेन्स रखने के अधिकार थे। मैंने पहले भी निवेदन किया था तो क्या राज्य सरकार ने उस तारीख को जब कि इनकी रूलरशिप खतम हुई उस तारीख में जो उनके पास हथियार थे उनकी सूची ली क्या? जो उनके पास फालतू हथियार है उनको इस तरह का लाइसेन्स लेने के लिये मजबूर किया?

नम्बर 3–जो आक्ट्राय और लोकल टैक्सेज हैं वे इन राजाओं के ऊपर नहीं लगते थे तो क्या राज्य सरकार ने इस प्रकार की हिदायत तमाम म्युनिसिपल बोर्डस को निकाली है कि फौरन उस पर्टीकुलर डेड के बाद जो भी चीज बाहर से लाये बाकायदा आक्ट्राय या हाउस टैक्स और जो भी लोकल टैक्सेज हैं वे वसूल किये जाये।

नम्बर 4–बहुत सी ऐसी ज्वेलरी है जो कि इन राजाओं के पास अपनी स्टेटस के कारण आर्नामेन्टल सेरीमोनियल तरीके से इस्तेमाल करने के लिये थी जैसे अलवर महाराजा के पास इस इन्वेन्टरी में हैं।

List of articles including armoury required for ceremonial occassions will be drawn up and submitted to the Government. This will be open to periodical inspections by the State Govt.

तो यह स्टेट की प्रापर्टी थी लेकिन प्रिवलेजेज के तहत राजाओं के मेनेजमेंट में थी। अब में यह जानना चाहूंगा कि इस प्रकार की ज्वेलरी जो अलवर की भी है और दूसरी राजाओं की भी हो सकती हैं उनको अपने कब्जे में लिया है या नहीं लिया है? इसी तरीके से जो माननीय सदस्य ने सिटी पैलेस का जिक्र किया और जिस म्युजियम का जिक्र किया है उस संबंध में यह निवेदन करना चाहूंगा कि इन्वेन्टरी में साफ लिखा हुआ है कि।

That the buildings housing treasures such as carpets, armoury historical records that are

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

to be converted into the national trust to be used for the said purpose and to be maintained by the Trust or by the Government·····

तो इस कोवेनेन्ट के अनुसार भी इसको नेशनल ट्रस्ट क्रियेट नहीं होना चाहिये था यह मानसिंह या भवानीसिंह ट्रस्ट क्रियेट नहीं होना चाहिये था मेरी जानकारी के अनुसार आज तक राज्य सरकार क्या सोती रही ? कोई नेशनल ट्रस्ट इसका क्रियेट नहीं किया गया। इस प्रापर्टी पर दर्शक फीस वसूल करते रहे हैं जो कि लाखों रुपयों की तादाद में हो गयी है करीब 5–10 साल से। तो या तो नेशनल ट्रस्ट क्रियेट होना चाहिये था या इसका मेनेजमेंट खुद स्टेट गवर्नमेंट को अपने हाथ में लेना चाहिये था। यह एक्सेप्शन हैं। यह राजा की खुद की प्राईवेट प्रापर्टी नहीं बल्कि यह स्टेट की प्रापर्टी थी या पब्लिक प्रापर्टी थी। तो मैं यह जानना चाहूंगा कि राज्य सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कोई कदम उठाये हैं जैसे शिकारगाह वगैरह उन सब के बारे में अभी तक क्या कदम उठाये हैं। अभी सरकार ने घोषणा की थी कि गार्डस 1 जून से बन्द करेंगे तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि

Immediately from the date when the President gave his consent.

तो उसके बाद राज्य सरकार को क्या उसके कान्स्टीट्यूशन से अलग भी कोई अधिकार था कि वह 1 जून तक उस प्रिवलेज को जारी रख सके जिसको हमने कान्स्टीट्यूशन से मना कर दिया है ?

श्री श्रीराम गोटेवाला ; माननीय अध्यक्ष महोदय···

श्री गुमानमल लोढा (जोधपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक मिनट के लिये आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि माननीय राज्य गृह मंत्री जी इस प्रश्न के ऊपर यदि राज्य सरकार की ओर से एक श्वेत पत्र प्रकाशित कराने का कष्ट करें जिसमें बताया जाये कि जिस समय इन राज्यों का विलीनीकरण किया गया था तो क्या कोवेनेन्ट था, क्या इन्वेन्ट्री थी, कितनी जायदाद थी, कहां कहां थी। उसके बाद राज्य सरकार की ओर से कौन कौन से कानून बनाये गये––उदाहरण के तौर पर हमारे यहां राजस्थान में प्रिन्सेस एस्टेट एबोलीशन एक्ट बनाया गया और उसको न्यायालय में चुनौती दी गई और डिवीजन बैंच के समय सरकार और नरेशों के बीच में यह अण्डर टेकिंग हुई कि जब तक यह मुकदमा पैंडिंग रहेगा तब तक कोई भी जायदाद, किसी प्रकार की भी जमीन या किसी प्रकार का एस्टेट बेची नहीं जायेगी। मैं जानना चाहूंगा राज्य सरकार से कि पुराने महाराजा और नये महाराजाओं द्वारा जमीन, जायदाद बेची गई क्या यह उल्लघन नहीं है :······

श्री बरकतुल्ला खां : उम्मीदवार महाराजाओं की पूछ रहे हैं तो उम्मीदवार महाराजा जहां बैठने थे वहीं बैठे हैं।

श्री गुमानमल लोढा : लेकिन नये महाराजा यहां आ गये। मैं पूछना चाहूंगा कि

Page No.53

(श्री गुमानमल लोढ़ा)
क्या उनकी मिली भगत नहीं है। जिस समय जमीन बेची गई राज्य सरकार चुप रही और बराबर प्रश्न लिया जाये तो मैं मुख्य मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि वह स्पष्ट रूप से एक श्वेतपत्र प्रकाशित करें और बतायें कि आज वास्तव में क्या स्थिति है ?

श्री श्रीराम गोटेवाला : माननीय अध्यक्ष महोदय,·····

श्री अध्यक्ष : सूक्ष्म रूप से कहें।

श्री श्रीराम गोटेवाला : (किशन पोल, जयपुर) सूक्ष्म रूप से ही निवेदन करूंगा।

अध्यक्ष महोदय, मैने 21 अप्रेल को एक काल अटेन्शन मोशन के द्वारा इस ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया था और उस समय माननीय श्री हरिदेवजी जोशी ने इस सदन के अन्दर यह कहा था कि हम जिलाधीशों को आदेश दे रहे हैं। क्या इस संबंध में कोई भी कार्यवाही हुई ? मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी जानकारी के लिए निवेदन करना चाहता हूं कि पिछले सोमवार को ही 11 रजिस्ट्रियां हुई और इस संबंध में मैने राज्य मंत्री, गृह विभाग का ध्यान आकर्षित किया और मैंने उनसे निवेदन किया कि सदन में इस प्रकार का स्पष्ट आश्वासन दिये जाने के बाद भी इस प्रकार का रजिस्ट्रियां और इस प्रकार की कार्यवाही हो रही हैं यह बिलकुल गलत है। उस समय माननीय हरिदेवजी जोशी ने यह भी कहा था कि इस संबंध में केन्द्र को लिख रहे हैं और केन्द्र इस संबंध में कानून बनायेगी। केन्द्र के गृह राज्य मंत्री श्री के. सी. पन्त ने कल पार्लियामेन्ट में कहा है कि राजाओं की सम्पत्ति का प्रश्न हमसे संबंधित नहीं है। राज्य सरकारों को हमने कह दिया है कि वे इस संबंध में कानून बनायें। तो मेरी समझ में नहीं आता कि यह प्रश्न क्यों अटक रहा है। दूसरे दिन समाचार पत्र में वह बात छपी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि मेरे पास चार व्यक्ति आये और वे एक पत्र देखकर गये जिसकी कापी मैं आपकी जानकारी के लिए यहीं निवेदन कर रहा हूं। यह पत्र है :—

Copy of letter No. D, 322 F 54 (226) Rev-A/56 dated the 6th November, 1968 from the Asstt. Secretary to the Govt. of Rajasthan, Revenue A Department addressed to the Commissioner, Ajmer Division, Ajmer.

Subject: Fixation of cash compensation in lieu of the Muafi land acquired in village Bhojpura for the maintenance of the 7 temples.

I am directed to convey sanction of the Governor to the payment of compensation annually with effect from Smt. year 2011 at the rate of Rs. 526 2/-only p.a. for the Muafi land attached to

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

temples that was acquired for the following schemes—

Race Course	Smt. 1987	119	bighas-8 biswas	Amt. of compensation Rs. 239/4/- Jh.
Ram Bagh Palace	1999	99-4		Rs. 198/6
Manguard Barrack	1999	28-15		57/8/Jh.

Equivalent Rs. 526-2-9 Indian coin.

It may also please be ensured whether payment from St. 2006 & 2007 at the above rate has been made, In case no payment has been made, payment may also be made for these years.

I am further directed to convey sanction of the Governor to the fixation of compensation at Rs. 383-14 nP per annum as awarded by the Land Acquisition officer and as noted against each in respect of the land taken over by the Government as under and payment thereof annually with effect from the respective dates of taking over possession.

और इसके आगे और रकमों के बारे में और दूसरी जमीनों के बारे में भी प्रश्न है। इस प्रकार का दुरुपयोग हुआ है और जो उनका राजप्रमुख का पद था उसका दुरुपयोग किया है। जैसा कि रामबाग पैलेस के बारे में कहा गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि गवर्नर की सेंक्शन से असिस्टेंन्ट सेक्रेट्री के द्वारा जो पत्र भेजा गया है और जैसा कि उसमें बलीयर्ली उनको देने की बात कही गई है और उन गरीबों ने अप्रेल में प्रधान मंत्री के पास पत्र लिखा है और लिखा है कि हम आप तक नहीं पहुंच सकते। वे यहां मेरे पास में आए और उन्होंने मुझ से कहा कि रामबाग पैलेस की जमीन को बेचा जा रहा है। एक करोड़ 73 लाख में सौदा हुआ है बेचान का और माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि रुपया दे दिया गया है उसकी रजिस्ट्रियां हुई हैं और जब कि उनको बेचने का अधिकार नहीं है। मैं मांग करता हूं राज्य सरकार से और माननीय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि उस जमीन को सरकार अपने कब्जे में ले ले और जमीन लेकर उन गरीबों में बांट दे जिनके पास रहने के लिए मकान नहीं हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी मालपुरा से आने वाले भाई सुरेन्द्रजी व्यास बता रहे थे कि जो आतिश और बग्गी खाना है वह इन्वेन्ट्री के अनुसार सरकार का है। इस सम्बन्ध में मैंने माननीय गृह मंत्री महोदय से बात भी की थी और हाउस में भी कहा था कि यह आतिश की बिल्डिंग है, राज्य

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

सरकार की सम्पत्ति है। आज उसका 20 हजार रुपया मासिक का किराया राजमाता या उनके परिवार के लोग किराए के रूप में लाभ उठा रहे हैं। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि इन्वेन्ट्रीज और कोन्नेनेन्ट की जिस संदर्भ में आवश्यकता हुई थी, मैं उस ओर सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जिस समय इन रियासतों का विलीनीकरण हुआ था तो ये सारी चीजें बनी थीं। उसके बाद हमने उनके प्रिविलेजेज समाप्त कर दिए, राज-प्रमुख का पद समाप्त कर दिया, उनके सारे अधिकार समाप्त कर दिए तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो हमारे कार्यक्रम हैं अमीरी हटाओ के लिए, तो उस कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिए तुरन्त कब्जा करें इन प्रोपर्टीज पर। आज लोग शहरी सीलिंग से बचने की कोशिश कर रहे हैं जब कि हम घोषणा कर चुके हैं शहरी सीलिंग की, हमारे वित्त मंत्री जी ने इसी सदन में घोषणा की है कि हम इसी सदन में इसी अधिवेशन में इसके बारे में बिल ला रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि लोग इस सीलिंग से बचने के लिए अपनी प्रोपर्टी को खुर्द बुर्द कर रहे हैं सैकड़ों रजिस्ट्रियां हो रही हैं और जब यह सब कुछ हो जायेंगे तो आप फिर किस प्रकार कुछ कर पायेंगे· · · ·

श्री अध्यक्ष : आप समाप्त करें।

श्री श्री राम गोटेवाला : अभी एक मिनिट में समाप्त करता हूं। तो मैं निवेदन कर रहा था कि ये निश्चत रूप से इन्कम टैक्स से बचने के लिए कोशिश कर रहे हैं। आज होटल्स पर इन्कम टैक्स दस वर्ष के लिए माफ है। ये सारे राजा महाराजा मिल कर इन होटल्स को चला रहे हैं और आज जो निश्चत रूप से जनता की सम्पत्ति है, जो जनता की प्रोपर्टी है उसको राज्य सरकार अपने कब्जे में ले ले और कब्जा करके उसको जनता के काम में लावे जो कि आज जनता के काम में नहीं आ रही है। मैं निश्चत रूप से निवेदन करना चाहता हूं कि भारत सरकार के राज्य मंत्री गृह श्री के. सी. पन्त जी ने कहा है कि यह राज्य सरकार के अधिकार में है और राज्य सरकार को ही इसके बारे में कानून बनाना चाहिये। मैं मांग करता हूं कि सरकार से और मैंने उस रोज भी इसी सदन में मांग की थी कि हमें चाहे आर्डीनेन्स लाना पड़े, और कुछ करना पड़े, आज तो असेम्बली चल रही है तो सारे काम को छोड़ कर मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हम पहले इस मसले को देखें आज राजस्थान में करोड़ों रुपयों का घाटा चल रहा है। राजस्थान में पीने के पानी की व्यवस्था करनी है, राजस्थान में गांव गांव में सड़कें बनानी हैं और दूसरी तरफ हमारे करोड़ों रुपयों की सम्पत्ति अमेरिका में लेजा कर बेची जा रही है। लोग उसका नाजायज उपयोग करते हैं और हम उस सम्पत्ति से वंचित हो रहे हैं।

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि इस मामले में ढील न करें और तुरन्त कार्य-वाही करें। मैंने 29 अप्रेल को ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी दिया था और 11 मई को

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

चिट्ठी लिखी गई हैं। मैं फिर भी धन्यवाद देता हूं कि कुछ तो किया गया है, भारत सरकार को लिखा गया है। लेकिन अब जो कार्यवाही होनी चाहिये और वह नहीं हो रही है तो मैं मांग करता हूं कि इस बारे में शीघ्र कदम उठाए जायं और जो प्रोपर्टी बेची गई है, जिनको बेचने का अधिकार नहीं है कानूनी तौर पर, उन पर सरकार कब्जा करे और कब्जा करके उन लोगों को दे दें जिनके पास रहने को मकान नहीं है।

श्री केदारनाथ (गंगानगर) : मान्यवर, मैं, प्रश्न यह पूछना चाहता हूं कि जब स्टेट्स का इण्टीग्रेशन हुआ था तो मैनन सैक्रेट्री थे, होम अफेयर्स के। उस समय जो राजाओं का कोंकर्ड बना और जो लेटर्स एक्सचेंज हुए उनमें लेटर नं. 3 में यह लिखा हुआ था कि जब भी गवर्नमेंट मुनासिब समझेगी राजाओं की सोवरेन्टी नहीं मानेगी और यह भी कहा गया था कि जो आपने इन्वेंट्री दी है, जो प्रोपर्टी आपके पास है वह वाई वर्चू आफ प्रिंस आफ स्टेट हैं। यह जो राइट आपको अक्रू हुए हैं वे प्रिंसेज के नाते अक्रू हुए हैं। जिस दिन आप प्रिंसेज नहीं रहेंगे, जिस दिन प्रिंसेज डाई होता है ये पावर्स डाई हो जायेंगे।

मान्यवर, आज से सात आठ महिने हो गए सारे प्रिविलेजेज हमने समाप्त कर दिये लेकिन अभी तक उन पर बैन नहीं लगा सके। आखिर ला डिपार्टमेंट क्या करता है यह तो क्लीयर कट मामला है। मैं आपके मार्फत निवेदन करूंगा कि इसके बारे में आज ही अखबारों में खबर पढ़ने को मिली कि रियासतों की सम्पत्ति बेचने पर कोई रोक नहीं। नहीं मालुम कि यह खबर किस प्रकार छपी है। आज माननीय मुख्य मंत्री जी यहां पर विराज रहे हैं तो मैं उनसे जानना चाहूंगा कि सात आठ महीने हो गए इनके रिकोग्नीशन को समाप्त हुए, इनके प्रिविलेजेज को डिस्पोज आफ कर दिया फिर भी आज वे इसका फायदा उठा रहे हैं। इसलिऐ मैं यहां कहना चाहूंगा कि इसके बारे में आप की तरफ से कोई डेफिनेट घोषणा होनी चाहिये। इसके साथ ही मैं एक बात और कहना चाहूंगा मान्यवर कि मेनन के साथ जो एग्रीमेन्ट हुआ था उसमें यह भी था कि जो फौरन कण्ट्री में अकाण्ट्स और प्रोपर्टीज हैं या आगे जो प्रोपर्टी बनायेंगे या आपकी बनेगी वह भी सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रोपर्टी होगी। लेकिन आज इसके बारे में हमारे पास कोई जवाब नहीं।

इसके अलावा मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं मान्यवर कि जितने भी इन प्रिंसेज के पास स्टाफ था उनको कोई राइट नहीं था बिजनेस करने का या दूसरा काम करने का। अगर करते हैं तो उनको रिटॅायरमेन्ट वेनीफिट नहीं मिल सकेंगे। यह सर्विस रूल्स उस वक्त भी लागू थी। तो ये दो तीन प्रश्न हैं जिनके बारे में मेनन के साथ एग्रीमेंट हुआ था। लेकिन आज भी उनकी परसनल प्रापर्टी, उनकी निजी प्रोपर्टी, उनकी इन्वेंट्री, उनके आर्म्स, उनकी ज्वेलरी, फॉरन कण्ट्रीज में उनके अकाउण्ट, फॉरन कन्ट्रीज में उनकी प्रोपर्टी के झगड़े हैं, उनको आप बेन क्यों नहीं करते हैं। इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि आप इन सारे डिस्पोजल्स को रेट्रास्पेक्टिव इफेक्ट से अबोलिश कीजिए।

Page No.57

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : अध्यक्ष महोदय, दो मिनिट में भी इस तरफ······

श्री अध्यक्ष : श्री मीठालाल।

श्री मीठालाल (लालसोट) : माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें मुख्य प्रश्न यह है कि राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार इन भूतपूर्व राजाओं और महाराजाओं की प्रोपर्टी को लेने के बारे में क्या करे। कानून के दायरे में जैसे भी किया जा सकता हो केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार करना चाहे, करे। लेकिन अध्यक्ष महोदय, लेकिन यह मांग भी यहां करनी है कि जो कुछ भी करें, यह ईमानदारी की नियत से करें और जो समाजवाद का ढिंढोरा आप पीटते हैं तो जनता को भी यह मालूम हो कि सरकार जो कुछ करना चाहती है वह ईमानदारी के साथ करना चाहती है। जो कुछ राज्य सरकार कर रही है वह ईमानदारी के साथ कर रही है। मेरा कहने का तात्पर्य यह है जो कुछ करना चाहते हैं वह तो कानून के दायरे में जो कुछ हो सकता है उसके अनुसार करें। लेकिन यहां पर बैठ कर भूतपूर्व राजा महाराजाओं की चर्चा तो आए दिन करते रहते हैं लेकिन यह जो आज कल के मॉडर्न राजा महाराजा हैं, इनके बारे में क्या कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, हर कोई मिनिस्टर जब यहां गांव से आता है या सर्विस करते हुए आता है····

श्री अध्यक्ष : काल अटेंशन पर ही जो कुछ कहना हो कहें।

श्री मीठालाल : मैं आज के राजा महाराजाओं के बारे में कह रहा हूँ····

श्री अध्यक्ष : पहले वालों की बात ही कहें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आज तो प्रश्न यह है कि जो लोग दुरुपयोग कर रहे हैं उनके लिए कानून लाया जावे। लेकिन माननीय सदस्य आज के राजा महाराजाओं की आड़ बना कर पुराने राजाओं, जिनसे उनकी पार्टी सम्बन्धित है, उनको बचाने की कोशिश करें तो माननीय सदस्य उससे बच नहीं सकेंगे। वह खुद उनको बचाने की कोशिश में उनके साथ बह जायेंगे, उनको कोई बचायेगा नहीं।

(शोरगुल, अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : एक बात सुन लीजिए! मैं एक बात कहना चाहता हूं। यह जो काल अटेन्शन मोशन है, प्रस्ताव है, इसमें कहा गया है कि भूतपूर्व राजाओं को प्राप्त विशेषाधिकार समाप्त करने के सम्बन्ध में इस पर सीमा सीमित रखते हैं तो अच्छा रहेगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : वर्तमान का नहीं है।

श्री मीठालाल : मैं राज्य सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि भूतपूर्व राजाओं की तरह इन वर्तमान नरेशों की जांच के लिये कोई न कोई कानून बनना चाहिये। इन्होंने हजारों बीघों के फार्म बना लिये हैं, बिल्डिंग्स बनाली हैं।

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय: अनर्गल बात कह रहे हैं। ये भाषण कर रहे हैं इसलिये इनको टाइम नहीं दिया जाये।

श्री मीठालाल : आज इन एम. एल. एज. को देख लीजिये। इस सदन के कई माननीय सदस्य धर्मशाला में ठहरे हुए हैं,

(श्री मीठालाल)

तो कोई दुकानों में ठहरा हुआ है और जो आधुनिक वर्तमान राजा महाराजा हैं उनके पास में पांच पांच कोठियां हैं। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि भूतपूर्व राजा महाराजाओं के लिये जिस प्रकार का कानून आप बना रहे हैं तो इनके लिये भी बनाया जाना चाहिये।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : चन्द्र महल एलाट करा दीजिये।

श्री मीठालाल : मेरा निवेदन तो यह है कि वर्तमान राजा महाराजाओं की भी जांच करायी जानी चाहिये तभी वास्तविक समाजवाद आयेगा और ईमानदारी के साथ काम होगा।

श्री मनोहरलाल : व्यवस्था का प्रश्न है······

श्री अध्यक्ष : प्लीज सिट डाउन।

गृह मंत्री जी।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : अध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा।

श्री अध्यक्ष : श्री गृह मंत्रीजी।

श्री मनोहरलाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक निवेदन है, पाइंट आफ आर्डर है······

श्री गुमानमल लोढा : एक माननीय सदस्य पाइंट आफ आर्डर रेज कर रहे हैं, उनको सुना जाना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : व्यवस्था का प्रश्न।

श्री मनोहरलाल : व्यवस्था का प्रश्न यह है कि यह जो माननीय सदस्य इण्डियन साहब हैं—राजेन्द्र तो वे उधर ही रहें और अगर भारतीय हैं तो उनको इधर आना चाहिये। दूसरी बात यह है कि वे मेरे बीच में न बोलें, अगर बोलेंगे तो मैं क्षमा चाहता हूं, मैं वहां जाकर झगड़ा करूंगा उनकी सीट पर। दूसरी बात यह है······

श्री बरकतुल्ला खां : अध्यक्ष महोदय, अगर ग्रेंट दिया जाये तो वह पाइंट आफ आर्डर कैसे हो सकता है·····

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य आप हों या आप हों, वे अगर कोई भी काम नियमों के विपरीत करेंगे तो उनके खिलाफ उचित कार्यवाही की जायेगी।

श्री मोहनलाल छंगाणी : हमारे सदस्य को धमकी दी गई है।

श्री अध्यक्ष : प्लीज सिट डाउन।

श्री मोहनलाल छंगाणी : मैं नम्र निवेदन करना चाहता हूं। व्यवस्था का सवाल है।

श्री अध्यक्ष : गृह मंत्रीजी।

श्री मोहनलाल छंगाणी : यह प्रिविलेज का सवाल है।

शासकीय वक्तव्य

भूतपूर्व नरेशों को प्राप्त सुविधाओं सम्बन्धी

श्रीमती कमला बेनीवाल (राज्य मंत्री, गृह) : अध्यक्ष महोदय, भूतपूर्व नरेशों को प्राप्त सुविधाओं के सम्बन्ध में प्राप्त ध्यान आकर्षण प्रस्ताव पर वक्तव्य इस प्रकार है।

(श्रीमती कमला बेनीवाल)

भारतीय संविधान के 26वें संशोधन से प्रीविपर्स समाप्त हो गये और भूतपूर्व राजाओं को दिनांक 1 जनवरी, 1972 से प्रीविपर्स का भुगतान बन्द कर दिया गया है।

विशेष सुविधाओं के सम्बन्ध में स्थिति इस प्रकार है। भारत सरकार ने कुल 24 विशेषाधिकार राजाओं को दिये जाने का अंकन अपने ज्ञापन में किया था। इनमें से निम्न सुविधाओं को समाप्त करने के आदेश जारी हो चुके हैं–चिकित्सा सुविधा, पैलेस पर गार्ड, राजाओं को अपने झण्डे फहराने, राजाओं के जन्म दिवस पर अवकाश रखना, धार्मिक अवसरों पर समारोह, यथावत खिताब द्वारा सम्बोधित होना, समारोह में प्राथमिकता, दरबार लगाना। इसके अलावा निम्न विशेषाधिकारों को समाप्त करने के लिये भारत सरकार ही कार्यवाही कर पायेगी :

आर्म्स अधिनियम में छूट, आयकर अधिनियम से छूट, कस्टम्स से छूट, अदालत के प्रोसेस से छूट, विदेशों में विशेषाधिकार, मृत्यु पर मिलेट्री आनर्स, भूतपूर्व राजाओं की भूमि की अवाप्ति से छूट।

इसके अलावा माननीय सदस्यों ने यह प्रश्न भी उठाया था कि जो विदेशी शराब है उसको बिना कस्टम्स के अभी तक राजाओं को क्यों दी जा रही है और उस पर क्या कार्यवाही की जा रही है ? 1-1-71 से इस प्रकार के कन्वेंशन खतम कर दिये गये हैं।

इसके अतिरिक्त निम्न विशेषाधिकारों पर अभी कोई कार्यवाही की आवश्यकता नहीं रह जाती है :

दया का विशेषाधिकार, सिविल लिस्ट रिजर्व फंड को चालू रखना, प्रीविपर्स विभाजित करना, भाई और बहिनों की शादियों का खर्चा, राज्य सरकार को वहन करना, भूतपूर्व राजाओं के कर्मचारियों को दंडित नहीं करना, भूतपूर्व राजाओं के कर्मचारियों की सेवाएं चालू रखना, भूतपूर्व राजाओं के पूर्व के दिये गये आश्वासनों की पूर्ति करना। चूंकि अब कोई राजा नहीं है इसलिये अब ये समाप्त हो गये हैं। अन्य विशेषाधिकारों को समाप्त करने के लिये सम्बन्धित विभाग आदेश जारी कर रहे है जिन पर शीघ्र कार्यवाही होने वाली है।

शस्त्रों की सूचियां प्राप्त हो गई हैं। इस सम्बन्ध में जिला दण्डनायकों को निर्देश दिये गये हैं कि भूतपूर्व राजाओं को जानकारी में ला दें कि उनके द्वारा शस्त्रों का फरोख्त किया जाना अवैधानिक है। यहां यह भी व्यक्त करना उचित है कि भूतपूर्व राजाओं को बिना अनुज्ञा-पत्र हथियार रखने के अधिकार केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रचलित विज्ञप्तियों से किये गये थे। ऐसी विज्ञप्तियों को समाप्त करने या उनमें संशोधन करने के प्रश्न केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है।

प्राचीन चित्र, मूर्तियां, प्राचीन पुस्तकें, पाण्डुलिपियां एवं अन्य कलात्मक वस्तुएं सरकार को सुपुर्द करने के सम्बन्ध में अन्य प्रश्नों के साथ भारत सरकार को

(श्रीमती कमला बेनीवाल)
स्थिति स्पष्ट करने हेतु पत्र द्वारा निवेदन किया गया है परन्तु अभी तक भारत सरकार से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। हालांकि तार व टेलीफोन के जरिये लगातार स्मरण कराया गया है। ध्यान आकर्षण प्रस्ताव में जयपुर के भूतपूर्व महाराजा की सम्पत्ति का प्रश्न भी उठाया गया है। इस सम्बन्ध में स्थिति यह है कि जयपुर महाराजा ने एक ट्रस्ट बनाया है। यह ट्रस्ट नेशनल ट्रस्ट की श्रेणी में आता है या नहीं और यदि आता है तो इस सम्बन्ध में राज्य सरकार क्या कार्यवाही कर सकती है, इन प्रश्नों पर कानूनी सलाह ली जा रही है और भारत सरकार से पूछा जा रहा है।

ध्यान आकर्षण प्रस्ताव में उन राजकीय बंगलों का प्रश्न उठाया गया है जो राजाओं के स्टाफ के लोगों को दिये गये थे। इन्वेन्ट्रीज के अनुसार जयपुर में भूतपूर्व महाराजा के स्टाफ के लिये दो बंगले दिये गये थे, जोधपुर के के लिये तीन बंगले, बीकानेर के भूतपूर्व महाराजा के स्टाफ के लिये चार बंगले दिये गये थे। जयपुर में दोनों बंगले अभी तक भूतपूर्व महाराजा के पास हैं। जोधपुर में एक बंगला भूतपूर्व महाराजा के स्टाफ के पास है। बीकानेर में दो बंगले भूतपूर्व महाराजा के स्टाफ के पास हैं। शेष 5 बंगलों को खाली कराने के सम्बन्ध में कानूनी राय ली जा रही है और शीघ्र ही आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।

भूतपूर्व राजाओं के साथ जो शर्तनामा भारत सरकार द्वारा किया गया है उसकी एक प्रति माननीय सदस्य देखना चाहें तो उनको बतायी जा सकती है।

यहां यह भी बताना उपयुक्त होगा कि इसी से मिलते जुलते प्रश्न का हवाला जो इसी सदन में उठाये गये थे और जिसका विवरण के साथ उत्तर दिया गया था उसके बावजूद भी कोई भी कानूनी कमी होने के कारण या राज्य सरकार की असमर्थता होने के कारण उसको कानून के जरिये करना कठिन होगा, राज्य सरकार उचित कदम उठायेगी। जहां तक सम्पत्ति का अधिकार है, जो भी प्राइवेट प्रोपर्टी के केटेगरीज में आती है, उन पर उस वक्त तक पाबंदी नहीं लगा सकते जब तक कि सीलिंग का कानून नहीं बन जाता है। यह कानून भी जल्दी से आने वाला है और उसके अन्तर्गत सीमायें पाबंद की जावेंगी। यह भी कदम उठाया गया है कि जो भूतपूर्व राजा अपनी सम्पत्ति को डिस्पोज आफ करे तो जिलाधीश को यह आदेश दे दिये गये हैं कि उनका रजिस्ट्रेशन करने से पूर्व राज्य सरकार को अवगत करावें ताकि आवश्यक कार्यवाही की जा सके।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय,

श्री रघुनाथ विश्नोई : अध्यक्ष महोदय,

श्री अध्यक्ष : एक माननीय सदस्य . .

श्री रामानन्द अग्रवाल : 29 अप्रेल को

श्री अध्यक्ष : एक ही माननीय सदस्य बोलें···

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं···

श्री अध्यक्ष : आप ही शुरू करें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : 29 अप्रैल को राज्य सरकार की ओर से उत्तर दिया गया था कि हमने भारत सरकार को 11 अप्रैल को एक पत्र लिखा है कि अब यह रूलरशिप खतम होने के बाद इनको कोई लीगल वेलिडिटी न रहने के बाद इन्वेन्टरीज में दर्ज सारी सम्पत्ति प्रोपर्टीज वह इप्सो फेक्टो स्टेट गवर्नमेन्ट में रिवर्ट हो जाती है। इसमें भारत सरकार से क्लेरोफिकेशन पूछा गया है। जब आपने यह पत्र लिखा है तो इसका मतलब है कि स्टेट गवर्नमेंट इस निर्णय पर पहुंची है, यह दिक्कत कितने परसेन्ट सही, स्टेट गवर्नमेन्ट इस व्यू की है कि इस प्रकार की स्थिति बन सकती है कि यह तमाम प्रोपर्टीज स्टेट गवर्नमेन्ट को रिवर्ट हो चुकी हैं। अब जो माननीय मन्त्री ने उत्तर दिया है उसमें उस उत्तर के अन्दर यह है कि स्टेट गवर्नमेंट यह मान रही है कि इन्वेन्ट्रोज के अन्दर जो प्रोपर्टीज हैं, वह रूलर्स की प्रोपर्टीज है और वे उसको सेल कर सकते हैं और आप कोई कानून बनायेंगे तब जाकर उस सेल के ऊपर पाबन्दी लगाई जा सकती है। यह प्रोपर्टी अरबन सीलिंग लगेगी तब ली जायेगी। याने प्रोपर्टी रूलर्स की है यह आप मान कर चल रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, यह गवर्नमेंट के पूरे स्टेण्ड में विरोधाभास है। मेरा यह कहना है, जो आपने भारत सरकार को चिट्ठी लिखी है लीगली वह स्टेण्ड सही है, और वह स्टेण्ड सही है तो आपको उस आधार पर इस तमाम प्रापर्टी को अपनी प्रापर्टी मानते हुए कम से कम उसके सेल, डिस्पोजल को किसी भी रूप में बन्द करना चाहिए था। इस सदन में माननीय सदस्य बार बार कितने ही मामले आपके ध्यान में लाये हैं। अभी कितनी ही प्रापर्टी है जिनका बेनामा हो गया··

श्री अध्यक्ष : आप प्रश्न के रूप में पूछ लीजिए।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह निवेदन कर रहा हूं, जो उत्तर उन्होंने दिया है उसमें खुद जो गवर्नमेंट का स्टेण्ड है वह कान्ट्राडिक्ट्री है। मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट अननेसेसरी तरीके से उनको कन्सेशन देती जा रही है। जो पुरानी गवर्नमेंट का तरीका था आज भी गवर्नमेंट किसी न किसी रूप में जारी रख रही है। माननीय मंत्रीजी ने यह कहा कि यह जो सिटी पैलेस में जो म्यूजियम है उसका नेशनल ट्रस्ट होना चाहिए या जो ट्रस्ट उन्होंने क्रियेट किया हैं वह नेशनल ट्रस्ट की डेफीनेशन में आता है या नहीं– उसको वह लीगली एक्जामिन करायेंगे। मैं जानना चाहता हूं, 1949 के अन्दर इन्टीग्रेशन हुआ, 1949 में इन्वेन्टरी बनी और उसके बाद यह ट्रस्ट क्रियेट हुआ है तो आज तक गवर्नमेंट को इस बात की जांच करने की जरूरत नहीं पडी कि यह ट्रस्ट नेशनल ट्रस्ट की डेफीनेशन में आता है या नहीं। सवाल यह है कि अभी जो पच्चीसवां अमेंडमेंट कान्स्टीट्यूशन में हुआ, उससे यह ट्रस्ट क्रियेट नहीं होता है, वह इन्वेन्टरी से क्रियेट होना चाहिए। नेशनल ट्रस्ट होना चाहिए था। इस क्वेश्चन को अब एजीटेट

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

किया गया है। गवर्नमेंट चूंकि रूलर्स को किसी न किसी तरह कन्सेशन देना चाहती है, फ्यूडल्स हैं, उनसे स्ट्रगल में नहीं पड़ना चाहती हैं. इसलिए इसने रूलर्स को बराबर कन्सेशन दिये हैं। मैं अब भी चाहता हूं, मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में स्पष्ट बताया है कि एक इंच जगह पर भी, एक पैसे की प्रोपर्टी पर भी इस कान्स्टीट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद सरकार ने कब्जा नहीं किया है जब कि जमीन, प्रापर्टी और पैसा सब सरकार का है, लेकिन इसमें रूलर को खुर्द बुर्द करने के लिए इस तरह से अभी भी छूट दी जा रही है। मैं समझता हूं, इस तरीके से जहां एक तरफ आम जनता के हित के रक्षण की बात है, और दूसरी तरफ रूलर की प्रापर्टी की बात है तो आपकी जिम्मेदारी है जनता के हित की रक्षा करने की। लेकिन जनता के हितों की रक्षा न करके रूलर्स से मिल कर लगातार उनको कन्सेशन दिये हैं और मैं आज भी सदन में निवेदन करना चाहता हूं कि यह स्थिति लगातार चलती रही तो इस स्थिति को चलने नहीं दिया जायगा। गवर्नमेंट अपने वायदे को पूरा नहीं करती है, कानून के अन्तर्गत कार्यवाही नहीं करती है। जनता के हितों की रक्षा नहीं करती है तो हम जनता को मोबीलाइज करेंगे और उस मोबीलाइज करने में, मैं यह उम्मीद करता हूं कि कई लोग, कांग्रेस के लोग भी साथ देंगे, वह और हम लोग भी, दूसरे लोग भी, जो भी चाहते हैं कि फ्यूडेलिज्म को खत्म कर दिया जाय, फ्यूडल रेमनन्ट्स को किसी रूप में भी नहीं रहने दिया जाय। सरकार उस तरीके से यदि इन्हें रहने देना चाहती है तो हम इसके खिलाफ जनता को मोबीलाइज करके आन्दोलन चलायेंगे।

मैं, अध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत माननीय मुख्य मंत्री को निवेदन करना चाहता हूं कि गवर्नमेंट अब भी फौरन घोषणा करे कि जो भी रूलर्स के पास किसी तरह की प्रापर्टी है, जब तक गवर्नमेंट के पास भारत सरकार से क्लेरिफिकेशन न आ जाय, तब तक किसी तरह की प्रापर्टी को ट्रान्सफर नहीं करने की घोषणा करे, तब तक कोई प्रापर्टी ट्रान्सफर नहीं की जायगी, कोई भी प्रापर्टी डिस्पोज आफ नहीं की जाय। उस तमाम प्रापर्टी पर गवर्नमेंट कब्जा कर ले और उस प्रापर्टी के सम्बन्ध के जितने भी दस्तावेज हैं उन पर अपना कब्जा कर ले। साथ ही रूलर्स के जो प्रिविलेज आज हैं उनको तुरन्त खत्म करेंगे—इस प्रकार की भी सदन में घोषणा करें।

श्री सुरेन्द्र प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, एक क्वेश्चन मैं भी पूछना चाहता हूं....

श्री रामानन्द अग्रवाल : (मंत्री महोदय से) एक साथ ही जवाब हो जाय।

श्री सुरेन्द्र प्रसाद : मैं निवेदन कर दूं..

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : एक साथ ही जवाब दे दें।

श्री सुरेन्द्र प्रसाद : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, जिस प्रकार का राज्य सरकार द्वारा वक्तव्य दिया गया है, ऐसी प्रापर्टी को इन रूलर्स की प्रापर्टी न मानते हुये, व्यक्तिगत सम्पत्ति मानते हुये उस आधार पर उस प्रापर्टी को ट्रान्सफर करने की इजाजत नह

(श्री सुरेन्द्र प्रसाद)

है, यह प्रापर्टी है, यह ग्राम ग्रादमी की प्रापर्टी की तरह नहीं होती जो कि मेहनत से कमाये हुए पैसे से बनाई जाती है। लेकिन अभी इस प्रापर्टी पर उनका ही कब्जा रहेगा। इसके साथ ही नेशनल ट्रस्ट का सवाल है। जयपुर के महाराजा ने एक नेशनल ट्रस्ट बनाया है, जो सिटी पैलेस में म्यूजियम है उसके लिए उन्होंने एक नेशनल ट्रस्ट बनाया है, वह नेशनल ट्रस्ट की डेफीनेशन में ग्राता है या नहीं इसके लिये जवाब दिया गया कि उसको लीगली गवर्नमेंट एक्जामिन करवा लेगी कि वह नेशनल ट्रस्ट को परिभाषा में ग्राता है या नहीं। ग्रध्यक्ष महोदय, इतने वर्षों के बाद जब कि यह विशेष महत्वपूर्ण केस है, सिटी पैलेस के ग्रन्दर म्यूजियम के लिए जो ट्रस्ट कायम हुग्रा, उसके लिए गवर्नमेंट यह कहे कि ग्रब इसको एग्जामिन करा लिया जायगा तो क्यों ग्रब तक गवर्नमेंट ने इसकी ग्रावश्यकता नहीं समझी कि इसको लीगली एक्जामिन कराया जाय कि यह नेशनल ट्रस्ट की परिभाषा में ग्राता है या नहीं। इसके साथ ही, ग्रध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि कान्स्टीट्यूशन में पच्चीसवें संशोधन के बाद भी राज्य सरकार ने इन प्रापर्टीज को ग्रपने कब्जे में लेने का कोई कदम नहीं उठाया है। दूसरी तरह इन लोगों के जो प्रिविलेजेज है, जो फैसिलिटीज इनको प्रोवाइड की जाती हैं उनका किस प्रकार दुरुपयोग होता है उसे जयपुर में रहते हुए इस ग्राधार पर देखने की मैंने कोशिश की है ग्रौर साधारण नागरिक के हित की रक्षा की दृष्टि से इस समस्या को देखने की ग्रौर इसको हल करने की राज्य सरकार ने कोशिश नहीं की है। एक बात मैं ग्रौर निवेदन करना चाहता हूं, इनके पास में जो प्राचीन कलात्मक वस्तुएं हैं, पुराने चित्र हैं ग्रौर मूर्तियां हैं, पुराने लिबास हैं ग्रौर ग्राभूषण हैं इन्हें चोरी छिपे किसी तरह से ग्रमेरिका भेजा जा रहा है। ग्रगर इसको टाइमली चैक नहीं किया गया तो मैं समझता हूं कि इसके बाद में इस सम्बन्ध में कार्यवाही नहीं कर सकेंगे। मेरा निवेदन है कि राज्य सरकार को इस सम्बन्ध में कार्यवाही करनी चाहिये ग्रौर राजघराने के लोग, जयपुर के राजघराने के लोग इस प्रकार की जो कार्यवाही कर रहे हैं ग्रौर जिसकी पूरी एवीडेंस है, उसके ग्राधार पर उन्हें गिरफ्तार करना चाहिए ग्रौर उन्हें सजा देनी चाहिए। इसको लीगली एग्जामिन करा कर जब तक इनकी प्रापर्टी के ऊपर कब्जा नहीं करेंगे, मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट का सही दिशा में कदम नहीं होगा।

श्री अध्यक्ष : श्री मुख्य मंत्री।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (सूरतगढ़) : ग्रध्यक्ष महोदय, मैं केवल एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, हथियारों के सम्बन्ध में जैसा माननीय मंत्री ने कहा, वह बड़ी ग्रजीब पोजीशन है, ग्रापने ग्रभी तक कोई लिस्ट भी हथियारों की नहीं बनाई है। कान्स्टीट्यूशन में पच्चीसवें ग्रमेंडमेंट के बाद भी ग्रभी तक हथियारों की लिस्ट नहीं बनाई है।

श्रीमती कमला बेनीवाल : मैंने निवेदन किया कि लिस्ट बना ली गई है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : इसके बाद हथियार राजा महाराजा के पास हैं, उनके

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)
लाइसेन्स के लिए उन्होंने आज तक एप्लाई नहीं किया है। आर्म्स एक्ट के तहत ऐसे राजाओं को फौरन अरेस्ट किया जाय।

श्रीमती कमला बेनीवाल : लिस्ट तो बना ली गई है, उनको बेचने का अधिकार नहीं है अब लिस्ट बना ली है और अग्रिम कार्यवाही की जानी है।

श्री योगेन्द्र नाथ हाण्डा : गंगानगर के अन्दर इस वक्त राजा महाराजाओं के एजेन्ट बैठे हुए हैं, आज को तारीख तक भी उनके पास इल्लिगल आर्म्स हैं वह आज भी अपने आर्म्स बेचते हैं, उनकी खुली सेल हो रही है। राजा महाराजा, जयपुर के महाराजा के एजेन्ट गंगानगर में मौजूद हैं, जोधपुर महाराजा के एजेन्ट गंगानगर में मौजूद हैं, और भी कई इल्लिगल आदमी हैं जिनके हथियार हैं, राजा महाराजा के हथियारों की लिस्ट तो तैयार हो जाती है लेकिन ऐसे लोग आर्म्स के लाइसेन्स बनवा लेते हैं।

एक और अर्ज मैं करना चाहता हूं, छोटी सी अर्ज है, इस सम्बन्ध में कोई डिस्प्यूट नहीं है। वह ज्वेलरी का मामला है, ज्वेलरी इन राजा-महाराजाओं के पास है, तो आपको क्या दिक्कत है इस ज्वेलरी को लेने के अन्दर। आज राज्य सरकार के ऊपर ओवर ड्राफ्ट है 900 करोड़ का, कर्जा है 650 करोड़ का, तो यह तीन सौ, चार सौ करोड़ की ज्वेलरी राजस्थान में पड़ी हुई है, जिसको आप इजीली ले सकते हैं, तो फिर इसमें क्या दिक्कत है।

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : अध्यक्ष महोदय, हम राज्य सरकार की इस काम्प्लीसेंसी को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं हैं। उस पक्ष के लोग भी इसको बर्दाश्त करने को तैयार नहीं हैं, और हम भी बर्दाश्त करने को तैयार नहीं इसलिए मैं मुख्य मंत्री जी को कह देना चाहता हूं, इस काम्प्लीसेंसी को अगर आपने दूर नहीं किया तो हम मिल जुलकर एक आंदोलन करेंगे और उनकी प्रापर्टी पर कब्जा करेंगे।

श्री हीरालाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, माननीय राज्य मंत्री ने जयपुर महाराजा द्वारा निर्मित ट्रस्ट के बारे में जिक्र किया। यह राजा महाराजा अपनी प्रापर्टी को बेचने के लिए ट्रस्ट का निर्माण करते जा रहे हैं। भूतपूर्व महाराजा जयपुर ने एक ट्रस्ट बनाया है और उदयपुर महाराजा ने भी ट्रस्ट बनाया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, ट्रस्ट बना कर जो प्रापर्टी और दूसरी चीजों को बेच कर पैसा निकालना चाहते हैं इस मनोवृत्ति को खत्म करना होगा। उसके लिए आपको निश्चित रूप से फैसला करना होगा कि ट्रस्ट बना कर अपनी प्रापर्टी को बेच नहीं सकें। मैं मानता हूं कि लीगली एक्जामिन करा कर इसको तुरन्त रोकना है। अभी उदयपुर के महाराणा ने ट्रस्ट बनाया है, जयपुर के महाराजा ने ट्रस्ट बनाया है, इसलिए इस ट्रस्ट की प्रापर्टी के रूप में उसे न मान कर उनकी प्रापर्टी के रूप में माना जाय और जिस प्रकार आप सीलिंग की बात कर रहे हैं, उनके ऊपर पूरी तरह से इस सीलिंग को लगाया जाय। उनके लिए प्रापर्टी बेचने का कोई रास्ता नहीं छोड़ना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : मुख्य मंत्री।

श्री केदारनाथ : अध्यक्ष महोदय, एक मिनिट में एक प्रश्न मैं पूछना चाहता हूं····

श्री अध्यक्ष : आप फर्मा चुके हैं, अब उत्तर आ जाने दीजिये।

श्री बरकतुल्ला खां (मुख्य मंत्री): इतने सारे क्वेश्चन आ गये हैं, कि उनको याद रखना मुश्किल है।

श्री केदारनाथ : मैं यह जानना चाहता हूं कि लेटर के बाद आप दिल्ली गये हैं तो आपने होम मिनिस्ट्री से और ला मिनिस्ट्री से भी बात की होगी, उनकी क्या राय है?

श्री अध्यक्ष : आप सुनिये कि क्या राय है।

श्री केदारनाथ : दूसरे उनकी पर्सनल प्रापर्टी मान कर फण्डामेंटल राइट से तो कवर नहीं करना चाहते हैं? फारिन कन्ट्री के बारे में जो पूछा उसका भी जवाब नहीं दिया है।

श्री बरकतुल्ला खां : मैं जवाब क्या देता, मुझे मौका नहीं मिला कि मैं खड़ा होऊं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जो आज सदन के सामने चिन्ता माननीय सदस्यों ने प्रदर्शित की है, वह सही है। हम भी जागरूक हैं और कम्युनिस्ट पार्टी के नेता को मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि उन्हें आन्दोलन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अन्दर जो भी हमने किया है, भारत सरकार से लिखा पढ़ी कर रहे हैं क्योंकि हम जानते हैं इससे भारत सरकार और हमारे बीच में तालमेल ठीक रहेगा, और हम आगे जाकर यह कह सकेंगे कि इस तरीके से गवर्नमेंट का जो स्टेण्ड है उसमें इन कन्सिस्टेन्सी कहीं नहीं है। जैसा 29 तारीख को कहा था, वह आज भी कह रहा हूं, हमारी वही स्टेण्ड है, हमने उनकी प्रापर्टी को नहीं माना है। गवर्नमेंट आफ इंडिया को कहा है, आपको होम मिनिस्ट्री, आपकी ला मिनिस्ट्री हमें क्लीअर्ली तरीके से एक्जामिन कर के सलाह दे। क्लीअर्ली एक्जामिन कर के सलाह दे तो फिर कोई शक शुबाह नहीं रहता है।

जहां तक जमीन बेचने का सवाल है। माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत से माननीय सदस्य जानते हैं, मेरे पास लीगल टाइटल है, तो उस लीगल टाइटल को मैं बेच नहीं सकता। Nobody can sell or give a better title than he has.

आज इनकी प्रापर्टी अपनी नहीं हैं और उसको बेचते हैं तो खरीदार वाला जोखिम ले रहा है, वह उस प्रापर्टी पर राइट्स एक्रू नहीं कर सकता। इस तरीके से जो लम्बी होड़ चल रही है कि जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन हो जाय, यह जो रजिस्ट्रेशन की होड़ चल रही हैं उसके सम्बन्ध में मैं निवेदन कर देना चाहता हूं, ज्यादा न कहते हुए कि अर्बन सीलिंग का बिल लायेंगे उस दिन पता लग जायगा कि हम जागरूक थे या सो रहे थे···

श्री मोहन लाल छंगानी : रैट्रोस्पेक्टिव अफेक्ट से।

श्री बरकतुल्ला खां : जो मैं दर्ज कर रहा था वह यह था, हम जानते हैं कि आज

(बरकतुल्ला खां)

के दिन भेदभाव नहीं रहना चाहिए । हम यह भी जानते हैं, एक समय था जब राइट्स और प्रिविलेजेज मिले थे, अब वह सभी खत्म हो गये हैं और वह साधारण नागरिक की तरह हैं। राजा–महाराजाओं से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, माननीय सदस्य भी इस चीज को समझ रहे हैं और मैं भी इस चीज को समझ रहा हूं, नेचरल बात है कि थोड़े बहुत लीगल काम्प्लीकेशन्स अराइज करने की कोशिश की जायगी–उसके लिए भी हम जागरूक हैं। विश्वास दिलाना चाहता हूं आपके द्वारा, माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक राजस्थान गवर्नमेंट का सम्बन्ध है जो भी इसने वायदे किये हैं उनको पूरा करेगी। जिस तरीके से कहा कि प्रिविलेज की बात है वह हटाये जायेंगे तो वह वायदा पूरा किया जायगा । इसी तरीके से ट्रस्ट बनाये हैं, निजी ट्रस्ट बनाये हैं, उसके अन्दर थोड़े काम्प्लीकेशन्स आये हैं । मैं उनके बारे में सदन में नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन हम उस सम्बन्ध में जागरुक हैं और हम अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रहे हैं। जहां तक पुलिस गार्ड का सम्बन्ध था, हमने भारत सरकार को लिखा था, उसके अन्दर क्या कार्यवाही करनी चाहिए। भारत सरकार ने शुरू में राय दी थी कि छः महीने तक पुलिस गार्ड रहनी चाहिए इसलिए रहनी चाहिए कि इनके पास कीमती सामान है और दूसरी चीजें हैं। इसके साथ ही हमने फिर से भारत सरकार को निवेदन किया है, यह सारी चीजें अपनी जगह पर रहते हुए भी इतना लम्बा समय नहीं देना चाहिए और जितना मुनासिब समय हो वह दे दीजिये। उसी वक्त सारे भूतपूर्व नरेशों को चिट्ठी लिखवा दी थी कि आपको अपनी गार्ड का खुद इन्तजाम करना पड़ेगा, राजस्थान सरकार आपको गार्ड नहीं देगी। इसलिए यह समझना कि किसी तरीके से अपना फर्ज अदायगी में लाचारी दिखा रहे हैं–ऐसी बात नहीं है।

श्री सुरेन्द्र प्रसाद : जिनके बारे में लीगल डिस्प्यूट नहीं हैं उनके बारे में आप विदाउट डिस्प्यूट एक्शन ले सकते हैं...

श्री अध्यक्ष : इस मामले को कितनी बार आप उठायेंगे।

श्री सुरेन्द्र प्रसाद : आपने कहा कि टाइटल को ट्रान्सफर नहीं कर सकते, मैं आपको निवेदन कर रहा हूं...

श्री अध्यक्ष : आप दो दफा बोल लिये हैं।

आधे घण्टे की चर्चा।

श्री बरकतुल्ला खां : आप राजा-महाराजा के केस को इस तरह प्लीड कर रहे हैं, यहां पर।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह महत्वपूर्ण सवाल है...

श्री अध्यक्ष : बीच में दो तीन दफा इजाजत दे दी, इस बहस का कहीं तो अंत होगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : हम थोड़ा अधिक समय बैठ सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : बैठ तो सकते हैं लेकिन कितनी देर ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : मुख्य मंत्रीजी ने उत्तर दिया, लेकिन जिन सवालों में लीगल काम्प्लीकेशन्स नहीं हैं, जिन पर भारत सरकार से पूछने का सवाल नहीं है, जैसे इन्स्ट्रक्शन हैं कि गवर्नमेंट सेरीमोनियल पर्पज के लिए कोई ग्रोरनामेंट रूलर को देती है वह रूलर के कब्जे में है, लेकिन स्टेट प्रापर्टी में है तो रूलर के पास ग्रब इसके रहने का कोई कानून नहीं है, न मोरल फोर्स है ऐसी चीजों पर ग्रापने ग्रभी तक कब्जा नहीं किया है। ग्रगर कब्जा किया हो एक भी चीज पर तो ग्राप बता दें। ग्राप कहते हैं कि सरकार जागरूक है, ग्राप कह रहे हैं कि बहुत विजिलेण्ट है तो विजिलेन्स केवल शब्दों से नहीं ग्रांक सकते हैं, मैं दावा करता हूं, ग्रापने सारे स्टेट में एक भी ऐसी प्रापर्टी को, जो इन्वेन्ट्री में स्टेट प्रापर्टी में दर्ज है, जो रूलर को सेरिमोनियल वजह से स्टेट्स के रूप में इस्तेमाल करने के लिऐ दी है उसको कब्जे में नहीं लिया है।

श्री अध्यक्ष : पहले रिप्लाई सुनिये।

श्री रामानन्द ग्रग्रवाल : इसी तरह से जमीन के ट्रान्सफर का सवाल रखा, ग्राप चाहते हैं उसको वोइड कर देंगे, लेकिन इससे जो ट्रान्सफर कर देते हैं उनको मदद करने की बात ज्यादा करेंगे। क्योंकि उनको तो पैसा मिल जायेगा ग्रौर गरीब बेचारा मारा जायगा, या फिर जो गरीब लोग होंगे उनका ग्राप लीगलाईज कर देंगे। मैं इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि गवर्नमेंट का वक्तव्य है वह बहुत ग्रन्सैटिस्फैक्ट्री है, ग्राज छः महीने के बाद भी गवर्नमेंट उसी स्थिति पर चलना चाहती है इसके प्राटेस्ट स्वरूप हम सदन से वाक ग्राउट करते हैं...

श्री बरकतुल्ला खां : जवाब तो सुन लीजिये, फिर वाक ग्राउट कर लीजिये।

श्री रामानन्द ग्रग्रवाल : कहिये, कहिये।

श्री बरकतुल्ला खां : ग्रध्यक्ष महोदय...

श्री रामानन्द ग्रग्रवाल : सुनने के लिए ही ग्राये हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : कोई मजबूत चीज सुनने को ग्राये हैं।

श्री बरकतुल्ला खां : माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, जहां तक राजाग्रों की ज्वेलरी का सम्बन्ध है, भारत सरकार से बातचीत चल रही है। मैं दो दफा जाकर खुद बात करके ग्राया हूं मैंने उनसे कहा है, जल्दी से जल्दी कीजिये। न तो हम ऐसी सिचुएशन क्रियेट करना चाहते हैं कि ज्वेलरी खत्म हो जाय, न ऐसी सिचुएशन क्रियेट करना चाहते हैं जिससे लगे कि हम कुछ एक्सटेंशन करना चाहते हैं। हम क्लोग्रर्ली चाहते हैं, भारत सरकार इन्स्ट्रक्शन दे क्लीग्रर तरीके से बताये कि ज्वेलरी इनके पास से कब ले सकते हैं, किन सरकमस्टान्सेज में ले सकते हैं ग्रौर स्टेट की प्रापर्टी क्या है।

एक दूसरी बात जिस पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया गया है, वह यह थी, हम प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं, प्रोटेक्ट नहीं करना

(श्री वरकतुल्ला खां)

चाहते हैं। भारत सरकार से कान्सटैन्ट टच में रहना जरूर चाहते हैं। भारत में पूरी पालिसी निर्धारित हुई है, उसके कुछ इम्प्लोकेशन हुए हैं उन इम्प्लीकेशन्स को वरावर फोलो अप करना चाहते हैं।

जहां तक ज्वेलरी का ताल्लुक है, मैं समझता हूं कि अभी तक जहां तक मेरी जानकारी है, किसी प्रदेश के अन्दर, यहां तक कि जहां पर कम्युनिस्ट पार्टी की भी गवर्नमेंट है, जैसे केरल के अन्दर है उन्होंने यूनीलेटरल डिसीजन नहीं लिया। लिया है, ऐसी मेरी इन्फार्मेशन नहीं है। मैं कह रहा था, मैं किसी एक्सक्यूज को नहीं लेना चाहता, मैं कहना चाहता हूं, सब लोग यूनीफार्मिटी के साथ में एक्शन करना चाहते हैं और उसको कर रहे हैं इस तरीके से। आज जो यह बात कही गई कि गरीब को नुकसान पहुंचेगा अगर उसने जमीन खरीद ली है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य से पूछना चाहता हूं कि कौन कौन से जमीन किस किस ने खरीदी है और उनमें कौन गरीब हैं···

श्री रामानन्द अग्रवाल : सात सात हजार के प्लाट मामूली और मिडिल मेन ने खरीदे हैं, आप कहें कि पर्चेज गलत है तो राजा को तो पैसा मिल गया लेकिन गरीब मारा गया।

श्री बरकतुल्ला खां : सात हजार के प्लाट जिन्हें दिये गये ज्यादातर उन लोगों को दिये गये जिन पर नवाजिश और महरबानी की जा रही है।

कई माननीय सदस्य : नहीं नहीं, यह कैसे कह रहे हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : बिना किसी इन्क्वायरी के किये फ्लोर आफ द हाउस पर यह बात कह दें, यह मुनासिब नहीं है। मुख्य मंत्री जी जो पर्चेजेज हैं उनमें उनको गलती होगी, मेलाफाइडी भी होगी, लेकिन यह उचित नहीं है कि आप सब के लिए कह दें कि मेलाफाइडो पर्चेजेज हैं। यह दुरुस्त नहीं है।

श्री रोशन लाल शर्मा : गरीब भी खरीद रहे हैं।

श्री श्रीराम गोटेवाला : जयपुर में, जोधपुर में मिडिलमेन को दिये गये हैं, यहीं अंत नहीं है, उनका रजिस्ट्रेशन भी हुआ है और ब्लेक में बेचे जा रहे हैं। आपका आदेश है लेकिन जिलाधीश ने सब-रजिस्ट्रार को बुला कर डांटा है और उन्होंने कहा है कि तुम्हें क्या अधिकार है कि किसी रजिस्ट्रेशन को रोकने की कार्यवाही कर रहे हैं··

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : इसी सदन के माननीय सदस्य महारावल ने डूंगरपुर मंदिर की कुछ मूर्तियां बेच दीं, मंदिर के घंटे बेच दिए, चांदी व सोने के वर्तन बेच दिए, आप कोई कार्यवाही नहीं करना चाहते। यह तो वह बात है कि पंचायत का हुक्म सर माथे पर, परनाला वहां का वहां वहेगा।

श्री बरकतुल्ला खां : परनाला वहां का वहां नहीं है। सिविलाइज्ड गवर्नमेंट सिविलाइज्ड तरीके से काम करेगी, कान्स्टी-

(श्री बरकतुल्ला खां)
ट्यूशनल गवर्नमेंट कान्सटीट्यूशनल तरीके से काम करेगी। हम भारत सरकार से कान्सटेन्ट टच में नहीं सोच विचार कर रहे हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : तब तक सारी प्रापर्टी ठिकाने लग जाएगी। मूर्तियां बिक गई, ज्वैलरी बिक गई, प्लाट्स बिक जायं तब कार्यवाही करेंगे। फिर कार्यवाही का अर्थ क्या होगा ?

श्री बरकतुल्ला खां : माननीय सदस्य को समझना चाहिए कि जब लोग टाइटल को नहीं देखते, जमीन के मालिक के हक को नहीं देखते, अर्बन सीलिंग के लिए कहते हैं जिसको राइट नहीं था उसने बेचा तो खरीदने वाला भुगतेगा। खरीददार को इतना तो सोच विचार होना चाहिए था, बड़े बड़े सेठ सोच विचार नहीं करते हैं, बड़ी बड़ी प्रापर्टीज दूसरे लोगों से ले रहे हैं उन लोगों के लिए आप कहते हैं गरीब हैं उन्होंने रॉग परचेजेज की हैं तो उनको खोलनी चाहिए थीं, बेचने वाले को लीगल राइट्स होने चाहिए थे, लीगल राइट को देखे बगैर खरीदा है तो उसके नतीजों को वह सफर करेगा।

श्री रामानंद अग्रवाल : मेरी बात का जवाब नहीं दिया।

श्री अध्यक्ष : नो प्लीज।

श्री रामानंद अग्रवाल : जो प्रापर्टीज हैं उनको भी आपने नहीं लिया.....

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

(कई माननीय सदस्य साथ साथ बोलने लगे)।

श्री बरकतुल्ला खां : उस पर सोच विचार हो चुका है। डिस्कशन्स हो चुके हैं। ला डिपार्टमेंट से व और तरीके से भी डिस्कस हो चुका है।

श्री अध्यक्ष : (श्री रामानंद अग्रवाल के बोलने पर): कई बार जवाब आ चुका है।

श्री रामानंद अग्रवाल : मैं तमाम ज्वेलरी के लिए नहीं कह रहा हूं। मैंने तो केवल कहा जैसे अलवर के महाराजा ने आरनामेन्टल ज्वैलरी रूलर के नाते सैरीमनीज पर इस्तेमाल करने के लिए मैनेजमेन्ट ने दी है, यह स्टेट प्रापर्टी है। क्या ऐसी प्रापर्टी के लिए भी आपको भारत सरकार से इजाजत लेनी पड़ेगी ? इसमें कोई लीगल काम्पलीकेशन्स नहीं हैं। इस प्रकार कितने रूलर्स के पास कितनी मूवेबल और इमूवेबल प्रापर्टी है ? ऐसी प्रापर्टी को भी कब्जे में नहीं लिया तो आप विजीलेन्ट कैसे हैं। कैसे मानें कि आप सिन्सीयरली काम कर रहे हैं, आपको क्या दिक्कत थी ?

एक माननीय सदस्य : मुख्य मंत्री के चेम्बर में मिलना।

श्री बरकतुल्ला खां : चेम्बर में मिलने का विरोधी दलों को भी शौक है।

श्री गुमानमल लोढा : सारे मामले पर व्हाइट पेपर प्रकाशित करने का कष्ट करेंगे ?

श्री श्रीराम गोटेवाला : आपका व्हाइट पेपर हो चुका है।

श्री अध्यक्ष : श्री गोरधनसिंह।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आपका कलर ही व्हाइट हो रहा है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मुख्यमंत्री उत्तर दे रहे हैं, वह देना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष : नहीं देना चाहते। श्री गोरधनसिंह।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैंने जो प्रश्न उठाए थे उनका सरकार की तरफ से कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला है इसलिए मैं बड़े खेद के साथ अपने साथियों सहित एज ए प्रोटेस्ट वाकआउट करता हूं।

(साम्यवादी दल के माननीय सदस्यों द्वारा वहिगमन)।

श्री बरकतुल्ला खां : जहां तक प्रिविलेजिज का ताल्लुक है, इनके वाकआउट करने से फर्क नहीं पड़ता है। हमने भारत सरकार से बातचीत की है और उनके आदेश आने पर जो स्टेट प्रापर्टीज हैं या जो सेरीमोनियल्स के लिए कही गई हैं जैसे ही आदेश आयेंगे, उन पर उस तरीके से मुनासिब कार्यवाही करेंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री गोरधनसिंह।

आधे घण्टे की चर्चा
सीकर होल सेल सहकारी उपभोक्ता भंडार सम्बन्धी प्रश्न-उत्तर पर

श्री गोरधनसिंह (सीकर) : अध्यक्ष महोदय, आज देश के अन्दर समाजवाद और सहकारिता का नारा लग रहा है लेकिन यदि सहकारिता के अन्दर अनियमिततायें बढ़ती हैं तो क्या वह सफल हो जाएंगी ? यदि सफल नहीं होती हैं तो जिम्मेदारी किसकी है ? मैंने सीकर होलसेल सहकारी उपभोक्ता भण्डार, सीकर के बारे में प्रश्न रखा था उसका उत्तर संतोषजनक न होने के कारण मैं यह निवेदन कर रहा हूं।

उपभोक्ता भण्डार का चुनाव पहले जून, 1968 में हुआ नियमानुसार दो साल के पश्चात् चुनाव हो जाना चाहिए था। मगर वे चुनाव नहीं कराए गए। चुनाव जो किये गये उसमें पहले वाले डाइरेक्टरों को कायम किया गया और उन्होंने मिलकर···

श्री गुमानमल लोढा : ट्रेजरी बेंचिज वाले सब वाकआउट कर रहे हैं ?

श्री गोरधनसिंह : सरकार ने उत्तर में कहा है कि चुनाव 1970 में कराया गया वह अवैधानिक था, यह जानकारी नहीं दी। यह गबन का सवाल है। कुछ दिन पहले सदन में करोड़ों रुपये के गबन के मामलों की चर्चा चली थी। उसको सफाई के साथ साफ किया गया। यह गबन 50 हजार का था। मैं आशा करता हूं कि इस सम्बन्ध में जरूर कोई उचित निर्णय लिया जाएगा। उपभोक्ता भण्डार का आडिट नहीं हुआ। 4 साल का समय समाप्त हो रहा है, आडिट क्यों नहीं किया गया, किसकी जिम्मेदारी है ? जहां तक बजट का सवाल है, यह 1972–73 वर्ष चल रहा है लेकिन दुःख की बात है कि उपभोक्ता भण्डार का बजट सन् 1971-72

(श्री गोरधनसिंह)

का भी अभी तक पास नहीं हुआ। दिनांक 24-4-72 को बैठक बुलाई गई लेकिन बजट पास नहीं हुआ। इस तरीके से अनियमिततायें बढ़ती जा रही हैं। बजट पास हो जाना चाहिए था। 1971-72 का बजट पास हुए बगैर राशि का भुगतान हुआ, यह खेद की बात है। सरकार ने उत्तर में कहा है कि 17 विक्रेताओं ने गबन किया है। क्या यह एक साथ हुआ या आहिस्ते आहिस्ते किया है ? अध्यक्ष को पूरी जानकारी है। गबन और चोरी होती है लेकिन उसकी उपेक्षा रहती है क्योंकि उस समय रामदेवसिंहजी उपमंत्री थे और उसके छोटे भाई अध्यक्ष होने के नाते प्रेमपूर्वक इस मसले को हल किया गया और गबन के मामलों को दबाया गया और पैसे का दुरुपयोग हुआ। गरीब जनता का पैसा है जो ठेला व तांगा चलाते हैं वे इसके सदस्य हैं, उसका दुरुपयोग हुआ है।

श्री नारायणसिंह मसूदा (सहकारिता मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, अभी सीकर उपयोक्ता भण्डार की आधे घण्टे की चर्चा उठाई गई जो जवाब आया उससे असंतुष्ट होकर। जहां तक सहकारिता विभाग का प्रश्न है, कई अनियमिततायें हुई हैं मैं स्वीकार करता हूं। जहां उपभोक्ता भण्डार और कन्ज्यूमर्स कोआपरेटिव सोसाइटीज का संबंध है, उनकी अनियमितताओं, ढिलाइयों को ठीक करने का प्रयत्न किया जा रहा है। मैं इसमें पूरी तरह से जागरूक हूं।

जहां तक सीकर उपभोक्ता भंडार का प्रश्न है पहला चुनाव 1968 में हुआ दो साल के लिए और उसके बाद जो चुनाव के नियम अमेंड हुए कान्सटीट्यूएन्सी वही की वही रही और चुनाव हुए उसके अन्दर 1970 में। चुनाव नहीं हुआ ऐसी बात नहीं है। सन् 1970 में चुनाव हुए और बाकायदा उसका नोटिस दिया जाकर हुए। चुनाव अधिकारी ने 20-4-70 को सूचना प्रसारित की, उसने चुनाव कार्यक्रम निर्धारित किया जिसके अनुसार 28-4 को मनोनयन पत्र प्रस्तुत करने थे, 29-4 को जांच की जानी थी, 30-4 को नाम वापस लेने की तिथि थी, चुनाव की तिथि 2-5 थी और चुनाव के नियम 32 (2) के अनुसार 7 दिन का नोटिस पर्याप्त था। इस प्रकार से उस आम सभा में कुल 60 प्रतिनिधियों में से 21 उपस्थित थे। यह जरूर था, परन्तु वह कोरम पूरा फार्म करते थे। एक तिहाई कोरम होता है इसलिए उस चुनाव की अवैधता का प्रश्न नहीं उठता।

अध्यक्ष महोदय, अगर कोई यदि अवैधता का प्रश्न उठाता तो वह सेक्शन 75 के तहत उठा सकता था पर किसी ने नहीं उठाया दूसरे जहां तक उस बोर्ड को भंग करने का सवाल है अध्यक्ष महोदय, चूंकि नये लोगों के चुनाव होने वाले ही हैं इसलिये उस बोर्ड को भंग करने का मैंने वाजिब नहीं समझा। दूसरे वहां पर रिप्रेजेन्टेटिव के चुनाव के वक्त में मैं वहां के अध्यक्ष की प्रजेन्स में चुनाव नहीं कराऊंगा और यहां से किसी को भेजूंगा। किसी एसिस्टेन्ट रजिस्ट्रार को भेजूंगा। इसके अलावा जो मीटिंग बुलाने के बारे में जो बात कही गई है उसके बारे में मैं निवेदन करदूं कि वहां पर मीटिंग्ज उस कोपरेटिव सोसाइटीज के बोर्ड की हुई हैं। जैसे

Page No.72

(श्री नारायणसिंह मसूदा)
सन् 70–71 में 5 बार मिटिंग हुई और 71–72 में चार बार मीटिंग हुई थी । इसके अलावा यहां पर यह प्रश्न किया गया कि आडिट उस सोसाईटीज का नहीं हुआ है । मैं आपकी जानकारी के लिये निवेदन करदूं कि सन् 66–67, का 67–68 का 68–69 और 70–71 के आडिट हो चुके हैं । और उस आडिट रिपोर्ट में जो बातें बताई गई हैं गबन–वगैरह के बारे में उसके जवाब में मैं आपको बतादूं कि मैं मानता हूं कि उस कोआपरेटिव सोसाइटीज में अनियमिततायें हुई हैं । वहां पर गबन भी हुआ है पर इसका मतलब यह नहीं कि जो पहले अध्यक्ष था उसी ने ही वह गबन किया या यह जरूरी नहीं कि श्री रामेश्वर के जमाने में ही गबन हुआ हो यह गबन तो पहले से चला आ रहा था । मैं मानता हूं कि गबन हुआ है पर मैं आपको आश्वासन दे दूं कि दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही जरूर होगी । दूसरे वहां का अध्यक्ष जो है उसकी तो सुपरवाईजरी ड्यूटी है दूसरे वो तो ओनेरेरी होता है ।

श्री भानुकुमार शास्त्री : इसका मतलब यह हुआ कि अगर गबन पहले से चला आ रहा है उसे आप ठीक समझते हैं ।

श्री नारायण सिंह मसूदा : मैंने कभी नहीं कहा वह ठीक है । मैं तो कह रहा हूं कि जिन जिन लोगों के खिलाफ आडिट रिपोर्ट में हवाला आया है उनके खिलाफ जांच की जायेगी और वैसे पुलिस में केस भी दिया हुआ है । मैं किसी को प्रोटेक्ट नहीं करना चाहता । मैं तो यह कह रहा था कि यह अध्यक्ष की वेपरवाही की वजह से हुआ । जो पहले अध्यक्ष था उसकी बेपरवाही की वजह से हुआ । दूसरे सन् 69–70 की आडिट रिपोर्ट आ चुकी है और उसमें जरूरी कार्यवाही करने के आदेश हो चुके हैं । 70–71 की आडिट रिपोर्ट तो आ गई है पर उस पर कार्यवाही नहीं हो सकी इसका कारण यह है कि वहां का रिकार्ड गायब हो गया है । इस रेकार्ड के गायब होने की पुलिस में रिपोर्ट दर्ज की जा चुकी है । अब रहा सवाल डिविडेन्ड का तो मैं आपको निवेदन करदूं कि सन् 65–66, 66–67 में इस भण्डार को करीब 44,264 रुपये का लाभ हुआ पर उसके बाद में इस भंडार को लोसेज हो गये । और वह लोसेज 82,923 रुपये के हुए । तो जो भी फायदा था वह खतम हो गया । इसलिए मेम्बर्स को डिविडेन्ड देने का प्रश्न ही नहीं उठता । यह तो एक कन्ज्यूमर्स कोआपरेटिव सोसाइटी थी कार्मशियल बेसिस पर चलती थी उसमें लोस हो गया । इसके आगे मीटिंग बुलाने के बारे में भी कहा गया था मैं आपको निवेदन करदूं कि बोर्ड की मीटिंग बुलाई गयी है । एक मीटिंग तो 24-4-72 को बुलायी, दूसरी मीटिंग 28–4–72 को बुलायी पहली दो मीटिंग्स तो कोरम नहीं होने की वजह से नहीं हो सकी और आखिरी मीटिंग 6–5–72 को बुलाई गयी पर उस मीटिंग में झगड़ा होने की वजह से बोर्ड के सदस्यों ने वाक आउट कर दिया था । इसलिये कार्यवाही नहीं हो सकी पर मैं पहले निवेदन कर चुका हूं कि इस भण्डार में गबन हुआ है, अनियमिततायें हुई हैं, उसके लिए राज्य सरकार जागरूक है और मैं खुद व्यक्तिगत इन्टरेस्ट ले रहा हूं और चाहता हूं कि दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही को

(श्री नारायणसिंह मसूदा)

जाये। दूसरे यहां पर यह कहा गया कि चुनाव नहीं कराये जा रहे हैं और उस अध्यक्ष को नहीं हटाया जा रहा है तो इसके बारे में मैं आपको साफ साफ बता दूं कि चूंकि बोर्ड के अध्यक्ष का चुनाव होने ही वाला है तारीख 16–5–72 को इसलिये कुछ थोड़े से दिनों के लिए ऐसा करना मैंने उपयुक्त नहीं समझा। अगर थोड़े दिन ही अध्यक्ष के चुनाव में नहीं घटते तो मैं खुद ही वहां पर उस बोर्ड को भंग करके एड-मिनिस्ट्रेटर नियुक्त करने वाला था दूसरी जगह जहां पर अभी अध्यक्ष के चुनाव नहीं होने जा रहे हैं वहां पर मैं एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त करने की व्यवस्था कर रहा हूं और जो बोर्ड हैं इन्हें भंग करा दूंगा और एड-मिनिस्ट्रेटर नियुक्त कर दूंगा। चाहे इसके लिए मुझे इस मामले को केबिनेट तक ही क्यों नहीं ले जाना पड़े। मैं खुद इस मामले में काफी जागरूक हूं। इस प्रकार के जो भण्डार हैं जो कि कन्ज्यूमर्स गुड्स वगैरह से डील करते हैं और उसमें इस प्रकार की गड़बड़ हो, मैं इसे बहुत ही खराब मानता हूं। मैं खुद ऐसी स्थिति को खेदजनक समझता हूं आज हमारे यहां कोआपरेटिव मूवमेन्ट चल रहा है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें हमें काफी सावधानी से काम करना चाहिये एक बार मैं फिर माननीय सदस्यों को बता देना चाहता हूं कि जो ध्यान आकर्षण प्रस्ताव दिया गया गया है उसके बारे में मैं इतना ही कह देना चाहता हूं कि दोषी व्यक्तियों के खिलाफ जरूर कार्यवाही होगी।

श्री अध्यक्ष : मांगों का उपस्थापन।

श्री गोरधनसिंह : अध्यक्ष महोदय, जो मन्त्री महोदय ने जवाब दिया और उसमें यह माना है कि गबन हुआ है तो मैं पूछना चाहता हूं कि किसको दण्डित किया गया।

श्री झाबरमल : अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि पहले कौन अध्यक्ष था इस भण्डार का ?

श्री भानुकुमार शास्त्री: अध्यक्ष महोदय, जब मन्त्री महोदय मानते हैं कि गबन हुआ है और आडिट रिपोर्ट में उनके नाम दिये हुये हैं जिनकी वजह से यह गबन हुआ। और बाद में भी जिसके वक्त यह गबन हुआ है वह अभी तक अध्यक्ष बना हुआ है तो फिर राज्य सरकार ने तुरन्त ही उसे हटा कर एडमिनिस्ट्रेटर की नियुक्ति उस भण्डार में क्यों नहीं की ? वहां पर जनता का रुपया है जिसका दुरुपयोग किया गया है।

श्री नारायण सिंह मसूदा : मैंने पहले ही निवेदन कर दिया था चूंकि जल्दी ही चुनाव होने वाले थे इसलिए एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त करना ठीक नहीं समझा। नये चुनाव होने के नोटिसेज भी इश्यू हो गये हैं।

श्री झाबरमल : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आया। मैं पूछ रहा हूं कि सबसे पहले अध्यक्ष कौन था।

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय ने जवाब दे दिया है कृपया स्थान ग्रहण करें। अनु-दानों की मांगों पर विचार।

(कुछ सदस्यों के एक साथ उठकर बोलने पर)

श्री अध्यक्ष : अब इस पर कोई डिस्क-शन नहीं होगा। नो डिस्कशन।

श्री सावरमल मोर : अध्यक्ष महोदय, मैं भी उस सोसाइटी का अध्यक्ष था, मैं पूछना चाहता हूं कि मेरे पहले अध्यक्ष

(श्री सावरमल मोर)

कौन था। गबन उसके वक्त में हुआ था पर राज्य सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की। मैं आपको बतादूं कि अध्यक्ष था रामदेवसिंह।

श्री झावरमल सूंडा : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने जो जवाब दिया है उससे मैं सन्तुष्ट नहीं हूं मैं भी कुछ निवेदन करना चाहता हूं इसके बारे में। इस भण्डार का पहले अध्यक्ष रामदेवसिंह थे और उन्हीं के जमाने में गबन हुआ था और उसी वक्त से यह गबन चला आ रहा था।

श्री अध्यक्ष : मैंने आपसे बता दिया कि ध्यान आकर्षण प्रस्ताव का समय खतम हो गया है। अनुदानों की मांगों पर विचार होगा। गृह मन्त्री जी।

अनुदानों की मांगों का प्रस्तुतिकरण

मांग संख्या 23 पुलिस, 22 कारागार एवं 21 न्याय प्रशासन

श्री बरकतुल्ला खां : (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस के संबंध में 31 मार्च, 1973 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 13,37,11,000 रुपये तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाये।

श्री अध्यक्ष : मांग प्रस्तुत हुई।

कारागार।

श्री रामचन्द्र चौधरी (कारागार मंत्री): मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 11 मुख्य शीर्षक 22 कारागार के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1973 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 80,29,000 रुपये तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदित राशि भी शामिल है, प्रदत्त की जावे।

(विराम)

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 10 मुख्य शीर्षक 21 न्याय प्रशासन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1973 में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1,18,01,000 तक की राशि प्रदान की जाय जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदित राशि भी शामिल है, प्रदत्त की जावे।

श्री अध्यक्ष : मांग प्रस्तुत हुई।

मांग संख्या 12, 11 व 10 पर प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या 12

1. **श्री मनोहर कोठारी** (नाथद्वारा) : मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23—पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस प्रशासन को चुस्त व लाभकारी बनाने हेतु चर्चा के लिये)।

2. **श्री रामप्रसाद बोहरा** (झालरापाटन) : मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23—पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला झालावाड़ में चोरी व डकैतियों के बरामद न होने व पुलिस की उदासीनता पर चर्चा के लिये)।

3. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23—पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला झालावाड़ में थानेदारों के तबादले बार बार करके कैन्सिल कर दिये जाने पर चर्चा के लिये)।

Page No.75

(श्री रामप्रसाद बोहरा)

4. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला झालावाड़ में पुलिस विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण होने वाली अनियमितताओं पर चर्चा के लिये)।

5. **श्री गिरधारीलाल भार्गव** (हवामहल, जयपुर) : मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस विभाग द्वारा चोरी व हत्याओं में कमी कराने हेतु आधुनिक तरीके अपनाने पर चर्चा के लिये)।

6. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 11

7. मांग संख्या 11, मुख्य शीर्षक 22–कारागार के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जेल रिफार्म्स कमीशन 1964-65 की रिपोर्ट के सुझावों को कार्यान्वित करने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 10

8. मांग संख्या 10 मुख्य शीर्षक 21–न्याय प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जयपुर में सस्ता न्याय उपलब्ध कराने के लिये हाईकोर्ट बैंच स्थापित करने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 12

9. **श्रीमती भगवती देवी** (भिनाय) : मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये)।

10. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस विभाग में नियुक्तियों में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों का पूरा कोटा न करने पर चर्चा करने हेतु)।

11. **श्री नाथूराम** (बागीडोरा) : मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस के व्यवहार में सुधार लाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

मांग सं. 11

12. मांग संख्या 11, मुख्य शीर्षक 22–कारागार के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बांसवाड़ा के कारागृह में उद्योग प्रशिक्षण के विस्तार कराने पर चर्चा के लिये)।

मांग सं. 10

13 मांग संख्या 10, मुख्य शीर्षक 21–न्याय प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (आदिवासी क्षेत्र में सस्ते न्याय की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

मांग सं. 12

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचौर)

14. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला जालौर में चीतलवाना में नया पुलिस थाना बनाने

Page No.76

(श्री रघुनाथ विश्नोई)
एवं खेजड़ियाली पुलिस चौकी की स्थापना पर चर्चा के लिये) ।

15. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23—पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस विभाग में एवं विशेषकर पुलिस थानों में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये) ।

16. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23—पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस प्रशासन के पुराने तरीकों के दृष्टिकोण में परिवर्तन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये) ।

17. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23—पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रु. कम कर दिया जाय (पुलिस प्रशासन के मौजूदा ढांचे में परिवर्तन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये) ।

18. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23—पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रु. कम कर दिया जाय (पुलिस विभाग की प्रोसीक्यूशन ब्रांच की अनुभवहीनता एवं संगीन जुर्मों की तफतीश में पुलिस की असफलता पर चर्चा के लिये) ।

मांग सं. 10

19. मांग संख्या 10, मुख्य शीर्षक 21—न्याय प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (न्याय प्रशासन को कार्य प्रशासन से सम्पूर्णतया अलग करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये) ।

20 मांग संख्या 10, मुख्य शीर्षक 21—न्याय प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (न्याय प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार की शिकायतों को दूर करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये) ।

21. मांग संख्या 10, मुख्य शीर्षक 21—न्याय प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (न्याय प्रणाली सस्ती करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये) ।

मांग सं. 12

22. श्री राजेन्द्र सिंह (उनियारा): मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23—पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य में डिप्टी एस. पी. व डी. आई. जी. पदों को समाप्त करने पर चर्चा के लिये)।

23. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23—पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रु. कम कर दिया जाय (राज्य में दिनों दिन अव्यवस्था बढ़ती जा रही है और विभाग द्वारा नियंत्रण नहीं रख पाने पर चर्चा के लिये) ।

मांग सं. 10

24. मांग संख्या 10, मुख्य शीर्षक 21—न्याय प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सुलभ व सस्ता न्याय उपलब्ध कराने हेतु हाई कोर्ट की बेंच जयपुर में स्थापित कराई जाने पर चर्चा के लिये) ।

मांग सं. 12

25. श्री मोहनराज (बाली) : मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत

(श्री मोहनराज)

पुलिस को अपराध-अन्वेषण व अपराधियों से निपटने के आधुनिक व वैज्ञानिक तरीकों का प्रशिक्षण देने व पुलिस थानों में तत्परता से काम करने हेतु अधिक साधन देने के प्रश्न पर चर्चा हेतु)।

मांग सं. 10

26. मांग संख्या 10, मुख्य शीर्षक 21—न्याय प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय बाली (जिला पाली) में अतिरिक्त सिविल जज की कोर्ट की स्थापना की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

मांग सं. 12

27. **श्री भानुकुमार शास्त्री** (उदयपुर) : मांग संख्या 12 मुख्य शीर्षक 23—पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (प्रशासनिक कार्यों में आवश्यकता से अधिक व्यय पर चर्चा के लिये)।

28. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23—पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रु. कम कर दिया जाय (पुलिस के वित्त विभाग में हो रही अनियमितताओं पर चर्चा के लिये)।

29. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23—पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रु. कम कर दिया जाय (राजस्थान सशस्त्र सिपाही दल के अन्दर अनियमितताओं पर चर्चा के लिये)।

30. **श्री निरंजननाथ आचार्य** (मावली): मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23—पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस प्रशासन में सुधार करने हेतु चर्चा के लिये)।

मांग सं. 10

31. मांग संख्या 10, मुख्य शीर्षक 21—न्याय प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (न्याय प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के के लिये)।

मांग सं. 12

32. **श्री वृद्धिचन्द जैन** (बाड़मेर) : मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23—पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य में पुलिस व्यवस्था उचित नहीं है, इस पर चर्चा के लिये)।

33. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये)।

34. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23—पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस विभाग की पैरोकारी शाखा को ज्युडिशियरी के आधीन करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

35. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23—पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाड़मेर जिले में पुलिस चौकियां अपर्याप्त हैं अतः उनके बढ़ाये जाने पर चर्चा के लिये)।

36. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23—पुलिस के अन्तर्गत मांग मे से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाड़मेर जिले में चौहटन तहसील के मुख्यावास चौहटन

Page No.78

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

ग्राम में डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट के पद के सृजन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

37. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23—पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक जिले में भ्रष्टाचार निरोधक विभाग के डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट का पद सृजित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 10

38. मांग संख्या 10, मुख्य शीर्षक 21—न्याय प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य सरकार द्वारा सस्ता और सुलभ न्याय न दिलाने के कारण जनता में व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये)।

39. मांग संख्या 10, मुख्य शीर्षक 21—न्याय प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कार्यपालिका को न्यायपालिका से शत प्रतिशत अलग किये जाने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 12

40. **श्रीमती नगेन्द्र बाला** (दीगोद): मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23—पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कोटा जिले के गुमानपुरा थाने में तथा अन्य स्थानों पर पुलिस कर्मचारियों की उदारता के विषय में चर्चा के लिये)।

41. **श्री मोहम्मद गफ्फारअली** (जौहरी बाजार, जयपुर): मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23—पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस की वर्तमान कार्य-प्रणाली पर चर्चा के लिये)।

मांग सं. 11

42. मांग संख्या 11, मुख्य शीर्षक 22-कारागार के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कारागार सुधार कमीशन की रिपोर्ट लागू कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

मांग सं. 10

43. मांग संख्या 10, मुख्य शीर्षक 21-न्याय प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (उच्च न्यायालय की बैन्च जयपुर में स्थापित कराने बाबत चर्चा के लिये)।

44. मांग संख्या 10, मुख्यशीर्षक-21 न्याय प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (महंगा व देर से मिलने वाले न्याय से उत्पन्न जनता की कठिनाइयों पर चर्चा के लिये)।

मांग सं. 12

45. **श्री लूणाराम** (डूंगरगढ़): मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस प्रशासन पर चर्चा के लिये)।

46. **श्री भीमसेन** (लूणकरणसर): मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23—पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बीकानेर तहसील के मूंडसर, रायसर, सुरतसिंहपुरा गांवों को नोखा थाने के कार्यक्षेत्र से हटाकर जन सुविधा की दृष्टि से नापासर थाने को हस्तांतरित न किये जाने पर चर्चा हेतु)।

(श्री भीमसेन)

47. मांग संख्या 12, मुख्यशीर्षक 23-पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बीकानेर जिले के राष्ट्रीय मार्ग पर स्थित लूणकरणसर थाने में टेलीफोन की व्यवस्था न किये जाने पर चर्चा के लिये)।

48. **श्री भगराज चौधरी** (रानीवाड़ा): मांग संख्या 12 मुख्य शीर्षक 23-पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जालोर जिले में कानून एवं व्यवस्था की बिगड़ती हुई स्थिति के सबंध में राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करने हेतु चर्चा के लिये)।

मांग सं. 10

49. मांग संख्या 10, मुख्य शीर्षक 21 न्याय प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य सरकार की न्याय प्रशासन के सम्बन्ध में अपनाई गई मंहगी प्रणाली पर चर्चा के लिये)।

मांग सं. 12

50. **श्री श्रीराम गोटेवाला** (किशनपोल, जयपुर): मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23—पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस विभाग कानून और व्यवस्था कायम करने में असमर्थ रहा है इस पर चर्चा के लिये)।

51. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23 पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जयपुर के चांदपोल बाजार की मुख्य सड़क पर उचित यातायात की ओर यातायात पुलिस का ध्यान आकर्षित करने हेतु चर्चा के लिये)।

52. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये)।

मांग सं. 10

53. मांग संख्या 10, मुख्य शीर्षक 21-न्याय प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जनता को सस्ता न्याय दिलाने हेतु उच्च न्यायालय की बैंच जयपुर में स्थापित करने हेतु चर्चा के लिये)।

मांग सं. 12

54. **श्री रामनारायण चौधरी** (मंडावा): मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 22-पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (झुंझुनू जिले के बिसाऊ कस्बे में वहां पर स्थित पुलिस चौकी वालों ने वहां के एक नागरिक के घर पर जबरन कब्जा करके उससे छीनकर पुलिस चौकी में मिला लेने की कार्यवाही पर चर्चा के लिये)।

मांग सं. 10

55. मांग सं. 10, मुख्य शीर्षक 21—न्याय प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (न्याय प्रशासन को सुदृढ़ एवं व्यवहारिक एवं सामाजिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद देने के हेतु पर चर्चा के लिये)।

56. मांग संख्या 10, मुख्य शीर्षक 21 न्याय प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान के न्याय प्रशासन में गति लाने एवं सुचारु न्याय के लिए सतर्कता आयोग के गठन हेतु चर्चा के लिये)।

Page No.80

मांग सं. 12

57. श्री मोहरसिंह (चूरू) : मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चूरू की लाइन पुलिस व चूरू जिले के थानों में पुलिस सिपाहियों की कमी पर चर्चा के लिए)।

58. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस थानों में स्टेशनरी, आधुनिक यन्त्रों व आधुनिक तरीकों से प्रशिक्षित अधिकारियों की कमी पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 11

59. मांग संख्या 11 मुख्य शीर्षक 22-कारागार के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय। चूरू सब–जेल की अव्यवस्था एवं स्थानाभाव पर चर्चा के लिये)।

मांग सं0 10

60. मांग संख्या 10, मुख्य शीर्षक 21–न्याय प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चूरू में मुंसिफ कोर्ट के लिए मकान की कमी व मुंसिफ के लिए आवास व्यवस्था के अभाव पर चर्चा के लिए)।

61. मांग संख्या 10, मुख्य शीर्षक 21–न्याय प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अतिरिक्त न्यायालय तथा न्यायाधीश के लिए चूरू में कार्यालय व निवास के लिए मकानों के अभाव पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 12

62. श्री केसरीमल (ब्यावर) : मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ब्यावर थाने में बन्द किये जाने वाले बंदियों को 37 पैसा प्रति खुराक के हिसाब से खाना देने के औचित्य पर चर्चा के लिये)।

63. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस व्यवस्था को सुधारने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 11

64. मांग संख्या 11, मुख्य शीर्षक 22-कारागार के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य के कारागारों में व्यवहार और व्यवस्था सुधारने में राज्य सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये)।

65. मांग संख्या 11, मुख्य शीर्षक 22–कारागार के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अजमेर कारागार में राजनैतिक वन्दियों की भोजन व्यवस्था को सुधारने के बाबत चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 12

66. श्री नन्दलाल बैरवा (पाटन) : मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23–पुलिस

(श्री नन्द लाल बैरवा)
के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला बूंदी की तहसील नैनवा के कस्बा करवर में पुलिस स्टेशन कायम किये जाने पर चर्चा के लिये)।

67. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान पुलिस विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 10

68. मांग संख्या 10, मुख्य शीर्षक 21–न्याय प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान के न्यायालयों द्वारा मुकदमों के शीघ्र नहीं निवटाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 12

69. श्री महेन्द्रकुमार (पाडवा): मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला डूंगरपुर में पुलिस विभाग के कर्मचारियों की लूट खसोट से व्याप्त भारी असंतोष पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 10

70. मांग संख्या 10, मुख्य शीर्षक 21-न्याय प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला डूंगरपुर में जनता को सस्ता न्याय न मिलने के कारण व्याप्त भारी असंतोष पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 12

71. श्री सुरेन्द्र प्रसाद व्यास (मालपुरा): मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस विभाग के ढांचे में आवश्यक सुधार व इसे जनपयोगी बनाने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 11

72. मांग संख्या 11, मुख्य शीर्षक 22-कारागार के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कारागार में कैदियों को इस प्रकार का प्रशिक्षण देने पर जिससे कि वहां से छूटने पर सामान्य नागरिक की हैसियत से जीने योग्य बनाने पर चर्चा हेतु)।

मांग संख्या 10

73. मांग संख्या 10, मुख्य शीर्षक 21–न्याय प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (न्याय का प्रोसेस जो इतनी लम्बी है कि उसे प्राय: न्याय नहीं मिल पाता है अत: इसे expeditious बनाने हेतु चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 12

74. श्री भुवनेश चतुर्वेदी (कोटा): मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस प्रशासन में सुधार लाने पर चर्चा के लिये)।

75. श्री जयकिशनलाल (फागी): मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23–पुलिस

(श्री जयकिशन लाल)
के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये)।

76. श्री सांवरमल (श्री माधोपुर) : मांग संख्या 12. मुख्य शीर्षक 23–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं अपराधियों को पकड़ पाने में असमर्थता पर चर्चा के लिये)।

77. श्री शंकरलाल जाट (कपासन) : मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार को रोकने पर चर्चा के लिये)।

78. श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (बानसूर) : मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस विभाग में की जा रही मनमानी एवं व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 10

79. मांग संख्या 10, मुख्य शीर्षक 21–न्याय प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अलवर जिले के बहरोड़ सब डिवीजन में स्थित दो मुंसिफ मजिस्ट्रेट्स की कोर्टस में से एक बानसूर तहसील में तबदील करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 12

80. श्री गुरदयालसिंह संधु (करनपुर) : मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस विभाग द्वारा हथियारों के लाइसेंस सिर्फ सिफारिशी लोगों को देने पर चर्चा के लिये)।

81. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला गंगानगर में लाईसेंस्ड व्यक्तियों को डीलर्स द्वारा कंट्रोल रेट पर हथियार व बारूद न मिलने पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 11

82. मांग संख्या 11, मुख्य शीर्षक 22-कारागार के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला गंगानगर में ज्युडिशियल लोकअप की चिंताजनक अव्यवस्था पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 10

83. मांग संख्या 10, मुख्य शीर्षक 21-न्याय प्रशासन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील पदमपुर में मुंसिफ मजिस्ट्रेट की अदालत की कमी पर चर्चा के लिये)।

84. मांग संख्या 10, मुख्य शीर्षक 21–न्याय प्रशासन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील पदमपुर जिला गंगानगर को जनता को महंगा न्याय मिलता है इस पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 12

85. श्रीमती उषा (बैर): मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23–पुलिस के अन्तर्गत मांग में

(श्रीमती उषा)
से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बैर क्षेत्र, भूतौली ग्राम में हुई डकैती पर चर्चा के लिये)।

86. श्री अजीतसिंह (टोंक) : मांग संख्या 12-मुख्य, शीर्षक 23-पुलिस के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (टोंक में पुलिस द्वारा किये जा रहे अत्याचारों पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 11

87. मांग संख्या 11, मुख्य शीर्षक 22-कारागार के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (टोंक कारागार में बंदियों को खराब भोजन मिलने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 12

88. श्री उम्मेदीलाल (हिन्डौन) : मांग संख्या 12 मुख्या शीर्षक 23-पुलिस के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस द्वारा हिण्डौन क्षेत्र में डकैती एवं चोरी को बरामद न करने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 11

89. मांग संख्या 11, मुख्य शीर्षक 22-कारागार के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (हिण्डौन कारागार में अव्यवस्था पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 12

90. श्री झाबरमल (फतेहपुर) : मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नीम का थाना सब डिविजन में चोरियों की रोकथाम हेतु चर्चा के लिये)।

91. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस स्टेशनों की अकार्यकुशलता पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 10

92. मांग संख्या 10, मुख्य शीर्षक 21-न्याय प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (न्यायालयों में भ्रष्टाचार को रोकने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 12

93. श्री चतुरभुज (टोडारायसिंह): मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (टोडारायसिंह व लम्वहरीसिंह की पुलिस द्वारा किये जाने वाले अत्याचार पर चर्चा के लिये)।

94. श्री भैरूलाल (अकलेरा) : मांग संख्या 12, मुख्या शीर्षक 23-पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस स्टेशन अधिकारी एवं उसके अधिनस्थ कर्मचारियों के कारण अकलेरा-मनोहरथाना क्षेत्र में फैले हुए असंतोष पर चर्चा के लिये)।

95. श्री जनार्दनसिंह गहलोत : (गांधी नगर, जयपुर) : मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जयपुर

(श्री जर्नादनसिंह गहलोत)
शहर में पुलिस द्वारा किये जा रहे दुर्व्यवहार के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 10

96. मांग संख्या 10, मुख्य शीर्षक 21-न्याय प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जनता को सस्ता और सुलभ न्याय मिल सकने के कारणों पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 12

97. **श्री करनसिंह** : मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य पुलिस द्वारा अपनाई गई चोरियां बरामद करने हेतु वर्तमान जांच प्रणाली पर चर्चा के लिए)।

98. **श्री रामसिंह कुडी** (जायल) : मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (आर. ए. सी. का अलग संगठन नहीं रखकर सभी प्रकार की पुलिस सेवाओं का प्रशासनिक संगठन एक ही कर देने बावत चर्चा के लिए)।

99. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (रेंज डी.आई.जी के पद समाप्त करने के बारे में चर्चा के लिए)।

100. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (इन्सपेक्टर्स को सी. ओ. नहीं रखने के बारे में चर्चा के लिए)।

101. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस सेवाओं एवं पुलिस प्रशासन व पुलिस की कार्य-प्रणाली में परिवर्तन करने हेतु चर्चा के लिए)।

102. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (क्षेत्रफल व जन-संख्या के हिसाब से पुलिस थानों का पुनः गठन करके इनका अनुपात बढ़ाने पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 11

103. मांग संख्या 11, मुख्य शीर्षक 22–कारागार के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जेल में बन्द व्यक्तियों को बेकार बैठाये रखने की प्रक्रिया में परिवर्तन करने पर चर्चा के लिए)।

104. मांग संख्या 11, मुख्य शीर्षक 22–कारागार के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जेलों में दी जाने वाली सुविधाओं में आवश्यक सुधार व आवश्यक सामग्री की उपलब्धि कराने पर चर्चा के लिए)।

105. मांग संख्या 11, मुख्य शीर्षक 22–कारागार के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जेलर की पोस्ट का स्तर ऊंचा उठाकर टेक्नीशियनों को जेलर नियुक्त करने पर चर्चा के लिए)।

Page No.85

(श्री रामसिंह कुड़ी)

106. मांग संख्या 11; मुख्य शीर्षक 22-कारागार के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कारागार सलाहकार समितियों के गठन पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 10

107. मांग संख्या 10, मुख्य शीर्षक 21-न्याय प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस सेवाओं में से न्यायपालिका में न्यायाधीश आदि के चयन की प्रक्रिया पर चर्चा के लिये)।

108. मांग संख्या 10, मुख्य शीर्षक 21-न्याय प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सेशन्स कोर्टस में सरकारी व्यक्ति पी. पी. प्रमोट या नियुक्त नहीं होने के बारे में चर्चा के लिये)।

109. मांग संख्या 10, मुख्य शीर्षक 21-न्याय प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (न्यायालयों में मुकदमों के अनुपात से न्यायाधीशों एवं मजिस्ट्रेटों की नियुक्तियां नहीं करने के बारे में चर्चा के लिये)।

110. मांग संख्या 10, मुख्य शीर्षक 21-न्याय प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (आर. जे. एस. के सलेक्शन में एल. एल. बी. पास व्यक्तियों का ही सलेक्शन नहीं करने के औचित्य पर चर्चा के लिये)।

111. मांग संख्या 10, मुख्य शीर्षक 21-न्याय प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नागौर जिले के मुख्यालय पर सत्र न्यायाधीश का न्यायालय स्थापित नहीं होने से उत्पन्न प्रशासनिक कठिनाइयों पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 12

112. **श्रीमती मदनकौर** (पचपदरा): मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गांव बुड़ीवाड़ा और जागसां तहसील पचपदरा को बालोतरा पुलिस स्टेशन के अन्तर्गत नहीं रखा गया इस पर चर्चा के लिये)।

113. **श्री गोपालसिंह** (खण्डेला): मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सीकर जिले में बढ़ती हुई चोरियों के संबंध में तथा चोरी के गांवों में प्युनिटिव पुलिस कायम करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

114. **श्री गोरधनसिंह** (सीकर): मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान में जो थानों के मुख्यालय हैं वे उनके अधिकार क्षेत्र के बीच में नहीं होने से उत्पन्न कठिनाइयों पर चर्चा के लिये)।

115. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सीकर जिले में

(श्री गोरधनसिंह)
लोसल थाणें व उसकी चौकी में सिंहरावट में केवल दो मील का ही अंतर है जिससे चौकी के अन्तर्गत आने वाले ग्रामवासियों की कठिनाइयों पर चर्चा के लिये)।

116. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान पुलिस के थानेदारों, हैडकांस्टेबिल व एल.सी. तथा सिपाहियों की ग्रेड परिवर्तन के संबन्ध में चर्चा के लिये)।

117. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान में प्रत्येक थाने पर जीप की व्यवस्था कराये जाने पर चर्चा के लिये)।

118. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23–पुलिस के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान पुलिस के भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही शीघ्र किये जाने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 11

119. मांग संख्या 11, मुख्य शीर्षक 22–कारागार के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जेलों में कैदियों को और अधिक सुविधा दिये जाने के औचित्य पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 10

120. मांग संख्या 10, मुख्य शीर्षक 21–न्याय प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (न्याय प्रशासन में और अधिक सुधार किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 12

121. **श्री माणकचन्द सोगानी (अजमेर)**: मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (दिनांक 29–4–72 को अविनाशकुमार दुबे व अखिलेश कुमार दुबे अजमेर निवासी की हत्या के संबंध में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 11

122. **श्री भरतलाल (बामनवास)**: मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 22–कारागार के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गंगापुर सिटी सवाई माधोपुर कारागार में हुई व चल रही धांधली व अनियमितता पर चर्चा के लिये)।

123. **श्रीमती निर्मलाकुमारी शक्तावत (चित्तौड़गढ़)**: मांग संख्या 11, मुख्य शीर्षक 22–कारागार के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कारागारों में प्रशासन की कमियों पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 10

124. **श्री यशवन्तसिंह नाहर (बनेड़ा)**: मांग संख्या 10, मुख्य शीर्षक 21–न्याय प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (न्यायपालिका को कार्यपालिका से पूर्णतया पृथक करने पर चर्चा के लिये)।

125 **श्री चेतराम (टोडाभीम)**: मांग संख्या 10, मुख्य शीर्षक 21–न्याय

(श्री चेतराम)
प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जनता को सुलभ एवं सस्ता न्याय नहीं मिल रहा है इस पर चर्चा के लिये)।

126. **श्री मीठालाल** (लालसोट): मांग संख्या 10, मुख्य शीर्षक 21–न्याय प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जयपुर में हाई कोर्ट की बैंच स्थापित करने पर चर्चा के लिये)।

127. **श्री गोकुलचन्द** (कठूमर): मांग संख्या 10, मुख्य शीर्षक 21–न्याय प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्रामीण एवं गरीब लोगों को थोड़े समय में न्याय मिल सके और अनावश्यक परेशानी न हो इस पर चर्चा के लिये)।

128. **श्री जगमोहनसिंह** (छबड़ा): मांग संख्या 10, मुख्य शीर्षक 21–न्याय प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मुंसिफ मजिस्ट्रेट छबड़ा मुख्यालय अटरू का कार्यालय छबड़ा स्थापित किये जाने हेतु चर्चा के लिये)।

129. **श्री किशन मोटवानी** (अजमेर पश्चिम): मांग संख्या 10, मुख्य शीर्षक 21–न्याय प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (हाईकोर्ट बैंच को अजमेर में स्थापित करने के बारे में चर्चा के लिये)।

श्री अध्यक्ष : कटौती प्रस्ताव पर विचार।

व्यक्तिगत स्पष्टीकरण

श्री विश्वम्भर नाथ जोशी (बांदी कुई) का व्यक्तिगत स्पष्टीकरण

श्री विश्वम्भर नाथ जोशी (बांदी कुई): ग्रोन ए पोइन्ट ग्राफ पर्सनल एक्स्प्लेनेशन, सर। बजट के सामान्य वाद विवाद का जबाव देते समय माननीय वित्त मंत्रीजी ने मेरे भाषण के सम्बन्ध में, जो मैंने यहां सदन में 29 अप्रेल को दिया था, उसका जिक्र किया। उन्होंने यह फरमाया कि मैंने यह कहा कि वेस्टर्न और ईस्टर्न राजस्थान के दो हिस्से हो जाने चाहिये। आगे चल कर उन्होंने कहा कि "अलग होना चाहें तो हो जायं हमें ऐतराज नहीं है"।

अध्यक्ष महोदय, भाषणों की प्रतिलिपि, जो रिपोर्टर्स नोट करते हैं, वह जिस माननीय सदस्य ने भाषण दिया उसको भेजी जाती है। मुझे भी मेरे भाषण की प्रतिलिपि सुधार के लिये मेरे पास भेजी गयी। और वही असली प्रतिलिपि मैं अपने साथ लेकर आया हूं। वित्त मंत्रीजो ने जो बातें मेरे लिये एट्रीब्युट की हैं, यदि किसी अलफाज में भी उससे मिलती जुलती बात कही हो तो मेरे भाषण को चैक करके बतायें कि कहां यह बात कही गयी है। मिनिस्टर ग्राफ गवर्नमेंट हाई पर्सनेल हैं। हाउस में हुए सदस्यों के स्टेटमेन्ट को इस प्रकार से एट्रीब्युट न करें जो बात उन्होंने कही ही न हो। मैंने ऐसी कोई बात नहीं कही और न ही इससे मिलती जुलती बात कही और मुझे नहीं मालूम कि माननीय वित्त मंत्रीजी को क्यों इस

(श्री विश्वम्भरनाथ जोशी)

प्रकार का गलत खयाल पैदा हुआ। मुझे अपनी स्थिति का सही स्पष्टीकरण करना था वह मैंने किया और भविष्य के लिये भी मैं निवेदन करूंगा और वित्त मंत्रीजी से आश्वासन चाहूंगा कि इस प्रकार भविष्य में माननीय सदस्यों के स्टेटमेन्ट एट्रीब्युट न करें।

अनुदानों की मांगों पर विचार एवं पारण

श्री अध्यक्ष : श्री भुवनेश चतुर्वेदी।

श्री भुवनेश चतुर्वेदी (कोटा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, पुलिस विभाग की मांग चल रही है, उस पर मैं अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं। पुलिस विभाग एक ऐसा विभाग है जो जनता में शासन के प्रति नफरत फैला सकता है और शासन की तारीफ भी करा सकता है।

(1.34 म.प.)

(श्री रामसिंह यादव, उपाध्यक्ष, पदासीन)

पुलिस विभाग में साइकोलोजिकली परिवर्तन करना चाहिये। सरकार की नीति के अनुसार उनका व्यवहार होना चाहिये। मेरा यह मत है कि पुलिस विभाग में मनोवैज्ञानिक परिवर्तन नहीं हुआ है जो प्रजातन्त्र में होना चाहिये। जो एटीट्यूड पुलिस विभाग का प्रिइण्डिपेण्डेन्ट डेज में, आजादी से पूर्व के दिनों में था, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है और इसी कारण जनता में ऐसे भाव आ गये हैं जो शासन के प्रति नाराजगी प्रकट करते हैं और अविश्वास प्रकट करते हैं। इसलिये मेरा निवेदन है कि पुलिस विभाग में बहुत अधिक परिवर्तन की आवश्यकता है। एस्टेब्लिशमेन्ट, पुलिस कर्मचारियों और अफसरों में मनोवैज्ञानिक तब्दीलियां होनी चाहिये और उसके लिये मेरा यह सुझाव है कि जो पुलिस कर्मचारी अर्से तक काम करते हैं, हाउस में विचार आया, सरकार ने हाउस में विचार प्रकट किया कि 25 साल की सर्विस और 50 वर्ष की उम्र वाले को पेन्शन दी जा सकती है। जो पुलिस कर्मचारी नये रोल में फिट नहीं होते हैं, जो नयी जिम्मेदारियां शासन पर आयी हैं उनको पूरा नहीं करते हैं, उन पर विचार करके उन को रिटायर कर देना चाहिये। इसमें दो लाभ हैं। एम्पलोयमेन्ट का लाभ तो है ही लेकिन जो वास्तव में मजबूर हैं समाज की परिस्थिति के अनुसार नया रोल अदा करने में मजबूर हैं उनको अपनी मजबूरी से छुटकारा मिल जाता है।

दूसरा मेरा निवेदन यह है कि पुलिस के साथ कहीं पर पब्लिक कोओपरेशन और एसिस्टेन्स बराबर बने रहने से जनता के प्रति विश्वास पैदा हो उसके लिये मेरा यह सुझाव है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल तक पब्लिक एसोशियेशन होना चाहिये। डिस्ट्रिक्ट सुपरिन्टेन्डेन्ट, डी. आई. जी. और आई. जी. पी. के लेवल पर समझिये किसी भी तरीके से जनता के नुमाइन्दों का उस एडमिनिस्ट्रेशन से सम्बन्ध होना चाहिये ताकि जनता के लोगों में विश्वास पैदा हो कि पुलिस वास्तव में रक्षा के लिये और सेवा के लिये है और दिन प्रतिदिन जो प्रदर्शन और आन्दोलन होते हैं वह न हों और

(श्री भुवनेश चतुर्वेदी)
जनता का भी शासन में इन्वोल्वमेन्ट हो, और विश्वास पैदा हो ।

तीसरी बात जो मैं निवेदन करना चाहता हूं वह है रिआॅर्गेनाइजेशन की हमें खयाल नहीं आता है कि पुलिस रिआॅर्गेनाइजेशन के लिये सरकार ने कोई कमीशन बनाया हो । इस नये वातावरण में ऐसा कमीशन सरकार बनाये जिसमें केवल सरकारी कर्मचारी और पुलिस के अन्दर काम करने वाले कर्मचारी न होकर पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव्ज और दूसरे लोग भी हों जो इस विषय में सोचते समझते हैं । आठ दस आदमी उसमें हों । पूरे पुलिस विभाग को ओवर हॉल करने की बात कहें कि किस प्रकार से पुलिस का जनता के प्रति रैस्पॉन्स होना चाहिये और किस प्रकार जनता में वे विश्वास पैदा कर सकते हैं । ऐसी शासन की स्थिति बननी चाहिये ।

इन्वेस्टिगेशन्स के विषय में भी राय पेश करना चाहता हूं । पुलिस के अन्दर वे ही पुराने तरीके हैं इन्वेस्टीगेशन के और साइन्टिफिक तरीके नहीं हैं । जिस पर शंका होती है । पुलिस उसको अरेस्ट कर लेती है । जो दूसरे प्रगतिशील देश हैं उनमें यह होता है कि इन्वेस्टिगेशन जब कम्पलीट हो ऐसे लोग जो कि क्रिमिनल्स हैं, दोषी हैं, तो उस समय उनको अरेस्ट किया जाता है । मुझे कुछ समय पूर्व यू. के. जाने का मौका मिला था और मुझे स्कॉटलैंड पुलिस के लोगों से बात करने का मौका मिला था कि पुलिस विभाग में जागरूकता और साइन्टिफिक प्रोसेस के तरीके क्या होने चाहिये । या तो इन्वेस्टीगेशन का एस्टेब्लिशमेन्ट अलग हो और इन्वेस्टिगेशन कम्पलीट हो, तो जितने भी और प्रोसेस हैं सजा करने तक उन सब को पूरा करना चाहिये । इन्वेस्टीगेशन में वही मशीनरी लगी रहती है तो बायस हो जाती है और सही जजमेन्ट पर नहीं पहुंचते हैं, बिना गुनाह ही लोग सजा पा जाते हैं । एक प्रोफेशनल गवाह की तरह से लोग पुलिस विभाग के पास होते हैं । आठ दस आदमी हर मुकदमे में मिलेंगे वे ही गवाह, मैंने डिफरेन्ट केसेज में भी देखा है कि दस पन्द्रह गवाह होते हैं जो उनकी लिस्ट में होते हैं और वे हर चोरी और डकैती में पुलिस की ओर से पेश होते हैं । और यहां तक कि एक ही ब्लेड से कई जेब कतरे होने के गुनाह में फंसाये जा सकते हैं, एक ही हथोड़े से कई ताला तोड़ने वालों को सजायें दिला सकते हैं । मैं समझता हूं कि पुराना तरीका बदला जाये और साइन्टिफिक इनवेस्टीगेशन शुरू हों जिनके आधार पर जनता में विश्वास हो और जो पकड़ा गया है वह वाकई में गुनहगार हो । आज ऐसा लगता है कि बल्कि मैं समझता हूं कि कई बार सामाजिक कार्यकर्ताओं के नोटिस में भी यह होता है, राजनैतिक नेताओं के नोटिस में भी होता है और पुलिस अधिकारियों के नोटिस में भी यह होता है कि यह आदमी गुनहगार नहीं है और इसको गलत फंसाया गया है और असली गुनहगार स्वच्छंदता से घूमता है । इसलिए जो आस्था है पुलिस के प्रति वह पुनः स्थापित होनी चाहिए और उसके लिए जरूरी है कि पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के साथ पब्लिक एसोसिएशन हो ।

(श्री भुवनेश चतुर्वेदी)

जो इनवेस्टीगेशन के तरीके हैं और पुलिस थर्ड डिग्री मैथड इस्तेमाल करती है, आया, पकड़ा, ठोका पीटा, इलेक्ट्रिक वायर लगाया और उससे कन्फेशन कराया और निशानदेही से चीजें बरामद हुई। मैं बड़े अदब के साथ यह अर्ज करता हूं कि थोड़ा सा सम्बन्ध वकालात के पेशे से मेरा है और हमको ऐसा लगता है कि हर चीज गुनहगार की निशानदेही से साबित हो गयी। आखिर ऐसा कौन सा आदमी है कि किसी ने चोरी की और पकड़ा गया तो उसका हृदय परिवर्तन हो गया और उसने स्वीकार किया कि यह चोरी की चीज है जो पकड़ी गयी है या अमुक व्यक्ति को बेच दी है। यह असलियत से दूर की बात है और इतना बड़ा परिवर्तन इतने थोड़े समय में किसी भी मनुष्य का स्वाभाविक रूप से नहीं होता इसलिए ऐसा लगता है कि सब प्रोसेस में लोगों का विश्वास हट जाता है और शंकायें पैदा होती हैं।

पुलिस विभाग के प्रति विवरण में मैं अर्ज करूं कि क्राइम सिचुएशन हालांकि थोड़ी बड़ी बताई गई है लेकिन जितनी बढ़ी है उतनी नहीं बताई गई है। मेरी मान्यता है कि किसी प्रकार से भी यह स्टेटिस्टिक्स थोड़े भ्रामक हैं। या तो यह समझिये कि जैसी आम धारणा रह गयी है कि पुलिस स्टेशन पर जो रिपोर्ट लिखाने जाते हैं वह नहीं लिखी जाती है और इस तरह से क्राइम सिचुएशन आर्टीफिशियली डाउन कर दी जाती है। लेकिन यह तो मानना ही पड़ेगा मैं अपने क्षेत्र की, उपाध्यक्ष महोदय, आपसे अर्ज करता हूं कि इन्डस्ट्रियेलाइजेशन के बाद जितनी भी बुराइयां आ सकती हैं मेरे क्षेत्र में वह आई और उससे क्राइम सिचुएशन बढ़ी है। आज हर आदमी यह जानता है कि उसके क्षेत्र में या जहां भी इन्डस्ट्रियेलाइजेशन हो रहा है वहां क्राइम सिचुएशन बढ़ी है, लेकिन ऐसा आश्चर्य होता है और अविश्वास भी होता है कि यह जो प्रगति रिपोर्ट है उसमें मामूली एक या आधा पर्सेन्ट की क्राइम सिचुएशन ज्यादा बताई गयी है वह आर्टीफिशियल है और इससे न तो पुलिस विभाग को फायदा है और न जनता को ही फायदा है, क्योंकि केवल स्टेटिस्टिक्स में जनता विश्वास नहीं रख सकती।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं अभी दो-तीन मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ।

इसलिए मेरा अर्ज करना है कि जो भी स्थिति हो, पुलिस डिपार्टमेन्ट को स्पष्ट रखनी चाहिए। क्राइम सिचुएशन बढ़ी है तो ईमानदारी से उसको फेस करना चाहिए। क्राइम सिचुएशन बढ़ी है यह नेसेसरीली कन्क्लूड नहीं करता कि पुलिस विजिलेन्ट है। यह सोशियल कन्डीशन्स की वजह से बढ़ी है और कई बातों से बढ़ती है जिसको हमें देखना चाहिए।

मुख्य मंत्री जी ने अपने भाषण में यह कहा था कि डाकुओं की समस्या लगभग समाप्त हो गयी है लेकिन कोटा क्षेत्र में ऐसा नहीं है। मैं निवेदन करता हूं कि जो क्षेत्र डाकुओं से प्रभावित हैं जैसे

Page No.91

(श्री भुवनेश चतुर्वेदी)

शाहवाद का क्षेत्र है वह अभी तक भी उनके असर में है और वहां की जनता परेशान है। अभी हाल ही में वहां डी. आई. जी. की पोस्ट समाप्त करके उसको उदयपुर के साथ जोड़ दिया गया है। मैं निवेदन करता हूं कि मुझे एक इनफॉर्मल टाक में कहा गया कि किसी व्यक्ति विशेष को लगाने के लिये जगह क्रियेट की गयी थी और वह समाप्त कर दी गयी है। यह बड़े दुख की बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए और आवश्यकता है तो उसको बनाये रखना चाहिये। उसूल की बात है कि जहां डेकॉयटी इफेक्टेड एरिया है उसके पास ही ऐसे पुलिस अधिकारी रहने चाहिए। और यह मान लिया जाये कि इकॉनामी में वह जगह तोड़ दी है तो मैं निवेदन करूंगा कि डी. आई. जी. की पोस्ट उदयपुर में न रख कर कोटा में रखी जाये। उदयपुर तो बड़ा रमणीक स्थान है और छात्रों के अलावा दूसरे उपद्रव नहीं होते इसलिए जो डेकॉयटी इफेक्टेड एरिया है वहां उनको रखा जाना चाहिये। कल वाद-विवाद चला तो मालूम हुआ कि उदयपुर के डी. आई. जी. बड़े होशियार हैं . . .

श्री निरंजननाथ आचार्य : तथाकथित।

श्री भुवनेश चतुर्वेदी : हां तथाकथित। इसलिए मैं अर्ज करूंगा कि उस सम्बन्ध में माननीय मुख्य मंत्री जो विचार करें और ध्यान दें। क्योंकि डेकोयटी . . .

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

इफेक्टेड एरिया को लिया जाये तो वह 400-500 मील पड़ता है जो कि कन्ट्रोल करना फिजिकली पॉसीबल नहीं है।

दूसरे कल्याणकारी कार्यों के लिये अर्ज करना चाहता हूं। यह सही है कि पुलिस नौकरी में आज प्रतिभाशाली नौजवान नहीं आते। इसके बहुत से कारण हैं लेकिन फिर भी हमें पुलिस की प्रतिष्ठा पुनः स्थापित करनी चाहिए और पुलिस कर्मचारियों के लिए जैसे कल्याणकारी कार्य हैं वे नाकाफी है और जितना पुलिस कर्मचारी अपना कन्ट्रीब्यूशन दें सरकार को उतना कन्ट्रीब्यूशन देकर कल्याणकारी कार्यों को प्रोत्साहन देना चाहिए। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जनार्दन सिंह गहलोत!

श्री जनार्दन सिंह गहलोत (गांधी नगर): माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मांग संख्या 10, मुख्य शीर्षक 21–न्याय प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम करने का कटौती का प्रस्ताव रखने के साथ ही साथ जनता को सुलभ और सस्ता न्याय मिल सके इसके लिए कुछ चर्चा करना चाहूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, आज हमारे सामने इस बात का प्रश्न है कि पुलिस तथा जुडीशरी दोनों का अलग अलग काम है। पुलिस का कार्य दोषियों को सजा दिलवाना और जुडीशरी का काम है उनको न्याय दिलवाना, लेकिन प्रश्न इस बात का है कि आज हमारी पुलिस की स्थिति यह हो गयी है कि वह अपने हाथ में न्यायालय का काम भी लेना चाहती है। आज आये दिन देखते हैं कि थानों के अन्दर दो दो पार्टियां रिपोर्ट दर्ज कराने जाती हैं तो थानेदार की हालत यह हो गयी है कि जब तक दूसरी पार्टी उपस्थित नहीं हो तबतक कुछ नहीं करते

(श्री जनार्दनसिंह गहलोत)

और उनमें समझौता कराने का प्रयत्न किया जाता है। थानेदारों की आज परम्परा बन गयी है कि वह न्याय की दृष्टि से न्यायालय को सुपुर्द करने के पहले उसमें इतनी ढिलाई बरतते हैं कि ऐसा प्रयत्न किया जाता है कि अपने स्वयं के फायदे की दृष्टि से और अपने स्वार्थ की दृष्टि से ऐसा वातावरण बनाते हैं कि थानों के अन्दर आज पार्टियां हिचकिचाती है कि हम रिपोर्ट दर्ज करायें या नहीं। जब ऐसी हालत है तो फिर क्या न्याय मिल सकेगा वे जुडीशरी को अपने हाथ में लेने का कार्य करते है तो मैं समझता हूं कि यह न्याय देने की बात नहीं है। ऐसी स्थिति में हाल ही की बात का मैं जिक्र करना चाहता हूं।

अभी तीन दिन पहले मैंने एक स्थगन प्रस्ताव सदन के समक्ष रखा था और कल ही अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दी कि मैं कटौती के प्रस्ताव पर उसका जिक्र करूं। मैं कहना चाहता हूं कि 28-4-72 को हमारे यहां सांगानेर थाने में एक अण्डर ट्रेनिंग डी. एस. पी. श्री अजयसिंह कार्य कर रहे है। मैं बताना चाहता हूं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी को कि उस डी. एस. पी. ने एक आदमी को जबरदस्ती किशनपोल बाजार में जाकर उसकी दुकान के ऊपर से उसको पकड़ कर बुलाया। आज हालत यह है कि मदनलाल अग्रवाल के नाम से उसको पकड़ा गया जब कि यह मदन लाल शर्मा है। आज आप देखें, उपाध्यक्ष महोदय, सांगानेर थाने के अन्दर कोई एफ. आई. आर. दर्ज नहीं है, मदनलाल शर्मा और मदनलाल गुप्ता के नाम की, फिर मदन लाल शर्मा और मदनलाल अग्रवाल का सवाल कैसे उठ सकता है? समाज के अन्दर प्रतिष्ठा रखने वाले व्यक्ति को रात को थाने में बन्द किया जाये और उसकी पिटाई की जाये मैं समझता हूँ कि यह समस्या ऐसी होगी कि आम नागरिक समाज में रहने काबिल नहीं रह जायेगा ...

श्री निरंजन नाथ आचार्य : वे अण्डर ट्रेनिंग हैं।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : उपाध्यक्ष महोदय, अगर अण्डर ट्रेनिंग के लिए आपने थाने में इस प्रकार व्यवस्था कर रखी है तो यह ट्रेनिंग का जो काम है वह अगर इस प्रकार का है कि नागरिकों को जो अपने क्षेत्र में प्रतिष्ठा रखते हैं उनको इस प्रकार से पिस्तौल की नोक पर उठा कर थाने में ले जायं तो मैं समझता हूं कि यह ट्रेनिंग की व्यवस्था ठीक नहीं है ऐसे आदमियों को जबरदस्ती पिस्तौल दिखा कर एम्बेसेडर गाड़ी में बैठा कर ले जाया गया। उस गाड़ी का नम्बर आर. जे. जेड. 6247 है और वहां के कांस्टेबल श्री हरीजी पुलिस की वर्दी में वहां पहुंचे और उसने पुलिस की पिस्तौल दिखा कर उनको गाड़ी में बैठाया और बैठा कर ले गए।

श्री निरंजननाथ आचार्य : आपकी बहस को लिखे कौन? आप लिखकर दे दीजिएगा।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : मैं तो एक बात कहना चाहूंगा कि आज हमारे थानों की हालत...

श्री रामानन्द अग्रवाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर। यह

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

खेद का विषय है कि मंत्री मंडल में से जिनका यह सब्जेक्ट है उनमें से कोई मंत्री उपस्थित नहीं है, यहां पर मौजूद नही है। मेरा यह निवेदन है कि यह सदन की प्रतिष्ठा का प्रश्न है। माननीय सदस्य जो अपनी बात कह रहे हैं उसका ठीक तरह से उत्तर मिल सके उसके लिए यह आवश्यक है कि या तो माननीय मुख्य मंत्रीजी स्वयं या उनके राज्यमंत्रीजी जो इस विभाग से सम्बन्धित हैं, वे यहां पर सदन में आकर बैठें ताकि उत्तर दिया जा सके।

श्रीमती सुमित्रा : मंत्री जी मौजूद हैं। जोइन्ट रैसपोंसिबिलिटी है।

श्री निरंजन नाथ आचार्य : जो मौजूद हैं वे रैवेन्यू के हैं। रैवेन्यू एण्ड होम इन-डिफरेंट। इनका मस्तिष्क भी डिफरेंट है।

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीय : केबिनेट की जॉइन्ट रैस्पॉंसिबिलिटी है। माननीय मंत्रीजी मौजूद हैं।

श्री गुमानमल लोढा : मुख्य मंत्रीजी शायद बाथरूम में गए हैं। यहां पर इतना महत्वपूर्ण सवाल सामने है। जब कि न्याय प्रशासन, पुलिस और जेल के मसले पर विचार हो रहा है तो माननीय मुख्य मंत्री जी या उनकी ओर से किसी मंत्री को उपस्थित रहना चाहिए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह आपके लिए भी आवश्यक है कि जो यहां पर भाषण दिए जाते हैं, जो सुझाव यहां पर देंगे आखिर उनका कुछ अर्थ भी तो होना चाहिए। आप इस प्रश्न पर गम्भीरता से विचार करें।

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीया : मंत्री महोदय बैठे हुए हैं फिर भी माननीय सदस्य यह कह रहे हैं कि मंत्री महोदय नहीं है मुख्य मंत्री की ओर से।

श्री उपाध्यक्ष : मैं यह व्यवस्था देता हूँ कि केबिनेट की जॉइन्ट रैस्पॉंसिबिलिटी है और सरकार की ओर से नुमायन्दे जिनकी कि विशेष रूप से आज मांग भी है वे यहां पर मौजूद हैं। मंत्रीमण्डल की जॉइन्ट रैस्-पॉंसिबिलिटि है और सरकार के नुमायन्दे मौजूद हैं इसलिए मुख्य मंत्रीजी का उपस्थित होना आवश्यक नहीं है।

(मुख्य मंत्रीजी का सदन में प्रवेश)

एक माननीय सदस्य : आ गए हैं।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : मैं निवेदन कर रहा था कि आज जो हमारे प्रशास-निक दृष्टि से थाने हैं और जो हमारे थाने-दार बन कर बैठे हैं और उन थानों में जो अण्डर ट्रेनिंग डी. आई. एसपोज हैं उनको इस प्रकार की ट्रेनिंग दी जाती है तो यह गलत काम है। आज की हमारी प्रशास-निक व्यवस्था के अन्दर आज सामान्य नागरिक को गलत रूप से परेशान करने की स्थिति है, जो अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण है। आज किसी आदमी को रात भर थाने में लाकर बन्द कर दिया जावे और पिस्तौल दिखाकर जबरन थाने ले जाया जावे तो मैं इससे बढ़ कर और कोई शर्म की बात मान कर नही चल सकता।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आशा करता हूँ कि मुख्य मंत्रीजी इस बात पर गम्भीरता से विचार करेंगे और आदेश देंगे कि थानों के

(श्री जनार्दनसिंह गहलोत)

अन्दर लोगों के जीवन की रक्षा हो और जो इनके ट्रेनिंग है तो उनके लिए कोई अलग से ट्रेनिंग सेन्टर की व्यवस्था हो ताकि ट्रेनिंग के समय के अन्दर इस तरह के लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं हो। आज आम नागरिक को, जिसको समाज के अन्दर सम्मान के साथ जीने का अधिकार है, प्रजातंत्र में इस तरह से परेशान न किया जावे ताकि वह अपने अधिकार से वंचित न हो। इसलिए मैं निवेदन करता हूं और समझता हूं कि मुख्य मंत्रीजी इसकी जांच करायेंगे और ऐसे अधिकारियों को दण्डित करेंगे।

जहां तक प्रश्न इस बात का है कि आज हमारे थानों के साथ हमारी पुलिस की जो व्यवस्था है उस पुलिस की व्यवस्था के अन्दर मैं निवेदन करूं कि जयपुर रियासत के अन्दर जो हमारी मीणा जाति के लोग होते थे उनको सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था और उनको सम्मान की दृष्टि से देखकर चौकीदार का काम दिया जाता था। आज पुलिस के लोग इन्हीं मीणा जाति के लोगों को चोर मानती है और हर चोरी के मामले में इनको ही प्रयोग में लाने का प्रयास करती है। उपाध्यक्ष महोदय, इस जयपुर रियासत के अन्दर इन मीणों को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था, लेकिन आज अगर कोई गलत काम करता है पुलिस की सांठ-गांठ से कोई बात होती है तो इनको ही पकड़ा जाता है। गांवों के अन्दर अगर किसी की भैंस चोरी चली जाय, किसी की गाय चोरी चली जाय तो इनको ही थाने में बुलाकर इस बात का प्रयत्न किया जाता है कि चलो भैंस की कीमत पांच सौ रुपया है तो ढाई सौ रुपया दे देना। मैं समझता हूं कि इस प्रकार के फैसले कराने का काम ज्यूडिशियरी का है, न्यायालय का है। अगर इस काम को थानेदार करने लग जायं तो मैं समझता हूं कि यह पुलिस की कोई व्यवस्था नहीं है, यह न्याय मिलने की कोई जगह नहीं है।

खास तौर से आज जयपुर शहर में हम देखते हैं कि आम तौर पर छोटी 2 चोरियां होती रहती हैं। कोई साईकिल और स्कूटर चोरी जाने की तो बात ही क्या है, ये तो सैकड़ों की तादाद में आये दिन चोरी जाते हैं। यहां तक हालत है कि पुलिस के अधिकारियों के घरों पर कई बार साईकिलें चोरी चली गईं। अच्छी तरह से आप देखभाल करके इसकी जांच करावें तो मालूम होगा कि जयपुर शहर के पुलिस अधिकारियों के घरों पर साईकिलें चोरी चली गईं और वे लौटकर नहीं आईं। जब पुलिस अधिकारियों का यह हाल है तो फिर आम नागरिक की साईकिल तो कैसे लौट सकती है। मुझे तो इस बात का बड़ा अफसोस है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि जो पुलिस की व्यवस्था है, जो चोरियां होती हैं या दूसरी तरह के अपराध होते हैं उनको रोकने की दृष्टि से उनके पास कोई कार्यक्रम है या नहीं, और वे इस बारे में क्या सोच रहे हैं। क्योंकि चोर को पकड़ कर दण्डित कर देने से ही समस्या का हल होने वाला नहीं है।

भ्रष्टाचार निरोधक विभाग राजस्थान सरकार द्वारा बनाया हुआ है। आज भ्रष्टाचार निरोधक विभाग की हालत यह है कि या तो किसी की ऊपर तक पहुंच नहीं हो या

(श्री जनार्दनसिंह गहलोत)

जिसको कोई विभाग लेने को तैयार नहीं हो उसको भ्रष्टाचार निरोधक विभाग में भेज दिया जाता है या वह काबिल नहीं हो या खुद भ्रष्टाचारी हो तो उसको भी भ्रष्टाचार निरोधक विभाग में भेज दिया जाता है। इसका नतीजा यह होता है कि भ्रष्टाचार निरोधक विभाग का काम सक्सेसफुल नहीं हो रहा है। आज माननीय मंत्रीजी यहां विराजमान हैं तो, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत कहना चाहूंगा कि भ्रष्टाचार निरोधक विभाग ने कोई भी दस हजार की रिश्वत का केस पकड़ा हो बता दें कि जो दस हजार या इससे ऊपर का हो, तो मैं मान सकता हूं कि भ्रष्टाचार निरोधक विभाग का कार्य संतोषजनक है। मैं तो इस बारे में एक बात का सुझाव यहां देना चाहूंगा कि अगर आप दस हजार का केस नहीं पकड़ सकते तो जैसा कि वित्त

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

मंत्रीजी ने कहा था कि हम टाईम बाउण्ड प्रोग्राम बनाना चाहते हैं तो मैं आपसे कहता हूं कि आप इसमें भी टाइम बाउण्ड प्रोग्राम बनावें कि एक हजार का केस भी अगर एक महीने में भ्रष्टाचार निरोधक विभाग पकड़ा दे तो 12 महीने में 12 केस होते हैं 12 हजार के केसेज होते हैं। अगर यह भी हो जाय तो मैं मान लूंगा कि वास्तव में भ्रष्टाचार निरोधक विभाग कोई काम कर कर रहा है। एक हजार का भी कोई केस आज पकड़ा नहीं जाता, पांच दस या बीस रुपये के केस पकड़े जाते हैं तो इनसे क्या होने वाला है ?

जहां तक प्रश्न इसके साथ साथ सतर्कता आयोग का है, आप सतर्कता आयोग के अध्यक्ष को दो हजार रुपया मासिक देते हैं और इसके सेक्रेट्री को एक हजार मासिक देते हैं और इसके अलावा दूसरे स्टाफ पर भी काफी खर्चा किया जाता है, लेकिन क्या आप इस सदन के अन्दर यह कहते है कि सतर्कता आयोग के बनने के बाद विभाग में कोई भय पैदा हुआ ? किसी प्रकार का डर उनमें आया कि अब सतर्कता आयोग बन गया है, उनके खिलाफ कार्यवाही हो सकती है। सन् 64 के जो भी केसेज चल रहे थे वे आज भी पेंडिंग हैं। उनका निपटारा क्या सही माने में हुआ है ? अगर निपटारा हुआ है तो वह इस माने में कि लोग बरी हुए हैं। तो सतर्कता आयोग का काम लोगों को बरी करने का है। अगर कोई काम हुआ है तो पांच दस रुपये के एग्रीमेंट को रोकने का काम जरूर हुआ है। तो मैं यह मानता हूं कि सतर्कता आयोग का कार्य संतोषजनक नहीं है और यह एक लायेबिलिटी है राज्य पर। एक तरफ आप यह बात करते हैं और हमारे यहां पर चर्चा है कि 25 वर्ष की सेवा के बाद रिटायर कर दिया जाय, कम्पलसरिली रिटायर कर दिया जाय और दूसरी तरफ आपने सतर्कता आयोग के चेयरमैन श्री के. पी. यू. मेनन को 25 साल की सेवा के बाद भी अध्यक्ष बना कर बैठा रखा है। एक तरफ तो छोटे छोटे कर्मचारियों को 25 साल की सेवा के बाद कम्पलसरी रिटायर करने की बात की जा रही है और दूसरी तरफ इतने बड़े 2 लोगों को सेवा में लगा रखा है रिटायरमेंट होने के बाद भी।

इसके बाद जो हमारे इण्टेलीजेंस के चीफ हैं श्री जसवन्तसिंह जी, आज उनका

(श्री जनार्दनसिंह गहलोत)

रिटायरमेंट हुए काफी दिन हो गए लेकिन आज भी उनको बराबर इस पद पर दुबारा कण्टीन्यू कराया हुआ है। मैं समझता हूं कि वे कोई कार्य नहीं कर रहे हैं। ऐसे लोगों को बराबर रिटायर होने के बाद भी किसी न किसी पद पर लगाया जा रहा है और उनको रखने की सरकार की पॉलिसी हैं। मैं समझता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी इस पर विचार करेंगे और इसको लागू करेंगे कि रिटायरमेंट के बाद किसी को न रखा जाय और यह भी आश्वासन देंगे कि आने वाले समय में ज्यादा कोई तरजीह न दी जाएगी। भ्रष्टाचार समाप्त करने की बात तभी हो सकती है जब कि यह जो 25 प्रतिशत लोग हैं उनको कम्पलसरी रिटायर कर दिया जाये। ये रहते हैं तो मैं समझता हूं कि भ्रष्टाचार के अन्दर कभी सफलता नहीं मिलेगी। ये लोग काफी तजुर्बेकार हो गये हैं और ये भ्रष्टाचार को बढ़ाना चाहते हैं।

आज हमारे जो कांस्टेबुल हैं, हैड कांस्टेबुल हैं, वे एक-दो रुपयों की चोरी करते हैं, थानों के अन्दर बैठ कर एक रुपया, पांच रुपयों की रिश्वत लेते हैं। मैं उनकी बुराई नहीं करना चाहता हूं परन्तु इस बात से इस सदन को अवगत कराना चाहता हूं और उपाध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री महोदय को इस बात से अवगत कराना चाहता हूं कि वे क्यों एक-एक दो-दो रुपयों की रिश्वत लेते हैं? वे आज अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दिला सकते, वे अपने बच्चों का भली प्रकार पालन-पोषण नहीं कर सकते। वे अपने बच्चों के लिये किताबें नहीं खरीद सकते। इसलिये यह जरूरी है कि उनकी तनख्वाहें बढ़ाई जायं और जितने भी विभाग हैं, सतर्कता विभाग, उनको समाप्त कर दिया जाये और कास्टेबुल का तनख्वाह बढ़ा दी जाये और मैं इस बात की जिम्मेदारी लेता हूं कि निश्चित तौर से इस कदम से भ्रष्टाचार में रुकावट आयेगी। मैं मुख्य मंत्री जी से यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि वे हैड कान्स्टेबल्स का सम्मेलन बुलावें और यह व्यवस्था करते हैं तो सारे के सारे लोग इस बात के लिये तैयार हो जायेंगे। हमें इस काम में अगुवाई करना होगी और अगर इस सारे काम की व्यवस्था कर देंगे तो यह भ्रष्टाचार समाप्त हो जायेगा।

डी. आई. जी. की पोस्ट सरकार ने बनाई है। इस पोस्ट पर भंवर गोविन्दसिंह जैसे व्यक्तियों को बिठाया गया है। ये सारे इस प्रकार से प्रशासन को चला रहे हैं जिस प्रकार से राजा महाराजाओं का तंत्र चला करता था। वे आम लोगों की बात नहीं सुनते हैं और न जानते ही हैं। राजा महाराजाओं की परम्परा के अनुसार ही इनका प्रशासन चलाने का ढंग है। आज उनके बंगले पर 20-30 भैंसें बंधी हैं और पुलिस लाइन्स से कान्स्टेबल्स जाकर उनकी भैंसों का दूध निकालते हैं। क्या इस प्रकार से डी. आई. जी भंवर गोविन्दसिंह जी प्रशासन की व्यवस्था कर रहे हैं? उनका दृष्टिकोण सामन्ती युग का है। उनके सोचने का जो तरीका है, वह जनता की भलाई का नहीं है। हमारी प्रधान मंत्री ने समाजवाद का नारा दिया है। हमें अपने प्रदेश में समाजवादी व्यवस्था कायम करनी है तो यह भंवर गोविन्दसिंह इसके लायक नहीं है। डी. आई. जी. की पोस्ट पर बैठने वाले व्यक्ति को सामान्य जन के हित को सोचना

(श्री जनार्दनसिंह गहलोत)

चाहिये। यह रिएक्शनरी आदमी हैं और ऐसे आदमियों को सरकारी तंत्र में रखा जायेगा तो मुख्यमंत्री महोदय आप जो समाजवाद लाना चाहते हैं वह नहीं आ पायेगा। ऐसे घोर रिएक्शनरी ब्यूरोक्रेटस् को बदलना होगा और मैं सोचता हूं तभी हमारी नीतियों का सही क्रियान्वयन हो पायेगा।

आज हमारे गांवों के किसानों को किस तरह से कुचला जा रहा है। वे घर घर को ठोकरें खा रहे हैं। वहां पर हालत यह है कि वकील लोग उनसे मेहनताना लेते हैं और इस तरह से उन लोगों को गलत रास्ते पर ले जाते हैं। वे बेचारे सही बात नहीं कह सकते हैं। आज आम आदमियों को सिफारिश की जरूरत होती है। यह सिफारिश की आवश्यकता क्यों होती है यह सदन के सभी माननीय सदस्य जानते हैं। न्यायालयों के अन्दर भी सिफारिशें पहुंचती हैं। इन सिफारिशों के कारण आज न्यायालयों से भी सच्चा न्याय नहीं मिल पाता है। चपरासी दो रुपये लिये बिना फाइल को ऊपर नहीं रखता है। मैं सोचता हूं कि आज हजारों केस पेन्डिंग पड़े हैं, उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, उनके फैसले नहीं हो रहे हैं। आखिर कितने दिनों तक यह बर्दाश्त किया जायेगा। चपरासी, पेशकार और हाकिम तक एप्रोच करना पड़ता है। आज या तो प्रभाव के उपयोग से या फिर पैसे के उपयोग करने पर ही न्यायालयों से न्याय मिलता है। इस स्थिति को बदलना होगा और एक मार्ग, सीमा का निर्धारण करना होगा कि इतने दिनों के अन्दर अन्दर इन केसेज को निकालना पड़ेगा। (समय समाप्ति सूचक घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। थोड़े समय में ही अपनी खास खास बातों का जिक्र कर देना चाहता हूं। आमतौर पर हड़तालों और आन्दोलन के अन्दर पुलिस और मजदूरों के बीच में झगड़े होते हैं। विधान सभा के अन्दर अभी मार्क्सवादियों का प्रदर्शन हुआ था। आज एन. बी. सी. और जयपुर मैटल्स के अन्दर काफी झगड़े हुए हैं–पुलिस और मजदूरों के बीच में। यह हालत इसलिये है कि हमारे पूंजीपति, सेठ लोग फैक्टरियों के अन्दर मजदूरों की पिटाई कराते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को यह बताना चाहता हूं कि आज पुलिस मजदूरों की रक्षा नहीं कर पा रही है। पुलिस की व्यवस्था कमजोर है। सेठों द्वारा मजदूरों को फैक्टरियों के अन्दर पीटा जा रहा है। इन सेठों ने मार्क्सवादी गुण्डों को रख रखा है, दस-बीस गुण्डे फैक्टरी के अन्दर जाकर मजदूरों की पिटाई करके चले आते हैं। इस प्रकार आज फैक्टरियों के अन्दर ला एण्ड आर्डर की स्थिति ठीक नहीं है। पुलिस को यह हिदायत होनी चाहिये कि ऐसी सूचना मिलने पर वह फैक्टरी के अन्दर जाये और आज एन. बी. सी. और जयपुर मैटल्स के अन्दर जिस प्रकार के झगड़े हो रहे हैं उसके अन्दर पुलिस को फैक्टरी के अन्दर जाकर निश्चित तौर पर इसकी व्यवस्था करनी चाहिये।

आज आंदोलन होते हैं। छात्रों का आंदोलन होता है, मजदूरों का आंदोलन होता है, सर्वोदयी का आंदोलन होता है।

(श्री जनार्दनसिंह गहलोत)

उपाध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में मैं मुख्य मंत्री से यह निवेदन करना चाहता हूं कि प्रजातन्त्र के अन्दर आंदोलन हुआ ही करेंगे परन्तु इस आंदोलन के दौरान पुलिस को एक निश्चित मापदण्ड अपनाना चाहिये। पुलिस को यह बताया जाना चाहिये कि अगर मजदूरों का आंदोलन हो तो उसको वह किस प्रकार से हैन्डल करे। छात्रों का आंदोलन हो तो उनके साथ किस प्रकार का वर्ताव किया जाये। इस प्रकार का व्यवहार कि हुक्म दे दिया और पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया, यह कोई उचित मापदण्ड नहीं है। इसके अन्दर, लाठी चार्ज करने के अन्दर पुलिस को एक व्यवहारिक मापदण्ड से चलना चाहिये। ऐसा नहीं होना चाहिये कि जो सामने आये उसके ही लाठी मार दी। किसी का सिर तोड़ दिया। यह जनता के साथ, आन्दोलन करने वाली जनता के साथ, उचित व्यवहार नहीं होगा। यह तो राजा महाराजाओं के जमाने में जनता के साथ जिस प्रकार का व्यवहार किया जाता था, उसका ही प्रचलन है। यह क्यों है ? इसलिये है कि आज 50 प्रतिशत वे ही लोग हैं हमारी सर्विसेज में जो कि राजाओं की रियासत में नौकर थे। (घण्टी) एक अन्तिम बात और कहना चाहता हूं। आप बार बार घन्टी बजा रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि मैं और ज्यादा समय सदन का खराब करूं।

श्री खेतसिंह : खराब ही कर रहे हैं अपना और सदन का।

श्री **जनार्दनसिंह गहलोत** : जो भी हो। उपाध्यक्ष महोदय, हाईकोर्ट की बात जयपुर शहर के अन्दर अलग अलग समय पर उठाई जाती रही है। मैं एक बात इस सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। सन् 1954 में इस सम्बन्ध में पहला आन्दोलन हुआ था। इस आन्दोलन को हुए करीब 16 वर्ष हो गये और ऐसी हालत हो गई है कि इस सम्बन्ध में जनता को अधरझूल में डाल रखा है। मैं यह कहना चाहूंगा कि आप इसका कोई फैसला करें। हाईकोर्ट की बेन्च नहीं ला सकते हैं तो यह कहिये, ला सकते हैं तो वैसा कहिये। इसका निश्चित तौर पर फैसला होना चाहिये। इससे जनता को परेशानी हो रही है, हमारे वकीलों के अन्दर बेचैनी है। एक फैसला आप कर लीजिये। वैसे यह उचित ही होगा कि एक बेन्च जयपुर में आ जाये। जोधपुर में आज जो हाईकोर्ट है उसको एज इट इज रखा जाये, परन्तु इसमें भी कुछ परिवर्तन किया जाना चाहिये। मुख्य मंत्रीजी सक्षम हैं। वे प्रधानमंत्री को लिख कर तीन जजों की एक बेन्च जयपुर में स्थापित करा सकते हैं और यह इमीडियेट हो सकती है। इसके लिये एक्स्ट्रा खर्चा भी करना पड़े तो करिये। इस स्थिति के अन्दर मैं यह बात मानकर चलता हूं कि बीच का कोई फैसला न हो। साफ तौर से फैसला होना चाहिये चाहे पक्ष में हो या विपक्ष में हो। जनता इस बात पर बीच में झूलती रहे यह उचित बात नहीं है। इसके बारे में आपको शीघ्र फैसला करना पड़ेगा। इतना ही कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मीठालाल (अनुपस्थित)

श्री गुमानमल लोढा।

श्री गुमानमल लोढा (जोधपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, आज राजस्थान को गरीब जनता से हमारे मुख्य मंत्री महोदय ने, इस सदन के अन्दर यह मांग रखी है कि पुलिस विभाग के लिये एक बहुत बड़ी धनराशि खर्च करने के लिये स्वीकृत की जाये। बजट प्रस्तुत करते समय माननीय वित्त मंत्री ने जितनी रकम रोटी के ऊपर, दाल के ऊपर, साबुन के ऊपर, गरीब किसान की खाद के ऊपर, ट्रैक्टर्स के ऊपर, नाज के ऊपर, टैक्सेज लगाकर वसूल करना चाहते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि राजस्थान के पुलिस प्रशासन के लिए, राजस्थान की शान्ति व्यवस्था रखने के लिए, अपने विभाग के लिए लगभग उतनी ही रकम पुलिस विभाग को दी जाय। माननीय उपाध्यक्षजी, राजस्थान ही नहीं सारे देश के अन्दर जब भी पुलिस विभाग का प्रश्न आता है तो एक बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह सामने आता है। पुलिस का साधारण कर्मचारी जिसे हम कान्स्टेबल कहते हैं गरीबी के कारण, महंगाई के कारण से अगर भ्रष्टाचार करता है तो उसके प्रति जो सहानुभूति होती है, हृदय में दर्द होता है, वेदना होती है, वहां दूसरी ओर पुलिस का भ्रष्टाचारी महकमा जिसके लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज ने दुःखी होकर कहा था कि "भारतवर्ष के अन्दर सबसे बड़ा यदि अपराधियों का कोई गिरोह है तो वह भारत को पुलिस सेवा के लोग हैं।" यह सही है कि सुप्रीमकोर्ट के जस्टिस मुल्ला के उस वाक्य को अतिशयोक्ति कहकर समाप्त कर दिया, लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ कि आज राजस्थान की पुलिस ने इस वाक्य को यहां पर सही करके बता दिया है सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त किया था और अपेक्षा की थी कि भारत की पुलिस अपने में कुछ सुधार करेगी। आज पुलिस स्टेशन के सामने बड़े बड़े बोर्ड लगे रहते हैं, "मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ," सेवा से सूचित करें, यह सब ढोंग है, ढकोसला है राजस्थान की पुलिस का।

राजस्थान की पुलिस के बारे में, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूँगा। सबसे पहले मैं आरोप नहीं लगाऊंगा, और उस न्याय–व्यवस्था के द्वारा, उन न्यायाधीशों के द्वारा जो कल के इस एकतंत्र के अन्दर और इस गिरते हुए जनतन्त्र के अन्दर एकमात्र आशा की किरण रह गई है, उन न्यायाधीश महोदयों ने राजस्थान के पुलिस विभाग के बारे में क्या कहा, और उसके पश्चात् हमारे मुख्य मंत्री महोदय ने, अथवा पुलिस विभाग ने, अथवा न्याय प्रशासन के लोगों ने उन पुलिस अधिकारियों को किस प्रकार से प्रोत्साहन किया उसका कच्चा चिट्ठा बताना चाहूँगा मैं आपको। एक निर्णय यहां के सेशन्स जज ने दिया। दफा 307 आई. पी. सी. में सरकार बनाम रिचपालसिंह वगैरा।

श्री रघुनाथ विश्नोई : उपाध्यक्ष महोदय, यह इतने तेज बोल रहे हैं और आवाज इतने जोर से आ रही है कि कान के परदे फट जायेंगे।

श्री खेतसिंह : मेहरबानी करके धीमें ही बोलें।

श्री गुमानमल लोढा : माननीय सचेतक महोदय की आज्ञा शिरोधार्य लेकिन वाणी में नम्रता के कारण कहीं ऐसा न हो कि

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

हृदय में विचारों को जिस तेजी के साथ प्रस्तुत करना चाहता हूँ वह तेजी, वह गम्भीरता, और उस गति के साथ में पुलिस व्यवस्था को बदलने का संकल्प आप न करें। इस निर्णय में, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दुःखी होकर असिस्टेंट सेशन्स जज, जयपुर डिस्ट्रिक्ट ने लिखा है सरकार को अपने निर्णय के अन्दर अन्त में लिखा है :–

> "I must point out that the investigation in this case smells something foul. Jagroop Singh was not charge sheeted in this case though there was ample evidence against him in the police investigation. Moreover, in this case supplementary statements of the witnesses under Sec. 161 Cr. P. C. were taken twice and thrice for the reasons best known to the investigation agency. Padam Singh (P.w. 11) has admitted that he took the supplementary statements Ex. P.14 to P. 21 and these witnesses confirmed their previous statements. The Investigation officer Bachan Singh (P. W. 11) has also admitted that in view of the orders of the then S. P. (Ex. P. 7) he took the supplementary statements under Section 161 Cr. P. C. of the same witnesses."

यह एस. पी. कौन है ? यह रहस्यमय व्यक्तित्व कौन है ? यह महोदय न्यायाधीशों के निर्णय के अनुसार अपराधी जगरूप सिंह को बचाने के लिए उसके खिलाफ चालान प्रस्तुत नहीं करने के लिए, धारा 307 के इलजाम के अन्दर 161 में बयानों को 3–3, 4–4 बार बदलवायें, यह एस. पी. महोदय कौन हैं, और राजस्थान प्रशासन ने इनके खिलाफ क्या किया, यह मैं माननीय मुख्य मंत्री से पूछना चाहूँगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से यही जानना चाहूंगा कि यह सारे स्ट्रिक्चर्स पास करने के बाद उन्होंने क्या किया। अब इसमें लिखा है अन्त में–

> "A copy of the judgment may, therefore, be sent to the District Magistrate Jaipur, for conducting such necessary enquiry against the defaulting officers as it deems proper and result of the same may be intimated to this court."

31 सितम्बर, 1971 को फैसला हुआ, और उसके पश्चात् स्पष्ट रूप से इसमें लिखा गया है कि एस. पी. महोदय ने असली मुल्जिम को बचाने का प्रयास किया और मजिस्ट्रेट ने उसका कोग्नीजेन्स लिया अपने आप न्याय करने के लिए मुल्जिम के खिलाफ उसको सजा दिलाने के लिए, जो अपराधी था उस मुल्जिम से अधिक पुलिस के सुप्रिन्टेन्डेन्ट हैं, जिन्होंने न्याय की हत्या करने के लिए, उस मुल्जिम को बचाने के लिए गवाहों के दो-तीन बार बयान ले लिये और झूठा इन्वेस्टीगेशन किया माननीय मंत्री महोदय, यह बताने का कष्ट करेंगे कि क्या उस महान् व्यक्ति को जिन्होंने कि न्याय को तिरस्कृत करके, तिलांजली

(श्री गुमानमल लोढा)
देकर, ठोकर मारकर, राजस्थान के अन्दर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मुल्ला के उस वाक्य को समाप्त करने के बाद फिर से लाने का प्रयास किया तो क्या उन्हें पुरस्कृत किया गया या उनके खिलाफ आरोप-पत्र लगाया, सस्पेण्ड किया या चार्जशीट दी ? उनको एस. पी. से डी. आई. जी. बनाया गया। वे एस. पी. से डी. आई. जी. बन गये हैं और यह स्थिति है। परन्तु माननीय मुख्य मंत्रीजी मुझे दुःख इस बात का है कि आपकी वह घोषणा कि 6 माह के अन्दर भ्रष्टाचार को समाप्त कर दूंगा या खुद समाप्त हो जाऊंगा जनता को गुमराह करने का षड़यन्त्र था।

एक नहीं दूसरा और निर्णय आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। केस नं 28···

श्री उपाध्यक्ष : (श्री रघुनाथ विश्नोई के बोलने पर) आर्डर प्लीज।

श्री गुमानमल लोढा : वह निर्णय एडीशनल सेशन्स जज जयपुर ने दिया है 28-10-71।

श्री राजेन्द्र कुमार : Sarcasting remarks should be stopped.

श्री उपाध्यक्ष : This is the function of the chair.

श्री गुमानमल लोढा : चेयरमैन विराजे हुए हैं सदन में। वे यह न सोचें कि यहां आकर मैं अपनी वाणी को अवरुद्ध कर दूंगा। मुख्य मंत्री महोदय पर व्यक्तिगत आरोप नहीं लगा रहा हूं। मैं समझता हूं कि मुख्य मंत्री महोदय वास्तव के अन्दर यदि प्रशासन के अन्दर आस्था कराना चाहते हैं तो वह खुले दिल के साथ में स्वीकार करें।

दूसरा निर्णय और है यह निर्णय 28-10-71 का है। इसमें कल्याणसिंह, हनुमानसिंह नाम के व्यक्तियों के खिलाफ केस चला और उस केस के अन्दर फिर एस. पी. ने गड़बड़ की और सेशन्स कोर्ट ने फिर से लिखा। सेशन्स कोर्ट के जजमेंट का मैंने आपको नम्बर दिया और आफिसर महोदय हैं भंवर गोविन्दसिंह जिनके बारे में कांग्रेस के श्री जनार्दनसिंह ने अभी कुछ कहा है, और मैं यह कहना चाहता हूं निर्णय के आधार पर। उनके प्रति मेरा व्यक्तिगत रोष नहीं है, कोई आक्रोश नहीं है, कोई विरोध नहीं है, लेकिन हमें प्रशासन को बदलना है। तो उन्होंने लिखा है जजमेंट के अन्दर, "फरदर मोर इट इज हाई टाइम" यह लिखा है। इसमें मि. गणेश नारायण सी. आई. और दूसरे हैं यही महोदय भंवर गोविन्दसिंह। उसके बारे में निर्णय करते हुए इसमें न्यायाधीश महोदय ने लिखा है, "इट इज हाई टाइम" माननीय मंत्री महोदय, "इट इज हाई टाइम" माननीय मंत्री महोदय 25 वर्ष के कांग्रेस के प्रशासन के अन्दर लोकतन्त्र में न्याय की दुहाई देने के बाद, न्यायधीश को लिखने को बाध्य होना पड़ा

"In this case a serious stricture has been passed against the investigating officer, Ganesh Narain Sharma and the then S. P. Bhanwar Govind Singh and the court further observed that it is high time that the police investigation agency should stop this

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

practice of creating evidence to prove a particular fact in a particular manner. otherwise it is likely to have repurcussions on the confidence of the public regarding the police investigation."

"In this case the investigation smells something foul as it shows that the attempts have been made to shield the accused from the clutches of the law. The removal of the accused immediately after the commission of the offence from the police Station......"

कानून के शिकंजे से मुल्जिम को बचाने का कुत्सित, घृणित प्रयास उन लोगों के द्वारा होता है जो इन्स्टीट्यूशन जनता की रक्षक कहलाती है। रक्षक ही भक्षक बनते हैं तो वह प्रजातंत्र आज रसातल को जा रहा है। पुलिस अधिकारियों को ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर्स पास करने के पश्चात् प्रमोशन दिया जाता है। भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्री मोहनलाल जो सुखाड़िया ने बेरी आयोग के निर्णय के बाद में कुछ लोगों का प्रमोशन किया वह दुर्भाग्यपूर्ण था।

लेकिन सत्ता में रहने के लिए सारे सदन के विरोध के बावजूद बेरी आयोग को रिपोर्ट को रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया। मैं नवीन मुख्य मन्त्री से कहूंगा, आपसे प्रदेश को बहुत अपेक्षाऐं थीं, आपसे हमें आशायें थीं. आप पांव आगे बढ़ायेंगे। मेरा निवेदन है कि आप सत्ता के मोह को छोड़िये। प्रशासन में आपके लोग हैं, जो अधिकारी हैं तो वह जनता में से है, और हम अच्छे अधिकारियों का सम्मान करते हैं और बुरे अधिकारियों की आलोचना करते हैं। मैं मुख्य मन्त्री जी से कहूंगा जिस ने मुलजिम को छोड़ कर अपराध किया है, आपको चाहिए कि उस अधिकारी को जेल के सींकचों में खड़ा करें और उस अपराधी को जनता की निगाह में लायें। श्री बरकतुल्लाखां जब मुख्य मन्त्री बन कर आये उस समय उन्होंने यह बीड़ा उठाया था, मैं भ्रष्टाचार समाप्त करूंगा. स्वस्थ राज्य दिलाऊंगा, आपने घोषणा की भ्रष्टाचार को खत्म करने की, उसके अनुसार कार्य किया होगा तो मुख्य मन्त्री जी हम फूलों के हार पहनाते, आपका सत्कार करते। लेकिन मुझे दुःख है, एक नहीं, दो नहीं, मुख्य मन्त्री जी ऐसे ऐसे कई मेरे पास उदाहरण हैं, उदाहरणों की भरमार है। एक व्यक्ति को पुलिस कस्टडी में रख कर मारा, मार मार कर उसको समाप्त कर दिया जाय। वह समाप्त हो गया, खत्म हो गया। यह बात साफ थी कि पुलिस की कस्टडी में मरा है। आज के युग के अन्दर, आधुनिक युग के अन्दर मानव चन्द्रलोक में विचरण करता है वैज्ञानिक तरीके अपराधी से अपराध उगलवाने के हैं, उनका महत्व है, लेकिन हमारे यहां दकियानूसी मैथड्स को ही महत्व दिया जाता है। क्या यह गम्भीर मसला नहीं है। आज के युग के अन्दर मनोवैज्ञानिक रूप से, और वैज्ञानिक तरीके से हम जांच कर सकते हैं लेकिन हमारे यहां चाबुक से मार कर जांच की जाती है। कोई डकैती का एकाउन्टर होता, मुख्य मंत्री जी, तो बात दूसरी होती, लेकिन चोरी के मामले के अन्दर, साधारण मामले के अन्दर थानेदार चाबुक से मारे, थाने के अन्दर रख कर चाबुक से मारे तो मैं समझता हूं कि कोई

(श्री गुमानमल लोढ़ा)
बच नहीं सकता। यह हमारे देश का दुर्भाग्य है। मैं कहना चाहूंगा, ऐसा एक नहीं, अनेक उदाहरण हैं, 1970 का फैसला है, 1971 का फैसला है जिनमें पुलिस अधिकारियों के ऊपर आक्षेप हैं लेकिन इन अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई है बल्कि उनको डी. आई. जी. बनाया गया है।

श्री राजेन्द्र भारतीया : He is taking much time.

श्री उपाध्यक्ष : आप शांति से सुनें।

श्री गुमानमल लोढा : मुख्य मंत्री जी का इस तरह के मामलों की तरफ हम ध्यान आकर्षित करते हैं, यह हमारा दुखद कर्तव्य है। मैं समझता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जो इस दुःखद कर्तव्य को निभाने की अनुमति दे रहे हैं, लेकिन यह दूसरे स्वयं या उपाध्यक्ष (श्री राजेन्द्र भारतीया) बार-बार खड़े हो जाते हैं यह उन्हें शोभा नहीं देता।

उपाध्यक्ष महोदय, एक और कहानी है जो आपके सामने में रखना चाहता हूं भारत-पाक सीमा के ऊपर बराबर तनाव की स्थिति रहती है। आज मेरे कम्युनिस्ट मित्र ने यह मामला रखा था कि पाक के दो गुप्तचर आ गये, भारत की सीमा के अन्दर घुसे और अन्दर तक आ गये, उनको क्यों नहीं रोका जा सका। इसके ऊपर विचार होगा अलग से, इसलिये मैं इस पर आज कहना नहीं चाहता। लेकिन माननीय मुख्य मंत्री जी मुझे क्षमा करेंगे और मुझे मेरा कर्तव्य पालन करने की अनुमति देंगे यदि मैं कहूं कि 1971 के भारत-पाक संघर्ष के समय जिन व्यक्तियों का नाम राजस्थान सरकार के पुलिस विभाग की ओर से तैयार जो अराष्ट्रीय तत्वों की सूची है, उसमें है जिन्होंने पाकिस्तान के जासूसों को, पाकिस्तानी सेना के जासूसों को, पाकिस्तान के मुजाहिदों को पाकिस्तान के पीर पगारों के मुरीदों को पनाह दी और हिन्दुस्तान के जवानों के ऊपर हमला करवाने के षडयंत्र में सहयोग दिया उनकी एक सूची दी गई थी। उस सूची में भारतीय जनसंघ के कार्यकर्ताओं का नाम नहीं है, उस सूची में समाजवादी कार्यकर्ताओं का नाम नहीं है जो पुलिस विभाग ने सूची दी, जिसकी कापी मुख्य मंत्री जी के पास में है, मैं उस सम्बन्ध में यह कहते हुए असीम दुःख अनुभव करता हूं कि सूची 'अ' के अन्दर जो सबसे ऊपर नाम था, आप रिकार्ड देख लिजिये. मुख्य मंत्री जो, होम कमिश्नर का वह पत्र पढ लीजिये जिसमें कहा था, मुझे ऐसे व्यक्तियों को गिरफ्तार करने की अनुमति दी जाय। जितने तीन तारीख को पाकिस्तान के सेवर जेट जोधपुर में आये थे और जोधपुर पर बम वर्षा कर गये थे, उस तीन तारीख को जोधपुर में सेवर जैट विमान आने में जिस व्यक्ति का हाथ था वह व्यक्ति आखिर, माननीय मुख्य मंत्री मुझे क्षमा करेंगे, आपकी सूची 'अ' में था सूची 'अ' में उसका नाम था, यह व्यक्ति पुलिस की निगाह में आ जाता है और पुलिस विभाग कहता है कि इसको गिरफ्तार करना चाहते हैं, लेकिन उस व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं करने दिया। यह क्या राजस्थान की अखण्डता की रक्षा है, यह क्या राजस्थान की सुरक्षा है, यह क्या राजस्थान के अन्दर भारत की सेनाओं

(श्री गुमानमल लोढा)

की सुरक्षा है । इस प्रकार की बात होती है यह बड़े दु:ख की बात है । इससे मेरा मस्तिष्क शर्म के कारण झुक जाता है । मैं इस रहस्य का उदघाटन करूं कि ऐसे व्यक्ति को इस सदन में बैठने का अवसर दिया जाता है । मुख्य मंत्री जी, उपाध्यक्ष महोदय मुझे क्षमा करेंगे, यह मेरे पास में सूची है, मैं बताना चाहता हूं कि हमारे पुलिस विभाग के द्वारा तैयार की गई सूची है, सूची 'अ' इसमें सबसे ऊपर नाम था, पाकिस्तान के जासूसों की मदद करने के लिए, डिफेन्स आफ इन्डिया में गिरफ्तार करने के लिये, जिन्हें सन् 1965 में गिरफ्तार किया गया और 1971 के अन्दर पाकिस्तान के मददगारों में से था, और जिसको पुलिस विभाग गिरफ्तार करना चाहता था, लेकिन उसको गिरफतार नहीं किया गया और मुझे क्षमा करेंगे, मुख्य मंत्री जी, उनसे मैं जानना चाहूंगा, वैसे इसमें मुझे पीड़ा है और दु:ख है, लेकिन हमारी संस्कृति में भावना से कर्तव्य ऊंचा होता है । इसलिये मेरा निवेदन है कि वह व्यक्ति जयपुर में आये, जिसे पुलिस ने अराष्ट्रीय तत्व डिक्लेअर कर दिया, हमारे यहां राम ने सीता को कर्तव्य पालन के लिये कह दिया था, पहले अग्नि परीक्षा दो, लेकिन आपने उसे जेल में जाने से बचाया और उसको अपने बंगले मे रखा और उसको पनाह दी । वह व्यक्ति इस सदन के अन्दर आकर बैठे, पाकिस्तान के जासूसों को मदद करने वाला व्यक्ति सदन के अन्दर आकर बैठे, सदन को अपवित्र बनाये और ऐसे व्यक्ति के साथ में बैठने को हमें बाध्य होना पड़ेगा–इससे बढ़ कर शर्म की क्या बात हो सकती है·····

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीया–He should not make such charges unless he has given prior notice. He should give proper evidence before the house.

श्री उपाध्यक्ष : मैं इसको आवश्यक महसूस नहीं करता।

श्री केदार नाथ : यह किस आथोरिटी से कह रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : Please continue.

श्री गुमानमल : चौहटन से आने वाले माननीय सदस्य के नाम से वारण्ट था और उनको गिरफ्तार करने के लिये पुलिस तीन तारीख को आई····

श्री मोहर्रासह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष : आप फरमाइये । (श्री गुमानमल से) Wait please.

श्री मोहर्रासह : व्यवस्था का प्रश्न है । किसी भी मंत्री पर इस हाउस में कोई चार्ज लगाया जाय तो उसको पूर्व सूचना देनी चाहिये और सदन में उसे पेश करने की अनुमति लेनी चाहिये ।

श्री उपाध्यक्ष : मंत्री के ऊपर आरोप नहीं है । पूर्व सूचना की जरूरत नहीं है क्योंकि गर्वनमेंट के खिलाफ है ।

श्री मोहर्रासह : इन्होंने बहुत से आरोप लगाये हैं··

श्री **राजेन्द्र कुमार भारतीया** : मैं निवेदन करूंगा कि इन्होंने व्यक्तिगत नाम लिया है, पाकिस्तान

(श्री राजेन्द्र कुमार भारतिया)
के जासूसों को पनाह देने की बात कही है मुख्य मंत्री के बंगले में ठहराने की बात कही है। इस हाउस में बिना सूचना दिये हुए इस प्रकार के चार्ज लगाये जाते हैं यह आब्जेक्शनेबल बात है।

श्री प्रद्युम्नसिंह : इस पर व्यवस्था आनी चाहिये क्या इस प्रकार के एलीगेशन बिदाउट नोटिस लगाये जा सकते हैं।

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीया : आप फर्मा रहे हैं कि आप इसको एतराज के काबिल नहीं समझते हैं। मुझे अफसोस होता है, यह गम्भीर आरोप है जो यहां पर सदन में लगाये जा रहे हैं। इस प्रकार एक पक्ष की बात नहीं होनी चाहिए।

श्री शीशराम ओला : जिन माननीय सदस्य के लिए कहा, वह उतने ही जिम्मेदार हैं जितने कि जो माननीय सदस्य बोल रहे हैं। उनको भी उतना ही अधिकार है जितना अधिकार आपको है। इसलिये इस प्रकार की बेबुनियाद बात कहना और बिना सूचना दिये आरोप लगाना उचित नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष माननीय सदस्य, अभी जो माननीय सदस्य भाषण दे रहे थे उन्होंने किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लिया है।

कई माननीय सदस्य : चौहटन से आने वाले माननीय सदस्य कहा हैं।

(शोरगुल)

श्री मोहनलाल छंगानी : यह पेशेवर जूठ बोलने वाले हैं।

श्री प्रद्युम्नसिंह : इन्होंने कहा है, चौहटन से आने वाले माननीय सदस्य।

श्री मोहनलाल छंगानी : हमेशा यह झूठे इल्जाम लगाते हैं, गलत इल्जाम लगाते हैं।

श्री गुमानमल लोढ़ा : माननीय मुख्य मंत्रीजी इसे स्वीकार करेंगे कि 1965 के अन्दर चौहटन से आने वाले माननीय सदस्य को गिरफ्तार किया गया था ....

श्री उपाध्यक्ष : आपने चौहटन से आने वाले माननीय सदस्य का नाम लिया है।

श्री गुमानमल लोढ़ा : बिल्कुल उन्हें जेल में रखा गया है, गिरफ्तार किया गया है।

श्री उपाध्यक्ष : मैं निवेदन करूंगा, इस प्रकार के आरोप माननीय सदस्य, जो इस सदन में मौजूद हैं, के विरुद्ध न लगायें बिना आसन को पूर्व सूचना दिए। जब तक आप नियम 273 में दी हुई प्रक्रिया न अपनायें तब तक ऐसे शब्द, जो मानहानिकारक हों, का प्रयोग न करें, ऐसे आरोप न लगायें।

उन शब्दों को एक्सपंज किया जाय।

श्री गुमानमल लोढ़ा: माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात का दुःख है कि पुलिस विभाग जिनको गिरफ्तार करना चाहे, उनको मुख्य मंत्री जी पनाह दें ....

श्री प्रद्युम्नसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, यह फिर वही दोहरा रहे हैं।

श्री गुमानमल लोढ़ा : और देश के हित की रक्षा न करें।

कई माननीय सदस्य : गलत है।

(शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य !

श्री गुमानमल लोढा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे पास एक नहीं वीस ऐसे आदमियों की लिस्ट है · · ·

(शोरगुल-अश्रव्य)

जो इल्जाम लगाता हूं, चौहटन से आने वाले माननीय सदस्य · ·

(शोरगुल-अश्रव्य)

राजस्थान के अन्दर पाकिस्तान सरकार के जासूस · · · ·

(शोरगुल-अश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य !

(शोरगुल-अश्रव्य)

श्री गुमानमल लोढा : मैंने जो आरोप लगाये है उसका मुख्य मंत्री जी जवाब दें ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप भाषण समाप्त करें ।

(शोरगुल-अश्रव्य)

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीया : इस तरह की वात करते हैं · · ·

श्री बरकतुल्ला खां : एक चीज जो यहां पर आई उसका स्पष्टीकरण करना चाहता हूं जिस माननीय सदस्य के बारे में जनसंघ के नेता ने जिक्र किया, मैं यकीन दिलाता हूँ कि न मैंने उनको अपने घर में पनाह दी है न मेरे घर में वह रहे हैं न ठहरे हैं ।

श्री गुमानमल लोढा : प्रश्न यह है कि पाकिस्तान संदिग्ध व्यक्तियों की सूची में इनका नाम है या नहीं है ? यदि है तो क्यों नहीं इनको गिरफ्तार किया गया ? किस ने पनाह दी, राजस्थान के मुख्य मंत्री एक व्यक्ति को गिरफ्तार करने में सक्षम न हों · ·

(शोरगुल)

सच्ची बात कड़वी लग रही है ।

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीया : आप आरोपों का व्यौरा दें । जिस बात का खंडन किया गया है मुख्य मंत्री द्वारा, अफसोस की वात है कि आप तोड़मरोड़ करने के आदि हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों से फिर निवेदन करूंगा क सदन के नेता महोदय का कहना है कि उन्होने कोई आश्रय या पनाह नहीं दी उसके पश्चात् उन्हीं शब्दों और उसी तथ्य को पुनरावृत्ति करना उचित नहीं है। मैं आशा करता हूं कि माननीय सदस्य पूरी तरह आश्वस्त होंगे। नेता महोदय के कहने के पश्चात उन शब्दों की पुनरावृत्ति न करें ।

श्री गुमानमल लोढा : सदन से वढ़कर नेता नहीं होता । देश से वढ़कर सदन नहीं होता । क्या देशद्रोहियों की सूची में एक नम्बर पर इनका नाम नही था ?

(शोरगुल)

भारत पाक संघर्ष के समय इनको गिरफ्तार नहीं किया गया था ? मुख्यमंत्री कह दें जैसलमेर में · · ·

श्री रणजीत सिंह : पाइन्ट आफ आर्डर ।

(शोरगुल)

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीया : माननीय सदस्य माफी मांगें। मुख्य मंत्री ने पनाह दी, इन शब्दों को वापस लिया जाए। सूची का दूसरा सवाल है। पहले इस बात का निर्णय करें, अपने शब्दों को वापस लें।

श्री गुमानमल लोढ़ा : मैं मुख्यमंत्री से निवेदन करना चाहता हूँ कि उधर के माननीय सदस्य मेरे भाषण में अवरोध डालेंगे तो मुख्यमंत्री का भाषण भी नहीं हो सकेगा।

श्री अब्दुल हादी : पाइन्ट आफ आर्डर।

श्री गुमानमल लोढ़ा : आपको बोलने नहीं दिया जाएगा।

(शोरगुल–अश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष : (श्री गुमान मल लोढा से) आप आसन ग्रहण करें।

श्री प्रद्युम्न सिंह : श्री हादी कहना चाहते हैं, उन पर गलत आरोप लगाए हैं।

श्री गुमान मल लोढ़ा : भारत पाक संघर्ष के समय गिरफ्तार व्यक्तियों, पुलिस विभाग ने एक नम्बर पर इनका नाम नहीं रखा कि पाकिस्तान के साथ में···

श्री मोहनलाल छंगाणी : आप गांधीजी की हत्या के सिलसिले में गिरफ्तार नहीं हुए थे ?

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीया : सूची का प्रश्न नहीं है।

श्री गुमान मल लोढ़ा : नहीं मैं गिरफ्तार नहीं हुआ था। उत्तर देने का अवसर आपको मिलेगा। मैं केवल तथ्य रखना चाहता हूं। तथ्य कड़वे हो सकते हैं। राजस्थान में यह एक घटना नहीं प्रधान पंचायत समिति, चोहटन सुबोजखां, दोस मोहम्मद सरपंच, कुंदनपुरा खजांची ग्राम सेवा सहकारी समिति, कुंदनपुरा, अमीन देतानी, सरपंच एवं अध्यक्ष सेवा मंडल कांग्रेस कमेटी, जलालदीन सरपंच मते-कातला एवं अध्यक्ष ग्राम सेवा सहकारी समिति, हलाग्रास निवासी माथूरी खजांची ग्राम सेवा, गुलाम हुसैन पुत्र बाबूखां भंवार सरपंच, भवार जिला बाड़मेर, इस्माइल सरपंच स्पेकातला बाड़मेर, मौलवी अब्दुला हक अध्यक्ष, न्याय पंचायत भाप। यह सब उस सूची में हैं। अब्दुल हादी का नाम सबसे ऊपर है फिर भी गिरफ्तार नहीं किया गया और इसके साथ में जैसलमेर के गाजी। ये व्यक्ति थे जिनके खिलाफ पुलिस विभाग ने केवल उन पर राष्ट्रद्रोही होने का आरोप नहीं लगाया बल्कि डिफेंस आफ इंडिया एक्ट के अंतर्गत गाजी के अलावा सबको गिरफ्तार किया गया और उसके बाद मैं जानना चाहूंगा मुख्यमंत्रीजी, कौनसे रहस्यमय कारण थे, कौनसी परिस्थितियां थीं? मैं पहले ही कह चुका हूं मुख्यमंत्रीजी कि भावना से कर्त्तव्य ऊंचा होता है। यदि आपने विक्रमादित्य के सिंहासन पर बैठना पसंद किया है तो आपको उस बारे में किसी प्रकार के विचार करने की आवश्यकता नहीं, इन व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमें क्यों नहीं चलाए गए? इनको गिरफ्तार किया गया, यह सूचना मेरे पास में है। मुख्यमंत्री यदि कह देंगे कि गिरफ्तार नहीं किया गया डी.आई.आर.

[redacted]

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

के तहत तो सदन मुझे क्षमा करे मैं आरोप वापस ले लूंगा लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि देशद्रोहियों के खिलाफ मुकदमें क्यों नहीं चलाए गए। हमने पाकिस्तान की गाजी को तो समुद्र में डुबो दिया, एक हजार वर्ष ऊपर नहीं आ सकेगा और भुट्टों ने कहा एक हजार वर्ष तक भारत से संघर्ष करूंगा। आज भारत के प्रति देशद्रोह दिखाना, जैसलमेर के गाजी, वाड़मेर जैसलमेर के कलक्टर ने 4 दिन तक उसको विठा रखा, गिरफ्तार क्यों नहीं उसको किया। गया सूची में यदि उसका नाम है तो उपाध्यक्षजी क्या मेरा कर्त्तव्य नहीं, सदन के उन माननीय सदस्यों को जिनको 2।। करोड़ जनता ने चुनकर भेजा है, उनका कर्त्तव्य नहीं कि देखें कि राजस्थान की एकता वनी रहे? राजस्थान की सुरक्षा वनी रहे, भारत के जिन जवानों ने अपना खून देकर छाछरों पर कब्जा किया है, वापस न जा सके, क्या उस वलिदान को व्यर्थ होने दिया जाएगा? मुख्यमंत्री उत्तर देंगे। एक वात और मैं पूछना चाहता हूं। क्या यह सही है कि इन पर मुकदमें न चलाकर केवल एक सूची/नाम संकेत मात्र कहना मुख्यमंत्री अपने कर्त्तव्य का भान कराना चाहते हैं। आज उनका बहुमत है, मेरी वात को ठोकर मार सकते हैं। वहुमत के द्वारा दवा सकते हैं लेकिन उनके हृदय की भावना जगे कि राष्ट्र के हित में प्रधानमंत्री के हाथ मजबूत करने की जो बात हम कहते हैं उनको सही माइने में मजबूत करने के लिए उनके खिलाफ मुकदमा चलाया जाना चाहिए था। तो कौनसे दोषी अधिकारी हैं जिन्होंने मुकदमा नहीं चलाया। इसकी जांच करनी चाहिए। और एक वात और कहना चाहता हूं इसी संदर्भ में। यह संदर्भ इस वात का है कि रानीवाड़ा के अंदर एक व्यक्ति जेल में है। वहां उसका ट्रायल होने वाला है। उस पर आरोप यह है कि पाकिस्तान के गुप्तचरों के साथ में लगा हुआ है और चौहटन के माननीय सदस्य के रिश्तेदार हैं। मैं नहीं कहता कि रिश्तेदार होने के कारण माननीय सदस्य अपराधी हैं केवल इस कारण वह देश भक्त भी हो सकते हैं लेकिन चौहटन एस. डी. ओ. और तहसीलदार और वाड़मेर के अधिकारी वहां पर गवाहों को टेम्पर कर रहे हैं इस वात के लिए कि देशद्रोही के आरोप से वच जाय। पुलिस हमारी रक्षा करे नहीं तो ढाई करोड़ जनता खड़ी हो जाएगी और जवाब मुख्यमंत्री को देना है। इस वारे में एक दूसरा व्यक्ति है जिसको कोआपरेटिव विभाग से निकाल दिया गया और उसके वाद में मैं मुख्यमंत्री से जानना चाहूंगा कि कौनसे कारण थे कि उसी व्यक्ति को फिर से वहां से हटाए जाने के वाद में चौहटन के अन्दर दूसरे क्षेत्र में किस संस्था के अध्यक्ष हमारे विधायक हैं उन्होंने कोषाध्यक्ष करके रख दिया। नाम आपको मालूम है, मुझे वताने की आवश्यकता नहीं। यह सव कहने का कारण यह है कि आपको सतर्क करना चाहता हूं कि देशद्रोही जिसका जिक्र आज अन्य सदस्यों ने किया कि वीकानेर तक पहुँच गए हैं, वे वढ़ रहे हैं, हमारी सुरक्षा खतरे में है, खतरे का मुकावला करने के लिए एक होकर विचार करना होगा कि वास्तव में कारण क्या है, कौनसी

[redacted]

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

परिस्थितियां हैं जिनके कारण हम इनको नहीं दवा सकते।

एक बात और है। गंभीर मसला है। लां डिपार्टमेंट के लोग नोट कर लें। राजस्थान हाई कोर्ट का रेकार्ड इस बात का साक्षी है। उसमें एक अपील की गई है स्टेट वर्सेज शमीम। अपील एडमिट हो गई। 307 का मुकदमा था। एडमिट होने के पश्चात् मुख्यमंत्री जानते हैं और अधिकतर सदस्य जानते हैं, फौजदारी केस में न्यायालय पर होता है कि सजा करे या वरी करे। लेकिन रहस्यमय परिस्थितियों में ला सेक्रेटरी ने उसी गवर्नमेंट एडवोकेट ने जिन्होंने ओपीनियन दी थी कि इट इज ए फिट केस फार अपील टेलीफोन किया कि ऐसी राय भेजो कि इसमें कोई गुंजाइश नहीं. एकुइटल के खिलाफ अपील की। उपाध्यक्ष महोदय आज इस तरह की गडवड़ियां हो रही हैं कि जो दफा 307 का मुकदमा था उसे हाई कोर्ट से विदड़ा करवाया उपाध्यक्ष महोदय यह राजस्थान हाई कोर्ट जिसे वने आज 25 वर्ष हो गये हैं उसकी तवारीख में पहला केस है जिस केस में हाईकोर्ट में अपील की गई थी, डिपार्टमेन्ट के अफसर ने भूतपूर्व लां मिनिस्टर के उस केस में कहने से जोधपुर गवर्नमेन्ट एडवोकेट को फोन किया और उस फाइल को वापिस यहां भेज कर अपने नीचे के अफसरों से यह नोटिंग करवाया गया कि यह फाल्स केस है अत: इसको विदड़ा किया जाना चाहिये। बड़े अफसोस की बात है इस प्रकार राजस्थान सरकार के मिनिस्टर साहब काम करते थे और यह भी वतादूं कि वो ला मिनिस्टर साहब कोई नहीं थे आज के राजस्थान के मुख्य मंत्री श्री वरकतउल्लाखां। उन्होंने ही ये सब गड़बड़ी करवायी थी और दोषी व्यक्तियों को बचाया। आज यह इमानदारी की डींग मारते हैं पर ये कारनामे किये हैं उन्होंने। यह एक ही केस नहीं है ऐसे कई केसेज आज भ्रष्टाचार को मिटाने वाले मुख्य मंत्री जब मिनिस्टर थे तव हुए।

(समय समाप्ति सूचक घन्टी)

तो उपाध्यक्ष महोदय, यह निवेदन कर रहा था कि उस केस को हाईकोर्ट से विदड्रा कराया गया। इस प्रकार आज राजस्थान की ढाई करोड़ जनता को धोखा दिया जा रहा है इस तरह से आज राजस्थान की ढाई करोड़ जनता के साथ वेइन्साफ किया जा रहा है। उपाध्यक्ष महोदय ऐसे ऐसे कई काण्ड इस कांग्रेस सरकार ने जो कि कुर्सी की भूखी सरकार है जो कि कुर्सी के लिये इन्सानों पर गोलियां चला सकती है लोगों को मार सकती है वह मुख्य मन्त्री जी आपसे कह दूं कि ज्यादा दिन तक नहीं चलेगी। उपाध्यक्ष महोदय, मैं जवाब चाहूंगा राजस्थान सरकार से कि स्टेट वर्सेज शमीम के केस को खतम क्यों किया गया। आज राजस्थान की ढाई करोड़ जनता पूछ रही है मुख्य मन्त्री जी को जिसने दवाया स्टेट वर्सेज शमीम का केस।

(समय समाप्ति सूचक घन्टी)

आज उपाध्यक्ष महोदय, अब 2—4 बातें मैं और निवेदन कर दूंगा फिर समाप्त कर दूंगा सिर्फ संकेत मात्र ही इस सदन की जानकारी के लिये बताना चाहता हूं। यह मैं जानता हूं कि आज आपका बहुमत है

[redacted]

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

और बहुमत के आधार पर मेरे सुझाव को न माने मेरे सुझावों को ठोकर मार दें पर सही बात सही ही रहेगी और एक दिन दोषी व्यक्तियों को दण्ड मिलेगा। इसके अलावा मैं जो बात निवेदन करना चाहता हूं वह है कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करना। आज इण्डियन पीनल कोड में साफ है कि न्यायपालिका और कार्यपालिका अलग अलग होनी चाहिये। उपाध्यक्ष महोदय आज कई बार राजस्थान सरकार कहती है कि हम जल्दी ही न्यायपालिका और कार्यपालिका को अलग कर रहे हैं पर उपाध्यक्ष महोदय, अभी तक वो सेपरेट नहीं हुए। आज भारतवर्ष में यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि न्यायपालिका और कार्यपालिका दोनों एक है और सेपरेट नहीं। मैं आपसे निवेदन कर दूं उपाध्यक्ष महोदय अगर आप जनता को सस्ता और सुलभ न्याय दिलाना चाहते तो आपको न्यायपालिका को कार्यपालिका से जुदा करना पड़ेगा और जब तक ये दो सेपरेट नहीं होंगी जब तक जनता को सच्चा न्याय नहीं मिल सकता। और हमेशा कार्यपालिका न्यायपालिका के वर्किंग में अपना इन्टरफियरिंग करती रहती है जिससे न्याय नहीं मिलता। और अगर उनके आदेशों को नहीं माना जाता है तो उन्हें तंग किया जाता है। मैं आपको उदाहरण दूं किस किस प्रकार के कारनामें आज कांग्रेसी राजस्थान सरकार में हो रहे हैं। अभी कुछ वर्ष पहले मैं जयपुर हवाई जहाज से जोधपुर से दिल्ली आ रहा था। जोधपुर हवाई अड्डे पर हवाई जहाज बनाड़ पर करीब 2 घन्टे खड़ा रहा मैंने पूछताछ की, क्या बात है। जब पता लगाया तो मालूम पड़ा कि एक साहब जिन्हें पहले दिन हवाई जहाज का टिकट नहीं मिल सका था इसलिए उस राजस्थान के अधिकारी ने उस हवाई जहाज को रुकवा दिया कुछ कानूनी बात बता कर। मैं आपके जानकारी के लिये कह दूं वह हवाई जहाज वेस्ट एअर लाइन्स का था। मैंने उसकी शिकायत की कि किस प्रकार लोगों ने वेस्ट एअर लाइन्स के जहाज को परेशान किया। मैंने इसके लिये राज्य सरकार को लिखा पर कोई जांच का निर्णय नहीं हुआ। कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं हुई। इसी प्रकार कुछ दिन पहले एक अनुसूचित जाति की औरत प्रेमली और उसके 2 साल के छोटे बच्चों को जिन्दा जला डाला था। जोधपुर पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई, उदय मन्दिर थाने के थानेदार ने कोई कार्यवाही नहीं की और मुलजिमों का चालान तक पेश नहीं हुआ। आज इस कांग्रेसी सरकार में दो इन्सानों को जिन्दा जला दिया गया पर कोई कार्यवाही नहीं हुई पुलिस ने मुलजिमों को गिरफ्तार तक नहीं किया। उपाध्यक्ष महोदय ऐसे कई काण्ड यहां हुए हैं।

✓ श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य को मालूम होना चाहिये कि और भी सदस्यों को बोलना है। समय का ध्यान रखें। संक्षेप में कह दें।

श्री गुमानमल लोढ़ा : मैं बहुत संक्षेप में कह दूंगा। सिर्फ संकेत करना चाहता हूं इस प्रकार यहां पर राजोरिया काण्ड हुआ उसमें जो कोन्सटेबल गोली पार्टी के साथ था उसका भी खून कर दिया गया। इसका मतलब यह भी कोई नहीं बता सके

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

कि खूनी कौन था ताकि मुलजिम गिरफ्तार नहीं हो सके। उपाध्यक्ष महोदय यह तो कैनेडी काण्ड की तरह हो गया कि जिसने कैनेडी का खून किया था उसको खून कराने वालों ने मार दिया। चुनाव के दिनों में एक जनसंघी कार्यकर्ता का खून हुआ पर चूंकि उसमें कुछ प्रभावशाली उस एरिया के कांग्रेसी नेताओं का हाथ था इसलिये उस मर्डर केस में भी कोई कार्यवाही नहीं हुई। प्रद्युम्न सिंहजी बैठे मुस्करा रहे हैं।

श्री प्रद्युम्नसिंह : आप मेरे ऊपर गलत चार्ज लगा रहे हैं मैंने पहले भी हाउस में अपना स्पष्टीकरण दे दिया था।

श्री गुमानमल लोढा : इसी प्रकार उपाध्यक्ष महोदय, एक रामकुमार नाम के व्यक्ति का खून हुआ। दिन दहाड़े नीम के थाने में मैं आपसे निवेदन करदूं कि उस मामले को भी दबा दिया। इस हाउस में उस बात चर्चा हुई थी कहा था यह कांग्रेसी सरकार नहीं यह मोदी की सरकार है नीम के थाने के प्रभावशाली कांग्रेसी नेता श्री श्रीकृष्ण मोदी के सामने रामकुमार का खून हुआ था। दिन दहाड़े हत्या हुई मुझे बड़े खेद के साथ निवेदन करना पड़ता है कि इस प्रकार के कारनामें इस कांग्रेस की भ्रष्ट सरकार के हैं। मैं मुख्य मंत्री जी से कहूंगा कि इस प्रकार आप जनसंघी कार्यकर्त्ताओं को खतम नहीं कर सकेंगे। हम भ्रष्टाचार को खतम करने के लिये शहीद तक हो जावेंगे—देश के लिये मर मिटेंगे।

बड़े दुर्भाग्य की बात है आज राजस्थान सरकार ने जिनके लिये पाकिस्तान के जासूस होने का चार्ज था जिसे गिरफ्तार किया गया उन्हें इस सदन में लाकर बिठाया। देश द्रोहियों को पनाह देते हैं। और दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही नहीं करते तो मैं निवेदन करूंगा कि राज्य के भ्रष्टाचारी अफसरों के खिलाफ कार्यवाही की जावे।

श्री अब्दुल हादी : उपाध्यक्ष महोदय मैं भी कुछ बातें निवेदन करना चाहूंगा-अभी मैं हाउस में आया तो मुझे पता पड़ा कि मेरे बारे में हाउस में कुछ गलत बातें कही गई हैं। मेरे ऊपर गलत चार्जेज लगाये गये हैं पहले भी इस सदन में कई बार ऐसी झूठी बातें मेरे बारे मे कही गई और मेरे द्वारा इनका स्पष्टीकरण किया जा चुका है यह कोई नई बात नहीं है।

श्री गुमानमल लोढ़ा : मैं तो साफ साफ कहता हूँ कि तुम्हारे खिलाफ में चार्जेज है, तुम पाकिस्तान के जासूस हो—देशद्रोही हो।

(श्री हादी और गुमानमल लोढ़ा व कई माननीय सदस्य बोलने लगे; भारी शोरगुल:अश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष: आर्डर। आर्डर—माननीय सदस्य—स्थान ग्रहण करें। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि इस प्रकार आपस में एक साथ बोलने से न तो सदन की कार्यवाही चल सकती है और न ही एक दूसरे माननीय सदस्यों के विचार सुने ही जा सकते हैं इसलिये मेरा माननीय सदस्यों से निवेदन है कि सदन की कार्यवाही ठीक ढंग से चले उसके लिये ऐसी व्यवस्था सदन में की जाय कि दोनों पक्षों के लोगों के विचार सुने जा सके। और सदन की कार्यवाही भी

[redacted]

(श्री उपाध्यक्ष) :
नियमानुसार चलती रहे। सदन की गरिमा को ठेस न पहुंचे। यह मेरा निवेदन दोनों ही पक्षों के माननीय सदस्यों से है।

श्री गुमानमल लोढ़ा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा को शिरोधार्य करता हूँ।

मैं आपका आभारी हूं।

श्री अब्दुल हादी : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इतना ही निवेदन करना है कि बाड़मेर इलाके में किस तरह काम किया। भैरोंसिंह साहब पालियामेंन्ट के इलेक्शन में बाड़मेर से खड़े हुए। वे जीतकर नहीं जा सके पालियामेन्ट में, और कांग्रेस पार्टी का सदस्य जीत कर गया। उसकी हार की खीज है। दूसरा चौहटन से जनसंघ का सदस्य खड़ा हुआ उसको 60 वोट ही मिले। यह भी खीज है।

श्री गुमानमल लोढ़ा : × × × × के लोगों सुन लो।

कई माननीय सदस्य : ये शब्द वापिस लें।

श्री मोहनलाल छंगानी : साथ साथ बोलने पर अश्रव्य।

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीया: साथ-साथ बोलने पर अश्रव्य।

श्री मोहनलाल छंगानी : अपमान जनक बात है इसको वापिस लें।

श्री प्रद्युम्नसिंह : (अश्रव्य)

श्री गुमानमल लोढ़ा : (अश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।

श्री गुमानमल लोढा : देश के जीवन का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री गुमानमल लोढा : हादी साहब जेल में गये हैं। देश द्रोह के मामले में हादी साहब जेल में गये हैं।

श्री प्रद्युम्नसिंह : (अश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य मैंने अभी आपको निवेदन किया था और उसके उपरान्त अचानक यह वाद-विवाद शुरू हो गया।

श्री प्रद्युम्नसिंह : (अश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं आप से भी आशा करता हूँ कि नियमों को पढ़े। माननीय सदस्य, आप विशेष रूप से ध्यान रखें। आप इस बात को ध्यान में रखिये कि जब आसन पैरों पर खड़ा हो तो आपको स्थान ग्रहण करना चाहिये।

मैं आपको फिर यह निवेदन करना चाहूंगा कि कोई विशेष रूप से कार्यवाही किसी माननीय सदस्य के विरोध में मैं करूं

× × × अध्यक्ष–पीठ के आदेशानुसार शब्द कार्यवाही से निकाले गये।

[redacted]

(श्री उपाध्यक्ष)

उससे पूर्व में × × × देना चाहता हूँ और सब ही माननीय सदस्यों से अपेक्षा करता हूँ कि आप सब नियमों में रह कर सदन को जो गरिमा है उसको कायम रखते हुए सदन की कार्यवाही में भाग लें । फिर नम्र निवेदन करूंगा कि शान्तिपूर्वक सदन की कार्यवाही चालू रखें ।

श्री अब्दुल हादी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अर्ज कर रहा था कि चौहटन के इलाके में जनसंघ के केन्डीडेट को 600.700 वोट मिले ।

एक माननीय सदस्य : जमानत जब्त हो गयी ।

श्री अब्दुल हादी : पहले भैरोंसिहजी का धक्का लगा और अब फिर यह धक्का लगा । मैं बोर्डर पर रहता हूँ और नया नहीं हूं । उनकी पार्टी का यह उसूल है.....

श्री गुमानमल लोढ़ा : एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री उपाध्यक्ष : आपके लिये क्या कहा है ?

श्री गुमानमल लोढा : ओन ए पोइन्ट ओफ पर्सनल एक्स्प्लेशन सर । भारत पाक संघर्ष में देशद्रोही के रूप में गिरफ्तार हुए या नहीं ? डी. आई. आर. में गिरफ्तार हुए या नहीं ? भारत सुरक्षा कानून में गिरफ्तार हुए या नहीं ?

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बार बार आज्ञा का और नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं । कार्यवाही की जानी चाहिये ।

श्री गुमानमल लोढा : कार्यवाही कर लीजिये ।

श्री मोहनलाल छंगानी: माननीय सदस्य ने कांग्रेस सदस्य के लिये × × × के शब्दों का प्रयोग किया है । उनके खिलाफ प्रिविलेज मोशन लाना चाहूंगा । वे इसको विथड्रो कर लें । उनको शर्म आनी चाहिये कि इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं । उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप से व्यवस्था चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रिविलेज के बारे में ?

श्री खेतसिंह : यदि ये शब्द प्रोसिडिंग्स में आये हों तो उनको एक्सपन्ज कर दिया जाय ।

श्री मोठालाल : अच्छे शब्द का प्रयोग किया गया ।

श्री उपाध्यक्ष : जिस शब्द का प्रयोग किया है वह व्यक्ति विशेष से सम्बन्धित है इसलिये उसको मैं कार्यवाही से एक्सपेन्ज करता हूं ।

श्री केदारनाथ : आपने सदस्यों के लिये शब्द का प्रयोग किया है यह अनबिकमिंग ओफ दी चेयर है इसलिये इसको भी एक्सपन्ज करना चाहिये ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : Chair is the last servant of the House.

× × × × अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार शब्द कार्यवाही से निकाले गये ।

श्री उपाध्यक्ष : यदि ऐसा शब्द है तो उसको भी एक्सपंज किया जाय। किन्तु आसन ने माननीय सदस्यों को XXX न देकर नम्र निवेदन किया है।

श्री अब्दुल हादी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर दूं कि हमेशा हमेशा इस प्रकार के चार्ज लगाते हैं। 11-11-55 को डाकुओं ने मेरे चाचा का कत्ल किया और पाकिस्तान भाग गये, 11-11-58 को मेरे भाई का कत्ल किया और पाकिस्तान में जाकर पनाह ली। यदि मैं गुनाहगार हूं तो ओपन इन्क्वारी कराने के लिये तैयार हूं।

श्री गुमानमल लोढ़ा : पुलिस विभाग की मांग है और इस ओर मुख्य मंत्रीजी को कार्यवाही करनी चाहिये।

श्री अब्दुल हादी : जन संघ वाले ऐसा करते रहते हैं कि मुसलमानों को डरा कर उनके मोरल को गिरायें।

श्री गुमानमल लोढ़ा : मुसलमानों से जीत कर आये हैं, दिल्ली में आये, हैं अलवर में आये और जोधपुर में आये।

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय : उपाध्यक्ष महोदय....

श्री मनोहरलाल : ये भारतीय क्या रोग है।

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय : अनगत बात है। इस तरह की बात करते हैं।

(व्यवधान शोरगुल)

श्री मनोहरलाल : श्री राजेन्द्र भारतीय (अश्रव्य)।

श्री मनोहरलाल : उनको मुख्य मंत्रीजी का बोडीगार्ड बना दिया जाय।

कई माननीय सदस्य : (अश्रव्य)।

श्री गुमानमल लोढ़ा : हमें बताया जाय...

(व्यवधान, शोरगुल, अश्रव्य)

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय : आसन की व्यावस्था का उल्लघन ये करें और गालियां हमें खानी पड़े।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य आप आसन ग्रहण करें।

श्री प्रद्युम्नसिंह : उपाध्यक्ष महोदय...

श्री गुमानमल लोढ़ा : मुख्य मंत्रीजी आकर खुद बोलें ...

कई माननीय सदस्य : (अश्रव्य)

3.00 म. प.

(श्री रामकिशोर व्यास, अध्यक्ष, पदासीन)

(शोरगुल, व्यवधान)

(अश्रव्य- भारी शोरगुल के कारण)

(कई माननीय सदस्य एक साथ बोलने लगे)

XXX अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार शब्द कार्यवाही से निकाले गये

श्री गुमानमल लोढा : राजा महाराजाओं के खिलाफ बोलते हैं और उनका दामन पकड़ कर जीत कर आते हैं।

(शोरगुल)

श्री निरंजननाथ आचार्य : पाइन्ट आफ आर्डर एण्ड पाइन्ट आफ प्रिविलेज सर। अध्यक्ष महोदय, आपके आने के पूर्व सदन में वातावरण बहुत ही क्षुब्ध होता जा रहा था मैं समझता हूं कि इसकी क्षुब्धता का एक कारण है। अगर माननीय सदस्य इस स्थिति को समझ लें, आरम्भ से ही यह स्थिति क्षुब्ध होती जा रही है इसलिए कि जो माननीय सदस्य खड़े हो जाते हैं वह दूसरों को अवरुद्ध करते हैं बोलने को लेकिन वे स्वयं की स्थिति नियमों के अन्तर्गत नहीं समझते। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो माननीय सदस्य उद्विग्न होकर दूसरे माननीय सदस्यों को नियमों की शिक्षा देना चाहें और कहें कि कोई सदस्य नियमों के विरुद्ध बोल रहे हैं तो स्वयं नियमों का ध्यान करके बोलें तब तो नियंत्रण आ सकता है।

दूसरे मुख्य सचेतक महोदय की बड़ी जिम्मेदारी का प्रश्न है। अगर वह जिम्मेदारी इधर के सचेतक और उधर के सचेतक और मुख्य सचेतक वहन कर ले तो वातावरण को क्षुब्ध होने से रोका जा सकता है।

दूसरे माननीय भारतीय जो विधि वेत्ता है और उनको नियमों का खास ज्ञान है। फिर भी अगर ये नियंत्रण में लाये जा सके और इधर से भी सदस्य कुछ नियंत्रण में आ जायें तो इस क्षुब्धता का निराकरण हो सकता है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि बारबार श्री भारतीय जी का उठना भी उचित नहीं मालूम होता और सभी माननीय सदस्यों को अखरने वाला है और इधर भी अखरने वाला है।

श्री गुमानमल लोढा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात निवेदन करना चाहता हूं। आप एक मिनट सुन लें और आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। माननीय अध्यक्ष महोदय इस विधान सभा के अन्दर मेरा यह दुर्भाग्य रहा है कि समय समय पर मुझे कटु सत्य रखने पड़ते हैं और मैं कांग्रेस के सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि तथ्यों के ऊपर कोई बात गलत हो तो टोकें–इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी और मैं क्षमा भी मांग लूंगा लेकिन वह गति को और वाणी को अवरूद्ध करना चाहें तो आज तक मैंने रोक कर रखा है और यदि उन्होंने प्रयास किया–आसन की आज्ञा शिरोधार्य है–लेकिन आसन का काम वहां पर है तो मैं भी आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि उनको पता लग जाये कि आज के बाद में व्यवस्था नहीं बदली तो किसी भी मंत्री को नहीं बोलने दिया जायेगा और हमारी और से भी जवाब दिया जायेगा। (श्री अध्यक्ष के खड़ा होने पर) आसन खड़ा हुआ है और वे (श्री राजेन्द्र भारतीय) भी खड़े हो गये हैं। अभी ही देखलें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय,

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय : अध्यक्ष महोदय मेरे से संबन्धित सवाल है इसलिए मुझे बोलने का अवसर दिया जाये।

श्री खेतसिंह (शेरगढ) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा

(श्री खेतसिंह)

था कि अभी मावली से आने वाले माननीय सदस्य ने बहुत ही गम्भीर मसला आपके सामने प्रस्तुत किया है और सदन के अन्दर भी पिछले एक घण्टे से जिस तरह का वातावरण चल रहा है यह बहुत ही गम्भीर स्थिति है। मैं खास तौर से आपके माध्यम से जनसंघ के माननीय नेता महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि पहली बात तो उन्होंने यह चेलेन्ज दिया कि हम किसी को बोलने नहीं देंगे तो यह एक नेता के लिये बात कहना कतई भी शोभनीय नहीं है और यह सदन का अपमान है। मैं आपसे यह भी निवेदन करूंगा कि हम हर प्रयत्न करते हैं कि विरोधी पक्ष चूंकि अब की बहुत ही कम मात्रा में आया है इसलिए हम उनको हर तरह से एडजस्ट करना चाहते हैं लेकिन आज जिस तरह का व्यवहार श्री मनोहरसिंह जी का रहा और उसके बाद में जनसंघ के नेता और उनकी पार्टी के मेम्बर्स का जिस तरह से बिहेवियर रहा यह ऐसी स्थिति है कि जिसको कभी बरदाश्त नहीं कर सकेंगे। इसलिए मैं खास तौर से आपके माध्यम से माननीय जनसंघ के नेता और उनके ही सदस्यों से कहना चाहता हूं बाकी किसी पार्टी से मेरा कोई एतराज नहीं है···

श्री गुमानमल लोढ़ा : पहले आइने में अपना मुख देखिये।

श्री खेतसिंह : मैं यह कहना चाहता हूं कि यह इस तरह की बात कहते हैं तो टोटल में 8 और हम 145 और उनका इस तरह की बात कहना····

श्री गुमानमल लोढ़ा : 145 में फिसाद होते हैं। धारा 145 फिसाद का कारण है।

श्री खेतसिंह : उचित नहीं है। उन्हें नियमों का पालन करना चाहिए और नहीं करेंगे तो हम आपके सामने जो वैधानिक परिस्थितियां हैं वह लाकर प्रस्तुत करेंगे और फिर उसके अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

श्री गुमानमल लोढ़ा : वह आपके लिए भी लागू होगा। आसन के लिए दोनों बराबर हैं। आप 145 हो सकते हैं इसका अर्थ यह नहीं है कि हमारी वाणी को अवरुद्ध कर दें। आकाश में भी एक ही सूरज होता है और एक ही चन्द्रमा होता है और लाखों तारे होते हैं···

(शोरगुल)

एक दिन शाहजहां के दरबार में, अमरसिंह.
बल अपनी भुजाओं का दिखा गये रंग अकेला

आकाश में है तारे लाखों टिमटिमाते,
प्रकाश मण्डल करता है, चन्द्रमा अकेला।

यह मत कहो, जंग कर सकता नही अकेला,
लाखों का काम करता है सूरज अकेला।

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, सूर्य की बात तो अलग है यहां तो दिये हैं जो बुझ जाते हैं।

श्री गुमानमल लोढ़ा : दिया तो चारों तरफ प्रकाश देता है। आप ही हो राजोरिया काण्ड के अपराधी नम्बर एक।

श्री अध्यक्ष : अभी मावली से आने वाले माननीय सदस्य ने सूक्ष्म रूप में और सार

(श्री अध्यक्ष)

रूप में कुछ बातें कहीं। इनकी बहुतसी बातों से मैं सहमत हूँ क्योंकि इस सदन की गरिमा और परम्परा है उसको रखना सभी की जिम्मेदारी है चाहे वे माननीय सदस्य इधर के हो चाहे उधर के हो। उसको कोई भी करता है तो वह चाहे उधर का हो या इधर का हो उचित नहीं है। और परम्पराओं का उल्लंघन करना किसी के लिए उचित नहीं कहा जा सकता। यह अपने यहां की परम्परा रही है कि जब भी कोई सदस्य बोले तो उसको बोलने का अवसर दिया जाये और उसके बाद जिसको कुछ कहना हो कहे उसको भी समय अध्यक्ष दे या जो भी यहां पर बैठा होगा वह देगा। बीच बीच में ज्यादा बोलना हानिकारक तो है ही वह सदस्यों की पूरी बात सुनने का अवसर भी नहीं देता है और बहुतसी बातें खड़ी हो जाती हैं और लिखने का भी मौका नहीं देता है और अव्यवस्था की सी स्थिति पैदा हो जाती है। इसलिये माननीय सदस्यों से जो कुछ हुआ सो तो हुआ लेकिन आयन्दा के लिए निवेदन करना चाहता हूं, बहुत ही संजीदगी के साथ निवेदन करता हूं कि आपकी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं उनकी तरफ भी मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि आपको इतनी बड़ी संख्या में जनता ने चुनकर भेजा है आप जो कुछ यहां कहते हैं उसका असर बाहर भी जाता है। इस सदन में अब तक यह परम्परा रही है कि जब जब कठिन से कठिन समय आया है उनमें भी हमारे सदन ने मान रखा है। हमारी धारा सभा का प्रभाव सारे देश में रहा है इसलिये मैं कहता हूँ कि माननीय सदस्य जो सदन की परम्परा रही है उसको आगे भी निभायेंगे। उसको तोड़ेंगे नहीं, ऐसी आशा रखता हूं। तो मैं यही निवेदन कर रहा था कि जो परम्परा और नियम अनुकूल कार्य करने के है उसके अनुकूल कार्य करेंगे और फिर नियमों का उल्लंघन होगा चाहे किसी पक्ष से हो तो मैं नियमों की पाबन्दी करने की बात सबके लिए कहता हूं। और मैं चाहता हूं कि इनका पालन किया जाय। इनका उल्लंघन भी अगर होता है तो अध्यक्ष को जो कुछ भी नियमों के अनुसार कार्यवाही करनी होगी, वह की जाएगी, क्योंकि इस सदन में जब आपने अध्यक्ष बनाया है तो यह उसका फर्ज है कि सदन की व्यवस्था बनाए रखें। इस सदन की कार्यवाही अच्छी तरह से चले, समय का दुरुपयोग न हो, इस बात को अध्यक्ष देखे। सदन का कार्य सुचारु रूप से चले यह देखने का काम अध्यक्ष का है। इसलिए मैं बहुत नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि सदन की कार्यवाही को सुचारु रूप से चलाने में आप सहयोग दें, आप मेरी मदद करें और उसको सफल बनाने के लिए, सदन की अच्छी परम्पराएं कायम रखने के लिये आपके सहयोग की आवश्यकता है। आपकी मदद की जरूरत है। एक साहब अगर किसी दूसरे सदस्य पर आरोप लगाते हैं और अगर उनको एक्सप्लेनेशन देना हो तो वे दें।

श्री हादी।

श्री अब्दुल हादी : अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात पूरी करूं इससे पहले मैं जनसंघ के नेता महोदय से निवेदन करूंगा कि आपने जो कुछ आरोप लगाए हैं वे बेबुनियाद हैं इसलिए मेहरबानी करके किसी मेम्बर पर सुनी सुनाई बातों पर वाहियात इल्जाम लगाने की कोशिश न करें।

श्री गुमानमल लोढ़ा : आप पर जो इल्जाम लगाया गया है उसका आपने उत्तर नहीं दिया है, उसका जवाब दें।

(व्यवधान–अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : मैं यह जानना चाहूंगा कि आपकी स्पीच खत्म हो गई या चल रही है।

श्री गुमानमल लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य से यह जानकारी चाहता हूं कि भारत पाक संघर्ष के दौरान वे गिरफ्तार हुए या नहीं, पाकिस्तान को उन्होंने सहायता दी या नहीं, आप यह बतावें।

श्री अध्यक्ष : जितना उत्तर देना चाहें वे दे सकते हैं। हम यह तो नहीं कह सकते कि हर बात का उत्तर दो ही। उन्होंने जो उचित समझा उसका उत्तर दे दिया।

श्री मोहनलाल छंगाणी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जनसंघ के नेता ··

श्री गुमानमल लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, फिर इस वादविवाद के अन्दर अगर आप इस विषय को लेना चाहे तो हमें भी कुछ और बातें अर्ज करनी है और पहले उनको कहने का मौका दिया जावे। हादी काण्ड पर अभी भी हमें बहुत सी बातें रखनी हैं और मैं आपको बताऊं कि किसप्रकार पाकिस्तान को मदद दी गई, किस प्रकार पाकिस्तान के लिए जासूसी करके मिलिट्री को मरवा दिया गया······

(भयंकर शोरगुल–अश्रव्य)

(कई माननीय सदस्य एक साथ बोलने लगे)

श्री अध्यक्ष : आप बैठिए। आप बैठिए।

श्री मोहनलाल छंगाणी : अध्यक्ष महोदय, मैं तो केवल इतना ही निवेदन करना चाहता हूं।

श्री गुमानमल लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, मैं फिर आपसे निवेदन करूंगा····

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूं कि अपने नियमों के अन्तर्गत बहुत सारे अवसर हैं जिसके जरिए किसी मुद्दे को उठाना चाहें तो उठा सकते हैं, आपको प्रिविलेजेज हासिल हैं, ऐसे अधिकार हासिल हैं नियमों के अन्दर और उनके अन्दर आप मामले उठा सकते हैं। चाहे वे किसी माननीय सदस्य के बारे में हों चाहे कोई और मामले हों आप नियमों के अनुसार उनको उठा सकते हैं, उसमें किसी प्रकार के एतराज की बात नहीं होगी। श्रीमती निर्मला सिंह।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : अध्यक्ष महोदय, अगर ऐसा करेंगे तो भारतीय संस्कृति का क्या होगा?

(व्यवधान)

श्री गुमानमल लोढ़ा : भारतीय संस्कृति का कुछ हो या न हो लेकिन पटवारियों को मारकर और थानेदार को मारकर अगर कार लेना चाहें तो कुछ होने वाला नहीं है।

(व्यवधान–शोरगुल–अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : यद्यपि मैं जानता हूं·····

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : आप तो जनसंघ की टूटी दीवार को रोक लें तो ही हो जाएगा।

(अश्रव्य-शोरगुल)

श्री अध्यक्ष : यद्यपि मैं जानता हूं कि भाषण देने का प्रलोभन रोकना बड़ा ठिन काम है लेकिन किसी तरह से भी सेटिस्फकेशन मिल जाय· · · · ·

श्री रामानन्द अग्रवाल : इनको होती है कहां।

श्री अध्यक्ष : अगर जो समय मिलता है उसका उपयोग करें तो काफी काम ठीक-ठीक चल सकेगा। इसलिए मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि उस प्रलोभन को थोड़ा संवर्धन करें और जो अवसर मिलता है उसका ही पूरा सदुपयोग करें।

श्री मोहनलाल छंगाणी : माननीय अध्यक्ष महोदय मेरा नम्र निवेदन है आपके माध्यम से, जनसंघ के नेता से· · ·

श्री गुमानमल लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, अगर हादी के मामले को फिर उठाने की कोशिश की जाएगी· · · · ·

श्री मोहनलाल छंगाणी : मैं हादी की बात नहीं उठा रहा हूं।

(शोरगुल–अश्रव्य)

श्री गुमानमल लोढ़ा : अगर जनसंघ को बदनाम करने की कोशिश करेंगे तो उसका जवाब दिया जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमें आपकी आज्ञा शिरोधार्य है, आप जब भी इशारा करेंगे हम बैठ जायेंगे। लेकिन मैं एक बात का निवेदन करना चाहता हूं कि मुख्य सचेतक कांग्रेस दल ने यह कहा कि उनको भाषा पर काबू रखना चाहिए और संयमित भाषा का उपयोग करना चाहिए। तो मैं उनकी धमकी के उत्तर में कह देना चाहता हूं। ··

"हथियारों
घी से आग बुझ
हाथ पांव जकड़ दो
हथकड़ियों से कैद
हमारा।"

(शोरगुल–व्यवधान–अश्र

श्री अध्यक्ष : श्रीमती निर्मलासिंह।

श्रीमती निर्मलासिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना· · ·

(शोरगुल-अश्रव्य)

श्री मोहनलाल छंगाणी : अध्यक्ष महोदय, मैं तो एक ही बात अर्ज करना चाहता हूं· · ·

श्री गुमानमल लोढ़ा : हमारा यह दावा है कि अगर हादी कांड को आगे बढ़ाने की कोशिश की गई· · · ·

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य महिला सदस्या बोल रही हैं कुछ तो लिहाज रखिए।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : यह कत्थक नृत्य की मुद्राएं कभी समाप्त भी होंगी।

(शोरगुल-अश्रव्य)

श्री गुमानमल लोढ़ा : आप हमारे नृत्य की बात करते हैं लेकिन पहले पटवारी पर लाठियां बरसाने की और थानेदार पर लाठियां बरसाने की मुद्रा तो बन्द करो·····

(भयंकर शोरगुल-अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : श्रीमती निर्मलासिंह।

श्री गुमानमल लोढ़ा : यदि आप हादी काण्ड का विवाद समाप्त कर बजट पर

आपकी आज्ञा तैयार हैं लेकिन उस चाहते हैं तो दोषी चिट्ठा में आपके सामने

(शोरगुल–अश्रव्य)

श्री मोहनलाल छंगाणी : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक नम्र निवेदन है कि अगर जनसंघ के····

(शोरगुल–अश्रव्य)

श्रीमती निर्मला कुमारी (चित्तौड़गढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ा दुःख है कि सदन का समय इस प्रकार नष्ट किया जा रहा है। मुझे बोलने का आदेश हो चुका है और मैं बोलना चाहती हूं लेकिन मेरा समय यों ही बर्बाद हो रहा है, मुझे इसका बहुत दुःख है और महिलाओं के साथ इस तरह का व्यवहार किया जाय तो यह सदन की परम्पराओं के खिलाफ बात होगी····

श्री गुमानमल लोढा : मैं क्षमा चाहता हूं, माननीय सदस्या को दुःख हुआ तो।

श्रीमती निर्मला कुमारी : माननीय अध्यक्ष महोदय, कारागाह की मांग····

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : ठण्डाई वण्डाई चढ़ा कर आए हैं माननीय सदस्य।

श्री गुमानमल लोढा : आपके तो शराब के पेग पर पेग चलते रहते हैं ··

श्री अध्यक्ष : अगर आप उनको बढ़ावा देते रहेंगे तो और बहक जायेंगे। श्रीमती निर्मलासिंह।

श्रीमती निर्मला कुमारी : माननीय अध्यक्ष महोदय, कारागाह की मांग पर मेरा कटौती प्रस्ताव है। मैं कहना चाहती हूं और आपके माध्यम से सदन का तथा राज्य सरकार का ध्यान कारागाह की कुछ कमियों की ओर आकर्षित करना चाहूंगी।

एक समय था जब कि सीजर लुब्रा-सो का यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया जाता था कि अपराधी जन्मजात होता है परन्तु सीजर लुब्रासो का सिद्धान्त आज नहीं रहा। आज तो यह माना जाने लगा है कि अपराधी जन्मजात नहीं होता बल्कि समाज द्वारा किन्हीं विशेष परिस्थितियों की वजह से बना दिया जाता है। अर्थात् शारीरिक, मानसिक, आर्थिक तथा सामाजिक परिस्थितियां उनको अपराधी बनाती हैं। अतः जो अपराधी हैं उनका इलाज किया जा सकता है। प्राचीन समय में जब सीजर लुब्रासो का सिद्धान्त माना जाता था उस समय अपराधी को कठोर से कठोर सजा दी जाती थी, यहां तक कि मृत्यु दण्ड भी दिया जाता था परन्तु आज क्रिमोनोलोजी का सिद्धान्त बदल गया। आज अपराध संशोधन के सिद्धान्त बदल गए हैं परन्तु फिर भी हमारे कारागाह और खास तौर से राजस्थान के कारागाह जो हैं वे बहुत अधिक पिछड़े हुए हैं। कहां ऐसी परिस्थितियां हैं और कहां ऐसी खामियां हैं उनकी तरफ मैं आज आपका ध्यान आकर्षित करूंगी। जिस प्रकार से एक रोगी को एक शारीरिक रोग होने पर अस्पताल में लाया जाता है उस समय एक आदर्श अस्पताल का यही उद्देश्य होता है कि रोगी जो है वह अच्छा होकर समाज में जाय। उसी प्रकार एक

ों की मांग

(श्रीमती निर्मला कुमारी)

आदर्श कारागार का यही उद्देश्य होना चाहिए कि जो वहां पर आता है, एक अपराधी जो वहां आता है वह सुधर कर एक आदर्श नागरिक बन कर समाज में जाय। परन्तु बड़े दुःख की बात है कि इस प्रकार के जो आदर्श सिद्धान्त हैं वे हमारे जेलों में देखने को नहीं मिलते।

जैसा कि मैंने निवेदन किया है कि आज कारागार को सुधारने के सिद्धान्त को नहीं माना जा रहा है। ऐसी स्थिति में कारागार के लिये हम कारागार के बजाय सुधारालय शब्द का इस्तेमाल करें तो अधिक उपयुक्त होगा। हमारे राजस्थान के कारागारों की जो अव्यवस्था है, उसमें जो खामियां हैं, उनकी तरफ मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं। सब से पहले जो खामी है, वह है दोषपूर्ण प्रशासन। जैसा कि मैंने अभी आपको अर्ज किया, अपराध का अध्ययन करना एक बहुत ही गूढ़ विषय है। इसलिए जेलों में, या कारागारों में या सुधारालयों में ऐसे ही कर्मचारियों की नियुक्ति की जानी चाहिये कि जो क्रिमीनालोजी, अपराध शास्त्र के विशेषज्ञ हों। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि कारागार में आज जो हम प्रशासनिक कर्मचारी देखते हैं, जो आई. जी. पी. जेल्स हैं, जेल सुपरिन्टेन्डेन्ट हैं, या जेलर हैं, वे सब के सब एक प्रकार से आई. पी. एस. आर. ए. एस., आई. ए. एस. आफिसर हैं, वे विशेषज्ञ नहीं हैं, उन्हें क्रिमीनोलोजी के बारे में कोई ज्ञान नहीं है। अतएव परिणाम यह होता है कि जिस प्रकार एक मनोवैज्ञानिक तरीके से अपराध का इलाज होना चाहिये वह नहीं हो पाता है जबकि आज संसार के क्रिमिनालोजी के बारे में जो तथ्य हैं वे परिवर्तित हो गये हैं। आज भी वे अपराधी को समाज का कलंक मानते हैं और अपराधी के साथ कठोर से कठोर वर्ताव करते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि जेल में से ही अपराधी भाग जाते हैं या फिर वे पूरी तरह से सुधर नहीं पाते हैं। ऐसे कई उदाहरण मैंने देखे हैं और सुनने को भी मिले हैं। जेल में रहते हुए वे किसी प्रकार से सुधरें उसके बजाय वे जेल में ही चोरियां करना शुरू कर देते हैं। मेरा निवेदन है कि जब भी जेल के लिये किसी भी प्रशासक की नियुक्ति की जाये उस समय इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिये कि विशेषज्ञ या उसी स्पेशीलाइज्ड व्यक्ति को वहां पर नियुक्त किया जाना चाहिये जो कि क्रिमिनालोजी में या अपराध शास्त्र में विशेषज्ञ हो। सब से पहली बात यह है कि इस दोषपूर्ण प्रशासन की व्यवस्था को हमें बदलना होगा।

दूसरी बात जो मुझे राजस्थान के जेलों में देखने को मिलती है वह यह है कि सभी अपराधियों के साथ, सभी कैदियों के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाता। जैसा कि मैंने निवेदन किया है अपराधी एक रोगी है। यदि अस्पताल में सभी प्रकार के रोगियों के साथ, यदि वह मलेरिया, तपेदिक का रोगी है, उससे पीड़ित हो, और एक ही प्रकार की दवाई दी जाये, एक ही प्रकार की दवाई का उपयोग करेंगे तो क्या परिस्थिति होगी, इसकी आप कल्पना कर सकते हैं, तो इसी प्रकार की परिस्थिति मुझे अपनी जेलों में

(श्रीमती निर्मला कुमारी)

देखने को मिलती है। व्यक्तिगत रूप से यह नहीं देखा जाता है कि व्यक्ति अपराधी क्यों बना है अर्थात् उसका व्यक्तिगत अध्ययन नहीं किया जाता है। मेरा नम्र निवेदन है कि इस प्रकार की जो जेलें हैं, या कारागार हैं वहां पर साइकोलोजिकल क्लीनिक होने चाहिये और ऐसी क्लीनिक में अपराधी के केस की उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में स्टडी हो। वे क्यों, कैसे, कब और किन परिस्थितियों में अपराधी बने। इन बातों का अध्ययन नहीं करेंगे, इनकी जानकारी प्राप्त नहीं करेंगे तो अपराधी को हम सुधार नहीं पायेंगे क्योंकि कारण और कार्य का एक घनिष्ट सम्बन्ध होता है। जब हमें कारणों का पता नहीं चलेगा तो उस स्थिति में हम अपराधी को पूरी तरह से नहीं सुधार पायेंगे। इसलिये दूसरा मेरा सुझाव है कि प्रत्येक जेल में ऐसे साइकोलोजिकल क्लीनिकल होने चाहियें जहां पर अपराधियों के केस स्टडी किए जायें।

तीसरी कमी जो मुझे देखने को मिली है वह है हमेशा अपराधी को समाज से पृथक रखा जाता है। आज क्रिमिनालोजी का सिद्धान्त यह बताता है कि यदि अपराधी को समाज से अलग थलग रखा गया तो उसका पुनर्वास मुश्किल हो जाता है। पश्चिमी देशों में जेलों में अधिकतर यह बात ध्यान में रखी जाती है कि अपराधी अधिक से अधिक अपने निकट के रिश्तेदारों सम्बन्धियों तथा अन्य व्यक्तियों से मिलता रहे, पत्र व्यवहार करता रहे। यहां तक कि उसे जेल से छुट्टी भी दी जाती है। हमारे यहां पर कुछ आदर्श जेलों में इस प्रकार की व्यवस्था है परन्तु यह सब जगह नहीं है। यदि हम अपराधी को हमेशा समाज से अलग रखेंगे तो उसका परिणाम यह होगा कि जब वह जेल से छूटेगा तब उसका पुनर्वास कठिन हो जायेगा। अतएव इस स्थिति में सामाजिक सम्पर्क की सुविधा अपराधी को अधिक से अधिक मिलनी चाहिये। अपराध एक सामाजिक रोग है, मानसिक रोग है और नैतिक रोग है। इसका हमें इलाज करना है। इसलिये हमारा व्यवहार, हमारा इलाज का तरीका जो हो वह सिम्पेथेटिक होना चाहिये।

(3.27 म. प.)

(श्री रामसिंह यादव, उपाध्यक्ष, पदासीन)

तीसरी कमी जो मुझे जेल में या कारागार में देखने को मिली है वह है–एक सा श्रम, एक से श्रम के लिये कैदियों को बाध्य किया जाता है चाहे फिर उस श्रम को करने की उसकी रुचि हो या न हो, जैसे दरी, निवार रंगाई, आदि, यही काम लगातार उनसे लिया जाता है। चाहे अपराधी व्यक्तिगत रूप से उसमें रुचि लेता है या न लेता है। इस स्थिति में मेरा सुझाव है कि सब से पहले जिस प्रकार का श्रम उनसे लिया जाता है, उनकी व्यक्तिगत रुचि के बारे में जानकारी कर ली जाये ताकि वे उस श्रम में एक विशिष्टता प्राप्त कर सकें, एक स्पेशलाइजेशन प्राप्त कर सकें और जब जेल से छूटें तो उस उद्योग को, उस धन्धे को अपनी जीविका का साधन बना सकें। श्रम के साथ वेतन की व्यवस्था होनी चाहिये। यह कुछ जेलों में है, परन्तु सब जगह पर नहीं है। वेतन श्रम के

[redacted]

(श्रीमती निर्मला कुमारी)

अनुसार देना चाहिये। जितना श्रम किया उसके हिसाब से वेतन मिलना चाहिये ताकि काम करने वाले को श्रम करने की प्रवृत्ति बढ़े और इसके साथ साथ जो वेतन मिलता है, उसका कुछ भाग उसके खाने, पीने, पहिनने में व्यय किया जाये और बाकी का सेविंग बैंक अकाउन्ट में रखा जाये ताकि पुनर्वास के समय उसे इस प्रकार की कोई परेशानी न हो, उसे किसी प्रकार की दिक्कत का सामना न करना पड़े।

एक और जेल प्रशासन में मुझे कमी दिखाई दी, वह है अपराधियों को सामान्य सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं। खाने, पीने सोने, पहिनने की उनकी उचित व्यवस्था नहीं है। सामान्यतया, सैद्धान्तिक तौर पर कहते हैं कि अपराधियों को अच्छी सुविधाएं दी जा रही हैं। आप देखिये, उनको स्टेडी करने और उनका सर्वे करने के लिये मैं ऐसे स्थानों पर गई थी मुझे विदित हुआ कि अपराधियों को निकृष्ट कोटि का भोजन दिया जाता है। कई प्रकार के अनाज को मिलाकर और बिना उनको साफ किये, कंकड़ मिट्टी सहित उसको पिसा दिया जाता है। इस प्रकार की रोटी अगर आप कुत्ते को डाले तो वह भी नहीं खायेगा। इसके साथ साथ और भी उनकी पहिनने और ओढ़ने की सुविधाएं उचित प्रकार से नहीं होती हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सब से पहली जो आवश्यकता है, अपराधी सुधारने की वह है शिक्षा। मेरा निवेदन है कि सब प्रकार की जेलों में, ए. बी. सी. केटेगरी की सभी जेलों में, सब जगह शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिये। शिक्षा ही वह प्रकाश है जिससे सभी प्रकार की बुराईयां, सभी प्रकार के कलंक व दोष हो सकते हैं वे धुल सकते हैं। तो जेलों में शिक्षा की पूर्ण व्यवस्था करनी पड़ेगी। शिक्षा दो प्रकार की दी जा सकती हैं।

एक तो सामान्य शिक्षा और दूसरी तकनीकी यह औद्योगिक शिक्षा। सामान्य शिक्षा और तकनीकी शिक्षा जो अपराधी लोग प्राप्त करें उसके लिए सर्टिफिकेट्स और डिप्लोमा जो हैं वह दिया जाना चाहिये ताकि भविष्य में अपने जीवन में वापिस बसना चाहें तो उनके लिए डिग्री और डिप्लोमा अपने जीवन में काम आये।

पुलिस विभाग की एक सबसे बड़ी कमी है। मेरी समझ में यहां पर पुलिस विभाग के जो आफिसर्स होंगे शायद सुनकर बहुत फील करें, पर यह स्पष्ट बात है कि आज जेल में बहुत अधिक भ्रष्टाचार छा गया है और उसी प्रकार का भ्रष्टाचार है जिस प्रकार पुलिस विभाग में हैं। रिश्वतखोरी जो है। रिश्वत नीचे से ली जाती है और ऊपर तक पहुँचती है। एक अपराधी के रिश्तेदार से रिश्वत लेकर उसे सभी प्रकार की सुविधायें दे देते हैं। मिलने का समय दे दिया जाता हैं, पत्र लिखने की सुविधा दे दी जाती है, इस प्रकार की सुविधाएं उसको दे दी जाती हैं मगर मेरा यह निवेदन है कि इस प्रकार के भ्रष्टाचार जो हैं उसका उन्मूलन किया जाना अत्यन्त आवश्यक हैं।

जैसा कि मैने भ्रष्टाचार के बारे में निवेदन किया उसके अनेकों उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं। यदि जेलों में खाने-पीने के सामान का ठेका दिया जाता हैं तो वह उस व्यक्ति को दे दिया जाता है, उस

[redacted]

(श्रीमती निर्मला कुमारी)

ठेकेदार को दे दिया जाता है जिसने कि जेल के अधिकारियों को रिश्वत दी है, वह ऐसा माल सप्लाई करता है जो कि निकृष्ट कोटि का होता है। अपराधी के स्वास्थ्य पर बहुत बुरा प्रभाव वह डाल सकता हैं।

जेल के बगीचे में से अगर सुबह-सुबह सब्जी तोड़ी जाती हैं तो पहली टोकरी जेल अधिकारी के निवास पर पहुँचती हैं। अगर कोई खाने-पीने का समान होता है तो सबसे पहले जेल अधिकारी के निवास पर पहुंचता है। इस प्रकार से यह बड़े दुःख की बात हैं कि अपराधियों को सुधारने के लिए, समाज के कलंक को मिटाने के लिए जिन व्यक्तियों को वहां रख रहे हैं उन्हें पूर्ण सुविधा नहीं मिल पाती है, और इस प्रकार उनमें प्रतिशोध की भावना पैदा होती है उस विभाग के बारे में जो कि उनकी हालत सुधारने का प्रयत्न करता है। इस प्रकार से भ्रष्टाचार जो हैं उन्हें खत्म किया जाना चाहिये, और खास तौर से जो पदाधिकारी हैं उन लोगों में, नीचे से भ्रष्टाचार इस प्रकार का जो है समाप्त करना चाहिए।

भ्रष्टाचार का एक और उदाहरण है। कई बार अपराधियों को पैरोल पर छोड़ दिया जाता है उनको जिससे कि रिश्वत ले ली जाती है या दूसरे प्रकार की सुविधा ले ली जाती है। प्रश्न होता है पैरोल क्या है पैरोल के बारे में थोड़ासा बता देना चाहती हूं। पैरोल वह व्यवस्था हैं जिसमें कि यदि अपराधी ने जेल में अच्छा व्यवहार किया है तो उसको अच्छे व्यवहार के पुरस्कार के तौर पर उसकी सजा की अवधि कम कर दी जाती है। तो पैरोल पर छोड़ देते है इस प्रकार का भ्रष्टाचार हमें दिखाई देता है। तो उस भ्रष्टाचार का पूर्णतया निवारण किया जाना चाहिये।

एक और जो जेल प्रशासन के बारे में कमी दिखाई देती है वह है बारलेस प्रिजन्स की कमी। पश्चिमी देशों में अपराधी को रोगी की तरह से समझा जाता है और उसको एक स्वच्छ वातावरण में रखने की कोशिश की जाती है। हमारे यहां पर भी इस प्रकार की कोशिश अवश्य की गई है और बारलेस प्रिजन्स तीन स्थानों पर हैं एक दुर्गापुरा, सांगानेर और अनूपगढ़। परन्तु यह केवल तीन बारलेस प्रिजन्स हैं और इनकी जो व्यवस्था है वह भी पूर्णतया सन्तोषप्रद नहीं है। यदि हमें कोई चीज सैद्धान्तिक तौर से अपनानी है तो उसके अनुसार स्वयं को पूर्णतया उसी आदर्श पर ढाल लेना चाहिए जिस आदर्श को हम उससे चाहते हैं। इसलिए बारलेस प्रिजन्स, जो हमने तीन जगह कायम किये हैं ऐसे ही और जगह भी कायम करने चाहिये, और उनमें एक सुव्यवस्था होना आवश्यक है।

एक और जो जेल प्रशासन में कमी दिखाई देती है वह है आफटर केयर इन्स्टीट्यूशन्स का अभाव। जेल से जब कोई अपराधी छूट जाता है तो उसे समाज में वापिस बसाने के लिए आफटरकेयर इन्स्टीट्यूशन्स होना बहुत जरूरी है जहां पर उस अपराधी के इस कलंक को धोया जा सके। जब एक अपराधी जेल से निकलता है तो उसके माथे पर एक कलंक लगा हुआ होता है, और समाज उसे बुरी दृष्टि से देखता है। आफटरकेयर इन्स्टीट्यूशन उसकी देखरेख

[redacted]

(श्रीमती निर्मला कुमारी)

करके वापिस उसको जीवन में बसा सकती है। उदाहरण के लिए मैं अर्ज करूं कि एक बीमार व्यक्ति अस्पताल से घर पर आता है उस समय वह बहुत अधिक कमजोर होता है और किसी भी प्रकार की हवा या किसी भी प्रकार की बदपरहेजी वापिस बीमारी पैदा कर देती है, उसी प्रकार से एक अपराधी है उसको फिर से खुले वातावरण में एकदम छोड़ देंगे जिस के कारण से वह अपराधियों के बीच में फंस सके तो वापिस अपराधी बनता है। इसलिए आफ्टर केयर इन्स्टीट्यूशन हर जगह होना जरूरी है, और आफ्टर केयर इन्स्टीट्यूशन यह देखता है कि वह अपराधी जो है समाज में बस सके, समाज का एक क्रियाशील सदस्य बन सके, और राष्ट्र का एक आदर्श नागरिक बन सके···

श्री रामसिंह कुंडी : क्रियाशील सदस्य तो कांग्रेस का होता है।

श्रीमती निर्मला कुमारी : क्रियाशील सदस्य समाज का भी हो सकता है। क्रियाशील सदस्य जो है वह कोई भी हो सकता है। क्रियाशील का मतलब माननीय सदस्य नहीं समझे हैं। क्रियाशील शब्द का अर्थ समझ लें, और उसके बारे में प्रश्न करना चाहते हैं तो मैं हाउस में उत्तर देने के लिए तैयार हूं।

एक माननीय सदस्य : चेम्बर में कर लेंगे।

श्रीमती निर्मला कुमारी : कहीं भी मिल लें। कोई सीमा नहीं है।

तो इस प्रकार से मैं निवेदन कर रही थी कि समाज में हमको अपराधियों को वापिस बसाने हैं तो आफ्टर केयर इन्स्टीट्यूशन्स उसमें बहुत उपयोगी हो सकती हैं और इसकी व्यवस्था हमें अनिवार्य करना होगी।

कारागार में वयस्क अपराधियों के बारे में बताया है। सबसे मूल समस्या जो हमारे सामने है वह बाल-अपराधियों की है। बाल-अपराध एक नाजुक विषय है समाज में बाल-अपराधी बनते हैं वे कई कारणों से बनते हैं, पारिवारिक कारण हो सकते हैं, सामाजिक कारण हो सकते हैं, आर्थिक कारण हो सकते हैं। यदि उन्हें समाज में वापिस बसाना है तो कुछ विशेष तरीकों से उन्हें उठाना होगा। हमारे राजस्थान प्रान्त में बच्चों को सुधारने के लिए आदर्श स्कूल, आदर्श सुधारालय, बोस्टर स्कूल जो हैं कुछ स्थानों पर खोले गये हैं। आज इस प्रकार की व्यवस्था सब जगहों पर नहीं है। इसका परिणाम यह है कि आज बच्चों में वह बूस्ट नहीं हो पाया है। आज का बच्चा आगे जाकर भविष्य का एक नागरिक बनने वाला है। अतएव बाल-अपराध की प्रवृत्ति की ओर अधिक से अधिक ध्यान देना चाहिये बाल न्यायालयों के अभाव की वजह से सामान्य न्यायालयों में बाल-अपराधियों का न्याय किया जाता है। यह एक बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। अतएव बाल-न्यायालय स्थान-स्थान पर कायम किए जाने चाहिए जहां पर बाल-अपराधियों को सामान्य अपराधियों से अलग से ट्रीट किया जाना चाहिए।

(समय-समाप्ति-सूचक-घन्टी)

जेल व्यवस्था की कमियों की तरफ मैंने आपका ध्यान आकर्षित किया। यह भी

[redacted]

(श्रीमती निर्मला कुमारी)

मैंने देखा है कि हमारे बजट का बहुत सारा भाग जेल प्रशासन पर हम व्यय करते हैं। परन्तु, माननीय उपाध्यक्ष, आपके माध्यम से मैं यह निवेदन करना चाहती हूं कि यदि हम जेल पर जितना पैसा खर्च करते हैं उसके बनिस्बत समाज की बुराइयों की तरफ ध्यान आकर्षित कर समाज की बुराइयों को मिटाने की कोशिश करें तो ज्यादा उपयुक्त होगा क्योंकि प्रिकाशन इज बेटर देन क्योर। वयस्क व्यक्ति अपराधी क्यों बनता है ? समाज और उसका वातावरण उसके ब्रीडिंग ग्राउन्ड हैं। अगर हम उनको समाप्त कर दें तो ज्यादा उपयुक्त होगा। उनके सुधार के लिए जेलों पर इतना रुपया खर्च किया जाता है उसके बनिस्बत व्यक्ति अपराधी बनता है उस ब्रीडिंग ग्राउण्ड में कुछ करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा उसके लिए मैं सुझाव देना चाहती हूं। पहला सुझाव तो यह है कि सामाजिक सुरक्षा योजना (सोशियोसिक्योरिटी प्रोग्राम) लागू करना चाहिए। सामाजिक सुरक्षा योजना अभी तक बहुत कम मात्रा में लागू की है। मैं समझती हूं कि अपराध-प्रवृत्ति के सम्बन्ध में वह व्यक्ति की सुरक्षा करती, क्योंकि एक व्यक्ति अपराधी बनता है तो वह किसी कारण से। उसका मुख्य कारण है आर्थिक परेशानियाँ। यदि आर्थिक परेशानियों को हम सामाजिक सुरक्षा योजना के द्वारा कम कर देंगे तो व्यक्ति अपराध की ओर अग्रसर नहीं होगा।

दूसरा मेरा सुझाव यह है, नशा निषेध (प्राहिबिशन) के बारे में, मैं दो बार निवेदन कर चुकी हूं। तीसरी बार फिर अर्ज कर रही हूं, नशा वह प्रवृत्ति है जो व्यक्ति को अपराध की ओर ले जाती है जिस समय व्यक्ति अपराध करता है वह मानसिक रूप से विक्षिप्त होता है। विक्षिप्त अवस्था में वह क्या कर रहा है, इसका उसको पता नहीं रहता। खास तौर से नशा वह प्रवृत्ति है जो व्यक्ति को विक्षिप्त की तरह का व्यवहार करने के लिए बाध्य करती है। नशानिषेध यदि सरकार करती है तो बहुत सम्भव है, जेल के अन्दर जितना पैसा खर्च कर रहे हैं उसमें काफी कमी आ सकेगी। इसलिए नशा निषेध की नीति को लागू करना होगा।

तीसरा सुझाव यह है, सरकार को स्वस्थ मनोरंजन साधन उपलब्ध करने चाहिए। आज जो अपराध की मनोवृत्ति दिखाई देती है, इसका मूल कारण है, मनोरंजन के साधनों से उत्पन्न हुई विकृति। खास तौर से सिनेमा उद्योग के अन्दर मनोरंजन का व्यापारीकरण हो गया है, उस व्यापारीकरण की वजह से सिनेमा में वह चीजें दिखाई जाती हैं जिनसे अधिक से अधिक पैसा कमाया जा सके। परिणाम यह होता है कि व्यक्ति बालिग हो या बच्चा, इस प्रकार के सस्पेन्स के, चोरी, डाके, लूट-पाट के दृश्य देखते हैं तो वह प्रवृत्तियां उनमें भी विकसित होती हैं। एक दफा मैंने पहले भी निवेदन किया था, सरकार सिनेमा नेशनलाइज करे या फिर इस प्रकार की प्रवृत्ति नहीं पनप सके इसका थोड़ा प्रतिबन्ध होना चाहिए जिससे युवा पीढ़ी को अन्धकार की ओर जाने से रोक सके।

(समय-समाप्ति-सूचक-घन्टी)

(श्रीमती, निर्मला कुमारी)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं दो एक मिनिट और लूंगी।

चौथा मेरा सुझाव है, फेमिली गाइडेन्स क्लिनिक की व्यवस्था की जाय। सामान्यतः व्यक्ति अपराधी बनता है वह पारिवारिक विघटन और पारिवारिक कलहमय वातावरण के कारण अपराधी बनता है इसको रोकने के लिए फेमिली गाइडेन्स क्लिनिक खोले जाय, जिसके द्वारा समय समय पर पारिवारिक समस्या और विघटन को दूर करने के बारे में सुझाव दिये जा सकें, कार्य किये जा सकें। इस के द्वारा पारिवारिक विघटन को रोका जा सके तो सर्वोत्तम होगा।

इसी प्रकार से मैं निवेदन कर रही थी, कारागार पर इतनी लम्बी चौड़ी राशि व्यय सरकार कर रही है इसके बनिस्बत समाज की परिस्थितियों और सामाजिक दृष्टिकोण को बदल कर अपराध की प्रवृत्ति को काफी हद तक कम कर सकती है क्योंकि समाज ही वह ब्रीडिंग ग्राउन्ड है, वही ऐसा स्थल है जहां से अपराधी पनपते हैं, इसलिए जेल प्रशासन पर इतना अधिक व्यय किया जाता है उस व्यय को कम करके समाज की परिस्थितियों को सुधारने की कोशिश करें तो ज्यादा उपयुक्त होगा।

इसके साथ ही, उपाध्यक्ष महोदय, मैं संक्षिप्त में ही एक बात और निवेदन करना चाहती हूं कि पुलिस विभाग जो है वह भी अपराधी प्रवृत्ति को बढ़ाने में बहुत अधिक जिम्मेदार है। आज स्वतंत्रता प्राप्त किये हुए हमें लगभग पच्चीस वर्ष हो गये हैं परन्तु फिर भी अब तक एक विशेष परम्परागत दृष्टिकोण पुलिस विभाग में देखने को मिलता है जो ब्रिटिश काल में था। पुलिस का व्यवहार अभी तक सुधरा नहीं है, इसलिए हम पुलिस विभाग के अन्दर कोई परिवर्तन नहीं लायेंगे तो उससे यह स्थिति, अपराध की प्रवृत्ति अधिक से अधिक समाज में बढ़ती रहेगी।

पुलिस में मुझे एक और अनियमितता दिखाई दी, वह यह है, अधिकतर जो चयन किये जाते हैं उनमें बहुत अधिक पक्षपात होता है। एन. सी. सी., सर्टिफिकेट सी सर्टिफिकेट पास करके एक विद्यार्थी पुलिस के कान्स्टेबल के लिए परीक्षा देने आता है तो उसका चयन नहीं होता। क्यों नहीं होता? सी सर्टिफिकेट प्राप्त करने के बाद वह मिलिट्री में जाने के योग्य है, लेकिन पुलिस में उसका चयन नहीं होता है। कारण क्या है? चयन उन व्यक्तियों का होता है जो रिश्वत देते हैं। इस प्रकार की अनियमितता है उन्हें बन्द करना चाहिए और कम से कम जो कुशल व्यक्ति हैं, जो विशेष प्रकार की योग्यता प्राप्त हैं उन लोगों को पुलिस विभाग में रख कर ज्यादा प्रोत्साहन देना चाहिए।

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

एक मिनिट बाद में अपना कथन समाप्त कर दूंगी। एक मिनिट।

मेरा दूसरा सुझाव है, खिलाड़ियों को कहीं प्रोत्साहन नहीं देते, सभी प्रकार की सर्विसेज में दिखाई देता है कि खिलाड़ियों को प्रोत्साहन नहीं देते। यह सही है, खेलने वाला विद्यार्थी पढ़ने में कमजोर होता है और वह परीक्षा अच्छे नम्बरों से

(श्रीमती निर्मला कुमारी)

पास नहीं कर सकता। ऐसे खिलाड़ियों को पुलिस में स्थान दें तो उन्हें एक विशेष प्रकार का काम करने के लिए प्रोत्साहन देंगे, साथ ही समाज में एक ऐसी व्यवस्था कायम कर सकेंगे जिससे खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिलेगा।

अंत में मैं यह कह कर अपना स्थान ग्रहण करती हूं कि कारागार और पुलिस विभाग की कमियों की ओर ध्यान नहीं दिया तो जिस समाजवाद का विचार करते हैं और समाजवाद के बारे में नीतियां अपनाना चाहते हैं वह नहीं अपना सकेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मीठालाल।

श्री प्रद्युम्न सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा नम्बर नहीं आया।

श्री मीठालाल (लालसोट) : माननीय उपाध्यक्ष, यदि इस अनुदान की मांग पर कटौती प्रस्तावों को देखा जाय तो इस पुलिस विभाग के 90 परसेन्ट कटौती प्रस्ताव पुलिस द्वारा भ्रष्टाचार, अपराधियों को बढ़ावा देना, घूसखोरी, लूट-खसोट आदि के कटौती प्रस्ताव है। इसमें कोई दो/राय नहीं है, यह डिपार्टमेंट बेचारा इस मामले में इतना बद-नाम है कि शायद ही कोई दूसरा विभाग इस विभाग के मुकाबले में इतना बदनाम हो। स्थिति यह है, असलियत कम है और बद-नाम ज्यादा है, वरना, उपाध्यक्ष महोदय, अखिल/भारतीय भ्रष्टाचार कमेटी बैठी थी, उसने पुलिस विभाग को पन्द्रहवां नम्बर दिया था, भ्रष्टाचार के मामले में पुलिस विभाग को पन्द्रहवा नम्बर था। इसके पहले अन्य विभाग इससे भ्रष्टाचार में बढ़ हुए एक से चौदह नम्बर तक आ चुके थे/ पन्द्रह-वां नम्बर पुलिस विभाग का था, इसके बाव-जूद आम जनता के सामने यदि कोई खुले रूप से विभाग इस ढंग का आता है जो प्रत्यक्ष में तत्काल तकलीफ देने वाला है या तत्काल तकलीफ दूर करने वाला है तो वह पुलिस विभाग है। उपाध्यक्ष महोदय, है तो जन-रक्षक लेकिन आज कल अधिकांश में भक्षक हो गये हैं। कहीं देख लीजिये, बहुत से थानेदारों की सरकार को भी यह रिपोर्ट मिलती होगी कि थाने में बलात्कार किये जाते हैं, मन्दिरों/में चोरी कराई जाती है, चोरी को ढकने और चोरों को पनाह देने की कोशिश की जाती है, चोरों को कह देते हैं हम उस रास्ते जाते हैं, आप चोरी करिये। जो साहूकार हैं, भले आदमी हैं उनको चोर बनाया/जाता है, अपराधी बनाया जाता है। और वास्तव में जो अपराधी है, और चोर है उसे साहूकार बनाया जाता है। इस काम में कोई विभाग सबसे अग्रणी है तो वह पुलिस विभाग है। उपाध्यक्ष महोदय, कई दफा आदमियों में झगड़े हो जाते हैं, आदमी मर जाते हैं, आदमियों के लगती भी है तो पुलिस विभाग उन केसेज को इस ढंग से बना कर दे देता है कि जिन आदमियों ने उस आदमी को मारा वह साफ बच जाता है और/ जो उस स्थान पर नहीं था वह जेल में बन्द हो जाता है। पुलिस विभाग से मैं यह निवेदन करता हूं कि और सब कुछ करे लेकिन कम से कम जो बेचारा अपराधी नहीं है, बहुत भला आदमी है, जिसका/अपराध में भाग नहीं है उस आदमी को अवश्य बचायें।

उपाध्यक्ष महोदय, प्रत्येक शहर में आंक (सट्टा) लगते हैं, नवलगढ़ और बम्बई के

(श्री मीठालाल)

आंक लगते हैं। आज सट्टा अधिक जोर पकड़ता आ रहा है इसमें पुलिस का पुलिस के स्थानीय आफिसरों का निश्चित रूप से हाथ होता है। सट्टों का इतना प्रचार हो गया है कि छोटे छोटे कस्बों में आंक प्रचार होने लग गया है। शहर वाले बहुत दिनों से इस प्रकार के सट्टे से परिचित हैं, लेकिन आज इतना प्रचार हो गया कि गांव वाले बिल्कुल बरबाद हो रहे हैं। लालसोट कस्बे के बारे में अर्ज कर रहा हूं मुख्यमंत्रीजी इस ओर ध्यान दें, अभी अभी वहां नया सट्टे का काम शुरू हुआ है, नवलगढ़ के आंक लगते हैं, बम्बई के आंक लगते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, गरीब आदमी अपने घर से नाज चोर चोर कर लाते हैं और उसको बेच कर सट्टा लगाते हैं। मर्द अपनी औरत के जेवर बेच देते हैं। लालसोट में पहले सट्टा नहीं था, लेकिन थोड़े समय पहले एक दूकान खुली, फिर दूसरी दुकान खुली फिर तीसरी दुकान खुली। वहां रात दिन काम होता है, टेली-फोन दुकान पर लग गया है। टेलीफोन आते जाते हैं और आंक लगते हैं, खुलते हैं। गरीब आदमियों के बच्चे भूखे मर रहे हैं, रो रहे हैं लेकिन वह कहीं न कहीं से पैसा लाकर सट्टे पर लगायेगा। इस बारे में निवेदन है, इस ढंग का आंक का सट्टा है, इससे गरीब लोग मरते हैं इसको तत्काल समाप्त करने के लिए कार्य-वाही की जावे। पुलिस अधिकारियों के लिए अलग से विशेष प्रावधान रख कर इसको तत्काल समाप्त करने की कार्यवाही करनी चाहिए।... आज भ्रष्टाचार, चोरी, डकैती, लूट में पुलिस विभाग का हाथ होने की बात सभी लोग कहते हैं। वास्तविक बात यह भी है, मैं समझता हूं कि सदन के अधिकांश सदस्य इसकी बुराई ही बुराई करते आये हैं.... अब कोई माननीय सदस्य यह न कहे कि पुलिस विभाग की पैरवी करने के लिए खड़ा नहीं हुआ हूं लेकिन सिर्फ बुराई ही बुराई करते जायं तो वह सुधरेगा नहीं। इसलिए इस विभाग के कर्मचारियों के लिए कुछ सुविधाओं की बात बता रहा हूं जिनकी ओर सरकार ध्यान दे और इस ओर विशेष ध्यान देकर इनकी शिकायतों की पूर्ति करे तो शायद जो रात दिन भ्रष्टाचार और रिश्वत के लिए वह बदनाम हैं, उसको राहत मिल सके। पुलिस विभाग में हर आदमी की ड्यूटी 24 घन्टे है जिसमें बड़े बड़े अधिका-रियों की 24 घन्टे ड्यूटी मानी जाती है और छुट्टियों के दिनों पर भी उनको ड्यूटी देनी पड़ती है। हम लोग जब दीवाली का या ईद का त्यौहार मनाते हैं तो पुलिस के कर्मचारी ड्यूटी देते रहते हैं। उनके लिए छुट्टी का प्रावधान नहीं। राजस्थान पुलिस विभाग में सब तरह का काम एक ही पुलिस करती है – इंतजामी पुलिस और तफतीशी पुलिस। ये दोनों अलग अलग होने चाहिए। दिल्ली में भी ऐसा ही है। विधान सभा के बाहर भी अधिकारी व कर्मचारी ड्यूटी देते हैं किसी की ड्यूटी मानक चौक पर होती है किसी की दूसरी जगह लेकिन वे सदन के आसपास घूमते हैं (ड्यूटी पर) या नीचे कार्यालय में बैठे हैं। अगर कोई बाहर दूर शहर में घटना घट जाए तो उसके लिए कुछ न कुछ टाल मटोल करेंगे या शहर में किसी की चोरी होती है तो तत्काल जांच नहीं कर सकेंगे। सदन की कार्यवाही महीना भर चलती है तो पीछे से किसी प्रकार की घटना हो तो उसके लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं है।

(श्री मीठालाल)

इस इन्तजामी और तफतीशी पुलिस विभाग को शुरू से देखा जाए जबसे राजस्थान बना तो उसमें क्या वढोतरी हुई ? आप किसी थाने पर जाकर देखें। उस समय जो पुलिस स्टाफ था वही स्टाफ उन थानों पर आज भी मौजूद है। उदाहरण के लिए गंगापुर सिटी थाने में जब राजस्थान बना वहां पर एक सब इन्सपेक्टर, एक ए. एस. आई., एक हैड कान्सटेबुल और 15 कान्सटेबुल्स थे। अब भी इतने का उतना स्टाफ है। समन्स का काम इतना बढ़ गया जो पुलिस के मारफत करते हैं न्यायालयों में काम बढ़ गया जेल में काम बढ़ गया और गंगापुर में जी. आर. पी. पुलिस का काम भी है। हर विभाग में स्टाफ बढ़ रहा है लेकिन पुलिस विभाग में स्टाफ नहीं बढ़ा अतः बढ़ाया जावे, जिससे वह अधिक से अधिक काम कर सके और जनता को राहत मिल सके। आज कोई मंत्री जाता है तो इंतजाम पुलिस करे, जुलूस निकले तो पुलिस वाले करें। जयपुर को देख लिया जाए सत्याग्रह हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, सारे का सारा इंतजाम पुलिस को करना पड़ता है। इसलिए इंतजामी पुलिस और तफतीशी पुलिस अलग अलग किए जायं जिससे सरकार को भी सुविधा होगी और जनता को भी राहत मिलेगी और, जनता की तकलीफ की शिकायत है वह भी मिट जाएगी।

पुलिस विभाग में जितना अनुसूचित जाति व जनजाति का कोटा होना चाहिए, अन्य विभाग में तो भरे जा रहे हैं लेकिन इस विभाग में कोटा पूरा नहीं हुआ। अतः सरकार इस मामले में विशेष ध्यान देकर इनका कोटा पूरा करे।

इसके अतिरिक्त वर्दी का मामला है। आज कोई बड़ा पुलिस अधिकारी है तो उसको एक हजार और बाद में 200 रुपया वर्दी का दिया जाएगा और जो छोटा कान्सटेबुल होता है या ए. एस. आई., उनको एक साल के 45) दिए जाते हैं। 45) में न तो धुलाई भी नहीं हो सकती। तो आप या तो वर्दी उनको दे दें या पैसा बढ़ाकर वास्तव में जो उनका पैसा लगता है वह देना चाहिए या सरकार को वर्दी बनाकर देनी चाहिए।

शहरों में अगर कोई पुलिस विभाग का कर्मचारी रहता है तो उसको वर्दी धुलाई का पैसा मिलता है लेकिन छोटे शहर और कस्बों वालों ने क्या गुनाह किया है ? जो उन्हें नहीं दिया जाता। जयपुर में रहने वाला पुलिस का आदमी वही कपड़े धुलाकर पहनता है और गांव और कस्बे में रहने वाला कर्मचारी भी धुले हुए कपड़े पहनता है। इसलिए इस भेदभाव को मिटाना चाहिए और सभी जगह एक जैसी व्यवस्था करना चाहिए जिससे इन लोगों में आपस में किसी तरह का भेद भाव न हो।

इसके अतिरिक्त थानों की चौकियों के लिए भवनों के बारे में निवेदन करता हूं। राजस्थान बनने से पहले जो झोंपड़े थे आज भी स्थिति ज्यों की त्यों है और कहीं भी जो गांव का थाना है या चौकी है उनका मकान आज तक नहीं बना। पुलिस कान्सटेबुल तो दूर वहां एक अधिकारी जाता है तो उसके बैठने के लिए जगह नहीं होती है इसलिए कम से कम जो तहसील हैडक्वार्टर्स पंचायत समिति हैडक्वार्टर्स पर चौकियां

[redacted]

(श्री मीठालाल)

हैं उनकी ओर विशेष ध्यान देकर कम से कम बिठाने के लिए इन्तजाम करें जहां जनता जाकर बात करे।

मैं सवाई माधोपुर जिले की बामनवास की स्थिति बताता हूं। तहसील हेडक्वार्टर पंचायत समिति हेडक्वाटर भी हैं। आज वहां कोई आदमी शिकायत करने जाय तो उसको मालूम नहीं कि दरवाजा किधर है क्योंकि चौतरफ दरवाजा है एक भी मकान नहीं जहां पुलिस कान्सटेबुल मिल जायगा। इसलिये सरकार से निवेदन है कि चौकियों पर थानों पर जहां भवन नहीं हैं वहां भवनों की व्यवस्था करें।

यह विभाग ऐसा है जिसमें न भ्रष्टाचार की बात कर सकते हैं न पुलिस वालों की बढोतरी की बात कर सकते हैं इसलिये मैं अधिक समय नहीं लेना चाहता।

जैसा सब मानते हैं कार्यपालिका और न्यायपालिका अलग अलग होनी चाहिये। जब सब दल मानते हैं तो फिर इसको अलग अलग करने में राज्य सरकार को किसी प्रकार से ढील नहीं करनी चाहिये। हाई कोर्ट बेंच का जो मामला है, बहुत उचित है और इस के अतिरिक्त दो साल पहले कांग्रेस के 68 सदस्यों ने लिखकर दिया था कि हाई कोर्ट बेंच जयपुर में स्थापित होनी चाहिये। अभी कुछ दिन पहले इस मामले को लेकर दस्तखत हुए हैं। जिला देहात कांग्रेस अलग आंदोलन कर रही है, राजस्थान कांग्रेस, विधान सभा कांग्रेस दल अलग आंदोलन कर रही है। लेकिन इसमें थोडी बेईमानी जरूर मालूम पडती है। 1967 में जब कांग्रेस का सदन में कम बहुमत था उस समय 6.. कांग्रेसी एम.एल.ए. ने लिख कर दिया था। और आज भी 100 से ऊपर माननीय सदस्यों ने लिखकर दिया है कि हाई कोर्ट बेंच जयपुर में होनी चाहिये अतः यह मानना चाहिये कि उन्होंने बेईमानी से लिखा है। अगर ईमानदारी से लिखा है तो और अगर उनमे थोडी बहुत ताकत है, स्वावलंबन हो, थोडी बहुत कार्य शक्ति हो तो एक दिन में हाई कोर्ट बेंच जयपुर में स्थापित हो सकती है।

यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि चुनावों के समय तो हाईकोर्ट की बेंच के विषय में कांग्रेस की ओर से जनता में भारी प्रचार किया जा रहा था पर ज्योंही चुनाव समाप्त हुए और कांग्रेस का बहुमत आया तो हमारे मुख्य मंत्री महोदय ने यह घोषणा करदी की हाई कोर्ट के बेंच के बारे में सवाल उठाना बेकार है। उसकी चर्चा नहीं की जाय। यह राजस्थान के लिये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इस तरह की विचारधारा मुख्य मंत्री राजस्थान की जनता के लिये रखते है। उपाध्यक्ष महोदय आज चाहे कोई भी व्यक्ति क्यों नहीं हो हर आदमी यही चाहेगा कि उसे सस्ता और सुलभ न्याय मिले। आज बड़े शहरों में आपने न्यायालय खोल रखें है जैसे तहसील सबडिवीजनल हैडक्वाटर्स, मुनसफी वगैरह। ये जितने भी छोटे छोटे न्यायालय है वे बड़े बड़े शहरों में हैं आज गांव के किसान जिनके कि मुकदमें इन कोर्टस में चलते रहते हैं उन्हें इन्ही शहरों में आना जाना पडता है और उसमें इनका काफी समय नष्ट हो जाता है और वो लोग परेशान हो जाते हैं। क्योंकि

(श्री मीठालाल) . . .

जो केसेज चलते हैं वो कई वरसों तक चलते रहते हैं। इसमें उनका काफी तो पैसा खर्च होता है और एक एक कोर्ट में करीब करीब किसी किसी केसेज में तो 3—3 साल और चार चार साल तक लग जाते हैं। कई बार तो ऐसा हो जाता है कि सीविल केसेज में दस साल तक लग जाते हैं। तो मेरा राज्य सरकार से यह निवेदन है कि आप ऐसी व्यवस्था करावे कि जिससे यह तय हो जाय कि इस प्रकार के मुकदमे में इतना समय लगेगा। अगर केसेज को सीमा को बान्ध दिया जाये तो काफी राहत जनता को मिल सकती है।

इसके साथ साथ उपाध्यक्ष महोदय, मैं कुछ पुलिस विभाग के बारे में भी निवेदन करना चाहता हूं। आज आर जहां जाते है वहां पर पुलिस विभाग में करप्शन की ज्यादा सुनते हैं। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिये यह निवेदन करना चाहूंगा कि यह तो सही है कि पुलिस में करैप्शन है पर मैं समझता हूं कि यह करेप्शन अब पुलिस विभाग के साथ साथ न्यायालय में भी फैलने लग गया है। आज पुलिस विभाग तो बदनाम है करेप्शन में पर आज अगर हम कोर्टस में जाकर देखे तो हमें करेप्शन आज चरम सीमा पर मिलेगा। नीचे के कोर्टस में 80 प्रतिशत से लेकर 90 प्रतिशत केसेज में रिश्वत लेकर काम होता है। उसी के अनुसार फैसले छप जाते है। आज आपके कुछ मुनसिफ लोग रिश्वत खाते हैं उनके रीडर और जो दूसरे कर्मचारी, जो वहां पर काम करते हैं, रिश्वत खाते हैं। आज एस. डी. एम. कोर्टस और तहसीलों में आपको घोर करैप्शन मिलेगा। यह बड़े ही दुर्भाग्य की बात है कि लोग पैसा देकर न्याय करते हैं। पैसा लेकर लोग चाहे जैसे काम करवा लेते हैं। इसके अलावा मैं एक बात और आपको निवेदन करना चाहता हूं वह है उपाध्यक्ष महोदय, आज अगर राजस्थान हाई कोर्ट की बैंच जयपुर में आ जाये तो राजस्थान की जो पूर्वी हिस्से की जनता को पूर्वी हिस्से के गांवों में रहने वाले किसानों को काफी राहत मिलेगी। पर पता नहीं मुख्य मन्त्री जी की यह क्या जिद्द है कि हाई कोर्ट जोधपुर में ही रहेगा। आज आप सिर्फ जोधपुर में रहने वाले लोगों के, क्योंकि आप खुद जोधपुर के रहने वाले हैं, आपका जोधपुर वालों के लिये सोफ्ट कार्नर है इसलिये आप जोधपुर से हाई कोर्ट की बैंच नहीं आने देते है। मैं उपाध्यक्ष महोदय, आपके मारफत राजस्थान सरकार के मुख्य मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि वो राजस्थान के पूर्वी हिस्से के ऊपर रहम करे और यहां हाई कोर्ट की बैंच जयपुर में नहीं आने देने के प्रश्न पर अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं बनावे। मैं आपकी जानकारी के लिये निवेदन कर दूं उपाध्यक्ष महोदय कि यह हाई कोर्ट की जो बैंच है अगर जयपुर में आ जाती है तो कोई सरकार की हानि नहीं होती है। आज भी हिन्दुस्तान के दूसरे स्टेटस में हाई कोर्टस को बैंचेज हैं। जैसे केरल में तीन हाईकोर्ट की बैंचेज हैं। इसी प्रकार आन्ध्र में है और उसी प्रकार महाराष्ट्र में भी हाईकोर्ट की बैंचेज दूसरी जगहों पर हैं। इसलिये मेरा मुख्य मंत्रीजी से निवेदन है कि वे जयपुर में हाईकोर्ट की जो बैंच लाने की मांग है उसे मन्जूर

Page No.133

(श्री मीठालाल)

करके यहां बैंच की स्थापना करें और जनता को रिलीफ दें। उन्हें जोधपुर वालों से घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम हाईकोर्ट की बैंच की यहां पर मांग कर रहे हैं, कोई हाईकोर्ट थोड़े ही वहां से शिफ्ट कर रहे हैं। इसमें कोई झगड़े की बात नहीं है। हाईकोर्ट का मुख्यालय जोधपुर में रहे पर एक बैंच यहां पर खुल जावे तो राजस्थान के पूर्वी हिस्से की जनता को राहत मिलेगी। अगर मुख्य मंत्रीजी न्याय करना चाहते हैं तो आज ही उन्हें हाईकोर्ट की बैंच जयपुर में खोलने के आदेश देने चाहिये। आज जब मांगों पर विचार हो रहा है तो मेरा इस सदन के सभी माननीय सदस्यों से निवेदन है कि वे राजस्थान के पूर्वी हिस्से की जनता को सस्ता और सुलभ न्याय देने के लिये जो कि राजस्थान सरकार की नीति है यहां पर बैंच लावें। मैं कांग्रेसी विधायकों को और खास तौर से जयपुर जिले के कांग्रेसी विधायकों से निवेदन करूंगा कि वो अगर थोड़ी ताकत रखते हों तो मुख्य मन्त्री जी पर इसका दबाव डालें। आज अच्छा मौका है वो चाहे तो इसकी मांग को मनवा सकते हैं पर मैं जानता हूं अभी तो इस ओर बैठने वाले विधायक हो, चाहे उस ओर बैठने वाले विधायकों में से कोई हो अभी प्रद्युम्नसिंह जो सामने बैठे हंस रहे हैं मेरी बात का समर्थन करेंगे कि हाईकोर्ट की बेंच यहां पर आवे पर जब वोटिंग होगा तो मुख्य मन्त्रीजी का समर्थन करेंगे। और तालियां बजाकर मांगों को पास करा देंगे।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैं चाहता हूं कि बैंच यहां पर आये।

श्री मीठालाल : आप चाहते हैं यह तो ठीक है पर वोटिंग के वक्त उधर वोट देंगे या फिर यहां से गायब मिलेंगे। आज कांग्रेस का बहुमत है आप चाहे नहीं माने। पर मैं इतना जरूर कहूंगा आपके माध्यम से उपाध्यक्ष महोदय मुख्य मन्त्री को कि यहां पर हाईकोर्ट की बैंच लायी जाय। इसके अलावा दूसरी बात मैं जो निवेदन करना चाहूंगा, वह है पुलिस विभाग के बारे में। वह यह है उपाध्यक्ष महोदय, कि आज राजस्थान की जनसंख्या को देखते हुए पुलिस के कर्मचारियों की संख्या बहुत कम है। जो वर्षों पहले स्टाफ था वही चला आ रहा है जो कि बहुत कम पड़ता है। दूसरे जो पुलिस के कर्मचारियों की तनख्वाह है वह बहुत ही कम है। आज एक थानेदार का जो ग्रेड है वह है 160 से 360 रुपये तक का और जो ग्रेड इन्क्रीमेन्ट है वह भी सालाना 8, 10 और ज्यादा से ज्यादा 15 रुपये तक है नोजब तक वह रिटायर होता है तब तक वह अपनी तनख्वाह का जो ग्रेड है उसके मेक्जिमम तक नहीं पहुंच पाता है। एक थानेदार की ड्यूटीज और रेसपोन्सिबिलीटीज को देखते हुए उनके ग्रेड को बढ़ाया जाना जरूरी है। दूसरे अन्त में मैं एक बार और यह निवेदन करूंगा कि जयपुर में हाईकोर्ट की बैंच का आना बहुत ही आवश्यक है। और अगर वह नहीं आती है तो न्याय विभाग की मांगे आज पास नहीं की जावे। बस यही मुझे निवेदन करना है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री प्रद्युम्नसिंह ।

श्री प्रद्युम्नसिंह (राजाखेड़ा) : महोदय, आज सदन में गृह विभाग की मांगों पर जो बहस चल रही है उसमें मैं भी कुछ सुझाव गृह मन्त्री जी को देना चाहता हूं। मेरा निवेदन है कि आज पुलिस विभाग को राज्य की पोपूलेशन को देखते हुए मजबूत बनाने की आवश्यकता है ताकि वह इफेक्टिवली काम कर सके। इसके बारे में मैं उपाध्यक्ष महोदय यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज हमारे यहां जिन परिस्थितियों में हमारी पुलिस के कर्मचारी व अधिकारी गण काम करते हैं वे प्रशंसनीय है। आज पुलिस का स्टाफ कम होने हुए भी अपना काम ठीक ढंग से कर रहा है। आज अभी सदन में जब पुलिस विभाग की मांग पर बहस चल रही थी तो मेरे पूर्व वक्ताओं ने यह कहा कि पुलिस विभाग में भ्रष्टाचार बहुत हैं। करेप्शन ज्यादा है। तो अगर हम यही मानकर चले कि पुलिस विभाग में सिर्फ भ्रष्टाचार ही है और इमानदारी से काम करने वाले पुलिस अफसर नहीं है तो गलत होगा। हमारी राजस्थान पुलिस ने कई जगह बहुत ही ईमानदारी से काम किया और उसकी कुछ उपलब्धियों का जिक्र कुछ माननीय सदस्यों ने भी किया था। आज स्थिति ऐसी है उपाध्यक्ष महोदय, कि जिस प्रकार जनसंख्या बढ़ती है, लोगों का विकास हुआ है, और अपराधों की भी कुछ वृत्तियां बढ़ी हैं। आज सफेद पोश क्रिमीनल्स ज्यादा हैं। क्रिमिनल्स में ज्यादा पढ़े लिखे लोग आपको मिलेंगे। तो उनके क्राइम करने के रास्ते भी दूसरे हो गये हैं। उन्हें पकड़ने के लिये हमें हमारे पुलिस आफिसरों को ट्रेनिंग देना जरूरी है। दूसरे साइन्टिफिक मेथड्स भी काम में लेने के लिये अनुसन्धान इस विभाग में होना चाहिये जिससे कि अपराधों की संख्या में कमी हो, और हम उससे क्रिमिनल्स को डिटैक्ट करने में ज्यादा सफल होंगे। आज पुलिस विभाग को जो रिपोर्ट पेश हुई है उसमें ऐसा बताया गया है कि क्राइम की बढ़ोतरी सिर्फ डेढ़ परसेन्ट की हुई है। मैं इसे सन्तोष की बात समझता हूं। और पुलिस विभाग के जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं उनकी प्रशंसा करता हूं और दूसरे माननीय सदस्यों से भी यह अपेक्षा करता हूं कि वे उनकी उपलब्धियों के लिये उनकी प्रशंसा करें जिससे कि पुलिस विभाग के जो अधिकारी हैं उनका मनोबल ऊंचा उठा रहे। अगर हम उन सभी को भ्रष्टाचारी समझेंगे तो जो ईमानदारी से काम करने वाले पुलिस अधिकारी हैं उनका मनोबल गिरेगा। इसके अलावा जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव राज्य के मन्त्री महोदय को देना चाहता हूं वह है जयपुर के अन्दर हाईकोर्ट की बैंच लाने के बारे में। उपाध्यक्ष महोदय, जयपुर में हाई कोर्ट की अगर बैंच आजाये तो मैं आपसे निवेदन करूंगा राजस्थान की जो पूर्वी जनता है उसे काफी राहत मिलेगी। वसे हाईकोर्ट का मुख्यालय वहां रहे पर बैंच यहां आने से जो लोग करौली में धौलपुर और उसके आसपास के लोग जोधपुर जाते है उसमें उनका काफी रुपया तो खर्च होता है पर समय भी बहुत ही नष्ट हो जाता है। इसलिये मेरा निवेदन है कि मुख्य मंत्री महोदय, इस पर विचार करके जयपुर में

(श्री [illegible] सिंह) हाईकोर्ट की बेंच की स्थापना जल्दी करावें। आज राजस्थान हाईकोर्ट में कई केसेज तो 10–10, 12–12 साल से चल रहे हैं। आज दूर के हिस्सों से जोधपुर आने-जाने में जितना खर्चा जनता का होता है वह काफी है। दूसरे जो मैं निवेदन करना चाहता हूं जैसा कि मैंने कहा है कि पुलिस और कर्मचारियों और अधिकारियों की संख्या में वृद्धि की जाय और अगर नहीं की गयी तो कुछ साल पहले जो गंगापुर के थाने को दबा लिया था। यह गंगापुर के लिये ही नहीं पर यह बातें सारे राजस्थान की बातें हैं। पुलिस के महकमें के अन्दर कर्मचारियों की संख्या उतनी ही है जब कि समाज की आबादी बढ़ी है, राजस्थान की आबादी बढ़ी है उसकी तुलना में कर्मचारियों की संख्या नहीं बढ़ायी गयी। इससे समाज में क्राइम हो रहे हैं उसको रोकना मुश्किल हो जावेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, यह इसलिये आवश्यक है कि पहले 2 करोड़ 20 लाख की आबादी थी आज 2½ करोड़ से ऊपर आबादी जा रही है। पुलिस की संख्या उतनी ही है। कर्मचारियों की संख्या बढ़ायी जाय तो सरकार कह देगी कि रुपया नहीं है। ऐसी योजना बना कर चलना चाहिये जिससे थोड़ी स्ट्रेन्थ बढ़ायी जा सके।

दूसरी बात राजस्थान का एरिया इतना विशाल है कि पुलिस कर्मचारियों को इन्वेस्टिगेशन के सम्बन्ध में आने जाने में बड़ी असुविधा होती है। मुल्जिम को पकड़ने गये, वह मिला नहीं। चालीस मील दूर चला गया, उनके पास साधन नहीं कि वे वहां जा सकें। इसलिये मुल्जिम डिटेक्ट नहीं होते हैं क्योंकि पुलिस के पास आने जाने के साधन नहीं हैं। अदालत तक थाने से जाते हैं तो उनके पास पैसा नहीं होता है। हम यह देखते हैं कि स्टेशनरी कभी नहीं है उनके पास। किसी से कहते हैं कागज ले आना, पेंसिल ले आना। स्टेशनरी की व्यवस्था नहीं कर सके। साधन आने जाने के नहीं दे सके। अरेस्ट होते हैं उनको अदालत तक पहुंचाने की व्यवस्था नहीं कर सकते हैं तो इसकी व्यवस्था करनी होगी।

भ्रष्टाचार निरोध विभाग के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। ऐन्टी करप्शन विभाग राजस्थान में कार्य किया जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य श्री जनार्दन सिंह गहलोत ने कुछ बातें कहीं। ऐन्टी-करप्शन विभाग में डेफिशियेन्सी आयी, वो कर्मचारी हैं उनको स्पेशल पे देना पड़ेगा। पुलिस फोर्स में जो अलाउन्स वगैरा मिलता है, वहां भी उनको देना पड़ेगा इसीलिये वहां लोग जाते हैं और एन्टी-करप्शन में जाने की उनकी इच्छा नहीं होती। एन्टी-करप्शन डिपार्टमेन्ट केवल जांच पड़ताल करके भेजता है। यदि साबित हो जाता है तो अदालत में चालान कर दिया जाता है या डिपार्टमेन्ट की कार्यवाही के लिये लिख देता है। साल छः महीने में इन्क्वायरी पूरी होती है और फिर महकमे की ओर से इन्क्वायरी होती है और दो साल लग जाते हैं। दोहरी इन्क्वायरी की जाती है। या तो एन्टीकरप्शन डिपार्टमेन्ट से इन्क्वायरी करवा लीजिये या महकमे से करवा लीजिये। डबल प्रोसेस है उसके लिये भी सोचना पड़ेगा।

(श्री प्रभु सिंह)

उपाध्यक्ष महोदय, इन्टेलीजेन्स, सी. आई. डी. विभाग की बात निवेदन करना चाहूंगा। इससे निकम्मी ब्रान्च राजस्थान में और कोई नहीं होगी। इस ब्रान्च में अधिकारी काम करना नहीं चाहते। एन्टी-करप्शन बे मन से जिस तरह से काम करता है उसी प्रकार यह काम करता है और यही बात इस पर लागू होती है। इन्टेलीजेन्स के नाम पर यह महकमा सिफर है। बहुत सी चीजों में राजस्थान सरकार को इसलिये हानि उठानी पड़ी कि इन्टेलीजेन्स डिपार्टमेन्ट ने समय पर खबर नहीं दी, वास्तविक स्थिति से अवगत नहीं कराया और इसीलिये हानि उठानी पड़ी। सी. आई. डी. डिपार्टमेन्ट में अच्छे चुने हुए लोग रखे जायं, इन्टीग्रिटी को इम्प्रूव किया जाय ताकि भारत सरकार का मुंह नहीं देखना पड़े क्योंकि आज सी. बी. आई. की इन्क्वायरी में लोगों का जितना विश्वास है उतना राजस्थान के सी. आई. डी. विभाग में नहीं है।

इसके साथ ही पुलिस के अन्दर जो भरती का तरीका है उसके बारे में निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे से पूर्व वक्ता चित्तौड़गढ़ से आने वाली माननीय सदस्या ने बातें कहीं वे वाजिब बातें हैं। एन. सी. सी. का सर्टिफिकेट हासिल करने वाला आरमी में सेकिण्ड लेफ्टिनेन्ट हो सकता है लेकिन पुलिस में नहीं। इसलिये यहां पर भी एन. सी. सी. के ए. बी. सी. सर्टिफिकेट हासिल करने वाले को पुलिस में प्राथमिकता दी जाय।

शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स का जो कोटा है वह कोटा पूरा नहीं हुआ है। मैं माननीय गृह मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि उनके इस कोटे को पूरा किया जाय। दूसरे महकमों की तरह इनको यहां भी लिये जायं ताकि कान्फिडेन्स बढ़े।

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

उपाध्यक्ष महोदय, प्रश्नोत्तर काल के समय में राष्ट्रीय स्वयम् सेवक संघ के बारे में इस बात की मांग की थी कि इसको सारे देश में बेन किया जाय। मैं पुनः मांग करता हूँ कि प्रश्नोत्तर काल के समय में माननीय मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया था कि केन्द्रीय सरकार को लिखेंगे कि प्रतिबन्ध लगाया जाय इस पर शीघ्र कार्यवाही करनी चाहिये।

जन संघ के नेता महोदय ने एक बात कही कि राजोरिया हत्या काण्ड में पुलिस ने मार डाला। यह बात बेबुनियाद है, गलत है और तथ्य हीन है। इस तरह की बात कह कर माननीय सदस्यों और अखबार वालों को गुमराह करना है। मैं चैलेन्ज देता हूं कि वे इस बात को साबित करें कौनसा ड्राईवर पुलिस की गोलियों से मारा गया। मैं उसी शहर में पैदा हुआ हूँ और हर चीज से वाकिफ हूँ उसके सम्बन्ध में यहां इस प्रकार की मनघढन्त बातें कहना अनुचित है।

माननीय हादीजी ने बाडमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने पर्सनल एक्सप्लेनेशन दिया। आर. एस. एस. पर बेन की मांग हुई तो जन संघ के माननीय सदस्यों ने विरोध किया था कि आर. एस. एस. पर बेन नहीं लगाया जाना चाहिये। आर. एस.एस. वाले लोग साम्प्रदायिक दंगों में

(श्री प्रद्युम्नसिंह)

फंसते हैं, तो कहते हैं जनसंघ वाले कि हमारा उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। और जब प्रतिबन्ध की बात करते हैं तो जनसंघ के माननीय सदस्य एक साथ खड़े होकर विरोध करते हैं। कथनी और करनी में अन्तर है। चोर की दाढ़ी में तिनका। आर. एस. एस. को बेन करने की बात कहीं, हाई कोर्ट के तीन सदस्यीय कमीशन मुकर्रर किया कि जांच करे कि आर. एस. एस. साम्प्रदायिक संगठन है। राजोरिया काण्ड में कमीशन अपोइन्ट कर दिया तुरन्त जांच की जावे, उन्होंने कहा कि ज्युडिशियल इन्क्वायरी होनी चाहिये। हम चाहते हैं कि सी. बी. आई. से जांच कराई जाय।

श्री भानुकुमार शास्त्री : ज्युडिशियल जांच के लिये इसलिये कह दिया था कि गारन्टी नहीं दी थी सरकार ने कि ज्युडिशियल इन्क्वायरी की फाइन्डिंग्स को वह अक्षरशः पालन करेगी।

श्री प्रद्युम्न सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, आप सदन की प्रोसीडिंग्स उठाकर देख लीजिये, हमारे मुख्य मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया था कि जुडीशल कमिशन की रिपोर्ट को जो भी फाइंडिंग्स होंगी, उनको हम टोटो मन्जूर करेंगे। यह इस सदन की प्रोसीडिंग्स उठा कर देखा जा सकता है।

मैं मुख्य मंत्री महोदय से यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि क्या राजस्थान पुलिस के अन्दर आपका कोई विश्वास नहीं रहा है जो हर बात के लिए आप सी. बी. आई. को इंक्वायरी के लिये बिठायेंगे। किशनगढ़ महाराजा की हत्या के लिये कहा गया था कि वह राजनैनिक हत्या थी, लेकिन सी. बी. आई. की रिपोर्ट आपने अखबार में पढ़ी होगी कि पालिटिक्स से इसका कोई ताल्लुक नहीं था। चुनाव के समय ऐसी कोई बात हो जाती है तो इन्टरेस्टेड पार्टीज उस का लाभ उठाने की दृष्टि से ऐसी बातें कहते हैं कि राजनैतिक मर्डर है। किशनगढ़ महाराजा के मर्डर के वक्त और अब राजोरिया कांड में इसी तरह का प्रचार किया गया। किशनगढ़ महाराजा के सिलसिले में तो सही हकीकत जनता के सामने आ गई, और भगवान करेगा राजोरिया हत्या कांड की भी सच्ची बात आपके सामने आ जायेगी। लेकिन आप हर बात के अन्दर सी. बी. आई को ले आवें, तो इस बात से आपके पुलिस आफिसर्स के अन्दर असन्तोष आवेगा। आपके आफिसर्स भी आई. पी. एस. के आफिसर्स हैं और सी. बी. आई. में भी वह ही आइ. पी. एस. के आफिसर्स काम करते हैं, फिर अगर आप इस तरह से हर जांच का काम सी. बी. आई. को देंगे तो हमारी पुलिस डीमोरेलाइज हो जायेगी और उसके गम्भीर परिणाम निकलेंगे। अगर पुलिस में डीमारलाइजेशन आ गया तो उनका काम करना मुश्किल हो जायेगा। इसलिये मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इस बात का ध्यान रखें और अपनी पुलिस को मजबूत बनावें, उनकी इनवेस्टीगेशन को मजबूत बनावें, और ईमानदार आफिसर्स को इसमें लगावें।

आखिर में, उपाध्यक्ष महोदय, मैं हाई कोर्ट की बात पर आता हूं इसके बारे में कुछ कहे बिना मैं अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा

(श्री प्रद्युम्नसिंह)

पाऊंगा। मैं धौलपुर से आता हूं। धौलपुर राजस्थान के कोने के अन्दर है। सरकार की यही मन्शा है, कानून भी यही कहता है और बड़े बड़े लोग भी इस बात को कहते हैं कि लोगों को सस्ता न्याय मिलना चाहिये। हरेक यह कहता है कि लोगों को सस्ता न्याय उपलब्ध होना चाहिये। अब धौलपुर से आने वाले आदमी को जोधपुर पहुंचने में 24 घन्टे लग जाते हैं पचास रुपये तो किराये के लग जाते हैं किसी को अगर जानकारी भी हासिल करनी हो कि उसके केस की क्या स्थिति है तो भी जोधपुर जाना पड़ जाता है। इसलिये राज्य सरकार से मेरी जोरदार मांग है कि हाई कोर्ट की एक बेंच जयपुर में स्थापित की जावे। इस मांग का मैं बहुत जोर से समर्थन करता हूं। मैं मानता हूं कि माननीय मीठालाल जी भी इससे संतुष्ट होंगे।

श्री उपाध्यक्ष : प्रोफेसर केदारनाथ।

श्री केदारनाथ (श्री गंगानगर) : मान्यवर, इससे पहले कि मैं मौजूदा पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन पर अपने विचार पेश करूं, मैं यह अपना फर्ज समझता हूं कि पुलिस आफिसर्स और सर्विसेज ने हिन्द और पाकिस्तान की लड़ाई में जो राष्ट्रीय भावना और जो सेन्स आफ रेस्पान्सीबिलिटी दिखाई, उसके लिये मैं उनको बधाई दूं। वह तारीफ के लायक है। चाहे होम गार्ड्स का काम हो, चाहे सिविल डिफेन्स का काम हो, हर क्षेत्र में उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाई। उस वक्त जब पाकिस्तान का एक्शन शुरू हुआ तो माइनारिटीज का मूवमेंट पाकिस्तान से बहुत हुआ, लेकिन कहीं भी कोई कम्युनल डिस्टरबन्स नहीं हुआ। हमारी पुलिस और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ने अपनी जिम्मेदारी को समझा।

मान्यवर, हम हमेशा यही सुनते रहे, और माननीय मुख्य मंत्री भी घोषणा करते रहे कि राजस्थान का कोई भी हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में नहीं है। लेकिन आज हमें भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट पढ़ने को मिली, उसके पृष्ठ 43 पर यह लिखा हुआ है कि गंगानगर के इलाके में पाकिस्तान का 0.5 वर्गमील पर कब्जा है मैं इसको गलत मानता हूं मैं उस इलाके का रहने वाला हूं और मैं जानता हूं कि वहां के किसी भी हिस्से पर पाकिस्तान का कब्जा नहीं है। हमारी केजुअल्टीज जरूर हुई थीं, माइन्स के बीच आदमी फंस गए, उसमें पद्रह आदमी मर गए थे, लेकिन पाकिस्तान का किसी भी हिस्से पर कब्जा नहीं हुआ है। उन्होंने शेलिंग किया, हमने ब्लास्टिंग किया। तो यह बात उस रिपोर्ट में कैसे आ गई, मै समझता हूं मुख्य मंत्री जी अपना उत्तर देंगे उस वक्त इस बात का भी जवाब देंगे।

इस लड़ाई के बाद, जो हमने जीती है, उसके बाद इनफिलट्रेटर्स की कार्यवाही बढ़ी हैं एसपायोनेज की कार्यवाहियां बढ़ी हैं और स्मगलिंग की कार्यवाहियां बढ़ी हैं। इससे यह मालूम पड़ता है कि हमारे अन्दर काम्प्लीसेन्सी आ गई है। बार्डर पर व्यवस्था जैसी होनी चाहिये, जैसा इन्टेलीजैन्स का काम होना चाहिये, वह व्यवस्था नहीं हो पा रही है। इसलिये हमारी सरकार को इस के बारे में सख्त कदम उठाने चाहिये, और

(श्री केदारनाथ)

मेरी तो यह भावना है कि एसपायोनेज और ट्रेजिन के दोषी व्यक्तियों को केवल आप गिरफ्तार कर लें यह काफी नहीं है, उनको कुछ एग्जेम्पलरी पनिशमेंट मिलनी चाहिये। उनकी प्रापर्टी छीन लें, उनके सारे असेटस पर कब्जा करें ताकि जनता के बीच में टेरर पैदा हो जाये कि जो लोग देश के साथ गद्दारी करेंगे, वे चाहे किसी कौम के हों, कोई भी भाषा बोलते हों, इर्रेस्पेक्टिव आफ देट उन पर ऐक्शन लिया जायेगा। पकड़ लिया और फिर छोड़ दिया गया, यह कहां तक उचित है ? क्या ओवरनाइट उनकी अलीजन्स और नेशनलिटी बदल गई ? तो केवल आप डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के भरोसे उनको गिरफ्तार करें और फिर 15 दिन बाद छोड़ दें, यह एन्टी नेशनल एक्टिविटीज को बन्द करने का रास्ता नहीं है। कोई समुचित कानून आल इन्डिया बेसिस पर इस प्रश्न पर अवश्य बनाना चाहिये। केवल गिरफ्तार करें और मामूली सजा दें यह भी काफी नहीं होगा।

मान्यवर, मिड टर्म इलेक्शन्स से लेकर अब तक कांग्रेस को जो जीत हासिल हुई है उससे लोगों के अन्दर जो एक्सपेक्टेशन्स पैदा हुई हैं, वह एक्सपेक्टेशन्स ब्रिटिश समय के बने हुए कानूनों से, राजाओं के समय में बने हुए कानूनों से, पुलिस एक्ट जैसे कानूनों से जो अभी तक मौजूद हैं, उन से रीअलाइज नहीं हो सकतीं। इसलिये उनके दिल में रंजिश पैदा होती है और लोग ऐजीटेशन्स करते है। आप उन ऐजीटेशन्स को क्रश करना चाहें, तो यह बात आप जो मासिव मेनडेट लेकर आये हैं, उसके मुताबिक नहीं होगी। आज आदिवासी लोग ऐजीटेशन करते हैं, लैंडलेस लेबर ऐजीटेशन करते हैं, मजदूर अपने हकों के लिये डेमोक्रेटिक तरीके से ऐजीटेशन करते हैं, स्ट्राइक करते हैं, तो आपको इनके प्रति अपना एप्रोच चेन्ज करना पड़ेगा। कब लाठी चार्ज किया जाये कब फायरिंग किया जाये, कब जुडिशल एनक्वायरी हो उसके लिये आर्डर दें, कब सी. बी. आई. को केस दिया जाये, कब मजिस्ट्रेट एनक्वायरी का आर्डर दिया जाये, यह सारे फैक्टर्स हमारे सामने होने चाहिये और यह एप्रोच का सवाल है।

मान्यवर, स्टुडेंट्स का ऐजीटेशन होता है। तो एक तो स्टुडेन्ट्स की वह लीडरशिप है जो ऐफ्लुएंट क्लासेज से आती है। उनको उनकी पढ़ाई से मतलब नहीं न बेकारी से कोई उनका मतलब है, न ही कोई सोश्यो एकानामिक कन्डीशन्स को बदलने का उनका मतलब है, उनका केवल मतलब अपनी लीडरशिप कायम रखने से है। ऐसी लीडरशिप को कन्डेम करना चाहिये; उनकी एजीटेशन्स अगर प्रोफेसर्स और लेक्चरर्स के खिलाफ होती हैं तो उनको भले ही आप दबायें। लेकिन दूसरी ऐजीटेशन्स वह स्टुडेन्ट्स करते हैं जो गरीब तबके के है जिनको पढ़ने का मौका नहीं मिलता, जिनको अपनी पर्सनलिटी डेवलप करने का मौका नहीं मिलता ऐसे स्टुडेन्ट्स का अगर कोई ऐजीटेशन होता है कोई कम्प्टीशन होता है तो उन ऐजीटेशन्स को जायज मानना चाहिये। आपको कानून बदलने की ताकत दी हुई है। जो कानून वक्त के साथ मेल नहीं खाता, आप उसको बदल सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसी तरह से अर्ज करना चाहता हूं कि आज जो आपको

(श्री केदारनाथ)

रिपोर्ट्स हैं उनको देखे पुलिस रिकार्ड को देखें तो आपको मिलेगा कि बहुत कम केसेज ऐसे हैं, केपिटल केसेज ऐसे हैं जिनको रिकार्ड किया जाता है। भयंकर मारपीट हो जाय, डकैती हो जाय, मोलेस्टेशन हो जाय, इनको बहुत कम रिपोर्ट में दर्ज किया जाता है और उनके लिए कहा यह जाता है कि वे केसेज बहुत कम हैं। अगर आप स्पोट पर जावें, इलाके के एम. एल. ए. या एम. पी. को भेजें अपनी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को भेजें तो आपको मालूम होगा कि आदिवासियों की जमीनों के मामले में उनको बहुत कम रिकार्ड किया जाता है। जो हरिजन लैंडलेस हैं जो वेज अर्नर हैं जमीनें जिनको लोज पर मिली हैं, वे उनको मिली जमीनों पर कब्जा करते जाते हैं तो उनके खिलाफ पुलिस डकैतो और चोरी के इल्जाम लगाती है, अपने हकूकों को हासिल करने जाते हैं तो उनके खिलाफ ही उल्टे केस लगाए जाते हैं। अपने हकूकों को हासिल करना उसका फण्डामेंटल राइट है कि जिसको लैंड अलाट हुई हैं वह उसको मिलनी चाहिये लेकिन आज होता क्या है मान्यवर। उसको लैंड का पजेशन दिलाना तो दूर रहा पुलिस उसको चोरी और डकैती के केसेज में फसा लेती है। मैं मझता हूं कि इससे क्या फायदा हुआ कि हमने यह कह दिया कि आदिवासियों को इतनी जमीनें दे दी जब कि उसको उसका पजेशन ही नहीं मिल सके। आपने लोगों से वायदे किए कि हम समाज में तब्दीली लायेंगे, लोगों को राहत पहुंचायेंगे, आपको उन वायदों को पूरा करना होगा। और वे वायदे इसी तरह से चल कर आप पूरे नहीं कर सकते। आपको अपने एटीट्यूड में अपनी थींकिंग में और जो आज समाज में चेंजेज लाना चाहते हैं. जो आज इसके लिए मूवमेंट कर रहे हैं उनको स्ट्रेंथन करना होगा। उन पोलिसीज को जो अल्टीमेटली समाज में तब्दीली लाना चाहते हैं उनको बढावा देना होगा। हम यहां पर बहुत कुछ बात करते हैं कि पुलिस करप्ट है, पुलिस का सिपाही करप्ट है, थानेदार करप्ट है और दूसरे आफिसर्स करप्ट है। लेकिन मान्यवर, आप देखें कि आखिर इन पर रिफ्लेक्शन किनका पड़ता है। आज जो एम. एल. एज. हैं एम. पी. हैं वे ओनेस्ट हो जाय, जो मिनिस्टर हैं वे ओनेस्ट हो जाय तो उनका रिफ्लेक्शन नीचे की मशीनरी पर पड़ेगा। जो कुछ हम लोग करते हैं, जो हमारे व्यूज हैं जो हमारे एक्शन हैं उनका रिफ्लेक्शन हमारी एडमिनिस्ट्रेशन पर जाता है। क्या होगा एक कांस्टेबल को गाली देने से, क्या होगा एक एस. एच. ओ. को गाली देने से। आप समझते है कि क्या एक सी. ई. ओ. ठोक करने से या एक एस. एच. ओ. को ठीक करने से आपका एडनिस्ट्रेशन ठीक हो जायेगा? इसके लिए आपको एडमिनिस्ट्रेशन के ब्रेन को ठोक करना होगा। जो सोसायटी की हालत बिगड़ी हुई है. सोशल और इकोनोमिक नोर्म्स हैं उनको ठीक करना होगा। इसके लिए आप लोकपाल और लोक आयुक्त को नियुक्ति करें, जो एम.एल.एज, एम.पी. और मिनिस्टरी पर जो चार्जेज लगाए जाते हैं उनकी जांच करें और जांच करने से हो काम नहीं चलने वाला है, मान्यवर। केवल कम्पलेंट हो गई और उसकी जांच करके आप बैठ जावें यह काफी नहीं है। जिनके खिलाफ कम्पलेंट हैं उनकी ट्रायल हो और अगर वे दोषी पाये जावें तो उनको मेजर पनिशमेंट हो। उनकी प्रापर्टी जब्त हो और इस तरह

(श्री केदारनाथ)

के पनिशमेन्ट हों कि उनका रिफ्लेक्शन सारे समाज और एडमिनिस्ट्रेशन पर पड़े। केवल पुलिस के कुछ कर्मचारियों को ठीक करने से आप करप्शन नहीं मिटा सकते।

मान्यवर, आज लॉ एण्ड आर्डर की प्राब्लम है। आदिवासियों का मूवमेंन्ट इससे मेल खाता है, लैंडलैस लेबरर की प्राब्लम इससे मेल खाती है। आज मान्यवर, क्रिमिनल ट्राइब हमारे राजस्थान में पैदा नहीं हो रही है इस लड़ाई के बाद, बड़ी अच्छी बात है लेकिन जो आज मूवमेन्ट हो रहे हैं, जो सोशियो इकोनोमिक कारण पैदा हो रहे हैं और उनसे जो जर्म्स पैदा हो रहे हैं, उनको आप थोड़ी देर के लिए दबा सकते हैं लेकिन उनको खत्म करने के लिए आप क्या सोच रहे हैं? कौन से प्रिवेंटिव स्टेप्स ले रहे हैं? आज भी यूनिवर्सिटिज और कालेजेज में ऐसे लोग हैं जो न्यू जनरेशन को प्रजूडिश कर रहे हैं। ऐसी इंस्टीट्यूशन्स हैं जो हमारे बच्चों को इन्डोक्ट्रीनेट कर रही हैं। क्या आप उनको रोक पाए। आपके यहां फोरन मनी रिसर्च के नाम से आ रही है। और उस फोरन मनी से ये इन्स्टीट्यूशन्स बच्चों का ब्रेन ड्रेन करती हैं। आपने इसका आज तक कोई इन्तजाम किया, कोई स्टेप्स लिए? आपको सी. बी. आई., जो आपके पोलिटिकल वर्कर्स हैं, पोलिटिकल पार्टीज हैं जिनको फोरन मनी मिलती है उनके बारे में जांच कर सकी और आपको बता सकी कि किनको यह मनी मिलती है जो आपके दिमाग को इन्डोक्ट्रीनेट करने का काम करती है, जो आपके वोट्स को परचेज करने का काम करती है, जो आपकी करैक्टर वेल्यूज को परचेज करने का काम करती है, क्या आप उनके लिए कुछ कर पाए। ऐसी फर्म्स इंस्टीट्यूशन्स हों, ऐसे स्कालर्स हों, ऐसे लेक्चरार्स हों, ऐसी संस्थाएं हों जो आपको अपनी वेल्यूज को बचाने के लिए काम करें। आपके यहां पर डिफेक्शन्स होते हैं यह भी लॉ एण्ड आर्डर से कनेक्टेड है। आपको आज बहुमत मिला है जिससे एम. पीज. और एम. एल. एज. का डिफेक्शन इन दिनों में नहीं हुआ है। हमारे प्रधानमंत्री ने घोषणा की है कि इसके लिए कानून बनाया जाएगा और जो फोरन मनी से पोल्यूट करते हैं उनको रोकने के लिए कानून बनाया जाएगा, लेकिन कानून कब बनाएगें, जब डिफेक्शन फिर शुरू हो जायेंगे। डिफेक्शन को प्राब्लम हमारे करैक्टर और हमारी वेल्यूज से जुड़ी हुई है। हमें देखना होगा कि इसके पीछे कौन लोग हैं। फोरन मनी से भी यह कनेक्टेड हैं और जो पार्टी फोरन मनी लेकर देश में काम करती है वह कभी भी देश के प्रति बफादार नहीं रह सकती। इसलिए आपको देखना होगा कि कौन कौन सी ऐसी पार्टीज हैं, कौन सी ऐसी इंस्टीट्यूशन्स हैं कौन से ऐसे सेन्टर्स हैं, कौन से ऐसे इण्डीजुअल्स हैं जिनके पास पैसा आया है या आ रहा है। कोई एक्शन लिया आपने उस पर। आप समझते हैं कि पुलिस के एक कान्स्टेबल को ठीक करके आप करप्शन मिटा देंगे तो यह आपका गलत कन्सेप्शन है। बहुत गलत तरीका है। आज जो यूथ मूवमेन्ट होते हैं उनके पीछे क्या हैं, क्या रीजन्स हैं? मैं जानता हूँ कि बहुत कुछ करने का आपके मन में है आप कुछ करना चाहते हैं लेकिन क्या आपने यह सोचा कि इन आदिवासियों को जमीन पर कब्जा क्यों नहीं मिलता है, जिनको जमीन मिलती है वे उसको कायम क्यों नहीं रख पाते।

(श्री केदारनाथ)

आज वे अपनी जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं लेकिन पुलिस उन्हीं को डकैती और चोरी में पकड़ लेती है। इसके लिए आपको एस. पी. को, एडीशनल एस. पी. को, ए. एस. पी. को, सी. आई. को इस प्रकार की ट्रेनिंग देनी पड़ेगी जो समाज के लार्ज इण्ट्रेस्ट हैं उनके अनुसार काम कर सकें। एक आदिवासी अपनी लीज पर कब्जा करने जाता है और पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करता है और उसी को दफा 107, 151 में गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब क्या होता है मान्यवर कि जब भी कोई झगड़ा होता है, 107, 117, 151 जो कुछ ऐसी धारायें हैं जो पुराने ढंग से चली आ रही हैं उसमें केसेज रजिस्टर कर लिए जाते हैं। कई धारायें जो ट्रेडीशनल चली आ रही हैं उनको चेंज करने की जरूरत है। इन धाराओं को बदलो। पुलिस एक्ट को बदलने की जरूरत है। यह भी कहा गया है कि डिडक्शन्स के केसेज में रिक्वरी के केसेज में बढ़ोतरी हुई है, इनका कुछ परसेंटेज बढ़ा है, यह भी कहा गया कि हम प्रिवेंटिव स्टेप्स ले रहे हैं। लेकिन मान्यवर, आज क्या हो रहा है। अगर किसी व्यक्ति के घर में चोरी हो जाय, किसी का मर्डर हो जाय, किसी के घर में डकैती हो जाय और वह थाने में जाकर रिपोर्ट करता है तो उसको कैसा रेस्पोंस मिलता है। मैं सबको बेईमान नहीं कहता, कुछ अच्छे लोग भी हो सकते हैं, लेकिन जो अपने ग्रिवेंसेज लेकर थाने में जाता है उसके साथ कैसा बिहेवियर होता है। वह आशा करके थाने में जाता है कि जो उसके ग्रिवेंसेज हैं उसमें उसको कुछ रिलीफ मिलेगी, उसे सेटिस्फेक्शन मिलेगा, उसकी तकलीफ का कुछ इलाज होगा। लेकिन आज होता क्या है अगर कोई कहीं झगड़ा हो जाय, कहीं मर्डर हो जाय तो उसका पैरेलल केस बना दिया जाता है आम तौर पर। ऐसे होस्पिटल्स हैं जहां से सर्टीफिकेट मिल जाते हैं और रिपोर्ट दर्ज हो जाती है। पैरेलल केसेज बना कर केसेज को खराब कर दिया जाता है और जो असलियत है वह छिप जाती है। किसी भी केस को इन्वेस्टीगेट करने में, उसको ट्रेस आउट करने में और डिटेक्ट करने में इण्टेलीजेंस डिपार्टमेंट का और पुलिस का आपस में जो मेल होना चाहिये जो टाइमली एक्शन होना चाहिए वह नहीं है। उसमें ढिलाई है। उसमें ढिले न हो, एग्रीव्ड पार्टी को न्याय मिले।

इसके अलावा मान्यवर, जो ट्रांसफर की राजनीति है उसको भी रोकने की जरूरत है। मैं यह मानता हूं कि आज 67 की हालत नहीं है। आप को मास मेंडेट मिला है और जब सरकार बदली है। ट्रांसफर्स के बारे में हमारे इलाके में थोड़ा फर्क आया है। वरना पिछले तीन चार साल से तो लगातार एक ऐसा वातावरण बन गया था कि किसी तहसीलदार का ट्रांसफर हो, किसी थानेदार का ट्रांसफर हो, किसी नायब तहसीलदार या किसी का ट्रांसफर हो उनकी बोलियां हुआ करती थीं। आज वे बोलियां करने वाले चले गए। कुछ को तो कांग्रेस पार्टी ने टिकिट ही नहीं दिया, कुछ को टिकिट दिया तो जनता ने उनको साफ कर दिया। इससे हमें कुछ राहत मिली। इस बारे में अभी मैं विशेष नहीं कहूंगा, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन की जब डिमाण्ड आयेगी तब बोलूंगा...

(श्री केदारनाथ)

मगर कुछ डिस्ट्रिक्टस् 7–8 डिस्ट्रिक्टस् जो कि प्राब्लम डिस्ट्रिक्टस् हैं, जहां पर कि इन्सीडेन्स श्राफ क्राइम बढ़ रहा है, उनको श्राप सिलेक्ट करिये । उनका स्ट्रीम लाइन करना है । श्रच्छे कलेक्टर, एस पी., सी. श्राई. वहां पर भेजिये श्रौर फिर दखल न करें उनके काम में । मान्यवर, एक थानेदार का तबादला एस. पी. करता है श्रौर मैं यहां श्राकर श्रोवर हैन्ड उसका ट्रांसफर केन्सिल करवा देता हूं । फिर एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलेगा । तबादले के बाद दो-तीन साल तक बेट करिये । उसकी शिकायत श्राती है तो श्राप उसकी जांच करिये श्रौर दंडित कीजिये । उसका तबादला कोई इलाज नहीं है । श्राप उसका कम्पलसरी रिटायरमेंट कर दीजिये । 8–10 केसेज में ऐसा कर दीजिये तो एडमिनिस्ट्रेशन में स्ट्रीम लाइन श्रायेगा । श्राज जैसा वातावरण चल रहा है, उस वातावरण में श्रौर सुखाड़िया जी को रिजिम में मैं कोई फर्क नहीं मानता हूं । सिर्फ परसन का फर्क है, व्यवस्था का कोई फर्क नहीं है । श्रगर हालत ऐसी ही रही तो पिट जायेंगे । श्राफिशियल का सर्किल ऐसा है, ब्यूरोकेसी का सर्किल ऐसा है, जो कि बहुत ही विशियस सर्किल है । कोई भंवर में पड़ गया तो बाहर नहीं निकल सकता है । बहुत बड़े प्रोजेक्ट श्रापके सामने हैं । कई कन्स्ट्रक्शन को योजनाएं श्रापके सामने हैं । कई नये चेन्जेज श्रापको लाने हैं । यह सब व्यूरोक्रेसी नहीं कर पायेगी इसके लिये श्रापको एडमिनिस्ट्रेशन को स्ट्रीम लाइन करना होगा । मैं, मान्यवर, श्रापकी मार्फत यह निवेदन करूंगा कि पहले श्राप पांच, सात डिस्ट्रिक्टस् को छांट लें श्रौर उनको सही एडमिनिस्ट्रेशन दीजिये ताकि उसका प्रोजेक्शन सारे राजस्थान पर पड़े ।

श्रब मैं श्रर्ज करना चाहता हूं जेल के बारे में । जेल में जाने का काफी मौका मिलता है । तो जेल की हालत श्रगर मान्यवर श्राप कभी तशरीफ ले गये हों तो जो भोजन करने को मिलता है, तो उसमें खाली माल मेटेरियल ही श्रच्छा हो ऐसी बात नहीं है । वहां पर कुक नहीं होता । प्रिजनर्स ही उसको कुक करते हैं या फिर उसको इस ढंग से कुक करते हैं कि कोई भी श्रच्छा स्वस्थ व्यक्ति उसको खाले तो वह बीमार हो जाता है । उसके दिमाग में इसका एक साइक्लोजिकल इफेक्ट होगा, वहां पर श्रच्छी डाइट खाने को नहीं मिलती है । इसके श्रलावा श्राफिसरों का व्यवहार ठीक नहीं होता है । फिर श्राप उन्हें कैसे सुधार गृह कह सकते हैं, वह तो बिगाड़ गृह है इसलिये मेरा निवेदन है कि इस पर श्रापको कुछ खर्च करना चाहिये । श्राप जेलों के श्रन्दर, वेंटीलेशन दीजिये । वहां पर फ्लश सिस्टम लागू करिये, वहां पर सफाई होनी चाहिये । मान्यवर वहां की हालत इतनी खराब होती है कि एक श्रादमी वहां पर रात को नहीं सो सकता है । न तो पेशाब करने का इन्तजाम होता है न टट्टी करने का इन्तजाम होता है, न कोई हवा का इन्तजाम होता है । कोर्ट्स के जो लाक-श्रप है वे बुरी हालत में हैं इसी तरह से कोतवाली के लाक-श्रप हैं । इनमें किसी प्रकार का सुधार नहीं किया गया है । करनपुर से हमारे जेल मंत्री श्राये है । उनके खुद के इलाके में, हनुमानगढ़ में जो जेल है वह सबसे सिल्ली लाक-श्रप है । श्रगर हमारे जेल मंत्री जो यहां से सुधार करना, इम्प्रूव-

(श्री केदारनाथ)

मेन्ट करना शुरू कर दें तो सुधार आरम्भ हो जावेगा। करणपुर, रायसिंहनगर में भी यही हाल है।

न्याय प्रशासन के बारे में भी कुछ कहना चाहता हूँ। हाई कोर्ट की बैंच यहां हो, वहां हो यह डिसकसन चलता रहता है। जब तक आप स्पेशियलाईज्ड ट्रिब्यूनल्स, जो हाईकोर्ट के बाहर हो, कान्स्टीट्यूशन में अमेन्डमेन्ट लाकर कायम नहीं करेंगे तो जो डिलेज होती है केसेज में वह बन्द नहीं कर पायेंगे। कई लम्बे केसेज हैं। इतने बड़े एरियर्स एक्यूमूलेशन हो गया है कि उसको डिसेन्ट्रलाइज्ड करना चाहिये और इसके लिये स्पेशल मैनेजेज कायम करिये, एरियर्स होने के कारण, डिले होने के कारण लोगों को सस्ता और सुलभ न्याय नहीं मिलता है। आज सेपरेशन की बात चल रही है। परन्तु अभी तक सेपरेशन पर इम्पलीमेन्ट नहीं कर पाये हैं। करनपुर में मुन्सिफ मजिस्ट्रेट एक हफ्ते में एक बार जाता है। तीन चार सौ केसेज हैं, 6 दिन में एक बार जाता है उनका डिस्पोजल नहीं होता है। तो आप मुझे बतायेंगे कि सस्ता इन्साफ आप कहां से करेंगे। इसलिए एक अर्ज करना चाहता हूं। लीगल प्रोटेक्शन टू दी पुअर है, यह नाम कर दिया है। मैं पूछना चाहता हूं कि राजस्थान में आज तक कितने गरीबों को आपने लीगल हैल्प दी है। आज तक किसी गरीब आदमी का केस अदालत में फाइनल नहीं हुआ है। उसके हक में फैसला नहीं हुआ है। जो डिप्रेस्ड लोग हैं, जो एग्नोर्ड हैं, जो नेगलेक्टेड हैं, उनके केसेज के बारे में में आपको परवाह नहीं है। कभी यह सोचते ही नहीं हैं कि इनके केसेज क्यों फेल हो जाते हैं। मैं सोचता हूं कि कुछ बातें प्रशासन और पुलिस के बारे में कही हैं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मोहम्मद गफ्फार अली।

श्री **मोहम्मद गफ्फार अली** (जोहरी बाजार, जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, आज जो मेरे तीन कटौती के प्रस्ताव हैं उनका संबंध जनता से और मुझसे खास तौर से रहा है।

सबसे पहले मैं यह गुजारिश करूंगा कि यहां एक मांग रखी गई है कि ज्यूडिशियरी और एग्जीक्यूटिव का सेपरेशन होना चाहिये। जैसा कि उपाध्यक्ष महोदय सबको मालूम है। 1949 में जब मान्यवर जवाहरलाल नेहरू हमारे प्रधान मंत्री थे उन्होंने संविधान के आर्टीकल 50 के तहत यह फर्माया था कि, यह ऐलान किया था कि तीन साल के अन्दर अन्दर जितनी भी रियासतें हैं उनमें ज्यूडिशियरी और एक्जीक्यूटिव को अलग अलग कर देंगे और सन् 49 को गुजरे हुए इतने साल हो गये, यह प्रोग्राम जो उन्होंने पार्लियामेंट में ऐलान किया था वह सन् 52 में मुकम्मिल हो जाना चाहिये था। मगर अफसोस की बात है कि आज तक वह चीज अधूरी है। कुछ जिलों के अन्दर ज्यूडिशरी को एक्जीक्यूटिव से अलग कर दिया गया है। अधिकतर जिलों में जो भी एक्जीक्यूटिव के अख्तियार हैं और ज्यूडिशरी के फंक्शन हैं वे इस तरह से नहीं चल रहे हैं। तो यह चीज जो इतनी अहमियत रखती है, उसके बारे में न्याय मंत्री यहां मौजूद नहीं है, यह गुजा-

(श्री मो. गफ्फार अली)

रिश करूंगा कि उनको कोई निश्चित तिथि इस बात की तय कर देनी चाहिये कि एक्जीक्यूटिव को ज्यूडिशियरी से किस वक्त तक अलहदा कर दिया जायेगा । किस वक्त तक यह उद्देश्य पूरा कर दिया जायेगा मेरी यह गुजारिश है कि जो पेनल कोड है, आफेन्स है उसके अलावा जरायम माईनर कोर्ट के मातहत होती है उनके केसेज को भी जल्दी मन्सूख कर देना चाहिये । जिन डिस्ट्रिक्टस में ज्यूडिशरी और एक्जीक्यूटिव को अलहदा नहीं किया गया है उन डिस्ट्रिक्ट्स में तुरन्त यह कदम उठाना चाहिये । इसलिये श्री सीतलवाड़ ने जो ला कमीशन के चेयरमैन थे, उन्होंने यह कहा 1958 में कि यदि ज्यूडिशियरी को एक्जीक्यूटिव से अलहदा कर देते हैं तो इससे जनता को राहत मिलेगी । आज हम देखते हैं कि चाहे ज्यूडिशियरी में कितना ही करप्शन हो लेकिन उसकी तुलना एक्जीक्यूटिव आथोरिटिज से नहीं हो सकती है । यह एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है । हमारे रेवेन्यू बोर्ड के मेम्बरान एक बजे के बाद मुकद्दमे नहीं सुनते । एक बार मैं भी फंस गया तो पता चला कि कोर्ट टाइम एक बजे तक है । यह कहना चाहता हूं कि रेवेन्यू को हाईएस्ट ट्रिब्यूनल है, उसके लिये ऐसा करना क्या उचित है वह एक बजे बाद न बैठे और उठ कर चले जावें । जो लोग दूर दूर से आते हैं, उनको मायूसी होती है और पचासों तारीखों को हाजरी के बाद आप देखिये उन लोगों की क्या हालत होती है । इसलिये मेरा यह निवेदन है कि न सिर्फ क्रिमीनल कोर्ट्स बल्कि भंडारी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी, उसने यह सिफारिश की थी कि जितने रेवेन्यू केसेज हैं वे सब मुन्सिफ कोर्ट में मुन्तकिल किये जायें और जैसा जुरिस्डिक्शन हो उनको मुन्तकिल कर के हाई कोर्ट के मार्फत वह काम आ जाना चाहिये । मैं नम्र निवेदन करूंगा गवर्नमेंट से कि आप यह सोचिये कि इतना अरसा हो गया । जवाहरलाल नेहरू हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन उनका जो कहना था, उनका जो आदेश था और जो उन्होंने अपनी जिन्दगी में इम्पलीमेंट करने की कोशिश की, हमारा यह फर्ज है कि उस कर्तव्य का पालन करें और जो लाइन उन्होंने सुझाई उस लाइन पर चल कर तुरंत इस मामले को तय करें ।

तो मेरा यह निवेदन है कि मुख्तसर तौर पर मैं यह अर्ज करूंगा कि जितना जल्दी हो सके रेवेन्यू कोर्ट और रेवेन्यू केसेज क्रिमिनल केसेज मुन्तकिल किये जा सकें और जूडिशियरी को एक्जीक्यूटिव से अलग किया जा सके उतना ही अच्छा है ।

उसके बाद मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं कि आज यह केपिटेलिस्ट सोसाइटी में जो जस्टिस है वह क्लास जस्टिस है । अगर हम सोशियेलिज्म की बात करते हैं और सोशियेलिज्म लाना चाहते हैं तो इस क्लास जस्टिस को हमें तब्दील करना होगा । आज हम देखते हैं कि बड़ा आदमी बड़े से बड़ा क्राइम करने के बाद भी बहुत आसानी से बरी हो जाता है, और एक छोटा आदमी जो कि अदालत में कोई अच्छा वकील नहीं कर सकता है या कोई अच्छा वकील उसको नहीं मिलता है तो वह सख्त से सख्त जरायम

(श्री मो. गफ्फार अली)

में सजा पा जाता है। इसलिये इस क्लास जस्टिस के कारण को बदलने के लिए मैं दो एक सुझाव रखूंगा। मैंने अपनी पहले की स्पीचों में भी कई चीजों को क्रिटिसाइज किया है वैसे ही सुझाव भी रखे हैं, तो आज भी मैं सुझाव रखूंगा। मेरी यह ख्वाहिश है कि गवर्नमेंट इस तरह से करे कि इसमें आरमस ब्यूरी का प्रोवीजन करे ताकि कोई बड़े केसेज के अन्दर जैसे मर्डर के केस के अन्दर या बड़े बड़े जरायम के अन्दर अगर उनको पैरवी करने वाला कोई नहीं है तो वकील की सहायता उनको दे दी जाय। यह कानून भी है लेकिन बहुत कम लागू होता है, क्योंकि बड़े बड़े जुर्म करने वाले बड़े बड़े लोग होते हैं, दौलतमन्द लोग होते हैं, और जो लोग छोटे जरायम करते हैं सोसाइटी की खराबी की वजह से करते हैं और वह सजा पाते हैं और जेलों में सड़ा करते हैं। मेरा यह सुझाव है कि तीन साल या तीन साल की सजा जिसको हो और उसमें कोई आदमी वकील करने की स्थिति में नहीं है तो उसको सरकारी वकील की इमदाद दी जाय, और जो एफिशियेन्ट वकील हो उनके जिम्मे यह काम सौंपा जाय अगर आप यह चाहते हैं कि समाजवाद की तरफ आपका कदम बढ़े तो आपको यह देखना होगा कि यह जो क्लास जस्टिस आज मिलता है यह जस्टिस खत्म होना चाहिये। आज आप यह देखते हैं कि मिल मालिक और मजदूरों के बीच में जब झगड़े होते हैं तो मिल मालिक के सामने 17 से 20 तक मुकदमे मजदूरों पर आज तक चल रहे हैं, और गवर्नमेंट के पास में कई मर्तबा गुजारिश की है। ट्रेड यूनियन पर विचार किया है तो इन केसेज को विथड्रा क्यों न किया जाय। मैं आपको बताना चाहता हूं कि वह एडमिनिस्ट्रेशन क्लास जस्टिस से प्रभावित है, क्योंकि वह पूंजीपति के असर में है इसलिये वह कोई कदम इस तरफ उठाने के लिये तैयार नहीं होती है। इसलिए मेरी यह गुजारिश है कि अगर आप ही समाजवाद की स्थापना करना चाहते हैं तो आपको यह मसायल आपके सामने रखने होंगे, और इस बात को तय करना होगा कि किस तरह से गरीब के साथ में इन्साफ नहीं होता है, किस तरह से यह चीज होती है। जब मिल मालिक और मजदूर के बीच में झगड़े होते हैं तो पुलिस मिल मालिकों की हिमायत में आ जाती है, और जब आपस में मजदूर झगड़ते हैं तो उनको आपस में छोड़ देते हैं और सारी कारस्तानी मुफसल हो जाती है। और जब रामबाग में झगड़ा हो रहा है तब उसके प्रोटेक्शन के लिये, महाराजा की प्रापर्टी के प्रोटेक्शन के लिये 20 सिपाही पड़े हुए हैं। लेकिन जब मजदूर आपस में लड़ते हैं तो मैंने गुजारिश की पुलिस वालों को कि भाई वहां कम से कम इन्टरवीन करो और झगड़ों को मत होने दो, लेकिन यह होता रहा है। यह होता है कि फाइनेंस का और रुपये का भी प्रेशर होता है, और यहां पर दर्ज करते हैं तो उसको प्रोत्साहन दिया जाता है। मैं गुजारिश करूंगा कि आपके जस्टिस के लिए यह जरूरी है कि आप यह तय करें कि किस तरह से गरीब लोगों को राहत पहुंचाई जाय।

मैं मानता हूं कि इस हुकूमत ने कुछ कानून बड़े अच्छे बनाये हैं और उन कानूनों

[redacted]

(श्री मो. गफ्फार अली)

को लागू किया है। प्रिवेन्शन आफ आफेन्सेज एक्ट या बच्चों के लिए रिफार्मेट्री एजूकेशन का काम किया गया है सोशियल वेलफेयर बोर्ड ने कुछ चीजें काबिले तारीफ की हैं। किसी ने पहली बार छोटा सा आफेन्स किया है तो उनको प्रिवेन्शन आफ आफेन्सेज एक्ट से फायदा पहुँचाया जाता है। वहां पर पहले यह कानून लागू होता है कि दो रुपये की चोरी कर ली किसी ने, किसी की जेब से निकाल लिये तो उसका जिन्दगी भर के लिए कैरियर खत्म कर दिया जाता है। उसके निशान ले लिये जाते हैं और जब भी कहीं चोरी होती है तो पुलिस वाले उसको पकड़ कर ले जाते हैं। यह जो परम्परा आज है वह निहायत गलत है। जबकि एक जुर्म करके उसको छोड़ देते हैं यह फायदा पहुँचाते हैं तो यह चीज वहीं पर खत्म हो जानी चाहिए। अगर इस बात को गवर्नमेंट तय करेगी कि उसने एक मर्तबा गरीबी की वजह से या सोसाइटी की परेशानियों की वजह से या बुरी सोबत में बैठने की वजह से कोई आदमी छोटा सा जुर्म कर लेता है तो उसके लिए दिक्कत पैदा हो जाती है। उसको क्रिमिनल वर्ग के कैरियर में देखते हैं। कोई चोरी के जुर्म में एक बार फंस गया तो दुबारा चोरी होगी तो वह पकड़ा जायगा। मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि गवर्नमेंट तवज्जह करे।

जब हम कहते हैं कि समाजवाद की स्थापना करना चाहते हैं तो हमको लोगों को सस्ता न्याय देने की बात भी सोचनी चाहिए। हमारी यह मान्यता है कि चाहे जोधपुर के लोग हों, चाहे जयपुर के लोग हों वे सब हमारे भाई हैं।

श्री चेतराम : माननीय उपाध्यक्ष महोदय सदन का समय मैं समझता हूँ कि जब तक आज की यह मांगें पारित न हो जाय तब तक के लिए बढ़ा दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है

(स्वीकृत)

सदन का समय जब तक यह मांगें पारित न हों तब तक के लिए बढ़ाया जाता है।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो अभी दो मिनिट का टाइम इसमें लगा है उसका भी ख़याल रखें।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं अर्ज कर रहा था कि जहां तक सस्ता न्याय देने की बात है तो चाहे जोधपुर के लोग हों, चाहे अजमेर के लोग हों, चाहे जयपुर के लोग हों या और किसी जगह के रहने वाले लोग हों, हमारी उनसे कोई दुश्मनी नहीं है। मैं इस तरह का प्रोब्लम नहीं रखना चाहता हूँ कि यह जोधपुर वालों का सवाल है या जयपुर वालों का सवाल है। मैं सिर्फ यह अर्ज करना चाहता हूँ कि इस सवाल को लगातार विधान सभा में उठाया गया है तो इस पर राजनैतिक दृष्टिकोण से हटकर, इस सवाल पर आपस के झगड़े के रूप से हटकर सवाल के नाते इस सवाल को तय करना चाहिए। जोधपुर की जो पब्लिक है मेरी उसके साथ में उतनी ही सहानुभूति है, उतनी ही हमदर्दी है। गुजारिश यह किया चाहता हूँ कि हाई कोर्ट की बैंच की स्थापना की बात है उसमें आपको कोई कठिनाई हो तो उस कठिनाई को हल करने की बात हम सोचेंगे कोई आर्थिक कठिनाई हो कोई सामाजिक कठिनाई हो, कोई दिक्कत पैदा

(श्री मो. गफ्फार अली)

होती हो तो उस बात का तय किया जाना चाहिए। जोधपुर और जयपुर के बुद्धिजीवी बैठकर उसका हल निकाल सकते हैं। केवल इस बात को एजिटेट करेंगे कि यहां पर हाई कोर्ट की बेंच नहीं आ सकती चाहे हमारे हक में कितने ही लोग हों। मैं आपसे यह गुजारिश किया चाहता हूं, यहां अभी बार एसोसियेशन के कुछ लोगों ने सिगनेचर कम्पेन चलाया। मैं बताना चाहता हूं, इस सदन के करीब एक सौ बीस आदमियों ने इस बात के ऊपर दस्तखत किये हैं कि जयपुर में बेंच स्थापित होनी चाहिए। तो इस सवाल को इस हाउस पर क्यों नहीं छोड़ना चाहते? क्यों नहीं इस सवाल को डेमोक्रेटिक तरीके से तय करना चाहते हैं? आप इस सवाल को तंग नजरिये से, रीजनेलिज्म के उसूल को सामने रख कर क्यों तय करना चाहते हैं? इसलिए लॉ-मिनिस्टर से, मुख्य मंत्री से मैं यह अपील करूंगा कि आप ठण्डे दिल से यह सोचिये कि आप समाजवाद की बात करते हैं, लेकिन आप सस्ता न्याय क्यों नहीं देना चाहते? मैं यकीन के साथ कहता हूं, अस्सी नब्बे पर्सेन्ट मुकदमात ऐसे होते हैं जिनके अन्दर सजा हो जाती है लेकिन वह हाईकोर्ट तक नहीं जा सकते। जो दीवानी मुकदमे होते हैं, उन दीवानी मुकदमों की बात आप छोड़िये, जो लोग दीवानी मुकदमे लड़ते हैं उनसे मुझे कोई लगाव नहीं है, जो लोग ऐसे मुकदमे लड़ते हैं वह लड़ते रहे। लेकिन जिन केसेज में यहां पर सजा दे दी जाती है, उनके लिए एक ही रास्ता रहता है, वह हाई कोर्ट में निगरानी कराकर कानूनी पहलू और सवाल उठाकर बरी होते हैं। परन्तु उन्हें वहां जाने का हक नहीं रहता, क्योंकि वह लोग गरीब होते हैं। इसलिए इन्सानियत के नाते, मानवता के नाते इस मसले को तय किया जाय, तो यह गवर्नमेन्ट के लिए शोभाजनक होगा और जोधपुर के जो एम. एल. एज. आये हैं उनके लिए भी शोभाजनक होगा और न्याय पाने के अन्दर जो कठिनाई है उसको दूर किया जा सकता है। जोधपुर वालों की कोई कठिनाई हो और वह समझें कि यहां से बेंच चली जाएगी तो वहां आर्थिक स्थिति में कमी आ जायगी तो उसका कोई रास्ता निकाला जा सकता है। कई महकमे यहां पर हैं, जिनकी बैठकें यहां पर हैं, उनमें से वहां किसी को दिया जा सकता है। लेकिन इन्सान को सस्ता न्याय मिलना चाहिए। आज मध्य प्रदेश के अन्दर दो जगह बेंच हैं, एक इन्दौर में और दूसरी ग्वालियर में। पंजाब के अन्दर भी बेंच जालन्धर हैं, वहां कायम कर दी गई। इस प्रकार नई नई बेंच कायम की गई है। मेरा यह भी कहना है कि इसमें यह दिक्कत हो सकती है, कान्ट्रेडिक्ट्री फैसले हों कान्ट्रेडिक्ट्री फैसले हाई कोर्ट में भी होते हैं। हाई कोर्ट में जज बैठते हैं, तो एक जज एक फैसला दे देता है, दूसरा जज दूसरा फैसला दे देता है। यह चीज पहले ला-कमीशन ने रिपोर्ट की थी।

(समय–समाप्ति–सूचक-घंटी)

दो इश्यू और हैं। मैं दस मिनट की मोहलत चाहूंगा। बहुत जल्दी खत्म करूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : आपके दल का समय निश्चित है।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : मैं जल्दी समाप्त कर दूंगा। आपको यह प्रार्थना

(श्री मो. गफ्फार अली)

कि यह परम्परा मेरे लिए ही नहीं होनी चाहिए, पांच दस मिनट सब ही ज्यादा लेते हैं, यदि मेरे साथ में कोई डिस्क्रिमिनेशन हो तो मैं बैठ जाता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : बीस मिनिट का समय हो चुका है।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : मैं जल्दी खत्म कर दूंगा, साहब।

यह चीज कहने के बाद में मैं थोड़ा कारावास के बारे में अर्ज कर दूं। मैं हर जमाने में कारावास में रहा हूँ, हर जमाने में, हर चीफ मिनिस्टर के जमाने में मुझे प्रिविलेज मिला है कारावास में रहने का . .

एक माननीय सदस्य : मुख्य मंत्री बरकतुल्ला साहब के जमाने में भी ?

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : बरकतुल्ला साहब के जमाने में भी गया हूँ।

एक माननीय सदस्य : एज चीफ मिनिस्टर।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : एज चीफ मिनिस्टर उनके जमाने में सात डेढ़ साल से नहीं गया हूँ, वैसे गया हूँ।

मैं अर्ज करना चाहता हूं, जेल में सुधार हुआ है, बहुत कुछ तब्दीली हुई है लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि पालिटिकल प्रिजनर्स के लिए कोई कैटेगरी नहीं रखी गई है। कैटेगरी क्लास बेसिस पर है, जो मालदार हैं, पढ़े लिखे हैं, दौलतमन्द हैं उनको बी में रखा जाएगा और बाकी जो गरीब हैं, अनपढ़ हैं उनको सी में रखा जायगा। मैं चाहता हूँ कि पालिटिकल प्रिजनर्स के लिए कैटेगरी होनी चाहिए। यदि पालिटिकल आदमी किसी मामले में जेल गया है तो उसके लिए अच्छी सुविधा होनी चाहिए, उसके साथ में ह्यूमिलेशन का बुरा वर्ताव नहीं होना चाहिए। मुझे अफसोस है, यहां पर लैण्ड ग्रेब का जो मूवमेंट चला, उसमें कम्युनिस्ट पार्टी के कुछ लोगों को सेक्रेटेरियट में गिरफ्तार किया गया था, उस समय कलेक्टर महोदय ने कहा कि इनको हैण्ड कफ करके ले जाया जाय। इससे ज्यादा डेरोगेटरी कोई बात नहीं हो सकती है। यह चीज थी कि ऐसे आदमियों को हथकड़ियां पहनाई जाय – इससे ज्यादा शर्मनाक बात नहीं हो सकती। हमने आजादी के लिए कुर्बानी दी हैं, जेल के रिफार्म के लिए कुर्बानी पेश की हैं मैं आपको बताऊं। यतीन्द्र दास ने देश की आजादी के लिए कुर्बानी दी। लेकिन हम आज देखते हैं, जिनको लैण्ड ग्रेब मूवमेंट में गिरफ्तार किया जाता है उनको हैण्ड कफ करके ट्रक में बिठा कर ले जाया जाता है। मेरा मत है, इसमें यूनीफार्मिटी होनी चाहिए, पालिटिकल प्रिजनर्स की कैटेगरी हो और दूसरे उनको हैण्ड कफ करके न ले जाया जाय। इसके लिए रूल्स बनाये जायं ताकि कलेक्टर और एक्जीक्यूटिव आफिसर जजबात के मातहत किसी मामले में फैसला नहीं कर सकें और उनके द्वारा पालिटिकल प्रिजनर्स को ह्यूमिलेट नहीं किया जाय।

आर्डनरी कैदी के लिए मैं अर्ज करना चाहता हूँ, जयपुर रियासत के टाइम में मिर्जा इस्माइल के जमाने में उस वक्त एक कमीशन बैठा था। जिसने कहा था, सबसे बड़ा टोर्चर यह है कि मई जून के महीने में कैदियों को बैरक्स में रखा जाय। मैं बैरक्स

(श्री मो. गफ्फार अली)

में रहा हूं। मैंने महसूस किया है इससे ज्यादा जुल्म नहीं हो सकता है। जिस कैदी को बैरक्स में रखा जाता है वह रात भर तड़फता रहता है, दिन में वह सो नहीं सकता है. उसकी जिन्दगी गर्क हो जाती है। मेरा सजेशन यह है. जेल में जो कैदी हैं, मामूली कैदी भी हैं उनको बैरक्स में न रखा जाय और मई–जून के महीने में उनके लिए बाहर सोने की व्यवस्था की जाय।

इसके बाद में मेरा सजेशन है, जैसा केदारनाथ जी ने कहा कि कैदियों को किस प्रकार से ह्यूमिलेट किया जाता है। जेल में जो टट्टियां होती हैं, उनमें पर्दे नहीं लगा सकते। कैदी उनमें नंगे बैठते हैं और वह नंगे दिखाई देते हैं। यह प्रिकॉशन इसलिए लिया जाता है ताकि कैदी खुदकुशी न कर ले। अगर वहां कोई खुदकुशी करेगा तो करेगा, यह आपकी ज्यादती से करेगा उसकी तो जिन्दगी खत्म हो जाना अच्छा है। मेरा इसलिए सुझाव है, इस प्रकार की जो लेट्रीन हैं उनको तब्दील किया जाय।

चौथी चीज जो मैं कैदियों के लिए अर्ज करना चाहता हूं, वह यह है, कैदियों को हर कदम पर ह्यूमिलेट किया जाता है, उनको परेशान किया जाता है। यह मनोवृत्ति है, यह बदलनी चाहिए। मैं यह मानता हूं, आज जो आई. जो. जेल हैं, उनका अच्छा तर्जुबा है, लेकिन क्योंकि रूल्स नहीं है इसलिए वह मजबूर हैं। इसलिए रूल्स में तब्दीली होनी चाहिए और ऐसे रूल्स बनाये जाने चाहिए जिससे····

(समय–समाप्ति–सूचक घन्टी)

मैं दो मिनट में खत्म करता हूं, उपाध्यक्ष महोदय।

मैं खत्म करने के पहले यह अर्ज करना चाहता हूं, रूल्स बनाने के लिए कमेटी मुकर्रर कर दी जाय और रूल्स ऐसे बनायें जिससे ह्यूमिलेशन कम हो। जो सोसाइटी के दलित लोग हैं, वह जेल से रिफार्म होकर निकलें, इससे सोसाइटी की शोभा बढ़ेगी।

पुलिस के बारे में भी थोड़ा सा अर्ज कर दूं उसके बाद मैं समाप्त करूंगा। पुलिस के बारे में करप्शन का चार्ज है और उसके द्वारा टॉर्चर किस ढंग का होता है–इसकी एक मिसाल आपके सामने आई जो जनार्दन सिंह गहलोत ने दी। मैं दूसरी बात बताता हूं। मैं यह कहना चाहता हूं कि पुलिस में वही लोग लिये जायं जो नेशनलिस्ट हों, जिनका सिक्यूलेरिज्म में विश्वास हो, जो सेपरेटिस्ट हैं और कम्युनलिस्ट हैं, जिनके ऐसे जज्बात हैं उनको इस पुलिस विभाग में न लिया जाय और जो नेशनलिस्ट हों, हिन्दुस्तान के सिक्यूलेरिज्म में विश्वास करते हों उनका ही अप्वॉइन्टमेंट किया जाय। आज मैं मिसाल देना चाहता हूं कि हमारे बरकतुल्ला साहब जिस कॉन्स्टीट्यूएन्सी से जीत कर आये हैं, वहां एक कंवरसिंह साहब हैं, एस आई. वहां जो मेव हैं, मेव सिख, उनसे उनको सख्त नफरत है। उस एस. आई. ने यह कर रखा है कि उनके बाल, दाढ़ी के बाल नोच नोच कर चिपका रखे हैं एक बोर्ड पर और उनका प्रदर्शन करते हैं। यह चीज अगर सही है, जैसा कि मुझे कहा गया है तो इससे ज्यादा शर्मनाक बात और नहीं हो सकती है। यह बात काफी है उसे बर्खास्त कर देने के लिए, जो इस प्रकार की हरकत करता है,

(श्री मो. गफ्फार अली)

इस प्रकार के चार्ज के ऊपर उसको वर्खास्त कर देना चाहिए । हम सिक्यूलेरिज्म के आधार पर स्टेट बनाना चाहते हैं, हम सिक्यूलेरिज्म एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, इसलिए जो कम्युनलिज्म में विश्वास करता है, सैपरेटिज्म में विश्वास करता है और मजहब के नाम पर बड़े से बड़ा जरायम करने को तैयार रहता है वह नाकाबिले वर्दाश्त है । पुलिस का महकमा है, वह ऐसा महकमा है जिससे जनता का सीधा वास्ता रहता है । इसलिए ऐसा आदमी इसमें नहीं रहना चाहिए । मैं कहना चाहता हूँ कि जो ऐसी कम्युनल फोर्सेज काम कर रही हैं उनको खत्म करना चाहिए। इसमें सबसे बड़ी बात है, सर्विसेज में जो फिरका परस्त लोग हैं, उनकी इन्क्वायरी की जाय और सही साबित होने पर एक्शन लिया जाय । इससे ही यह मसला हल हो सकता है।

थोड़ा मैं बजट के बारे में (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) एक बात बता दूं । यह कह कर मैं खत्म कर देता हूं (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) मैं अभी खत्म कर देता हूं। दो चार मिनिट में बन्द करता हूं ।

पुलिस के बारे में मैं एक खास बात बता देना चाहता हूं, वह यह है कि क्राइम डिटेक्शन के लिए चार कुत्ते है उनके लिये दो थानेदार छः कान्स्टेबल, कई भंगी मुकर्रर हैं। मुझे मालूम हुआ है, कोई चोरी बरामद नहीं हुई और उन पर दो हजार रुपये माहवार सर्फ किया जा रहा है। लोगों पर एक तरफ आप टैक्स का बर्डन डाल रहे हैं · ·

श्री भानुकुमार शास्त्री : यह कुत्ते चार पैरों वाले हैं या दो पैर वाले ?

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : चार पैर के कुत्ते हैं उनको मेन्टेन करने के लिये 12 आदमी हैं। एक सब इन्स्पेक्टर को इस बात पर सस्पेंड किया गया है कि उसने कुत्तों को ठीक तरह से खाना नहीं खिलाया। वे एयर कन्डीशन कमरों में रहते हैं । एक तरफ आप शिकायत करते हैं कि हमारे पास साधन नहीं हैं, दूसरी तरफ ऐसे कुत्तों को पालते हो जिन्होंने आज तक कोई क्राइम डिटेक्ट नहीं किया। मैं आपका आभारी हूं, शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे समय दिया । इन्हीं शब्दों के साथ मैं चाहूंगा कि जो मुद्दे मैंने रखे हैं उन पर हुकूमत गौर करे और जल्दी उनको लागू करने की कोशिश करे।

श्री झाबरमल (फतेहपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, समाज की आंतरिक सुरक्षा के लिए पुलिस एक मुख्य साधन है और आंतरिक सुरक्षा सबसे बड़ी चीज है लेकिन आज समाज में सबसे ज्यादा भय है तो वह पुलिस से है। इसमें मुख्य दोष किस पर है यह बात विवेचन की है, लेकिन मैं समझता हूं, यह दोष संस्कारों का है, हमारे संस्कार जो डेवलप हुए हैं, बदल रहे हैं पाश्चात्य सभ्यता की वजह से यहीं इसकी जड़ है और यही वजह है कि भ्रष्टाचार ज्यादा से ज्यादा व्याप्त हो रहा है। पुलिस विभाग ऐसा विभाग है जो इस भ्रष्टाचार को मिटाने में सबसे ज्यादा सहायक सिद्ध हो सकता है। प्रजातंत्र प्रणाली में हम समाज की सुरक्षा के कुछ उपाय करें तो यह निर्विवाद सत्य है कि प्रजातंत्र प्रणाली सर्वोत्तम उपाय नहीं है लेकिन फिर भी इसके नजदीक रहने के लिए मोरल वेल्यूज सबसे महत्वपूर्ण चीज है। मोरल वेल्यूज का एक किस्सा सुनाता,

(श्री झाबरमल)

हूं। एक बादशाह ने दरबार में पूछा कि मैं राज बढ़िया करता हूं या घटिया? एक बुजुर्ग था 100 वर्ष का बूढ़ा काजी उसने हां भरी कि मैं इसका जवाब दे दूंगा। उसने कहा, आपके परदादा के जमाने में एक ब्राह्मण की लड़की वर्षा और आंधी के कारण रास्ता खो गई और घर में आ गई। मैं झोपड़ी में रहता था। उसके गीले कपड़े होने के कारण मैंने रात भर बाहर गुजारी और वह अन्दर कपड़े सुखाती रही और सुबह को उसको घर भेज दिया। लेकिन जब आपके बाप का राज आया तो मेरे मन में आया कि लडकी को भेज दूं और उसके गहने और दूसरे जेवर रख लूं। लेकिन मेरे गरीब परवर जब से आपका राज आया है तो मन और बदल गया है और सोचने लगा कि घर में गहने लेकर वह आ गई तो उसको वापस क्यों भेज दिया जाय। तो मेरी मानसिक स्थिति से अवश्य अंदाजा किया जाए कि राज किसने अच्छा किया। तो हमारी मोरल वेल्यूज जिस गति से नीचे जा रही है, यही सबसे बड़ा कारण है जो कि भ्रष्टाचार को पनपने का भी मौका देता है। पुलिस संगठन में सबसे बड़ी पोस्ट आई. जी. की होती है। मैं पुलिस के किसी अधिकारी को दोषी नहीं ठहराता। जो कुछ इस प्रजातंत्र प्रणाली में होता है इसकी सबसे, बड़ी जिम्मेदारी इस सदन में बैठने वालों की है चाहे इधर के हों चाहे उधर के हों। जब हम संविधान में संशोधन कर सकते हैं, हम नए कानून बना सकते हैं, हम कानून में संशोधन कर सकते हैं, तो ऐसी कौनसी वजह है कि हम रैडटेपिज्म को दूर नहीं कर सकते? एक पुलिसमैन के लिए बड़े से बड़ा तरीका अख्तयार कर सकते हैं फिर अधिकारियों को दोष देना, अपनी कमजोरी जाहिर करना है। मैं स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हूं कि अधिकारी दोषी हैं। सबसे ज्यादा दोषी हम हैं लेकिन इसके लिए क्या किया जाय? यह तो उस पक्ष में बैठने वाले सोच सकते हैं।

मैं एक बात कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री ने बहुत पहले एक बात कही थी कि मैं भ्रष्टाचार को मिटाकर रहूंगा। कितनी सफलता हासिल की है वह सबके सामने हैं लेकिन मैं एक बात उनसे कहना चाहता हूं जो कि उनकी इस बात में सहायक हो सकेगी। आज तक हमारी लाइफ सैंटीमेंट्स से गाइड होती है हमारे ओथ सैंटीमैंट्स, गंगाजल की सौगंध, सत्य निष्ठा की शपथ, इस ओथ का औपचारिक दृष्टि से मानस पर असर नहीं। मैं सुझाव दूंगा कि जिस कैबीनेट मंत्री को जो शपथ दिलाई जाती है या सदस्यों को शपथ दिलाई जाती है, सबसे प्यारी वस्तु जो उनकी है वह है बच्चे और स्त्री। उनकी शपथ इनसे दिलाने की चेष्टा करें तो मैं समझता हूं उनमें एक परिवर्तन आएगा और ऐसे ही बड़े बड़े अधिकारी जिनकी संख्या 50 से ज्यादा नहीं होगी वे पब्लिकली कान्फ्रेंस करें, शपथ ग्रहण करें अपनी संतान की कि हम जो संचालन करेंगे उसमें भ्रष्टाचार को बढ़ावा नहीं देंगे, मैं संतान की सौगंध खाकर कहता हूं तो भ्रष्टाचार अलादीन के चिराग की तरह राजी राजी गायब हो सकता है। लेकिन आज हम प्रशासन को चलने नहीं देना चाहते, स्टेप स्टेप पर हस्तक्षेप कर रहे हैं, क्या प्रोमोशन्स, क्या ट्रांसफर्स, किसी की नई

(श्री झावरमल)

नियुक्ति हो, उसका हम संचालन कर रहे हैं जनप्रतिनिधि, उनमें सभी हैं। आज/आई. जी. की सबसे ऊंची पोस्ट है वह आज डेकोरेशन मात्र की चीज है। उनकी पुलिस प्रशासन चलाने में कोई कीमत नहीं होती है। उन्हें हर स्टेप पर गाइड किया जाता है, तो मैं नहीं मानता कि सारे प्रशासन के लिए जो गलतियां हो रही हैं जो भ्रष्टाचार पनप रहा है उसमें अधिकारी दोषी हैं। इसके बावजूद भी जो थाने हैं, सर्किल्स हैं; उन पर डी.आई.जी. हैं। इनका भी अलग कार्य क्षेत्र और कर्त्तव्य है, लेकिन मैं मानता हूं कि सबसे महत्वपूर्ण ईकाई है पुलिस थाना, थानेदार जो इम्मीजिएट रिलीफ देता है। लेकिन आज एक थानेदार इतनी पाप्यूलेशन बढ़ने के बाद भी उसी स्ट्रेंथ से काम कर रहा है जो पहले समय में। 60–70 हजार की जनसंख्या के पीछे 13 आदमी थाने पर। बाबा आदम के पुराने साधन शुतर सवार के तरीके छुड़वा दें। पुराने तरीकों से, पुराने साधनों से, हम कैसे डिटेक्ट करेंगे। इसलिए निम्न स्तर के जो गांवों के थाने हैं उनको सबसे ज्यादा मजबूत करें, साइंटिफिक एपरैटस से उनको इक्विप करें।

दूसरी बात उसमें कुछ ऐसे अधिकारी भी हैं जो अपने आप से गाइड होते हैं और वे मानते हैं कि पुलिसमैन की गुंजाइश नहीं है। वे शायद उच्छृंखल और निरंकुश बन गए हैं। ऐसे अधिकारी पुलिस में हैं। मैं चाहता हूं कि तत्काल उनको घर भेजने की चेष्टा सरकार को करनी चाहिये। ऐसी एक घटना सदन को बताता हूं। अभी रींगस के पास रात को चोर चोरी कर रहा था इतने में सारे लोग आ गए, चोर फायर करके निकला, जाते समय कह गया कि अभी मौका नहीं लगा फिर आऊंगा, और गांव को लूटूंगा। उसके बाद सारा गांव उसके पीछे चला गया और थानेदार वहां किसी बहाने उधर आया। गांव वालों ने कहा थानेदार अपने आप कर लेगा। इतने में जाने का उसको मौका मिल गया। तो ऐसी घटनायें होती हैं, उसमें जो ड्यूटी पर थानेदार है उनको ध्यान देकर आवश्यक कार्यवाही करनी चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, आज सीकर जिला राजस्थान एक में ऐसा जिला है कि वहां पर चोरियां बहुत होती है। अभी थोड़े दिन पहले वहां एक गांव में 15 हजार रुपये की चोरी हो गयी थी। स्थिति ऐसी है, उपाध्यक्ष महोदय, कि उस चोरी के इन्वेस्टीगेशन में पुलिस ऐसे व्यक्तियों को बुला कर परेशान करती है कि तुमने आज से तीन साल पहले एक बांसुरी चुराई थी। तो, उपाध्यक्ष महोदय, यह जरूरी है कि आज से कोई तीन साल पहले किसी ने बांसुरी चुराई है तो यह चोरी करने भी वही जायेगा। पुलिस के इन्वेस्टीगेशन में आज भी वहीं पुराने तौर के तरीके काम में लाये जाते हैं। या अगर कहीं किसी ने कोई बकरी चुराली, तो पुलिस व्यक्ति को बुला कर कहेगी कि यह जो चौदह हजार की चोरी हुई है वो तुमने की है, क्योंकि तुमने पहले एक बकरी फलां जगह से चुराई थी। इसलिये, उपाध्यक्ष महोदय, आज पुलिस के जो इन्क्वायरी करने के तरीके हैं। उनमें सुधार लाना बहुत ही जरूरी है। आज पुलिस विभाग से चारों तरफ भ्रष्टाचार का बोलबाला है इसके लिये मैं निवेदन करूंगा कि भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ में कार्यवाही की जानी चाहिये।

(श्री झाबरमल)

दूसरी बात में आपको जो निवेदन करना चाहता हूं कि आज राजस्थान में सबसे ज्यादा अगर कहीं पर चोरियां होती हैं तो वह जगह है सीकर जिले में नीमका थाना सब डिवीजन। उपाध्यक्ष महोदय, यहां चोर ज्यादा बसते हैं। उनका काम ही चोरियां करना है। इसके लिये मैं राज्य सरकार से आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि वहां पर इन चोरों के खिलाफ में एक प्रिवेन्टिव फोर्स रखा जाय और चोरों को पकड़ कर सख्त से सख्त सजा दी जाय। इसके बारे में कई बार राज्य सरकार से अनुरोध किया गया और वैसे आंकड़ों के अनुसार भी यह पता लग जाता है कि सीकर जिला में नीम के थाने के जो लोग हैं उनमें क्रिमिनल्स ज्यादा हैं। आज वहां चोरियां ज्यादा होती हैं, सरकार और पुलिस वहां पर निष्क्रिय है। आखिर गांव वालों ने एक स्वयं सेवी संघ उनके खिलाफ में बनाया। उस दल का काम था कि वहां जो क्राइम्स करते हैं उनसे रक्षा की जाय। उपाध्यक्ष महोदय, स्थिति बहुत खराब है और जो चोर लोग हैं उनको वहां के जो राजनेता है, उनकी शह है जिससे उनके खिलाफ में कोई कार्यवाही नहीं होती। पर इस स्वयं सेवी दल का फायदा भी वहां की जनता को नहीं मिल सका क्योंकि उससे जो प्रभावशील व्यक्ति थे उनकी प्रतिष्ठा खराब होती थी और बाद में उन राजनेताओं के हाथ से उस दल को तितर बितर कर दिया गया और उस सुरक्षा दल के जो प्रधान थे श्री रामकुमार उनकी हत्या कर दी गयी आज तक उसमें कोई कार्यवाही नहीं हुई। बहुत ही असुरक्षा की स्थिति बनी हुई है। चोरों को भी गिरफ्तार नहीं किया जाता। इस प्रकार की हत्यायें हो जाती हैं कि उन्हें वहां के राज नेता लोग गिरफ्तार नहीं करने देते हैं और उन्हें प्रोटेक्शन देते हैं।

दूसरे जो मैं निवेदन करूंगा वह यह है कि आज जो पुलिस में भर्ती होती है उसमें भी हमारे क्षेत्र के लोगों की नियुक्ति की जानी चाहिये। और ऐसे लोगों को उस क्षेत्र में लगाया जाय जो कि उस क्षेत्र के लोगों को जानते हो और ईमानदार हों। इसके साथ साथ जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है वह है, वहां की जनता को चोरी और हत्यारों से सुरक्षा मिलना। इसलिए मेरा निवेदन है कि वहां एक प्रिवेन्टिव फोर्स रखा जाय। इसके बाद में जो मैं निवेदन करना चाहूंगा आपके मारफत राज्य सरकार से, वह यह है, उपाध्यक्ष महोदय, कि न्याय-प्रशासन जिसकी कि चर्चा इस सदन में कई माननीय सदस्यों ने की है उसको कार्यपालिका से अलग किया जाय। उपाध्यक्ष महोदय, आज भारत के अलावा सारे वर्ल्ड में न्याय पालिका और कार्यपालिका अलग अलग हैं। आपको ऐसी व्यवस्था कहीं भी नहीं मिलेगी। उपाध्यक्ष महोदय, आज राजस्थान हाईकोर्ट की सीट जोधपुर में है। सिर्फ जोधपुर डिवीजन के लोगों को प्रसन्न करने के लिए आपने वहां पर राजस्थान का हाई कोर्ट जोधपुर में रखा है। मैं पूछता हूं कि उसकी यूटिलिटी राजस्थान की कितनी प्रतिशत जनता को हो रही है? आज अगर जयपुर में हाईकोर्ट की बेंच आ जाती है तो काफी राहत राजस्थान का जो उत्तरी और पूर्वी हिस्से की जनता है उसको मिल सकती है। लोगों को सस्ता

(श्री झाबरमल)

और सुलभ न्याय मिलेगा। लेकिन आज राजनैतिक आधार पर वह जोधपुर में ही रह रहा है। दूसरे जो आज एपॉइंट्मेंटस वगैरह मुन्सिफ वगैरह के होते हैं वह सभी सिलेक्शन्स पी. एस. सी. के द्वारा होते हैं। इन सिलेक्शन्स में बड़े बड़े प्रभावशाली अपने लोगों का सिलेक्शन करा लेते हैं, ये आज जितने भी मजिस्ट्रेट वगैरह के एपॉइंटमेंट वगैरह होते हैं इसमें बहुत ही धांधली होती है। इसके लिए मेरा राज्य सरकार से सुझाव है कि इनके सिलेक्शन का एक अलग से बोर्ड होना चाहिए जिसमें जनता के प्रतिनिधि हों और वो इस पी. एस. सी. से अलग हों। ताकि जो बड़े अधिकारी हैं, जो बड़े बड़े राजनेता हैं वे इसमें गड़-बड़ियां नहीं कर सकें। और इन मुन्सिफी और मजिस्ट्रेट्स की नियुक्तियों को राज-नैतिक आधार पर नहीं किया जाय। बस मुझे इतना ही निवेदन करना है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री किशन मोटवानी।

श्री किशन मोटवानी (अजमेर) : उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन में गृह विभाग की मांगों पर बहस हो रही है उसमें मैं भी कुछ निवेदन करना चाहूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, पहले तो भ्रष्टाचार के बारे में सदन में बहुत कुछ कहा गया है इसमें मेरा निवेदन है कि भ्रष्टाचार सिर्फ आज पुलिस विभाग में ही नहीं है बल्कि आपको मेडिकल डिपार्टमेंट में भी बहुत मिलेगा। तो मेरा कहना यह है कि सिर्फ पुलिस विभाग के कर्मचारियों या अधिकारियों को ही इसके लिए रेस्पोन्सिबल किया जाय ये मैं उचित नहीं समझता हूं। करप्शन सिर्फ पुलिस विभाग का ही सब्जेक्ट हो वह बात नहीं है। मेरी मान्यता है कि कुछ हद तक इसके लिए जनता भी इन विभागों में भ्रष्टाचार फैलाने में जिम्मेदार हैं। मैं वकालत का पेशा करता हूं मुझे इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी है। आज हमारे कोर्टस में पुलिस से कम भ्रष्टाचार नहीं है। उसका एक कारण है कि हरेक आदमी अपना काम करवाना चाहता है। इसका कारण यह है कि ज्योंही केस की पेशी खत्म होती है त्योंही जो लोग बाहर से आये हुए होते हैं और जल्दी अपना काम करवा कर जाना चाहते हैं, या दूसरे लोग जो भी लोग हैं, वे अपना काम जल्दी करवाने के लिए बाबू के पास पहुंचते है। मजिस्ट्रेट के रीडर के पास पहुंचते हैं और उन्हें 2 रुपये देकर अपनी नकल सबसे पहले लेना चाहता है और इस प्रकार दो रुपये पेशगार को दे देता है और एक रुपये किसी अहलकार को दे देता है और अपना काम करवा कर चला जाता है। तो इस प्रकार से जो आज जनता के लोग और आप हम जैसे लोग उन्हें रिश्वत देते हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : बड़े अच्छे कामरेड हैं आपके। मुबारिक हो।

श्री किशन मोटवानी : मुबारिक आपको हो। इसलिए आज जरूरत है कि हमलोग ही इस प्रवृत्ति को ठीक करें। आज जरूरत है कि हम सभी ईमानदारी से काम करें। और करप्शन को खतम करने की कोशिश करें।

इसके अलावा मैं कुछ मांग संख्या 10 के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। इसके बारे में मेरा निवेदन है कि आज जो राज–

(श्री किशन मोटवानी)

स्थान हाईकोर्ट की सीट जोधपुर में है उसके बारे में, उपाध्यक्ष महोदय, मैं न्याय मन्त्री से निवेदन करूंगा कि वह अजमेर में रखी जाय। और वह अगर अजमेर स्थापित नहीं हो सके तो उसकी बैंच जयपुर में रखी जानी चाहिये। ऐसा मेरा सुझाव है। आज जब हम समाजवाद की बात करते है और समाजवाद लाना चाहते हैं तो हमारे लिए यह जरूरी हो जाता है कि राजनैतिक आधारों को छोड़ दिया जाय, राजनैतिक भावनाओं से ऊपर उठकर हमे जनता को ज्यादा से ज्यादा लाभ हो ऐसा काम करना चाहिए। जब राजस्थान बना था क्या परिस्थितियां थी आज परिस्थितियां अलग है। जनता को सस्ता और सुलभ न्याय मिले ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये। इसलिए आज यह आवश्यक हो गया है कि हम इस व्यवस्था में संशोधन करे।

अब मैं कुछ बातें हाईकोर्ट के प्रश्न पर न कह कर आज जो केसेज चलते है उनके बारे में कहूंगा। पहले लोगों को यह ख्याल था कि सिविल केसेज में निपटारा बहुत ही कम समय बाद होता है तो लोगों में क्रिमिनल केसेज करने की मात्रा बढ़ गई। क्रिमिनल केसेज ज्यादा हो गये पर बाद में ऐसा हुआ कि लोगों को पता पड़ा कि इसमें भी उतना ही समय लगता है। आज क्रिमिनल केसेज में चार चार साल तक लग जाते हैं–आज ऐसा होता है कि साल के एण्ड में अफसरों के पास से केसेज ट्रांसफर हो जाते हैं। क्योंकि अफसरों की ट्रांसफरें होती है वो भी साल के अन्त में। नतीजा यह होता है कि नये अफसरों के पास वो केसेज नये हो जाते हैं। इसलिए मेरा इसके बारे में भी यही निवेदन है कि इसमें राज्य सरकार की ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये कि सरकार के आफिसर्स की ट्रान्सफरें एक साल में तीन तीन बार या चार चार बार नहीं हो।

दूसरी बात निवेदन करना चाहता हूं वह यह है कि जब राजस्थान बना और उसके बाद में जब विशाल राजस्थान बना तो वापिस यह सवाल उठा कि कहां पर केपिटल रहे और कहां पर हाईकोर्ट रहे। यह प्रश्न इसलिए पैदा हुआ था कि अजमेर का मर्जर हो गया था। सन् 1956 में जब अजमेर का मर्जर हो गया तो यह सभी मुद्दे स्टेट रिआर्गेनाईजेशन कमेटी को सौंपा गया और उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी। उपाध्यक्ष महोदय, उसके अनुसार केपीटल जयपुर में रही, हाईकोर्ट जोधपुर में रहा, और रेवेन्यू बोर्ड और पब्लिक सर्विस कमीशन अजमेर में रहा। तो, उपाध्यक्ष महोदय, यह तो एक तरह से भाइयों के बंटवारे की तरह हो गया। पहले तो, उपाध्यक्ष महोदय, केपिटल अजमेर हो ऐसा प्रश्न उठा पर अजमेर के नेतालोग जो थे वो अजमेर में केपिटल कराने में असमर्थ रहे। और वह केपिटल जयपुर में हो रहो। खैर हमारे सर आंखों पर वह यहां फले फूले हमारी दुआ है।

अजमेर से केपिटल चली गई, रेवेन्यू बोर्ड का यह हाल कर दिया कि इसको छिन्न भिन्न कर दिया। मेम्बर्स हर इलाके में चले जाते हैं और केसेज करते हैं, उसके पीछे यह उद्देश्य है। सही मानता हूं। सस्ता न्याय देने वाली प्रणाली चाहते हैं उसको देने के लिए इस किस्म का प्रावधान किया गया। उसी प्रकार से मैं निवेदन करूंगा कि अगर सस्ता न्याय देना है तो

Page No.157

(श्री किशन मोटवानी)

ब्रांच क्रीयेट करनी पड़ेगी तब ही लोगों को सस्ता न्याय और राहत मिलेगी।

साथ ही साथ प्रश्न उठता है कि बैन्चेज क्रीयेट की जाय तो कहां पर ? जयपुर का भी क्लेम आ रहा है। मैं अजमेर का क्लेम सबसे अव्वल मानता हूं। उसके रीजन्स हैं। अजमेर एक सेंट्रली लोकेटेड प्लेस है। राजस्थान के किसी हिस्से से आदमी निकलेगा तो सुबह तक अजमेर पहुंच जावेगा। जयपुर में देखेंगे कि यहां आवेगा तो 22 घण्टे 24 घंटे लगेंगे। अजमेर के लिए मैं यों निवेदन करता हूं कि हाईकोर्ट जोधपुर में है। जोधपुर को इस समय एक अन्य इम्पोर्टेन्स मिली हुई है। जोधपुर एक वलनेरेबल प्लेस हो गई है। आये दिन पाकिस्तान से लड़ाई होती है और हाईकोर्ट में बहुमूल्य रिकार्ड है, पहले जब लड़ाई हुई थी उस समय भी खतरा पैदा हो गया था रिकार्ड को। उसको शिफ्ट करने की परिस्थिति आ गई थी। मैं निवेदन करूंगा कि प्रिन्सीपी हाईकोर्ट जोधपुर में नहीं होनी चाहिये। रीजनल क्लेम को सेटिस्फाई करने के लिए हाईकोर्ट रखी जाती है तो बन्चेज क्रीयेट की जांय और अजमेर का केस सर्व प्रथम। मुख्य मन्त्री और विधि मन्त्रीजी मूलतः इस पोलीसी को एडमिट करेंगे कि बैंचेज खोलना आवश्यक है और उसमें अजमेर का केस सबसे आगे है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री वृद्धिचन्द्र जैन।

(अनुपस्थित)

श्री सावरमल मोर।

(5.35 म. प.)

(श्री मोहम्मद गफ्फारअली, चेयरमैन पदासीन)

श्री सावरमल मोर (श्री माधोपुर) : पुलिस विभाग के ऊपर मेरे कटौती प्रस्ताव है और मैं सबसे पहले न्याय प्रशासन पर निवेदन करूंगा। सस्ता न्याय देने की दृष्टि से न्याय पंचायतें सारे राजस्थान में स्थापित की गयीं थीं इसी दृष्टि से की गयी थीं कि सस्ता न्याय मिलेगा।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करूं आप से कि इस लम्बे अर्से में आज जैसी दुर्दशा न्याय पंचायतों की है वह कही नहीं जा सकती। कायदे से चुनाव नहीं हुए। उनका काम ठीक चलता है और जो न्याय व्यवस्था न्याय पंचायतों से मिलनी चाहिये वह जनता को नहीं मिल पाती है। उसी सन्दर्भ में जहां राजस्थान की सरकार सस्ता न्याय देने के लिये कटिबद्ध है तो मैं यह भी निवेदन करूं राजस्थान सरकार से कि अगर राजस्थान का एक बड़ा तबका जब इस बात को चाहता है, कि जयपुर में हाई कोर्ट की बैंच हो तो उनकी यह मांग अनुचित नहीं है। सस्ता न्याय मिले इस दृष्टि से मैं कहना चाहता हूं कि हमारे मुख्य मंत्री जी बहुत सहृदयी व्यक्ति हैं और माननीय सदस्य भी हमारी भावना को समझेंगे कि हम लोगों को सस्ता न्याय दें इस दृष्टि से इस ओर गौर करेंगे और हाई कोर्ट की बैंच जयपुर में हो इस बारे में साथ देंगे।

कारागार के सम्बन्ध में माननीया श्रीमती निर्मला सिंह ने काफी प्रकाश डाला है, मैं नहीं चाहता कि इस पर ज्यादा प्रकाश डालूं। फिर भी मैं आप से निवेदन

(श्री सावरमल मोर)

करूं कि जैसा उन्होंने कहा आत्म समर्पण की भावना से, आत्मशुद्धि की भावना से आपने सुना होगा अखवार में भी पढ़ा होगा जो प्रत्यक्ष में हुआ है सम्माननीय श्री जय प्रकाशनारायणजी के सामने देश के प्रख्यात डाकुओं ने समर्पण किया। उनमें तब्दिली आयी और जनता की भावना को उन्होंने भी समझा और शुद्ध मन से आत्म समर्पण किया। कारागार के मामले में ऐसी भावना से चलेंगे तो जेल में रहने वालों के मन में ऐसी भावना आयेगी कि जब जेल भुगतने के बाद वे वापिस समाज में आवेंगे तो अच्छे जीवन के साथ आवेंगे और समाज को अच्छी उनसे आशा मिलेगी। मैं चाहता हूं कि कारागार विभाग और माननीय मुख्य मंत्रीजी इस बारे में सक्रिय कदम उठायेंगे जिससे एक अच्छी परम्परा राजस्थान में कायम हो सके। मैं निवेदन करूं जैसी कई तरह की चर्चा इस सदन के समक्ष हुई है नीम के थाने की बात चली। रामकुमारजी की हत्या जिन हत्यारों ने की वे न पकड़े गये, हम चाहते हैं कि वे जल्दी से पकड़ जायं और उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाय। एक तरफ हत्यारों को पकड़ने की बात करते हैं और दूसरी तरफ ऐसे दोस्त हैं जो राजनैतिक बात करते हैं और इरादे के साथ लांछन लगाने का प्रयत्न करते हैं। हर किसी को कठघरे में लाकर खड़ा करनेकी बात करते हैं। जो भी बात कहें वह शुद्ध भावना से कही जानी चाहिए और शुद्ध भावना यह है कि हत्यारों को पकड़ कर उनको दंड दिया जाय। उसमें किसी की दो राय नहीं हो सकती है। जिस इलाके से मैं चुन कर आया हूं, मैं निवेदन करूंगा, माननीय सभापति महोदय, वहां पर चोरियों का जोर है। जब इलाके में जाता हूं जहां इससे बड़े परेशानी है। चोरों की यह स्थिति है कि चौड़े धाड़े ऊंट उठा लेगये, घर में चोरी हो गई, फिर यह बात होती है कि पांच सौ रुपये रख जाओ और ले जाओ चोरियों की रोकथाम की व्यवस्था के लिये आपको सहासिक कदम उठाना पड़ेगा। किसानों के पास गाढ़ी कमाई और खून पसीने की कमाई होती है। उसको अगर चोर उठा कर ले जाते हैं तो उनकी मन की भावना को समझिये। श्री माधोपुर में चोरियों का जोर है। मैं चाहता हूं कि आप चोरियों की रोकथाम करें। इस प्रकार की व्यवस्था करें कि जिससे चोरियों रुके। यह भी चाहता हूं कि श्री माधोपुर में आउट पोस्ट चौकी होनी चाहिये। इन थानों की जो व्यवस्था 20.-25 साल से है उसमें कोई सुधार नहीं है। माननीय मुख्य मंत्री से आशा है, कि वे इसकी व्यवस्था के लिये उचित कदम उठायेंगे। मैं यह भी चाहूंगा आप से मुख्य मंत्रीजी कि सब थानों में टेलीफोन व्यवस्था होनी चाहिये जहां कि वह उपलब्ध हो सकती है। यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि टेलीफोन की व्यवस्था हुई तो आप मान कर चलेंगे कि जो सुविधा जिले के हैडक्वार्टर पर जो सूचना देनी है या जयपुर के हैडक्वार्टर पर देनी है उसे जल्दी से दे सकेंगे।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

आपने तो घन्टी ही बजा दी।

इसके साथ मैं यह भी निवेदन करूं कि थोड़े दिनों पहले रींगस में टूर्नामेन्ट्स

(श्री सावरमल मौर)

हुए थे हाई स्कूल के वहां पर दो ताम्बे की कोठी पानी के लिये लाये और चोर उनको भी उठाकर ले गये और आज तक इनका पता नहीं चला। तथा पुलिस के सामने भी आज दिक्कतें हैं वे दूर हो उन्हें भी दूर करें इसके साथ साथ हम ऐसे अधिकारियों की भी भर्त्सना करते हैं जिससे हमारा पुलिस विभाग और सरकार दोनों ही वदनाम होते हैं। हमारे फतहपुर में एक सी. आई. मनफूलसिंह है जिसको किसी का डर नहीं है वहां पर उस सी. आई. ने तारीख 15-4-72 को टी. बी. के वीमार श्री मुरारीदान को 151 में गिरफ्तार किया और उसके पिता जो 80

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

साल के थे उसको गिरफ्तार करके थाने में लाये और उसका 15-16 साल का लड़का था उसको भी थाने में गिरफ्तार रखा। मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि जांच करके ऐसे अधिकारियों को कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए जिससे हमारी पुलिस और सरकार वदनाम न हो इन्हीं शब्दों के साथ मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि आपने फिर घन्टी वजा दी।

श्री सभापति : श्री सुरेन्द्र व्यास।

(अनुपस्थित)

श्री रामसिंह : (सादुलपुर)।

(अनुपस्थित)

श्री रामगोपाल : (किशनगज)।

श्री रामगोपाल (किशनगंज): सभापति महोदय, आज मैं पुलिस प्रशासन के ऊपर अपने विचारों को रखना चाहूंगा। प्रजातंत्र के अन्दर जो आज हमारा प्रशासन है उस प्रशासन को सुदृढ़ करने के लिए जो अंग महत्वपूर्ण है वह आज इस शासन के अन्दर पुलिस विभाग/है। अगर पुलिस विभाग हमारा अच्छा हैं जो मानवता को ध्यान में रखते हुए और अपना कार्य करता हुआ आगे वढ़ने की कोशिश करे तो आज जो हम भ्रष्टाचार का नारा लगाते हैं शायद वह नारा लगाने के लिए हमें/वाध्य नहीं होना पड़े। सभापति महोदय, पुलिस विभाग प्रशासन का महत्वपूर्ण अंग हैं। आज जो पुलिस मशीनरी हमारे इस प्रशासन को गन्दा करती है उसके अन्दर जो भ्रष्टाचार भरा पड़ा है हमारे कई माननीय सदस्यों ने जो भ्रष्टाचार के ऊपर/विचार व्यक्त किये हैं उसी भ्रष्टाचार को लेकर मैं कुछ भ्रष्टाचार जो पुलिस में पाया जाता हैं आपके समक्ष और सदन के समक्ष रखना चाहूंगा।

सभापति महोदय, पुलिस का काम अपराधों को रोकने का हैं और अपराध किस तरह से रोकते हैं यह वह फैक्टरी है, यह वह मशीनरी है जो अपराधों में अनुसन्धान करती है और अनुसन्धान करके उस अपराधी की खोज करती है जो कि अपराधों को बढ़ावा देता है और उस अपराधी को पकड़ने के लिए पुलिस मशीनरी/वड़ा भारी विभाग माना गया है। सभापति महोदय इसके विपरीत यह भी है कि जो पुलिस मशीनरी अपराधों को रोकने के लिए वनी है वह अपराधों को सही रूप से नहीं रोक पाती है।

(श्री रामगोपाल)

सभापति महोदय, मैं थोड़ा सा इस पर विचार रखूंगा और एक दो उदाहरण सूक्ष्म रूप में आपके सामने पेश करूंगा समय कम होने के नाते। सभापति महोदय कोटा के अन्दर एक छात्रावास का काण्ड हुआ वह छात्रावास है रघुनाथ छात्रावास। 17-3-72 को रात्रि के 11 बजे दो विद्यार्थी जिनमें एक का नाम बृज मोहन है जो कि एम. ए. (प्रिवीयस) का छात्र है और दूसरा एम. ए. (फाइनल) का विद्यार्थी है उसका नाम जयराम है और एक उनके साथ मेहमान था। ये तीनों विद्यार्थी रात्रि के 11 बजे जो महाराव भीमसिंह चिकित्सालय है उसके दक्षिण की रोड पर छात्रावास को जा रहे थे। सभापति महोदय, हमारे कोटा में एक गिरोह पनप रहा है, वह गिरोह 10-12 आदमियों को साथ लेकर जहां छायादार पेड़ों का झुरमुट है उसमें छिपे हुए बैठे थे। सभापति महोदय, ज्योंहि ये तीनों व्यक्ति दो तो कालेज के छात्र और एक मेहमान साथ था—तीनों ही साथ साथ उस रोड से गुजर रहे थे। अचानक इस गिरोह ने उनके ऊपर हमला किया और इसका परिणाम यह हुआ कि बृज मोहन छात्र जो कि एम. ए. (प्रि०) इतिहास में पढ़ता है कोटा कालेज के अन्दर उस पर खतरनाक हथियारों से प्रहार किया जिससे जो उसके दाहिने पैर का घुटना है उस पर प्रहार किया गया और वह हड्डी दो टूक होकर कट गयी। वह अस्पताल में भरती हुआ और उसको हड्डी को बाहर निकाल दिया गया। दूसरे की नसें कट गयी और उसका आपरेशन हुआ और वह अस्पताल में भरती है। सभापति महोदय उसकी रिपोर्ट पुलिस में हुई। वहां पर नयापुरा पुलिस स्टेशन लगता है और उसमें शुभकरणजो एस. एच. ओ. मौजूद थे। उसने एफ० आई० आर० दर्ज की और तुरन्त ही अस्पताल में गया। अस्पताल में जो लड़का पेन्ट पहने हुये था उसकी अपने हाथों से पेंट निकाली और उसके बावजूद जो पुलिस अधिकारी की ड्यूटी होती है, जो इन्वेस्टीगेटिंग आफिसर है उसको कपड़ों को जब्त करना चाहिये था उसने कपड़े जब्त नहीं किये और उसके बाद में यह कार्यवाही हुई कि जो अपराधी हैं इस मामले में उनको गिरफ्तार करना चाहिये था लेकिन गिरफ्तार नहीं किया गया और उल्टे उसने उसको पनाह दी आगे सभापति महोदय, इस प्रकार की घटना चलती रही और आतंक छाया हुआ रहा। परीक्षा का समय सामने आया और जिस लड़के ने एफ० आई० आर० उन अपराधियों के खिलाफ दर्ज कराई वह परीक्षा देने से वंचित हो गया क्योंकि उसको चारों तरफ से घेरे में ले लिया गया।

(5.47. म. प.)

(श्री राम सिंह यादव, उपाध्यक्ष, पदासीन)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आगे निवेदन करूं कि छात्रावास में गांवों से लड़के पढ़ने के लिये आते हैं। मैं आपको पुलिस की कार्यकुशलता की बात बताता हूं। आगे उनको प्रेस किया गया। दोनों छात्रावास रघुनाथ और जुठानी छात्रावास दोनों के लड़के एस० पी० कोटा के मकान पर गये और निवेदन किया कि अपराधी व्यक्तियों को पकड़ा जाय और आगे कार्यवाही की जाये। तो उसके आगे क्या कार्यवाही होती है वह मैं आपको निवेदन कर दूं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी उस कालेज में पढ़ा था और उन विद्यार्थियों से मुझे मालूम

(श्री रामगोपाल)

हुआ था। उनमें मेरा एक रिश्तेदार भी था जब मैं जाता था तो उसकी दयनीय स्थिति को देखने के लिये मैं भी गया। मुझे भी रहम आया और मैं अस्पताल में स्वयं गया और मैंने एस. पी. से कहा कि जो मुलजिम है उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही कीजिये अन्यथा लड़कों में असन्तोष पैदा हो रहा है। एस. पी. साहब कहते हैं कि मैं गिरफ्तार नहीं करूंगा। पहले कहते थे कि मुझे मालुम नहीं है कि मुलजिम कहां है लेकिन जब उनको कहते हैं कि फला टाइम पर वहां पर बैठे हैं तो वह कहते हैं कि गिरफ्तार नहीं करूंगा। पता नहीं क्या राज है। उन छात्रों में इसके लिये काफी असन्तोष पैदा हुआ और बदमाशों के गिरोह को पनाह मिली कि जो उन घायल छात्रों को छात्रावास से खाना लेकर छात्र जाया करते थे उनको घेर लिया गया और उसकी आज हालत यह हुई कि वह विद्यार्थी छात्रावास के कमरे में पड़ा हुआ है। समय पर जो डाक्टर की सलाह मिलनी चाहिए किसी प्रकार की वह नहीं मिल पाती है और तीन लड़के इस प्रकार परीक्षा से वंचित हो गए और वे बदमाश परीक्षा हाल में परीक्षा देकर घर पर आराम से बैठे हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

दो मिनिट में ही सारा निवेदन कर देता हूं उपाध्यक्ष महोदय। इसके बावजूद कि वह अपराध जो अपराधियों ने किया वह ऐसा अपराध नहीं था कि जो पहला ही हो, वह तो हिस्ट्री शीटर हैं, बराबर अपराध करते हैं और कई बार उनके खिलाफ एफ. आई. आर. दर्ज हो चुकी हैं, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई है। उन पर प्रहार किया गया, उन पर हथियारों की चोट है, क्या वे चोटें बिना हथियारों के हो सकती हैं, तो इन्वेस्टीगेटिंग आफिसर ने उन हथियारों को बरामद क्यों नहीं किया। एक बनावटी नाटक रचा गया। केवल 24 घण्टे तक उनको 307 में पकड़ा गया और न मालूम क्या कारण था कि 24 घण्टे के भीतर उनकी जमानत हो गई एक न्यायालय में। तो आज यह हालत है वहां पर। परिणाम कोटा के अन्दर एक बदमाशों का गिरोह पैदा हो चुका है और आए दिन चाकू छुरियां चलती रहती हैं। और हम देखते हैं कि आज प्रजातंत्र का युग है जिसको देखते हुए हम हमारे कोटा के अन्दर यह पुलिस का जो प्रशासन है (समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी) उसके प्रति नागरिकों में असंतोष पैदा हो रहा है।

इसी प्रकार, उपाध्यक्ष महोदय, (समय-समाप्ति-सूचक घण्टी) बारबार घण्टी बज रही है, मैं अभी समाप्त करता हूं। मैं पुलिस के बारे में और भी बातें बता सकता हूं गांव गांव के उदाहरण दे सकता हूं लेकिन चूंकि समय नहीं है इसलिए मैं सरकार से इतनी ही मांग करता हूं कि इसमें सुधार किया जाय। अगर इस प्रकार के व्यक्तियों को नियुक्त किया जाय कि जिनमें मानवता हो और मानवता का ध्यान रखते हुए तफतीश करने का और इन्वेस्टीगेशन का ध्यान रखें ताकि जो अनुसंधान शाखा है, वह अपराधियों को खोजने में सही तरीके से काम कर सके।

बस इतना ही निवेदन करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री-करणसिंह ।

श्री करणसिंह (डींग) : उपाध्यक्ष महोदय, पुलिस की मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23 के विषय में जो मेरा कटौती प्रस्ताव है, मैं उसके सम्बन्ध में बहुत सूक्षम रूप में निवेदन करूंगा। क्योंकि काफी माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखे और करीब 2 सभी बातें सदन की जानकारी में आ गई। इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि इस समय पुलिस की जो जांच प्रणाली है जिसकी तफतीश है वह बहुत रूढीवादी है और पुराने ढंग पर है। इसमें सुधार लाने के लिए काफी माननीय सदस्यों ने इस बारे में जिक्र किया है और इसलिए इस बारेमें मैंने ज्यादा नहीं कहना उचित समझा। सबसे पहले जो जरूरी बात है वह यह है कि आज हमारे यहां पुलिस में यदि कोई आदमी रिपोर्ट दर्ज करवाने जाता है और जिस धारा के तहत जुर्म होता है उसकी रिपोर्ट न करके उन धाराओं में पुलिस स्वयं ही परिवर्तन कर देती है। इसका कारण जानने पर बताया जाता है कि डकैतियों की वारदातों का कोटा बढ़ जायगा। दूसरी तरफ एक कोटा इनके पास ऐसा है जिससे ग्रामीण पीड़ित हैं। यदि गांव का कोई आदमी शहर में किसी कार्यवश रुक गया और रात को बाजार में खाना खाने बाहर निकल गया और उस पर किसी पुलिस वाले की निगाह पड़ गई तो धारा 109 में बन्द कर दिया जाता है। मैंने एक दो बार पूछा भी कि भाई इस गांव वाले ने क्या किया है, इसको क्यों पकड़ लिया तो मुझे जवाब दिया गया कि हमारा कोटा होता है उसको हमें जरूर पूरा करना पड़ता है। तो मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि यह जो कोटे की प्रथा है, धारा 109 वाली, यह तो बन्द की जाय और जो आंकड़ों के आधार पर यह दिखाया जाता है कि भाई जुर्म कम हुआ, उनकी तरफ ध्यान न देकर सही केस रजिस्टर होने चाहिए।

मिसाल के तौर पर तत्तई गांव, तहसील रूपवास में एक डकैती हुई। डकैत आए, फायरिंग हुआ, सुबह छः कारतूसों के खोके बरामद भी हुए। जिस परिवार के यहां डकैती हुई उसके यहां से बन्दूक गई और प्रोनोट गए। अब देखिये कि प्रोनोट तो पुलिस ने बरामद कर लिए लेकिन बन्दूक बरामद करने में पुलिस असमर्थ रही और वही बन्दूक जिसमें हमारी राजस्थान की पुलिस बरामद करने में असमर्थ रही, परसों डकैतों से उत्तर प्रदेश पुलिस ने बरामद की है। यह हमारे अमर उजाला में खबर निकली है जिसकी कटिंग मेरे पास है और इसको मैं सदन की मेज पर रख दूंगा। इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि जिस समय आपके डी. वाई. एस. पी. बयाना से मैंने सवाल किया कि यह डकैती है तो डकैती में रजिस्टर क्यों नहीं किया, बजाय 395 के 385 में क्यों दर्ज किया? आखिर डकैती की परिभाषा क्या है। रात को फायरिंग हो, गांव को आतंकित किया जाय, घर वालों को मारा पीटा जाय, उनकी बन्दूक चली जाय और उनका और सामान चला जाय तो फिर डकैती में क्या अन्तर होता है। ऐसी ही मिसाल दूसरी मैं आपके सामने रखना चाहूंगा।

कुछ दिक्कतें भी पुलिस के सामने आ जाती हैं और वे भी मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। एक गांव में एक जाटव के दस

(श्री करणीसिंह)

वर्ष के बच्चे को ऊंची जाति के आदमी पकड़ कर अपने घर ले गए और घर में ले जाकर किवाड़ बन्द करके बच्चे को मारने लगे। बच्चा जब चिल्लाया तो कुछ व्यक्तियों ने शोर मचा कर किवाड़ खुलवाये और उसको छुड़वाया। जाटव ने जाकर जब थाने में रिपोर्ट की तो उसकी रिपोर्ट ले ली और बड़ा अच्छा व्यवहार उसके साथ हुआ, इसकी मुझे खुशी है, लेकिन पुलिस के सामने भी कठिनाई आ जाती है। जिन लोगों ने उस जाटव के बच्चे को छुड़वाया था वही लोग अब शाहदत नहीं देना चाहते और इसलिये नहीं देना चाहते कि वह ऊंची जाता का आदमी उसमें फंसता है, उसको बचाने के लिए अब वे शहादत नहीं देना चाहते हैं। पुलिस ऐसी परिस्थिति में क्या करे। इस सम्बन्ध में सुधार लाने की आवश्यकता है।

और दूसरा निवेदन मैं यह करूंगा कि पुलिस को सहयोग जो आम जनता कम देती है इसका क्या कारण है?····

श्री मनोहरलाल : भारतीयाजी की हालत गम्भीर है, मैं सदन को इसकी सूचना देना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप बीच में इस तरह से व्यवधान न डालें। आप जानते हैं सदन की प्रक्रिया को, उसके अनुसार ही बोलें।

श्री मनोहरलाल : मैं इसके लिये खेद प्रकट करता हूं। मैंने तो इनकी अवस्था बताई है।

श्री करणीसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में मैं और एक बात पर प्रकाश डालना चाहूंगा। नीम के थाने में जो रामकुमार हत्याकाण्ड हुआ और जिसको सदन में बार बार चर्चा हुई, उस सम्बन्ध में मैं सिर्फ इतना ही निवेदन करूंगा कि वह जो हत्या हुई उसके प्रति पुलिस ने जो ढिलाई बरती, किन कारणों से बर्ती यह तो मैं नहीं कह सकता लेकिन विरोधी लोग जो उसको राजनैतिक रूप देना चाहते हैं वह बिल्कुल गलत है। इसका परिणाम मैं आपको बता देना चाहता हूं। रामकुमार इतना सीधा और सज्जन व्यक्ति था, जिसको मैं व्यक्तिगत रूप में जानता हूं। उन्होंने एक सुरक्षा दल बनाया था जिसकी सदन को जानकारी है। वह किसी पार्टी से सम्बन्धित नहीं थे। हो सकता है कि किसी व्यक्ति विशेष को व्यक्तिगत रंजिश का कारण इसमें रहा हो लेकिन वे किसी पार्टी में नहीं थे।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि विरोधी दल इस बात को न भूलें कि आज कोई भी राजनैतिक दल हत्याएं करा कर या लाठी गोली की सरकार चलाने का जो बार बार नारा देते हैं, कामयाब नहीं हो सकते। लाठी गोली से जनता नहीं डरती। प्रजातंत्र की सरकार तो क्या याह्याखां तक गोली बन्दूक से कामयाब नहीं हो सका। आज राजनैतिक दल बार बार इसकी दुहाई देते हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जनता आज जागरुक हो चुकी है, अब वह लाठी गोली के प्रहार को सहन नहीं कर सकती। आप यह भूल जाते हैं कि आप जो बार बार राजौरिया काण्ड को राजनैतिक रूप देकर राजनैतिक

(श्री करणसिंह)

हत्या का आरोप लगाते हैं तो यह भी सरासर गलत है। आज जनता की अदालत सबसे बड़ी अदालत है, वह सबका फैसला करती है। यदि वह राजनैतिक हत्या होती तो राजाखेड़ा या धौलपुर से यह दल नहीं जीतता।

श्री मानुकुमार शास्त्री : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजौरिया काण्ड का मामला सी. बी. आई. की इन्क्वायरी में है, उसके बारे में यहां कोई बात नहीं कही जानी चाहिए। मैं निवेदन करूंगा कि इस बारे में यहां कुछ न कहा जाय तो अच्छा होगा।

श्री वृद्धि चन्द्र जैन : आपके नेता महोदय ही इस पर ज्यादा प्रकाश डालते हैं।

श्री करणसिंह (डीग): उपाध्यक्ष महोदय, अभी इससे पूर्व सदन में मैंने कोई भाषण नहीं किया है यह मेरा प्रथम अवसर हो सकता है कि ऐसी कोई बात मुझसे हो जाये तो मुझे क्षमा करेंगे। यहां पर मैंने यह महसूस किया है विरोधियों का हाल देख कर कि मुझे सदन में आने से पहले नाटक कम्पनी के ड्रामे का रिहर्सल देखकर आना चाहिये था। अब इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी क्योंकि यहां पर रोजाना नाटक देखना पड़ता है।

उपाध्यक्ष महोदय, वैसे मैं ज्यादा बात न कहते हुए न्याय के सम्बन्ध में दो बात कह देना चाहता हूं। यह गवर्नमेंट का भी कर्तव्य है और हर सदस्य का भी कर्तव्य है कि हर नागरिक को सस्ता न्याय मिलना चाहिये। पहला सुझाव तो यह है कि किसी भी अदालत में कोई आदमी अपना न्याय कराने को पहुंचता है तो सारे दिन उसे बैठा रहना पड़ता है शाम को उसको इत्तिला मिलती है कि मजिस्ट्रेट बाहर चले गये हैं और उनकी तारीख आगे बढ़ जाती है। तो जो आदमी 8 आदमियों को लेकर बैठा रहता है उसकी क्या व्यवस्था आपने कर रखी है, उसके लिये क्या प्रावधान आपने कर रखा है। क्या आप उसको कोई कम्पनसेट करेंगे। ऐसा होना चाहिये कि जिस दिन की तारीख दी जाये उनकी सुनवाई उसी दिन होनी चाहिये।

दूसरा हाईकोर्ट वाला मामला इस वक्त सभी सदस्यों के सामने है। इस सम्बन्ध में निवेदन करना चाहूंगा कि जोधपुर के माननीय सदस्य खुले दिल से जयपुर और पूर्वी राजस्थान की जनता के हित में यह स्वीकार करेंगे कि सिर्फ यहां पर बैन्च की आवश्यकता है जिसकी मांग है। मैं तो यह मांग करूंगा कि जयपुर में ही नहीं अगर आप सस्ता न्याय देना चाहते हैं तो डिविजन लेविल पर बैन्च होनी चाहिये। जिले के स्तर पर न होकर डिविजन लेविल पर हो जाती है तो मैं समझता हूं कि सब को सस्ता न्याय मिलेगा। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री सुरेन्द्र प्रसाद व्यास।

·/6 ·) **श्री सुरेन्द्र प्रसाद व्यास** (मालपुरा) : उपाध्यक्ष महोदय, पुलिस के कटौती प्रस्तावों पर बोलने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं। पुलिस एक महत्वपूर्ण विभाग है राज्य सरकार के सभी कानून इस विभाग के जरिये एक्जीक्यूट किये जाते हैं। ला एण्ड आर्डर इसके द्वारा मेन्टेन किया जाता है और वास्तविकता तो यह है कि पुलिस के

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

जरिये ही यह सरकार चलती है और वही कानून के पीछे सैंक्शन की भावना है और इसका पुलिस बड़ा रोल अदा करती है। लेकिन पुलिस का जो ढांचा है वह ब्रिटिश के वक्त का ही है। उसमें कोई तब्दीली अभी तक नहीं हुई है। कोई नई ब्रान्चेज पुलिस के अन्दर खोली गई है तो इस दृष्टि से नहीं कि उसको कुछ आज के जमाने में साइन्टिफिक बनाया जायेगा और उसको उन्नति की ओर ले जाये। आज लाठी और गोली का प्रतिबिम्ब हो पुलिस का जनता अन्दर है और उसे इसी आधार पर चलाया जा रहा है। आज पुलिस के अन्दर बहुत भ्रष्टाचार है और यह आज एक साधारण सा आरोप है। मैं यहां पर भ्रष्टाचार की बात नहीं करना चाहूंगा। मैं सोचता हूं कि जो ढांचा है, जो व्यवस्था है, राजस्थान के पुलिस की, उसके अन्दर भ्रष्टाचार होना असम्भव नहीं है। वहां पर यह आवश्यक हो गया है क्योंकि जब तक इस व्यवस्था को नहीं बदला जायेगा, ढांचे को नहीं बदला जायेगा, मैं समझता हूं कि भ्रष्टाचार दूर नहीं होगा। अगर आप पुलिस को जनता की सही सेवक बनाना चाहते हैं तो पुलिस के ढांचे में आमूल चूल परिवर्तन करना चाहिये। मैं सब से पहले यह निवेदन करूंगा कि आज पुलिस विभाग के अन्दर स्पेशल ब्रान्चेज हैं, एन्टी करप्शन डिपार्टमेंट है, सी. आई. डी. क्राईम, होमगार्ड, ये जितनी भी ब्रान्च हैं, उनमें पोस्टिंग पनिशमेंट के रूप में की जाती है। जो व्यक्ति सिफारिश नहीं रखता है या जिस व्यक्ति के खिलाफ कोई शिकायत है उसको पोस्टिंग यहां पर कर दी जाती है। इसके अलावा उसके हाथ में सामान्य प्रशासन नहीं रहता है, जिले का प्रशासन नहीं रहता है। जो आकर्षण इन नौकरियों में हो सकता है वह यहां पर नहीं रहता है। उपाध्यक्ष महोदय, स्पेशल ब्रान्चेज के अन्दर पुलिस अधिकारी अपना वक्त मेनीपुलेशन में खराब करता है कि वापिस उसको जनरल पोस्टिंग मिल जाये। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह नहीं कहता हूं कि सब पुलिस अधिकारी करप्ट हैं। अच्छे और ईमानदार पुलिस अधिकारी भी हैं, अगर उनको लगाया जाता है तो उनको भी असुविधा का सामना करना पड़ता है। काम विशेष नहीं होता है। वे किसी न किसी प्रकार मेनीपुलेट कर के डिस्ट्रिक्ट के अन्दर पोस्टिंग लेने का प्रयत्न करते रहते हैं।

मैं सब से पहले एन्टी करप्शन डिपार्टमेन्ट को लेना चाहूंगा। एन्टी करप्शन ब्रान्च है क्योंकि भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिये ही इस ब्रान्च को कायम किया गया है लेकिन इसको अभी तक स्पेशल ब्रान्च के रूप में डवलप करने की कोशिश नहीं की गई है। जो डिस्ट्रिक्ट में होते हैं, दूसरी ब्रान्चेज में होते हैं, वे ट्रान्सफर होकर एन्टी करप्शन डिपार्टमेंट में आ जाते हैं। मैं जानकारी के तौर पर राज्य सरकार से पूछना चाहूंगा कि एन्टी करप्शन डिपार्टमेंट ने पांच रुपये की रिश्वत लेते हुए किसी पटवारी को ही पकड़ा है। मैं जानना चाहता हूं कि कितने आई. पी. एस आफिसर्स को इस डिपार्टमेंट के अन्दर चालान किया गया है। यह एक महत्वपूर्ण विषय है। उपाध्यक्ष महोदय, पटवारी भी बेईमान हो सकता है, आई. ए. एस. और आई. पी. एस. अधिकारी भी हो सकते हैं। इनके

Page No.166

(श्री सुरेन्द्रप्रसाद व्यास)
कई उदाहरण सामने आये हैं। ट्रैप किया गया और पकड़ा गया, यह समझ में आने वाली बात नहीं है। मैं राज्य सरकार से निवेदन करना चाहूंगा की एन्टी करप्शन डिपार्टमेंट को पुलिस विभाग के पेरैलल डवलप किया जाये। यह होम मिनिस्टरी का एक पार्ट हो सकता है परन्तु जनरली पुलिस का एक अनुभाग या उसकी एक ब्रान्च न हो। एन्टी करप्शन डिपार्टमेंट में ट्रान्सफरेबल पोस्ट न हो, दूसरे साधारण पुलिस के लोग ट्रान्सफर न हों। इस काम के लिये जो स्पेशली डेपूट हों वे ही रहें और उनको तनख्वाह ज्यादा दी जावे। उनको स्पेशल अलाउन्स दिया जाये, काम करने के लिये फ्री हेन्ड दिया जाये। उनके आई जी. डी. आई. जी. अलग हों। मेरा यह अभिप्राय है कि मौजूदा जो व्यवस्था है उसके अन्दर कई उनको प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। मैं निश्चित रूप से यह मानता हूं कि चीफ सैक्रेटरी, होम सेक्रेटरी अच्छे आदमी हैं। परन्तु जो मौजूदा व्यवस्था है, उसके अन्दर वे इन्टरफियर कर सकते हैं। एन्टी करप्शन डिपार्टमेंट होम मिनिस्ट्री के अन्दर रहेगा तो उसमें किसी आदमी का दखल नहीं होगा। चाहे कोई सीनियर आफिसर हो। मैं समझता हूं कि यह एक अच्छी व्यवस्था होगी।

इसके बाद, उपाध्यक्ष महोदय, मैं इन्टेलिजेन्स ब्रान्च के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं। मैं समझता हूं कि राजस्थान में इन्टेलीजेन्स ब्रान्च वह है [इट इज दट ब्रान्च विच इज लेस इन्टेलिजेन्ट] अब राजस्थान की इन्टेलिजेन्स ब्रान्च के अन्दर क्या होता है। वक्त के पहले सरकार को कोई रिपोर्ट नहीं आती है। इस ब्रान्च द्वारा कोई सूचना राज्य सरकार को वक्त पर नहीं मिलती है मैं इस पर बहुत बड़ा सन्देह समझता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, आज काम्युनल ट्रबल्स राजस्थान के अन्दर खड़े होते हैं तो इन्टेलिजेन्स डिपार्टमेन्ट राजस्थान सरकार को पहले रिपोर्ट लाकर नहीं देता है, आज दूसरे स्टूडेन्ट ट्रबल पैदा करने वाले हैं तो उसकी रिपोर्ट राजस्थान सरकार के पास समय से पहले नहीं पहुँचती हैं, आज कोई जासूस आया है तो उनकी रिपोर्ट इनके जरिये से नहीं पहुँचती है। ज्यादा उदाहरण देने की आवश्यकता नहीं समझता हूं, क्योंकि समय कम है और सदन के अन्दर महत्वपूर्ण विषयों पर माननीय सदस्यों को सूचना देना हैं। तीन-तीन, चार-चार दिन तक राजस्थान सरकार के पास सूचना प्राप्त नहीं होती है। इसके कारण कभी कोई ट्रबल क्रियेट होती है तो उसकी सूचना माननीय सदस्यों को पहले प्राप्त होती है। राजस्थान सरकार की इन्टेलिजेन्स ब्रान्च सोई हुई है। राजस्थान सरकार को उसकी सूचना पहले प्राप्त नहीं होती है। विधान-सभा में विस्तारपूर्वक उदयपुर में लाठी चार्ज की चर्चा हो सकती है—उसके अन्दर दुबारा नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन मैं निश्चित रूप से निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार की स्टूडेन्ट ट्रबल हुई और राजस्थान सरकार को जानकारी नहीं है। पहले से ही उसकी जानकारी प्राप्त की जाना चाहिए थी। उपाध्यक्ष महोदय, यह तथ्य है कि इन्टेलिजेन्स ब्रांच में अखबारों को पढ़ कर रिपोर्टिंग की

(श्री सुरेन्द्रप्रसाद व्यास)

जाती है। इसको माननीय मंत्री महोदया स्वयं वेरीफाई कर सकती हैं कि यह बात कहां तक सही है। इसलिए इन्टेलिजेन्स ब्रान्च को मैं समझता हूं स्पेशियेलाइज करने की जरूरत है। इसके लिए मैं यह नहीं कहूंगा कि इन्टेलिजेन्स ब्रान्च को पुलिस से अलग कर दें। यह पुलिस का पार्ट रहे। इसमें ऐसी कोई विशेष बात नहीं है कि जिससे इसको पुलिस से अलग किया जाय। लेकिन इन्टेलिजेन्स ब्रान्च और सी. आई. डी. की लूक्रेटिव व पोस्टस बनाना आवश्यक है। एक नियम बनाया जाय। सर्विस रूल्स के अन्दर इसको इन्ट्रोड्यूस करें कि जो सीनियर पोस्ट आदमी होगा और जिसने एक निश्चित अवधि चाहे वह पांच वर्ष हो, चाहे तीन वर्ष हो—इस ब्रान्च के अन्दर सेवा नहीं की होगी उसका प्रोमोशन नहीं किया जायेगा। मैं समझता हूं कि हर पुलिस आफिसर यह पसन्द करेगा कि इसके अन्दर उनका पोस्टिंग हो। इसके आधार पर यदि प्रोमोशन हो तो मैं समझता हूं कि जो इससे दूर भागने की प्रवृत्ति है, आफिस में बैठकर काम नहीं करने की जो प्रवृत्ति है और यह जो इच्छा रहती है, और प्रयत्न करते रहते हैं कि किसी प्रकार से डिस्ट्रिक्ट मिल जाय ऑफिसर्स के अन्दर वह नहीं रहेगी, और इस डिपार्टमेन्ट के जो आफिसर्स और स्टाफ हैं उनको स्पेशल एलाउन्स दिया जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से जो है, पुलिस के अन्दर प्रोसीक्यूशन की बड़ी महत्वपूर्ण ब्रान्च है। प्रोसीक्यूशन पुलिस का पी. एस. आई. लोअर कोर्ट्स के अन्दर करता है। यह बड़ी हास्यास्पद बात है कि जो पुलिस केस को रजिस्टर करती है, जो पुलिस केस का इन्वेस्टीगेशन करती है वही पुलिस चालान पेश करके केस को प्रोसीक्यूट करती है। प्रोसीक्यूशन और एडवोकेट यह दोनों डिफरैन्ट आइडेन्टिटीज हैं और वह दोनों डिफरेन्ट एन्टीटीज इसके अन्दर मैन्टेन नहीं हो पा रही हैं। एक प्रोसीक्यूटिंग सब-इन्सपेक्टर जो कि केस बनाता है, जो कि इन्वेस्टीगेशन आफिसर है वही प्रोसीक्यूटिंग सब-इन्सपेक्टर वकील की हैसियत से कोर्ट में केस को प्रोसीक्यूट करता है। उन दोनों के ऊपर एक आफिसर है। वह इन्डिपेन्डेन्ट एक वकील की हैसियत के अन्दर नहीं आ सकता है, पी. एस. आई. के अन्दर नहीं आ सकता है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं स्पष्ट तौर पर यह निवेदन करना चाहूंगा कि आज राजस्थान के अन्दर प्रोसीक्यूशन ब्रान्च बहुत ही पुअर, बहुत ही खराब हालत के अन्दर है। कोई एफिशियेन्सी, कोई केलिबर उसमें नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, किसी भी थाने पर काम करते हुए सब-इन्सपेक्टर को पी. एस. आई. लगा दिया जाता है। कई एक्जाम्पल्स हैं कि मेट्रिक्यूलेट पुराने थानेदार हैं। उनकी दूसरी योग्यता के बारे में नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन इस जमाने में मैट्रिक्यूलेट लोग पी. एस. आई का काम करें तो अव्वल तो लोग वहां जाना पसन्द नहीं करते हैं और अगर उनको पी. एस. आई. लगाया जाता तो किस प्रकार की पैरवी वहां पर कर सकते हैं। इस सदन के कई सम्माननीय

(श्री सुरेन्द्रप्रसाद व्यास)

सदस्य वकालत करते हैं और इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि किस प्रकार की पैरवी पी. एस./आई. स्टेट के केसेज में किस प्रकार से कन्डक्ट करते हैं उपाध्यक्ष महोदय, इसका एक बहुत खराब असर हमारे जवान वकील तबके पर पड़ता है जवान ला ग्रेजुएट तो अदालतों में इधर-उधर भटकते हैं और आज कोर्ट में मोनोपोली/कुछ सीनियर एडवोकेटों ने कर रखी है, और कई नौजवान भूखों मर रहे हैं। दो टाइम खा ले, इतनी कमाई कोर्ट से करके नहीं ले जाते हैं। बहुत से सम्मानीय सदस्य जो कोर्ट्स के अन्दर वकालत करते हैं वे इस स्थिति/को जानते हैं कि जब एक थानेदार साहब पी. एस. आई. बनते हैं और उनसे केसेज प्रोसीक्यूट करवाते हैं तो क्या होता है। कितने केसेज ऐसे प्रोसीक्यूटिंग सब-इन्सपेक्टर की वजह या पुअरली कन्डक्ट होने की वजह से सही मुल्जिम को सजा नहीं मिल पाती हैं, यहां तक कि मर्डर के केसेज भी खराब हो जाते हैं।

तो उपाध्यक्ष महोदय, मेरा सुझाव है कि प्रोसीक्यूशन में वकालत को स्वतन्त्र रिकगनाइज कराने की दृष्टि से, जो नौजवान ग्रेजुएट लोग हैं, लॉ के उनको एम्प्लायमेन्ट देने की दृष्टि से, इस प्रोसीक्यूशन ब्रांच के अन्दर एफिशियेन्सी लाने की दृष्टि से, मैं समझता हूं कि प्रोसीक्यूशन ब्रान्च को पुलिस से बिल्कुल अलग कर देना चाहिए। मैं समझता हूं, कि लॉ डिपार्टमेन्ट के अन्दर आप इस ब्रान्च को दे दें तो कोई आपत्ति होने वाली बात नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार से वकीलों को एन्गेज किया जाय और वे लोग सरकारी केसेज को कन्डक्ट करेंगे तो ज्यादा एफिशियेन्ट काम हो सकता है और केसेज सकसेसफुल जायेंगे, और उसके अलावा मेरे देखने में आता है और कई दफा यह आरोप भी लगाया जाता है कि केसेज मेलाफाइडी रजिस्टर किये जाते हैं, थानेदार ने झूठा केस बनाया है, तो उपाध्यक्ष महोदय, अगर यह प्रोसीक्यूशन ब्रान्च इन्डिपेन्डेट होगी तो मैं समझता हूं कि एक इन्डिपेन्डेन्ट-राय राज्य सरकार को दे सकती है। उस पर किसी प्रकार का दबाव पुलिस के आफिसर का नहीं रह सकता है। वह इन्डिपेन्डटली केसेज को कन्डक्ट कर सकता है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, 5 मिनिट और लूंगा उपाध्यक्ष महोदय, मैंने यह प्रोसीक्यूशन ब्रांच के लिये निवेदन किया।

उपाध्यक्ष महोदय, और कोई सैक्शन्स पर मामले उठे हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का सैक्शन 109 यह जो पुलिस के साथ में अख्त्यार दिये गये हैं, मैं यह तो निवेदन यहां पर नहीं करता कि आप सेक्शन 109 को हटा दें, क्योंकि यह हमारे अधिकार की बात नहीं है, लेकिन मैं समझता हूं कि इनका जो उपयोग पुलिस के द्वारा किये जाते हैं वह बिल्कुल एक परेशान करने की दृष्टि से किया जाता है मैं समझता हूं कि खुदाई पावर्स इनको दिये गये हैं वह सैक्शन 109 के अन्दर दिये गये हैं। उपाध्यक्ष महोदय अच्छे भले आदमी को कहीं पर पकड कर कोई भी थानेदार

(श्री सुरेन्द्र प्रसाद व्यास)

यह कह सकता है कि आपका जरियाए-मास क्या है। हमारे यहां पर एक जज साहब रहा करते थे तो वह हाई कोर्ट के अन्दर जज साहब हो गये रिवीजन में एक केस उनके सामने गया और उन्होंने एक डायरी देखी तो उसमे जिक्र किया गया है और उसमें लिखा है कि यहां पर तुम्हारा जरियाएमास नहीं है। उन्होंने जो एण्ड में लिखा मैं आपसे निवेदन करूंगा कि वे सेशन्स जज के लेवल के थे। काश्मीर घूमने गये थे तो काश्मीर की पुलिस ने उनको पकड़ कर धर दिया और कहा कि काश्मीर में उनका जरियाएमास नहीं है। एक आदमी का जरियाएमास सब जगह नहीं हो सकता है। किसी भी वजूहात से किसी भी पर्सनल नराजगी, किसी को भी परेशान करने की गरज से बिना किसी कारण के इस सेक्शन के तहत धर लेते हैं। मैं समझता हूं कि इस सेक्शन को इन आप-रेटिव बनाने के लिये प्रयत्न करना चाहिये और पुलिस को जहां तहां इस सेक्शन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिये।

पुलिस के अन्दर आज 2-4 डी.आई.जी. हो गय हैं। मैं यह नहीं कहता कि डी. आई. जी. की पोस्ट्स को एबालिश कर दें। उनके भी फन्कशन होते हैं। आज पुलिस का अलग से सेक्रेटेरियेट रहना चाहिये और वह जयपुर के अन्दर कायम होना चाहिये और इन सब सीनियर लोगों को सेक्रेटेरियेट में लिये जाय और ब्रांचों में लगाये जायं तो ज्यादा अच्छा काम हो सकता है। उपाध्यक्ष महोदय, इस संबंध में वापिस एक बात निवेदन करना चाहूंगा कि आ आई. पी. एस. ऑफिसर को आई. ए. एस. के नीचे काम करना पड़ता है। यह पुलिस को करप्ट करने की बात है। पुलिस की एक इन्डिपेन्डेंट ब्रांच होना चाहिये और कोई वजह नहीं है कि वे आज होम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर के आगे पीछे चक्कर लगायें, और उनका इन्टरफियरेंस होता है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सेक्शन 50 जो है वह एक महत्वपूर्ण है जिसमें जिले के लॉ एण्ड आर्डर की सिचु-एशन और लॉ एण्ड आर्डर को जिम्मेदारी मजिस्ट्रेट पर होती है। उपाध्यक्ष महोदय, जब वहां पर मौके पर पुलिस होती है और पुलिस ऑफिसर निर्णय लेते हैं तो कोई विशेष आवश्यकता नहीं है कि मजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पावर रखे जायं और पुलिस को इन्डिपेन्डेंट पावर नहीं दिये जायं। पुलिस स्वय जिम्मेदार हो तो जिम्मे-दारी पूरी उस पर होनी चाहिए ताकि यदि गलती हो तो जिम्मेदारी आपस में शिफ्ट नहीं कर सकें।

(समय–समाप्ति–सूचक–घंटी

दो मिनिट।

तो, उपाध्यक्ष महोदय, पुलिस डिपार्टमेंट के पुनर्गठन की बहुत आवश्यकता है क्योंकि समय कम है इसलिए पुलिस विभाग के बारे में अधिक न कह कर मैं लॉ डिपार्टमेंट के विषय में कुछ कहना चाहूंगा। आज जुडि-शियरी की जो स्थिति है और आज जो करेंट टोपिक राजस्थान के अन्दर चल रहा है, जो टोपिक जयपुर के अन्दर चल रहा है, जो टोपिक पूर्वी राजस्थान के अन्दर चल है वह है– हाई कोर्ट की बैंच का मसला है।

(श्री सुरेन्द्र प्रसाद व्यास)

उपाध्यक्ष महोदय, हाई कोर्ट की बेंच के मसले पर अपने विचार प्रकट करने की मेरी इच्छा नहीं थी, लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, इसके बारे में जिस प्रकार से नेता महोदय ने कहा कि यह चेप्टर क्लोज है, क्लोज चैप्टर इसको बताया और जिस प्रकार इस मसले पर यह कहा जाता है कि यह क्लोज चैप्टर है— तो यह चिन्ता का विषय बन जाता है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूँ, इस प्रकार का कोई वक्तव्य देना, इस प्रकार की बात कहना कि क्लोज चैप्टर है यह पूर्वी राजस्थान के विधायकों को और पूर्वी राजस्थान की जनता के अन्दर आक्रोश पैदा करने वाली बात है। उपाध्यक्ष महोदय. आप निश्चित मानिये, हम जो पूर्वी राजस्थान के विधायक यहां बैठे हैं, किन्हीं कन्सीडरेशन से हम चुप हो जायं तो भी इससे पूर्वी राजस्थान की जनता चुप बैठने वाली नहीं है क्योंकि उसको न्याय मिलने वाला नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार या माननीय नेता महोदय राजस्थान की जनता को यह बताना चाहते हैं कि हर चीज को स्वीकार कराने के लिए आन्दोलन करना जरूरी है, उसके लिए जनता को भड़काना जरूरी है, उसके लिए हिंसक प्रवृत्ति को प्रोत्साहन देना जरूरी है तो वह सही रास्ता नहीं है। न्याय की व्यवस्था के लिए हर आदमी यह कहेगा कि राज्य सरकार का यह कर्तव्य है कि उसे न्यायोचित मांग को मानना चाहिए, यह जरूरी नहीं है कि उस मांग के लिए आन्दोलन आर्गनाइज करा जाय। उपाध्यक्ष महोदय, स्पष्ट बात है आज पूर्वी राजस्थान के मसले जो हाई कोर्ट में चलते हैं, जिसके लिए उसकी बैंच कायम करने की मांग है, तो अगर जयपुर डिस्ट्रिक्ट की काज लिस्ट उठा कर देखें तो पचास पर्सेन्ट कैसेज उस हिसाब से ईस्टर्न राजस्थान के हाई कोर्ट में है। आप एक ओर सस्ता न्याय जनता को दिलाने की बात करते हैं दूसरी ओर धौलपुर के आदमी को कहें कि वह न्याय प्राप्त करने के लिए जोधपुर जाय, ईस्टर्न राजस्थान के गंगानगर के लोगों को कहें कि वह न्याय प्राप्त करने के लिए जोधपुर जाय तो इस बात को हर व्यक्ति समझता है कि उनका कितना पैसा खर्च होता है और कितनी उन्हें परेशानी होती है। आज कोई भी आदमी इत्मिनान से अपने दिल पर हाथ रख कर सोचें तो वह यही कहेगा कि हाई कोर्ट की जयपुर में बैंच होनी चाहिए। हाई कोर्ट की सीट जोधपुर के अन्दर रहे, इस बात की किसी को चिन्ता नहीं है, किसी व्यक्ति को इस बात से दुःख नहीं होगा और मैं समझता हूं इस सम्बन्ध में सोचने में कोई सार भी नहीं है (समय-समाप्ति-सूचक-घंटी) मैं एक मिनट में समाप्त कर रहा हूँ (समय-समाप्ति-सूचक-घंटी) मैं समाप्त कर रहा हूँ। आई. एम. कन्कलूडिंग इट। उपाध्यक्ष महोदय, जोधपुर की जनता के अन्दर इसका विरोध नहीं है कि हाई कोर्ट की बैंच जयपुर में हो······

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : बहुत विरोध है।

श्री सुरेन्द्र प्रसाद व्यास : इसको रोजनल क्वेश्चन नहीं बनाना चाहिए। वृद्धिचन्द्र जी बैठे बैठे कह सकते हैं कि बहुत विरोध है लेकिन इससे न आपको फायदा होगा न मुझे क्योंकि मैं वकालत नहीं करता हूँ और इससे न मेरे पैसे में वृद्धि होगी और न आपके पैसे में कमी, और हाई कोर्ट की बैंच जयपुर में

(श्री सुरेन्द्र प्रसाद व्यास)

आये तो इससे न आपको नुकसान होगा और न मुझे फायदा, आप मुन्सिफ मजिस्ट्रेटी में प्रैक्टिस करते हैं, वहां आप करते रहेंगे, आप हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हों यह बात नहीं हैं। इसके अलावा माननीय मुख्य मंत्री जी ईस्टर्न राजस्थान से जीत कर आये हैं, अलवर जिला के तिजारा से जीतकर आये हैं इसलिए उनका कर्तव्य हो जाता है कि पूर्वी राजस्थान की मांग पर विचार करें। यह ठीक है कि जोधपुर में वह पैदा हुए और जोधपुर में उन्होंने जिन्दगी बिताई है, इस आधार पर वह यह सोचें कि वह जोधपुर को बिलांग करते हैं, इसलिए वह चाहते हों कि जोधपुर की हाई कोर्ट की बैंच जयपुर में नहीं आये। मैं इस सदन की जानकारी के लिए एक बात निवेदन करना चाहता हूँ कि राजनैतिक दृष्टि से वह अलवर जिले की तिजारा कान्स्टीट्यूएन्सी से जीत कर आये हैं और ईस्टर्न राजस्थान ने उनको मुख्यमंत्री बनाया है, इसलिए उन्हें चाहिए कि वह ईस्टर्न राजस्थान के साथ न्याय करें और जयपुर के अन्दर बैंच लायें। इसके अलावा मैं उनको यह भी याद दिलाना चाहता हूँ कि तीन पीढ़ी मुख्य मंत्री जी की टोंक की रहने वाली हैं, वहां उनके बुजुर्ग रहे हैं, उनका मकान है.......

श्री परसराम मदेरणा : मुख्यमंत्री जी, ईस्टर्न राजस्थान के हैं न वेस्टर्न राजस्थान के हैं, पूरे राजस्थान के हैं। यह अपनी बात में अमेंडमेंट कर लें।

श्री सुरेन्द्र प्रसाद व्यास : वह एम. एल. ए. अलवर जिले के हैं लेकिन मुख्य मंत्री पूरे राजस्थान के हैं। मुख्य मंत्री जी की तीन पीढ़ी टोंक में रहती थी उस हिसाब से मैंने कहा।

श्री परसराम मदेरणा : मुझे ऐसा बताया गया है कि टोंक से उनके बुजुर्गों को देश निकाला दिया था। यह सलूक किया उनके बुजुर्गों के साथ आपने ?

श्री श्रीराम गोटेवाला : उनको यह याद दिलाकर क्यों बदला लिवा रहे हैं।

श्री सुरेन्द्र प्रसाद व्यास : टोंक से उनके बुजुर्गों को देश निकाला दिया,यह आपने कहा लेकिन आपने तो राजनैतिक देश निकाला उनको जोधपुर से दे दिया। उनको जोधपुर से चुनाव नहीं लड़ने दिया, ईस्टर्न राजस्थान से उन्होंने चुनाव लड़ा है और ईस्टर्न राजस्थान ने उनको मुख्य मंत्री बनाया है। परसराम जी आप क्यों व्यर्थ बात कहते हैं, आप विराजिये।

श्री परसराम मदेरणा: ईस्टर्न राजस्थान वाली बात कही इसलिये मैंने कहा।

श्री सुरेन्द्र प्रसाद व्यास : उपाध्यक्ष महोदय मुख्य मंत्री · · · ·

(शोरगुल)

मुख्य मंत्री जी को एम.एल.ए. तिजारा वालों ने बनाया है, पूर्वी राजस्थान के लोगों ने एम.एल.ए.बनाया है और पूर्वी राजस्थान की वजह से मुख्य मंत्री हैं।

श्री दिनेश डांगी : मैं कहना चाहता हूं कि वह जोधपुर से इसलिये चुनाव नहीं लड़ सके क्यों कि वहां से टिकट नहीं मिल पाया।

श्री श्रीराम गोटेवाला : जोधपुर से तिजारा और तिजारा से कहीं और नहीं ले जाय।

(शोरगुल)

श्री सुरेन्द्र प्रसाद : मैं निवेदन करना चाहता हूं (समय–समाप्ति–सूचक घंटी) मैं अपना भाषण समाप्त कर रहा हूं मैं निवेदन कर रहा था, इस प्रश्न पर मुख्य मंत्री श्री बरकतुल्ला खां उदारतापूर्वक विचार करेंगे–ऐसा विश्वास है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मदेरणा साहब यह तो सिटी का मसला है, आप रूरल एरिया को रिप्रेजेंट करते हैं, उन लोगों को हाई कोर्ट या हाई कोर्ट की बैंच से मतलब नहीं है। आप इस चक्कर में क्यों पड़ें।

श्री खेतसिंह : आप अखबार में नाम देने के लिये बोल रहे हैं और इसलिये ही चिन्तित हैं।

श्री सुरेन्द्रप्रसाद व्यास : मैं समझता हूं कि राजस्थान सरकार इस प्रश्न पर उदारता पूर्वक विचार करके हाई कोर्ट की बैंच को जयपुर में कायम करेगी। इससे जोधपुर का नुकसान होने वाला नहीं है। जोधपुर के अन्दर हाईकोर्ट की सीट रहे-इसमें मुझे आपत्ति नहीं है। मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) मैं अन्तिम निवेदन एक मिनिट में कर दूं उसके बाद में भाषण समाप्त कर दूंगा (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) मैं निवेदन करना चाहूंगा न्याय पालिका (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) मैं समाप्त कर रहा हूं। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) मैं समाप्त ही कर रहा हूं ····

श्री उपाध्यक्ष : श्री गोपाल सिंह।

श्री केदारनाथ : हाई कोर्ट के प्रश्न के साथ ही घंटी बज गई।

श्री गोपाल सिंह (खण्डेला) : उपाध्यक्ष महोदय, पुलिस विभाग द्वारा छापे गये प्रगति विवरण को देखने पर यह तो आभास होता है कि इन वर्षों में डकैती की समस्या का कोई ठोस समाधान किया गया है और हमें बड़ी खुशी है कि इससे कुछ लोगों को राहत मिली है लेकिन साथ ही जो दूसरे आंकड़े चोरी के बारे में पढ़ने को मिले हैं उससे ऐसा लगता है, चोरियों का फीगर कान्स्टेन्ट है, आलमोस्ट कान्स्टेन्ट है। जहां डकैती की समस्या का हल हुआ है, वहां चोरी की समस्या उतनी की उतनी है। इस समस्या का पीपुल एट लार्ज पर बड़ा इम्पेक्ट होता है। डकैती की समस्या के बारे में इस कान्टेक्स्ट में नहीं करना चाहता हूं क्योंकि डकैतो से सम्बन्ध कुछ लोगों का ही रहा है, या रहता है लेकिन चोरियां मास लेवल पर होती है उसका सब लोगों से सम्बन्ध रहता है। उसके फीगर कान्स्टेन्ट रहते हैं तो उससे पुलिस की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। सन् 1967 में चोरियां इस प्रगति विवरण में 7778 बताई हैं वहां 1971 में यह फीगर है 7059, यानि यह फीगर करीब करीब कान्स्टेन्ट फीगर है। इससे ऐसा आभास होता है कि पुलिस विभाग चोरियों की रोकथाम में करीब करीब असफल रहा है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय मैं नीम के थाना क्षेत्र को और चोरियों के प्रश्न को लेकर विशेष रूप से राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। सभी मान-

(श्री गोपालसिंह)

नीय सदस्य महानुभाव जानते हैं कि नीम के थाना क्षेत्र के नयावास गांव का नाम राजस्थान में ही नहीं हिन्दुस्तान के सभी थानों में लिखा हुआ है। इतनी बड़ी मशहुर जगह होने के बाद भी, इतने मशहुर यहां के लोग होने के बाद भी सरकार का अब तक इस ओर ध्यान नहीं गया है, यह सरकार पर और प्रशासन पर कलंक का टीका है, यह बहुत बड़ी शर्म की बात है। मैं आप लोगों को जानकारी के रूप में कहना चाहता हूं कि कुछ समय पहले, यह बात सही है कि यहां के आई. जी. पी. सुल्तानसिंह का एक बार दिमाग बना था और इस समस्या का समाधान करने के लिए उन्होंने राज्य सरकार से यह प्रस्ताव किया था कि इस क्षेत्र में चोरियों को एलोमिनेट करने के लिहाज से प्रिवेंटिव मेजर्स लिये जायं, वहां प्रिवेंटिव पुलिस फोर्स कायम होनी चाहिए। मुझे जानकारी मिली है वहां प्रिवेंटिव पुलिस फोर्स भेजने के आदेश हो गये थे, और प्रिवेंटिव पुलिसफोर्स नीम के थाने में पहुंच चुकी थी, लेकिन मुझे पता नहीं, क्या दबाव था, क्या कारण था, जब प्रिवेंटिव पुलिस फोर्स वहां पहुंच चुकी थी वह प्रिवेंटिव राज्य सरकार के आदेश से वापिस आ गई, न वहां कोई जांच की, न कोई बड़ा कारण था फिर भी न जाने क्या कारण था कि वहां कायम होने वाली प्रिवेंटिव पुलिस फोर्स वापिस बुला ली गई। मैं यही समझ सकता हूं कि राजनैतिक दल, जिसका सरकार में हाथ रहा होगा, उससे सम्बन्ध इसका रहा होगा और वही परिस्थिति हो सकती है कि यह जो मसला इतना आगे बढ़ गया था वह वापिस स्थगित कर दिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय, आप लोगों का ध्यान वहां के सुरक्षा दल की गतिविधियों की ओर ले जाना चाहता हूं। इस संदर्भ में एक चीज कह रहा था कि नीम का थाना सब-डिवीजन के गांवों में प्यूनिटिव पुलिस कायम होनी चाहिये। जब यह बात असफल रही तो वहां के लोगों ने और समाज सेवी लोगों ने सुरक्षा दल कायम किया और इसका ध्येय था गांव गांव में लोगों को संगठित किया जाए और इस तरह से तैयार किया जाए कि अपनी लेविल पर अपने गांवों को सुरक्षा कर सकें और इसमें सब लोगों को साथ में लिया जाए।

मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि इस सिलसिले में अब तक सरकार की जो नीति रही है उसकी मैं जानकारी देना चाहता हूं। पिछली बार नीम के थाने में सुरक्षा दल की मिटिंग हो रही थी और क्षेत्र के 10-20 हजार आदमी इकट्ठे हुए थे उसमें सामाजिक व राजनैतिक कार्यकर्त्ता भी सभी शामिल हुए थे। जब हम सब लोग भाषण दे रहे थे तो पुलिस ने सुरक्षा दल को खतम करने की दृष्टि से 307 का मुकदमा भाषण देने वालों पर दर्ज किया। इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती है। मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि इस सुरक्षा दल की मिटिंग में भाग लेने वाले वहां के 10 वकील थे और वहां के खंडेला के प्रधान, उन पर आरोप लगाया कि 307 का जुर्म किया है। बावजूद पुलिस प्रयत्नों के स्थानीय डाक्टरों ने तथा रींगस के डाक्टरों ने पुलिस को जवाब दे दिया कि हम झूठी रिपोर्ट नहीं देना चाहते

Page No.174

(श्री गोपालसिंह)

इसके बावजूद बेशर्म होकर 307 का मुकदमा आज भी चल रहा है। इससे बढ़कर शर्म की बात क्या हो सकती है? जब मैं सुरक्षा दल की बात करता हूं इस संदर्भ में वहां के सामाजिक कार्यकर्त्ता और इस दल के अध्यक्ष राम कुमार हैं, उनकी हत्या दिन दाहाड़े जिस ढंग से हुई, जिस तरह से पुलिस उनके कातिलों को गिरफ्तार करने में असफल रही, और जो स्थिति है वह आपके सामने हैं उसकी ओर सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं।

उपाध्यक्षजी उस क्षेत्र के सभी कार्यकर्त्ता, राजनैनिक कार्यकर्त्ता सामाजिक कार्यकर्त्ताओं के दिल पर मानस पर भय का वातावरण है सभी सामाजिक कार्यकर्त्ता आगे आने में डरते हैं। वे सोचते हैं कि यदि हम काम करेंगे तो हो सकता है कि वे भी कत्ल किए जा सकते हैं। जब एक क्षेत्र में इस तरह की परिस्थिति बनती है जब समाज को सुरक्षा देने में पुलिस असफल रहती है और उस संगठन के कार्यकर्त्ताओं की हत्या की जाती है और पुलिस असफल रही है तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह सरकार के लिए बहुत कलंक की बात है। समय है सरकार को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए और जब सरकार कातिलों को गिरफ्तार करने में असफल रही है तो सी. बी. आई. से जांच होनी चाहिए। मैं पुरजोर शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं कि अब तक की कन्डक्ट से साबित हो गया है कि राजस्थान की पुलिस इस मामले में विजीलेन्ट नहीं है।

आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि आखिर ये बढ़ती हुई चोरियां क्यों होती हैं? यह कान्सटेन्ट फिगर क्यों? बजट में हर साल खर्चा बढ़ता जाता है तो जो सरकार का सबसे बड़ा जिम्मा समाज के प्रति है अपराधों को रोकना है और उसको भी सही ढंग से नहीं निभा पाते हैं तो उसका कारण यह है कि रोजमर्रा की जो लोकल आफीसर्स की कार्य प्रणाली में उनकी सरकार द्वारा नाजायज इन्टरफीयरेंस भी कारण है। इस संदर्भ में एक बात और निवेदन करना चाहता हूं। खंडेला के थानेदार झावरसिंह, मुझे मालूम है गोचर भूमि के मामले में भोलू अहीर को झावरसिंह थानेदार ने इतना बुरी कदर मारा जिसे देखते नहीं बनता था। मैं स्वयं उसको मेरी साथ आई. जी. सुलतानसिंह के पास ले गया। मुझे याद है कि सुलतानसिंह का भी दिल दहल गया था। उन्होंने आश्वासन दिया था कि आदमी भेजता हूँ, एन्क्वायरी करवाऊंगा और इस आदमी के साथ ज्यादती हुई है तो मैं फौरन उस अधिकारी को सस्पेंड करूंगा। सुलतानसिंह ने आफिसर को भेजा, जांच हुई और उसको इम्मीजिएटली सस्पेंड कर दिया। मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि आदेश सोकर पहुंचें उससे पहले ही पता नहीं किन कारणों से, क्या स्थिति थी जिसकी वजह से सस्पेन्शन आर्डर वापस ले लिया गया। यह सरकार की इन्टरफीयरेंस का नमूना है जो स्वतंत्र रूप से अधिकारियों को काम करने नहीं देती।

इसलिए इस मौके पर जब पुलिस की मांग पेश हुई है और जो अपराध बढ़ते जा रहे हैं, उनको रोकने की जिम्मेदारी

(श्री गोपालसिंह)

सरकार की है। सरकार इस पर गंभीरता से सोचे।

श्री मूलाराम (डूंगरगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, पुलिस की रखी गई मांगों के बारे में मेरा कटौती प्रस्ताव है उस पर मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं। किसी समय डिवीजनल डी. आई. जी. की आफिस बहुत अच्छे काम के लिए रही होगी। पर आज जैसी लोगों की मान्यता है सिवाय ट्रांसफर्स के यहां और कोई काम नहीं होता। इसलिए इसको तोड़ दिया जाना चाहिए और इससे जो खर्चे की बचत हो पुलिस थानों के यात्रा साधनों पर खर्च की जाए। वह सारी रकम आज जो पुलिस थानों में यात्रा के लिए कोई व्यवस्था नहीं है और जो पहले व्यवस्था थी वह भी इस समय है। आज कोई थानेदार, हेड कान्सटेबल तफतीश के लिए जाएगा, तो उसके लिए कोई साधन नहीं है सारे राजस्थान में यह हाल है तो सारा खर्चा फरियादी को देना पड़ता है? यह तो सोचने का विषय है कि शायद ही कोई थानेदार अपनी जेब से पैसा निकालता हो और वह खर्चा पड़ता है उस गरीब पर जो रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए जाता है। इसलिए मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करूं कि तमाम थानों में कम से कम एक एक जीप की व्यवस्था की जाए जिससे खर्चा किसानों या गरीब लोगों पर न पड़े जो किसी फरियाद को लेकर थाने पर पहुंचते हैं।

इसी प्रकार आज जो थानों में खास तौर से 409 के मुकदमें होते हैं, दो दो तीन तीन सालों तक इनकी तफतीश नहीं होती है। ऐसे केसेज को जल्दी निपटाने के लिए और सरकारी अधिकारियों द्वारा, खास तौर से उनके अन्दर ढील दी जाती है। इसलिए जल्दी से जल्दी स्पेशल व्यवस्था की जाए ताकि 409 के मुकदमों की तफतीश कराई जाए।

इसके साथ साथ जो थानेदार आज कल नियुक्त किए जाते हैं, नए भर्ती किए जाते हैं, उनको सारे जिलों को समानता के रूप में लिया जाए जिससे कि उनको एक जिले से दूसरे जिले का ज्ञान हो सके और समानता में कोई फर्क नहीं आए।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे गंगानगर का जो क्षेत्र है वह सीमान्त जिला और दूसरा काफी सबल क्षेत्र है वहां पर थानेदार जो हो वह अनुभवी होना चाहिये। इसके अलावा यह बात भी है कि दूसरे लोग इस इलाके में रहना पसन्द भी करते हैं। इसलिये मेरा निवेदन है ऐसे थानेदारों की नियुक्ति की जानी चाहिये जो इस क्षेत्र से वाकिफ हों। दूसरी बात जो मैं आपके जरिये राज्य सरकार को जो निवेदन करना चाहता हूं वह है कि जो थानेदार वगैरह कि नियुक्तियां जब हों तब ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये कि हर जिला का कोटा निर्धारित किया जाना चाहिये। जिससे कि सभी को नौकरियां वगैरह मिलने में समान अवसर प्राप्त हो। इसके अलावा मैं एक बात और निवेदन करना चाहूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से, मन्त्री महोदय को कि आज हमारे क्षेत्र में चोरियां बहुत होती हैं। लोग चोरी करके पाकिस्तान के क्षेत्र में भाग जाते हैं। आज आये दिन चोरियां होती हैं उसमें से

(श्री लूणाराम)

ग्राधी तो पुलिस में दर्ज ही नहीं करायी जाती हैं क्योंकि ग्राज जो न्याय है वह सस्ता नहीं मिलता है उल्टे लोग परेशान हो जाते हैं। ग्राज ग्रदालतों की हालत ऐसी है कि वहां पर चक्कर काटते रहो जिससे गरीब जनता का पैसा ग्रौर समय दोनों खराब होता है। मुकदमे वर्षों तक चलते रहते है। जैसा कि मैंने निवेदन किया कि ज्यादा चोरियां होती हैं ग्रौर उसमें ग्राधी तो दर्ज नहीं होती ग्रौर बाकी जो दर्ज होती हैं उसमें माल बरामद नहीं होता है। हमारे क्षेत्र में ज्यादातर चोरियां मवेशी की होती है। ग्राज के जमाने में चोरियें करने का ढंग भी बहुत बदल गया है। ग्राज चोर मवेशियों को ट्रकों में भर कर सीमा पार ले जाते हैं। तो मेरा मन्त्रीजी से यह निवेदन है कि ऐसी व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा करायी जाय कि जो ट्रक बाहर जाती है उनकी सीमा पर चैक पोस्ट जो है वहां से मवेशियों को ट्रक में जाने की मुमानियत कर दे। इससे उस इलाके के मवेशियों की चोरी में बहुत फर्क ग्रा जायेगा। उपाध्यक्ष महोदय, ग्राज सबसे बड़ा कारण यही है कि चोरियें खुलती नहीं है। ग्रौर लोग थाने के ग्रौर ग्रदालतों में चक्कर काटने से ग्रच्छा समझते हैं अपनी मवेशी की चोरी की रिपोर्ट दर्ज नहीं कराने में।

(समय समाप्ति सूचक घन्टी)

इसके ग्रलावा मैं एक बात ग्रौर निवेदन करना चाहूंगा ग्रभी दो साल पहिले बटेलियनें ग्रार. ए. सी. की खड़ी की गयी थी ग्रौर वह बटेलियनें बंगला देश गयी थी। उस बटेलियन में रिटायर्ड फौजियों को भी भरती किया गया था। जब उन्हें बंगला देश भेजा गया था तो उन्हें ग्राश्वासन दिया गया था कि जो उनको दो साल की छुट्टियां हैं उनको उन्हें पूरी तनख्वाह मिलेगी। पर उन्हें वह दो महीने को तनख्वाह ग्राज तक नहीं मिली। इसके ग्रलावा ग्रभी जिन्होंने बंगला देश में काम किया उसमें से कई लोगों को नौकरी से छटनी करके निकाल दिया। ग्रौर निकाला भी ऐसे नौजवानों को है जो कि 30 साल के या 35 साल के व्यक्ति हैं। ग्रौर जो ग्राज 50 साल के हैं उन्हें उसमें रख लिया है। इस प्रकार की ग्रनियमिततायें की गयी है। राज्य सरकार द्वारा उन लोगों को ग्राश्वासन दिया हुग्रा था कि उन्हें दो महीने की छुट्टियों की तनख्वाह मिलेगी। सो मेरा निवेदन है कि उन्हें वह तनख्वाह दिलवाई जाय। ग्रौर जिन लोगों को नौकरी से निकाल दिया है उन्हे भी कहीं नौकरी दिलवाने की व्यवस्था करे। इसी प्रकार जिन्हें नौकरी से हटाया गया है उनके किट बुक के बारे में भी बहुत गड़बड़ियां हैं।

(समय समाप्ति सूचक घन्टी)

मैं ग्रभी समाप्त कर रहा हूं उपाध्यक्ष महोदय, उनके जो वर्दी के पैसे मिलते हैं वे भी उन्हें नहीं मिले। इसके लिये भी राज्य सरकार को व्यवस्था करनी चाहिये। इसके ग्रलावा वहां पर एक केन्टीन उन्हीं लोगों के द्वारा चलाया जाता था ग्रौर उसमें जो फायदा हुग्रा उसका हिस्सा भी रिटायर्ड लोगों को नहीं मिला है। वो भी उन्हें दिलवाया जाय। दूसरी बात जो मैं निवेदन करना चाहूंगा वह न्याय पालिका के बारे में। ग्राज गावों के ग्रधीन जो न्याय पंचायतें हैं उनकी ग्रार्थिक हालत बहुत ही खराब है वहां पर न्याय पंचायतों के कर्मचारियों को वक्त पर तनख्वाह नहीं मिलती है।

(श्री लूणाराम)

दूसरे न्याय पंचायतों के पास ज्यादा काम भी नहीं है। इसके अलावा जो मैं निवेदन करना चाहूंगा वह है कि न्याय पंचायतों को ज्यादा से ज्यादा पावर दी जाय उनके पास काम नहीं है। वे आज बेकार हो रही हैं। इसलिये मेरा निवेदन है कि इसमे सुधार हो ताकि जनता को सस्ता न्याय मिले।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मूलचन्द सामरिया।

श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा) : उपाध्यक्ष महोदय, आज इस सदन में न्याय विभाग की मांगों पर बहस चल रही है इसके बारे में मैं भी कुछ निवेदन करना चाहूंगा व कुछ सुझाव राज्य सरकार को देना चाहूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, न्याय विभाग के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जस्टिस सुड नॉट ओनली वी डन बट इट सुड सीम टू हेव बीन डन। आपको मालूम होगा उपाध्यक्ष महोदय कि यहां पर राजस्थान में जुडिशियरी की एग्जीक्यूटिव के सेपरेट करने की बात कही गयी थी। पर अभी तक वह सेपरेट नहीं हो सकी है। उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार ने एक वाफना कमेटी का गठन किया था और उसने अपनी रिपोर्ट देदी और कुछ सिफारिशें भी उसके साथ राज्य सरकार को की गयी थीं उन सिफारिशों में एक सिफारिश यह भी थी कि दौसा में सीनियर सिविल जज का दफ्तर रहेगा। पर अभी तक वहां पर सीनियर सिविल जज का आफिस नहीं आया है। दूसरे आज दौसा इतना बड़ा क्षेत्र है कि उससे चार तहसीलें और क्षेत्र तथा आबादी की दृष्टि से वह क्षेत्र इतना बड़ा है कि राजस्थान के दो तीन जिला मुख्यालयों से बड़ा है। इसलिये होना तो यह चाहिए था कि वह जिला हैडक्वार्टर होता पर अगर जिला हैडक्वार्टर आपने नहीं रखा, चाहे उसमें किसी प्रकार की राजनीति हो पर जो वाफना समिति ने अपनी रिपोर्ट में दौसा मे सीनियर सिविल जजो का जो दफ्तर कायम करके की थी वहां अभी तक नहीं हुआ। आज लोग दौसा और उसके आस पास के इलाके से चल चल कर तारीखों पर जयपुर आते हैं और यहां आने पर पता पड़ता है कि अगली तारीख पड़ गयी तो इस प्रकार एक केस कई सालों तक चलता रहता है और गांवों की जनता को बहुत ही असुविधा होती है इसलिये मेरा निवेदन है कि ऐसी व्यवस्था की जाय कि केसेज जल्दी जल्दी खतम हो जाय। क्योंकि राज्य सरकार द्वारा ऐसी व्यवस्था की जाय कि जनता को सस्ता और सुलभ न्याय मिले। उपाध्यक्ष महोदय, एक बात मैं और निवेदन करना चाहता हूं कि आज जयपुर में हाई कोर्ट की बेंच का सवाल है अगर न्याय की दृष्टि से देखा जाय तो मैं निवेदन करूंगा कि यहां पर हाईकोर्ट की बेंच आजाय तो राजस्थान की जो पूर्वी हिस्से की जनता है उसको काफी सुविधा मिल सकती है। आज ग्रामीण क्षेत्र के रहने वाले लोगों को अगर अपने किसी एक केस की अपील करनी होती है तो उन्हें मामले में जोधपुर जाना पड़ता है इससे काफी खर्चा पड़ता है और साथ में समय भी काफी लगता है। आज धौलपुर, भरतपुर से लोगों को वहां जाना पड़ता है और वो केसेज भी कई साल चलते हैं तो इससे ऐसी व्यवस्था की जाय कि कम समय लगे। आज के युग में न्याय बहुत ही कोस्टली हो गया है। अगर

(श्री मूलचन्द सामरिया)

हाई कोर्ट की बेंच जयपुर में आ जाय तो इससे राजस्थान की पूर्वी जनता को काफी राहत मिलेगी। उपाध्यक्ष महोदय, आज के हर फैसले डेमोक्रेसी में बहुमत के आधार पर किये जाते हैं तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस हाउस में 184 एम. एल. ए. हैं उनमें से हाईकोर्ट की बेंच के बारे में उनकी राय मांगी जाय तो इन 184 में से आपको 153 सदस्य ऐसे मिलेंगे जो कि हाईकोर्ट की बेंच जयपुर में लाने के पक्ष में होंगे। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, आज राजस्थान के मुख्य मन्त्री अपने जोधपुर की इम्पार्टेन्स रखने के लिये वहां से जयपुर में हाईकोर्ट की बेंच को नहीं लाने देते हैं। उन्होंने साफ कह दिया कि हाई कोर्ट की बेंच के बारे में चेप्टर क्लोज हो गया है। और हाईकोर्ट की सीट जयपुर में ही रहेगी। उन्होंने उसे प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया है। आज राजस्थान की सरकार राजस्थान की पूर्वी जनता को सस्ता और सुलभ न्याय दिलाने के पक्ष में नहीं है। उन्होंने उसे सस्ते न्याय के लिए वञ्चित कर रखा है। मैं पूछना चाहता हूं राजस्थान के मुख्य मन्त्री जी को राजस्थान की पूर्वी जनता ने उनका क्या नुकसान किया है, हमने तो उन्हें राजस्थान का मुख्य मन्त्री बनाया है जोधपुर से उठाकर।

श्री शंकरलाल : आपने नहीं बनाया है आपको गलत फहमी है।

श्री मूलचन्द सामरिया : जब राजस्थान बना था तब राजस्थान की जनता ने सोचा था कि अब हमें सस्ता न्याय मिलेगा। पर आज यह स्थिति है कि बड़े बड़े लोगों को अमीरों को न्याय मिलता है पर छोटे छोटे काश्तकारों को और गरीब लोगों को न्याय नहीं मिलता है। अगर एक अमीर आदमी किसी की जमीन पर नाजायज कब्जा कर लेता है तो उसे टेम्परेरी इन्जेक्शन लाने के लिये जयपुर आना पड़ता है और उसके बाद में अगर कोई अपील करता है तो उसे जोधपुर जाना पड़ता है। परमानेन्ट इन्जेक्शन जोधपुर से लाना पड़ता है। आज काश्तकार के पास पैसा नहीं है और गरीब काश्तकार पैसा लावे कहां से इतना। तो उससे अच्छा तो वह यही समझता है कि अदालती कार्यवाही में न जाय और इस प्रकार कई काश्तकारों को नुकसान होता है। इसलिये मेरा राज्य सरकार से अनुरोध है कि आज राजस्थान सरकार ने पूर्वी राजस्थान की जनता को न्याय से वञ्चित कर रखा है। लोगों के पास इतना पैसा नहीं है कि वे अदालती कार्यवाही में बरसों तक लड़ सकें। इसलिये ऐसा होना चाहिये कि जनता को चीप न्याय मिले। कोस्टली न्याय जो आज होता है वह नहीं हो। इसमें आज न्यायालयों में प्रभावशाली व्यक्ति अपना अनड्यू इनफ्लूएन्स लगाकर फैसला अपने फेवर में करवा लेते हैं। इसके अलावा एक बात मैं जो निवेदन करना चाहता हूं वह यह है कि उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार ने एक राजस्थान रिलीफ आफ इन्डेटेडनेस एक्ट, 1957 बनाया था उसमें धारा 12 में यह दिया हुआ था कि शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब के लोगों के लिये सरकार ने एक तरीका तय किया है।

(श्री मूलचन्द सामरिया)

सरकार ने एक तरीका तय किया है रूल्स के अन्तर्गत, टोटल इनकम में से खर्च निकालने के बाद जो आय होती है, मैं सरकार के नोटिस में लाना चाहता हूं कि किसी ऋणी की पेइंग केपेसिटी 100 पर इयर है 12 साल में 1200 रुपया हुई, 12 हजार का बिल है तो उसकी एग्जेक्ट आमदनी को देखा जाय इससे जिस परपज के लिये कानून बनाया वह इफेक्टिव हो सकता है।

जहां तक जेलों का सवाल है बड़े से बड़े नेता को, बड़े से बड़े तपस्वी को भूखा और नंगा रखिये, बरसात में भीगने दीजिये ताकत होगी तो चोर डाकू बन जायगा और कमजोर होगा तो भीख मांगेगा और बुरा काम करेगा। पूंजीपतियों और उद्योगपतियों की यह सरकार 2? साल से राज्य सरकार रही है। इस सरकार की देन है व्यभिचार, इस सरकार की देन है 376 के केस। जब सरकार इन केसेज पर कन्ट्रोल नहीं कर सकती है, भूखा आदमी है, मैं पूछना चाहता हूं उपाध्यक्ष महोदय, आदमी भूखों मरता है, बच्चों के लिये रोटी के लिये जाता है, सेठजी इन्कार कर देते हैं, दवाई के अभाव में उसके बच्चे मर रहे हैं वह मरना पसन्द करेगा, या जिन्दा रहना? उनके लिये सरकार के पास क्या प्रोविजन है मैं पूछना चाहता हूँ। यदि उसने बच्चों को किसी प्रकार उठा कर दवाई दे दी तो कानून उसको पकड़ेगा। चाहे उसका बच्चा मर जाय लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकता। चोरी करने वाले को आज जो सामाजिक व्यवस्था है. पूंजीपति व्यवस्था है मजबूर होकर उसको करना पड़ता है, स्वेच्छा से नहीं करना चाहता है। उसके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है इसलिये मजबूर होकर वह अपराध करता है। कितने लोग इस स्थिति में हैं आज? लोगों के साथ ऐसा व्यवहार किया जाय कि खुली जेलें हों, जिनको दंड दिया जाय उनके लिये धन्धे खोलने होंगे। उनको कठोर न बनाया जाय जिससे कि परमानेन्टली क्रिमनल न हो जाय। 12 साल बाद जब घर जाता है आज तो उसकी औरत कोई भगा ले जाता है और वह डाकू हो जाता है चम्बल के बीहड़ों में जाकर और जयप्रकाश नारायणजी को तंग करता है। उसको समय समय पर अपने परिवार वालों से मिलने की इजाजत दी जाय जिससे कि अपने बच्चों और बीवी के दुःख दर्द को समझ सके। जेल में खेती से जो आमद हो उससे उसके बच्चों का पालन किया जाय। सरकार उसके पूरे परिवार की जिम्मेदारी ले। उसको नैतिकता का पाठ पढ़ाया जाता है किसी न किसी कारण से आवेश में आकर मजबूर होकर कोई न कोई गलत काम वह कर बैठता है और मजबूर हो जाता है किन्हीं परिस्थितियों के कारण। उसको परमानेन्टली क्रिमिनल न बना कर उसको सुधारने की कोशिश करें। नैतिकता का उदाहरण बड़े नेता नैतिक आचरण करके उनके सामने रख सकते हैं। कारागृह उद्योग मंदिर बन सकते हैं और नैतिक मूल्यों के मंदिर बन सकते हैं और कारागृह का बजट ही समाप्त हो सकता है।

जहां तक पुलिस का सवाल है, उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि

(श्री मूलचन्द सामरिया)

एक तरफ पुलिस के सामने खद्दर है और दूसरी तरफ खादरों में रहने वाला जयप्रकाशनारायणजी के सामने आत्म समर्पण करता है। खद्दर में जो बसे हुए इस प्रकार के लोग वे नहीं करते हैं। मैं सबसे पहले यह निवेदन करूंगा कि सरकार सच्चाई को स्वीकार करे। इसलिए नहीं कि सरकार में बैठे हैं इसलिये सही या गलत, नेताओं से भी निवेदन करूंगा कि उनको सही बात को स्वीकार करना चाहिये और सही या गलत बिना सोचे समझे निर्णय न करें। सरकारी पदों पर पुलिस के पदों पर अपोइन्टमेन्टस होते हैं या तो रिश्वत के बल पर होते हैं या बड़े नेताओं और मंत्री महोदय की सिफारिश पर होते हैं मंत्री महोदय के मन के अनुसार और संरक्षण के अनुसार वे चलेंगे और काम करेंगे। जो सही कम्पीटिशन से नौकरियों में आना चाहते हैं उनको नौकरी नहीं मिलती है और आ भी जाते हैं तो उनको जैसलमेर और बाड़मेर भेज दिया जाता है। कई ऐसे ऐसे एरियाज हैं, गंगानगर के लिये कहा जाता है कि यह बहुत ही पेइंग जगह है। यहां पर रहने के लिये अच्छा पैसा देना पड़ता है और बड़ी से बड़ी सिफारिशों की जरूरत पड़ती है। डाइरेक्ट रिक्रूटमेन्ट होता है। सिफारिश और भ्रष्टाचार दोनों का जोड़ा है। उन लोगों को लेते हैं जो क्वालिफिकेशन नहीं रखते हैं और रिकमन्डेशन पर आते हैं। सबसे बड़ी चीज रिकमन्डेशन है। खद्दरवादी लोग उनको घेरे रहते हैं और सही तरीके से उनको काम नहीं करने देते हैं और इस प्रकार के इन्फ्लुएन्स के कारण सही को गलत और गलत को सही करना पड़ता है। सही रूप से काम अन्जाम नहीं दे सकते हैं।

इतने समय के बाद भी पुलिस के पास बाबा आदम के जमाने के तरीके हैं। दो रुपये की चोरी की, लट्ठ देकर उसको पूछेंगे। गरीब है। उसको 109 में रखेंगे, जो लोग पुलिस के दलाल हैं उनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया जाता। यहां का रहने वाला बीस मील दूर चला गया उसको पूछा जायगा उसका इस क्षेत्र में कोई धन्धा नहीं, कोई ना कोई चोरी का काम करता होगा। इस प्रकार व्यक्तियों को पुलिस तंग करती है। गृह मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि यदि आपने सख्त कदम उठाये तो उचित होगा। जनता शिकायत न करे और एक केस न हो उस एरिया के पुलिस अधिकारी के लिये यह सबसे बड़ा सर्टिफिकेट होना चाहिये। व्यर्थ के आंकडे (समय-समाप्ति-सूचक घन्टी) देकर घोषणा नहीं करेंगे। सही आंकड़े बतायेंगे तो राजस्थान की जनता का भला होगा। They are for the protection of the poor people and not to harras them. बड़े बड़े लोग तिजोरियों की रक्षा कर रहे हैं। किसान की क्या रक्षा होती है। दो बीघा के खेत पर टैक्स लेते हैं उसके खेत और झोंपड़ी को कौन लेता है। टैक्स किसान से लेते हो और तिजोरियों की रक्षा करते हो कि समाजवाद लावेंगे। न्याय (समय-समाप्ति-सूचक घन्टी) के लिये हाईकोर्ट की बैंच की घोषणा करेंगे तो अच्छा रहेगा। इन सब बातों पर आप एक मिनिट कह सकेंगे तो मैं बहुत आभारी होऊंगा।

श्री उपाध्यक्ष : विधि एवं न्याय मंत्री ।

श्री रामचन्द्र चौधरी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ...

श्री मन्शीलाल : क्या पांच मिनिट बोलने का समय दिया जायगा ?

श्री रघुनाथ बिश्नोई : पहले ही समय काफी हो गया है इसलिये थोड़ा समय और बोलने दें ।

श्री रामचन्द्र चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय जेल के संम्बन्ध में विचार-विमर्श हो रहा है....

कुछ माननीय सदस्य : थोड़ा बोलने का समय और मिलना चाहिए ।

श्री भोपालसिंह (जैसलमेर): उपाध्यक्ष महोदय, क्योंकि समय ज्यादा हो गया है इसलिए मैं दो मिनट ही लूंगा । मैं अपनी बात केवल न्याय विभाग के संबन्ध में ही महदूद करूंगा । मेरे पूर्व वक्ताओं ने इस बात की ओर संकेत किया कि हाईकोर्ट का जो फैसला हुआ वह गलत हुआ और जो एकीकरण की बात चल रही है उसको वापिस शुरू करनी चाहिए और यहां पर हाईकोर्ट की बैंच कायम करनी चाहिए और उसका आधार बताते हैं सस्ता न्याय । मैं आपसे निवेदन करूंगा कि सस्ता न्याय केवल सस्तेपन न्याय के लिए आधार नहीं है । सस्ताई होनी चाहिये । सबसे अहमियत की चीज यह है कि न्याय होना चाहिए और न्याय सही होने के लिए जरूरी है कि न्याय क्या हो । सैंक्टिटी आफ ला बहुत अहमियत की चीज है और इसी आधार पर जो हाईकोर्ट का एकीकरण पहले हुआ था वह सही हुआ था । जब एकीकरण हुआ उस समय यहां एक बैंच थी और हाईकोर्ट की सीट जोधपुर में थी । उस समय दो तरह के मसले सामने आये । एक बार तो ऐसा हुआ कि एक ही दिन के अन्दर एक जजमेन्ट यहां पर हुआ और एक जजमेन्ट वहां पर हुआ तो एक दूसरे के खिलाफ हुए एक ही न्याय के बिन्दु पर । ऐसे भी मसले सामने आये कि कल जो फैसला हुआ और एक आज जो फैसला होता है वह दोनों एक दूसरे के खिलाफ हुए । याने कल हाईकोर्ट का न्याय एक बिन्दु पर होता है उसका आज फिर फैसले को यहां की बैंच ने बिलकुल उसका उल्टा कर दिया । इस तरह से जो फैसले थे वे एक दिन में दुरुस्त नहीं होने वाले हैं । उसके लिए जो प्रक्रिया है सुप्रीम कोर्ट में जाने की या बड़ी बैंच बनाकर उसका हल करने में समय लगता है ।

श्री श्रीराम गोटेवाला : सारे देश की बैंच है उनके सम्बन्ध में भी राय व्यक्त कर दें ।

श्री भोपालसिंह : वह भी कह दूंगा । इस प्रकार से अनसरटेंटी हो जाती थी एक ही बिन्दु पर और दो तरह के फैसले हमको देखने को मिलते थे । और उनके बारे में न तो कोर्ट्स को पता रहता था कि न्याय क्या है और न क्लाइन्ट्स को पता था कि न्याय क्या है....

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : अब भी ऐसे फैसले होते हैं ।

श्री भोपालसिंह : और उसके अन्दर जो खर्चा होता था सुप्रीम कोर्ट में जाने पर और हाई कोर्ट में जाने पर आप सब को विदित है कि कितना समय लगता है और

(श्री गोपालसिंह)

कितना खर्चा होता है। वह सब होते थे खर्चे और न्याय सस्ता कभी भी नहीं कहा जा सकता। और आखिर खर्चा क्या कम करना पड़ता है और कितने आदमी हाई कोर्ट तक पहुँचते हैं। और हम देखें तो हाईकोर्ट में जाने का कोई गरीब आदमी का सवाल नहीं है कि वह हाई कोर्ट में जाये। पूर्वी राजस्थान के आदमी जाते हैं तो उनको सिर्फ जयपुर से लेकर जोधपुर तक का भाड़ा ज्यादा देना पड़ता है और एक रात आने का और एक रात जाने का समय भी जाता है—मैं मानता हूँ लेकिन इसके लिए कोई चारा नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि हाई कोर्ट चले और अच्छी परम्परा हो और हर एक आदमी को तसल्ली हो कि किस विन्दु पर क्या कानून है तो यही जरूरी है कि हाई कोर्ट का एकीकरण होना चाहिए और जो फैसला हुआ था वह बिल्कुल दुरुस्त हुआ था। इसके अलावा और भी कई पाइन्ट्स हैं। जब ऐसे दो तरह के फैसले हो जाते थे तो मल्टीप्लिसिटी आफ काजेज होता था, मल्टीप्लिसिटी आफ अपील होती थी, यह न्याय प्रशासन का बहुत बडा दोष है। जैसा सस्ता होना चाहिए उसके खिलाफ में इस बात को भी नहीं भुला सकते।

इसके अलावा जहां पर गवर्नमेन्ट की सीट होती हैं वहां पर बड़े बड़े पदाधिकारी होते हैं और वहां पर हाई कोर्ट के जजेज रहें तो यहां पर बार बार उनके भ्रष्ट होने की बातें उठाई जाती हैं तो हाई कोर्ट के जजेज का साथ रहना और उनका उठना बैठना उसका भी नतीजा क्या हो सकता है वह भी आप भली भांति सोच सकते हैं।

श्री श्रीराम गोटेवाला: फिर भी दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के जजेज भी नहीं रहने चाहिए।

श्री गोपालसिंह: फिर तो यह मांग भी होने लगेगी कि सुप्रीम कोर्ट की बेंच हर प्रदेश में होनी चाहिए। आखिर इस लॉजिक को परस्यू करेंगे तो कहां तक पहुंचेंगे। यह कहना कि क्योंकि न्याय सस्ता हो तो 20 रुपये का फायदा उठाने के लिए बेंच यहां होनी चाहिये। अगर आपको जाना पड़ता है और फिर जोधपुर बहुत सस्ता है और इसी शहर के अन्दर आप रहेंगे तो यहां का कनवेयेन्स का, फूड का जैसा शहर के अन्दर लगता है। तो उसको आप देखेंगे कि जो 9 रुपया आने जाने का ज्यादा लगता है उसके मुकाबले यह कुछ भी नहीं है। किसी ने कहा कि यह फाल्स प्रेस्टीज का सवाल बन गया है ऐसी कोई बात नहीं है। हां। 'वन मे टेक लेजिटीमेट प्राइड इन हिज पोजीशन।" इस संबंध में निवेदन है कि जो बराबर कहा जाता है इसका कोई आधार नहीं है। अगर हम इसका संतुलन कायम करना चाहें तो एक तरफ तो मल्टीप्लिसिटी आफ काजेज, अनसरटेंटी आफ लॉ है दूसरी तरफ खर्चा तो कोई ज्यादा लगता नहीं है। इस तरह से न्याय का पलड़ा एकीकरण के हक में ज्यादा है और इसलिए जो यह मांग है यह निराधार है और इसमें कोई तब्दीली नहीं होनी चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष: श्री रघुनाथ विश्नोई।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर): उपाध्यक्ष जी, जो न्याय प्रशासन को मांग है उसके बारे में बराबर इस सदन में हाई कोर्ट के

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

प्रश्न पर सवाल आता है जब कि राज्य सरकार ने पहले भी जब कि राजस्थान बना यह सवाल तय कर दिया था और ला कमिशन को रेफर किया गया और एक कमेटी का गठन किया गया जिसके अध्यक्ष मि टर वांचू थे। सब जगह अजमेर, जोधपुर के मामले थे और सारी की सारी एवीडेन्स थी, सब जगह के फैक्ट्स इकट्ठे किये गये और उस समय भी यहां का जो वकील समुदाय है उनको मालूम है कि प्रश्न यह था कि इन्टीग्रेटेड हाई कोर्ट हो या बैंच और हाई कोर्ट अलग अलग होने चाहिये। दूसरा इश्यू यह था कि हाईकोर्ट इन्टीग्रेटेड किस जगह हो। तो जयपुर वालों ने जयपुर का पक्ष लिया और जोधपुर वालों ने अपना पक्ष लिया जब कि उस समय बेंच जयपुर में थी और हाई कोर्ट की सीट जोधपुर में थी। जब आप सस्ते न्याय की बात करते हैं यह हमको मालूम है कि उस समय भी आपको सोचना चाहिये था कि जब बैंच चल रही थी कि उस समय इसको काम्पलीकेटेड क्यों बनाया ? सब मालूम है और इसकी रिपोर्ट पढ़ लें कि जब इन्टीग्रेटेड हाई कोर्ट का प्रश्न बना तो इन्टीग्रेशन के बारे में कुछ आफिसेस जयपुर में रहे, कुछ आफिसेस बीकानेर में रहे और राजस्थान की पुरानी स्टेट्स थीं उनमें जयपुर का महत्व, जोधपुर का महत्व और बीकानेर का महत्व बना रहे इसलिये अलग अलग स्टेट को अलग अलग आफिसेस दिये जोधपुर के पुराने जुडीशरी के फैसले और स्टेट के टाइम का जो स्तर था वह क्या था उसके जजमेंट अभी तक आप पढते हैं तो इन सारी बातों को देखते हुए न्यायिक दृष्टि से रिपोर्ट गयी और उसका फैसला निष्पक्ष हुआ और उसके फलस्वरूप इन्टीग्रेटेड हाईकोर्ट जोधपुर में गया। तो उस समय बाद में पर्टीक्यूलर इश्यू यह हुआ छः छः महीने तक आन्दोलन चला उसके बाद इलेक्शन हुए और उसमें नफा नुकसान भी अपने तरीके से भुगता है। उस प्रश्न को अब फिर री-ओपन करना चाहें तो कहां तक यह न्याय की दृष्टि से उचित है ? अगर एक इश्यू को उठाते हैं तो इसके साथ दूसरे इश्यूज भी खड़े हो सकते हैं। राजधानी का प्रश्न भी उठ सकता है। अजमेर वाले कह सकते हैं कि यहां पर राजधानी होनी चाहिये। इस तरह से जो इश्यु सैटल हो चुका है उसको बार बार री-ओपन करने की बात करना उचित है ? वन्स फार आल दो इश्यू हैव बीन सेटल्ड। इस बारे में गृह मंत्रीजी ने भी कह दिया है, केन्द्रीय सरकार ने भी कह दिया है और मंत्री महोदय ने भी कई बार जवाब दे दिया है, बार एसोसियेशन्स के इण्टरव्यू में भी ये मामले आ चुके हैं। अब इस प्रश्न को उठाना उचित नहीं है।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

तो माननीय उपाध्यक्षजी, इस मामले को मेरे ख्याल से, जनता की दृष्टि से न्याय की दृष्टि से, इण्टीग्रेशन की दृष्टि से जो पुराना सैटल्ड इश्यु हो इसको फिर नहीं उठाना चाहिये और वन्स फोर आल सैटल्ड मानना चाहिये।

श्री गोकुलचन्द (कठूमर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि जयपुर में हाई कोर्ट की बिल्डिंग बनाई थी या नहीं ?

श्री रघुनाथ विश्नोई : यह सरकार से पूछिये । मैं तो जो फैक्ट्स हैं, जो इश्यु हैं उसको सामने रख रहा हूं और उसकी जानकारी दे रहा हूं । कई बार मंत्री महोदय इस बारे में जवाब दे चुके हैं और फिर भी जवाब दे देंगे ।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा मैं पुलिस की डिमाण्ड पर भी एक मिनिट लेना चाहता हूं । हमारे जालौर जिले में तहसील सांचौर में दो थाने हैं । यह पुलिस प्रशासन के पोइन्ट आफ व्यू से ज्यादा उपयुक्त नहीं है और इसलिये वहां के जिला प्रशासन ने सिफारिश भेजी है कि उस तहसील में तीन थाने होने चाहिये । चोतलवाना, सरवाणा और सांचौर में । राज्य सरकार के सामने यह मामला पहुंच चुका है इसलिये मैं, उपाध्यक्षजी, सरकार से मांग करता हूं कि यह पुलिस प्रशासन की दृष्टि से, क्न्वेंस की दृष्टि से, कैटल्स की दृष्टि से और सुरक्षा की दृष्टि से नया थाना खोलना आवश्यक है । इसके बारे में रिपोर्ट आ चुकी है । इसलिये मैं सरकार से मांग करता हूं कि इस बारे में जल्दी निर्णय करें और तीसरे थाने की स्थापना करे ।

खेजडियाली की चौकी जो कि बोर्डर पर है उसके बारे में भी निवेदन कर देना चाहता हूं, उपाध्यक्षजी । यहां पर कैटल की प्राब्लम रहती है । यहां पर अस्थायी चौकी बनायी हुई है जिस पर सरकार को फालतू खर्चा करना पड़ता है । इसलिए मेरा निवेदन है कि इस चौकी को अस्थायी चौकी से परमानेन्ट चौकी बना दिया जावे ।

उपाध्यक्षजी, इसके अलावा ज्युडिशियरी के बारे में एक बात और निवेदन कर देना चाहता हूं कि अभी कुछ केसेज में जो अपील दायर की जाती है उसमें बहुत डिले हो जाती है । छोटे 2 केसेज में गवर्नमेन्ट एडवोकेट की ओपिनियन ली जाती है, फिर लॉ डिपार्टमेन्ट की ओपिनियन ली जाती है, यह प्रोसीजर बहुत लम्बा है । जो गरीब लोग हैं वे इस तरह के लम्बे प्रोसीजर तक पहुंच नहीं पाते । कई केसेज में तो मियाद तक चली जाती है । वहां पर बड़े 2 बोर्ड लगे रहते हैं कि फलां केस की मियाद निकल रही है, दो दिन बाकी हैं, तीन दिन बाकी हैं इस तरह के मामले हैं ।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

जो इन मामलों में अपील करने में डिले होती है तो इसमें भी सुधार होना चाहिए । अपील गवर्नमेन्ट एडवोकेट ही फाइल कर दे तो भी काम चल सकता है । इसलिए इसमें जो यह लम्बा प्रोसीजर है इसको कम किया जावे ।

उपाध्यक्षजी, इसके अलावा दूसरा जो अपने विभाग में, संगीन केसेज के लिए प्रोसीक्यूशन ब्रान्च है इसमें अभी कुछ सुधार जरूर हुआ है लेकिन अभी भी हम यह जरूर महसूस करते हैं कि संगीन केसेज किस प्रकार बिगड़े हुए आते हैं, आपने कुछ पी आई नए लगाए हैं, नए लॉ ग्रेज्यूट्स लगाए हैं जिनसे सुधार जरूर हुआ है लेकिन अभी भी इस ओर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है क्योंकि इनका अभी एक्सपीरियेन्स कम है और इनके सामने जो

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

डिफेंस में आते हैं वे अच्छे 2 वकील होते हैं। जितने कैपिटल केसेज आते हैं, डकैती के केसेज हों, मर्डर के केसेज हों या और इसी तरह के केसेज हों तो हम देखते हैं कि इनमें परसेंटेज आफ सजा घटती जा रही है, कम लोगों को इनमें सजाएं हो रही हैं।

उपाध्यक्षजी, इसके अलावा हमारे यहां रानीवाड़ा में एक संगीन केस हुआ और एक सार्वजनिक कार्यकर्ता का मर्डर हुआ लेकिन अभी तक अक्यूज्ड एब्स्काण्ड है, पुलिस के द्वारा उन पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है, उनको राउण्ड अप करने में अभी तक पुलिस सफल नहीं हो सकी है। तो मैं अर्ज कर रहा था और राज्य सरकार से फिर दरख्वास्त करूंगा कि इसमें कुछ सक्रिय कदम उठाया जावे और जो अक्यूज्ड अभी तक एटलार्ज हैं उनको राउण्ड अप करके इस केस को कामयाब बनाने की कोशिश करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं।

श्री मुन्शीलाल : माननीय उपाध्यक्षजी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं ··

श्री गिरधारीलाल भार्गव : माननीय उपाध्यक्ष महोदय ····

श्री उपाध्यक्ष (श्री मुन्शीलाल की ओर मुखापेक्ष) : आप विराजिए।

श्री मुन्शीलाल : मुझे टाइम नहीं मिला है।

श्री उपाध्यक्ष : अभी आप विराजिए। श्री भार्गव।

श्री गिरधारीलाल भार्गव (हवा महल) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं पुलिस विभाग के बारे में यह निवेदन करने जा रहा हूं कि जिन पुलिस कर्मचारियों से हम काम लेना चाहते हैं, हमको उनकी सुख सुविधा के बारे में भी विचार करना चाहिए। इस बारे में मेरा पहला निवेदन यह है कि पुलिस लाइन जयपुर में आज पुलिस वाले लगभग तीन हजार की संख्या में रहते हैं। वहां पर एक टैंक पहले से बना हुआ है, वह टैंक अभी भी है और वहां पर कुआ भी है। कुए में जो नल लगा हुआ था और जिससे टैंक में पानी आता था वह आज से लगभग दो तीन वर्ष हो गए उस कुए में जो पम्प लगा हुआ था, जो टैंक बना हुआ था वह खुला है जिसमें कबूतर और दूसरे जानवर बीटें कर देते हैं और पम्प हट जाने से पानी नहीं आता है। वहां पर दो तीन टूंटियां लगी हुई हैं उन टूंटियों में पानी भी उसी समय आता है जिस समय कि जयपुर शहर के लोगों को पानी सप्लाई करने का समय निर्धारित है। तीन हजार के लगभग वहां पर जवान हैं। वे जवान उस अवस्था के कारण प्यासे रहते हैं। उनके लिए पानी की बराबर व्यवस्था नहीं है।

दूसरा मेरा निवेदन यह है कि जो पुलिस लाईन की बैरक्स हैं उनके किवाड़ टूटे फूटे हैं।

दूसरा राज्य सरकार से यह निवेदन है कि हम पुलिस के जवानों को जो भोजन के लिए अलाउन्स देते हैं उनमें 40 डाइट होने पर 12 रुपया इसके अलाउंन्स के रूप में देते हैं लेकिन 40 डाइट जो

(श्री गिरधारीलाल भार्गव

पूरी नहीं करे उसे 12 रुपया नहीं दिया जाता है। पुलिस के जवानों की और आर. ए. सी. के जवानों की ड्यूटी में अन्तर है, इसलिए जो नियम बने हुए हैं कि 40 डाइट से कम डाइट होंगी तो उसको पांच रुपये देते हैं। मैं सरकार से मांग करूंगा कि यह 40 डाइट वाला नियम हटा दिया जाय और उनको कम से कम 12 रुपये अलाउन्स दिया जावे।

इसी प्रकार, उपाध्यक्ष महोदय, वर्दी भी लोगों को समय पर नहीं मिलती। इसके अलावा वहां पर बेनीवाल फण्ड के नाम से राजस्थान सरकार ने फण्ड बना रखा है जिसमें किसी की मृत्यु हो गई, बीमारी हो जाय या और इसी तरह की कोई घटना हो जाय तो उसको पैसा मिलेगा लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है किसी भी सिपाही को चाहे उसके स्वयं के टी. वी. हो जाय, परिवार के किसी सदस्य के टी. वी हो जाय, चाहे उसकी मृत्यु हो जाय उस फण्ड में से उनको रकम नहीं दी जाती और इसी लिए पुलिस कर्मचारी आपस में अपना चंदा इकट्ठा करके अपने साथी सिपाही की मदद करते हैं।

इसी प्रकार राज्य में हम 45 रुपये वर्दी के लिये और वर्दी की धुलाई के लिए सब इन्स्पेक्टर को देते हैं। जब कि हम दूसरी तरफ एक आई.पी.एस. आफिसर को एक हजार रुपया यूनिफार्म के लिए और 250 रुपये धुलाई के लिए प्रति वर्ष देते हैं। मैं समझता हूं कि जो इस प्रकार का अन्तर है सब इन्स्पेक्टर और आई. पी. एस. आफिसर में कि एक को तो आप 45 रुपये देते हैं और इसी 45 रुपये में यह आशा करते हैं कि वह अपनी पैंट भी बनाए, अपना हाफ पैंट भी बनाए और इन की सब प्रकार की धुलाई भी करावे तो मैं समझता हूं कि यह रकम बहुत कम है।

इसी प्रकार से मेरी जहां तक जानकारी है और उसी आधार पर मैं कह रहा हूं कि बड़े बड़े पुलिस अधिकारी पुलिस के जवानों से ट्रकों में बजरी और पत्थर भरवा कर मंगाते हैं। इतना ही नहीं, जो बड़े बड़े पुलिस अधिकारी हैं वे गरीब सिपाहियों से अपने खेतों पर काम करवाते हैं, अपने घरों पर काम करवाते हैं। इतना ही नहीं अपने रिश्तेदारों के यहां पर काम करवाते हैं।

इसी प्रकार जो पुलिस लाइन में कैंटिन की व्यवस्था है वहां भी बड़ी निकम्मी है, वहां पर कर्मचारियों के अधिक बिल बनाए जाते हैं। इसी प्रकार इन का वेतन निर्धारण नहीं हुआ है जिसके कारण पुलिस कर्मचारियों को जो यात्रा भत्ता मिलता है, दैनिक भत्ता मिलता है उसमें उनको नुकसान होता है। इस प्रकार ये गरीब सिपाही अपने न्यूनयम वेतन से भी कम वेतन पा रहे हैं।

इसी प्रकार मैं यह निवेदन करूंगा कि थानों पर जो तैनात कर्मचारी हैं उनको तो फिक्स्ड टी. ए. मिलता है और दूसरी जगहों पर जो तैनात हैं उनको टी. ए. नहीं मिलता है। इसी प्रकार विधान सभा में जो प्रहरी हैं उनको केवल गर्मी की पोशाक दी जाती है। सर्दी में जब

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

असेम्बली का सेशन चलता है तो इन गरीबों को उसी गर्मी की पोशाक में, जिस पोशाक में कि वे आज खड़े हैं, खड़ा रहना पड़ता है।

इसी प्रकार मेरा आपसे निवेदन है कि आर्म्ड पुलिस की ड्यूटी के लिए जो सब इंस्पेक्टर लिए जाते हैं प्रमोशन द्वारा उनको नहीं लिया जाता। इस प्रकार एक सिपाही जब पुलिस हैड कांस्टेबिल बन गया तो जीवन पर्यन्त वह सब इंस्पेक्टर नहीं बन सकता। इसलिए मैं राज्य सरकार से मांग करता हूं कि प्रमोशन के आधार पर उनको लिया जाना चाहिए।

(समय–समाप्ति–सूचक घण्टी)

अब मैं एक मिनिट का समय और लूंगा। जेल विभाग की मांग है उसके बारे में निवेदन कर देना चाहता हूं। जेलों में सुधार करने के लिए सुझाव देने के लिए एक कमीशन की स्थापना 64–65 में की गई थी और उसके अध्यक्ष श्री परिपूर्णानन्दजी जो कि सम्पूर्णानन्दजी के भाई थे उनको बनाया गया था। उन्होंने कई सुझाव इन जेलों की व्यवस्था सुधारने के सम्बन्ध में दिए थे लेकिन उनका क्रियान्वयन नहीं हुआ है।

इसी प्रकार इसमें पारिश्रमिक देने की योजना थी। जयपुर जेल में यह योजना चार साल पहले शुरू की गई थी लेकिन अब वह बन्द है। एक एल. डी. सी. वहां बैठा है जो अपने पैसे लेता है। इस योजना को जयपुर में तो भली प्रकार चलाया ही जाय, राजस्थान के दूसरे स्थानों पर भी इसको लागू करना चाहिए। आज जेलों की बेरक्स में पंखे नहीं हैं, कैदियों को खाना अच्छा नहीं मिलता, नए उद्योग धन्धे सिखाने की कोई व्यवस्था नहीं है। मैं मांग करता हूं कि जेलों में लोगों को काम धन्धे सिखाने के लिए इस प्रकार की व्यवस्था की जाय कि जब वे जेल से मुक्त होकर बाहर जावें तो उनके सामने एम्पलायमेंट की समस्या नहीं आए। इस प्रकार से वे कर्मचारी ड्यूटी पर काम करते हैं। 6 घन्टे प्रातःकाल करते हैं और तीन घन्टे सायंकाल करते हैं। उनको 9 घन्टे काम करना होता है और समय भी ज्यादा देना पड़ता है। उनका वेतन भी पुलिस के कान्स्टेबल के बराबर नहीं है। महिला कैदियों के साथ अमानुषिक व्यवहार किया जाता है। चिकित्सा की व्यवस्था नहीं है। केन्द्रीय कारागार में अधिकाधिक ऐसे लोग हैं जो बीच में गड़बड़ करते हैं। एक आरमाराम है। इस प्रकार वहां पर प्रोडक्शन घटा है। मैं समझता हूं कि इस की डिपार्टमेंटल इनक्वायरी होनी चाहिये परन्तु वह भी नहीं हो रही है। सिर्फ दरी, निवार की बुनाई में ही घोटाला नहीं है और भी कई चीजों में घोटाला है। वहां पर उचित प्रकार का व्यवहार नहीं होता है। अच्छे माल को आफिसर रख लेते हैं (समय-समाप्ति-सूचक-घन्टी) जो चीजे कैदियों के लिये दी जाती हैं, वे वहां काम में नहीं ली जाती हैं। मैं यह बताना चाहता हूं कि इस प्रकार का वहां पर काम हो रहा है। मैं यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि जो कैदी हैं वे बेचारे परेशान होते हैं, उनके मिलने

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

वाले परेशान होते हैं। हर प्रकार के कार्य में वहां पर लोगों को परेशानियां होती हैं।

मैं अब यह निवेदन करना चाहूंगा कि आज यहां पर न्याय की बात की जाती है। पूर्वी राजस्थान के लिये जयपुर शहर अत्यन्त महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ पर प्रतिबन्ध लगाने की आप बात करते हैं। आप यह मांग स्वीकार कराना चाहते है परन्तु यह जो 113 विधायकों की मांग है कि पूर्वी राजस्थान के लोगों को सस्ता न्याय मिले, उसके लिये जयपुर शहर में हाई कोर्ट की बैंच स्थापित की जाये, तो यह क्यों नहीं की जाती है। मुकदमे पैन्डिंग पड़े हुए हैं। मैं समझता हूं कि इससे लोग परेशान हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या आपका दल जयपुर में हाई कोर्ट की बेन्च स्थापित कराने के पक्ष में है ? मुझे तो ऐसा मालूम पड़ता है कि ऐसा नहीं है। आपके दल के नेता यहां पर बैठे हैं, क्या वे इस पक्ष में हैं तो कहें।

श्री रघुनाथ विश्नोई : आपके नेता चुप क्यों हैं ?

श्री मोहनलाल छंगाणी लाल : मेरा एक परसनल निवेदन है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैं सदन के नेता से प्रार्थना करूंगा कि मुझे भाषण करने दें।

श्री उपाध्यक्ष : आपका समय काफी हो गया है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मेरा एक मिनट वैसे ही खराब हो गया है। जयपुर शहर में हाई कोर्ट बैंच निश्चित रूप से होनी चाहिये। यहां पर इसके लिये भवन बना है। लोगों को सस्ता न्याय देना चाहिये पुलिस एक्ट 1861 में बना था और यह ब्रिटिश काल का है। अब तक इसमें किसी प्रकार का संशोधन नहीं हुआ है। इसमें अमेन्डमेन्ट होना चाहिये ताकि पुलिस उस नये एक्ट के अन्तर्गत काम कर सके। (घन्टी) धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मुंशीलाल।

श्री मुन्शीलाल (बस्सी) : माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं पुलिस कारागार, न्याय प्रशासन पर अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं। राजस्थान की पुलिस ने संकट-कालीन स्थिति में अपने कर्तव्य को पूरी तरह से निभाया है, अपनी जिम्मेदारी को निभाया है। इसके साथ ही आन्तरिक शांति को बनाये रखा है। वह जनता के जान माल की रक्षा में तत्पर रही है लेकिन इसके साथ ही साथ पुलिस प्रशासन में कुछ खामियां भी रही हैं और वह यह है कि गांवों में जो छोटी छोटी चोरियां होती हैं। गरीब आदमी उसकी दरख्वास्त लेकर जावे तो पुलिस का कान्स्टेबल पांच रुपये लिये बिना दरख्वास्त भी नहीं लेता है। समाजवादी सरकार में पुलिस को भी समाजवादी रुख अपनाना चाहिये और गरीबों को हक मिल सके इसके लिये प्रयत्न करना चाहिये। मेरा निवेदन है कि पुलिस उन लोगों की बात को सुनकर, उसकी जांच कर, उनके सही हकों को दिलाना चाहिये।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि बस्सी कन्स्टीट्यूएन्सी में एक सांसी नामक जाती है, वे लोग वहां पर रहते हैं। वे

(श्री मुंशीलाल)

चोरियां करते हैं और आस-पास के लोगों को परेशान करते हैं। मैं राजस्थान सरकार से निवेदन करूंगा कि पुलिस डिपार्टमेन्ट उनके नाम को मंगवा कर राज्य स्तर पर योजना बनावे और उनको रोजगार दिलावे तभी जाकर वे अपराधवृत्ति को छोड सकते हैं। पुलिस को तानाशाह न होकर समाज की सेवक होनी चाहिये और उनके अधिकारों की रक्षा करना चाहिये। राजनीतिक लोगों को पुलिस बुरी तरह से परेशान करती है। राजनीतिक लोग हमेशा देश के लिये कार्य करते हैं। जब भी जनता का आन्दोलन होता है, उनके साथ पुलिस उचित व्यवहार नहीं करती है।

एक निवेदन और करना चाहता हूं। अजमेर में गोतमनगर की एक शिड्यूलड कास्ट की लड़की थी। उसके साथ कुछ अज्ञात व्यक्तियों ने अभद्र व्यवहार करके कुए के पास डाल दिया। वह एक गरीब लड़की थी। पुलिस को उसकी जानकारी मालूम करना चाहिये थी लेकिन आज तक अपराधी को दंडित नहीं किया गया है। यह खेद का विषय है। मैं राजस्थान सरकार से मांग करता हूं कि वह शिड्यूलड कास्ट की जो चांदो लड़की है, गोतमनगर में रहती है, उसके तथ्यों की जांच करे। इसके साथ ही साथ मैं पुलिस प्रशासन से यह भी आशा करता हूं कि समाज में जो विषमताएं कायम हैं, उसके लिये यह जरूरी है कि कुछ राजनीतिक लोगों, पूंजीपतियों, जिम्मेदार आफिसरों की कान्फीडेन्शल रिपोर्ट रखी जाये। उनकी गतिविधियों की जानकारी रखनी चाहिये ताकि देश के हक में काम हो सके और भ्रष्टाचार का जो बोलबाला है उसके खिलाफ कार्यवाही हो सके।

इसके साथ ही साथ मैं आपसे यह निवेदन करूं कि कारागार की जो स्थिति है, उसमें जो अड़चनें हैं या परेशानियां हैं, उसमें कैदियों के लिये एक समाजवादी रूप सरकार को अपनाना होगा और उनको अपराध वृत्ति से हटा कर उनको सही वास्तविक इन्सान की जिन्दगी बिताने के लिये प्रशिक्षण देना होगा।

इसके अलावा आज जो न्याय प्रशासन है, उसके सम्बन्ध में भी मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं कि इन्डियन पेनल कोड बहुत पहले का बना हुआ है। अब उसमें समाजवादी आधार पर सुधार होना चाहिये जिससे हम यह मान सकें कि वास्तव में समाजवादी सरकार इस ओर प्रयत्न कर रही है। अभी तक पुराने कानून और पुरानी सजाएं ही दी जा रही हैं। इसमें परिवर्तन करना चाहिये। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि पुलिस जैसे प्रशासन को आज हर तरह से उन्नत करना चाहिये जो देश की, राजस्थान की आन्तरिक स्थिति बनाये रखने के लिये जिम्मेदार है। परन्तु इसमें सब से ज्यादा जिम्मेदारी कान्स्टेबल पर आती है उसको कम वेतन मिलता है। डाकुओं से लड़ने के लिये वह आगे होता है, अपराध वृत्ति के लोगों से मुकाबला करने के लिये ही पहले कान्स्टेबल को तैयार किया जाता है और कम से कम वेतन उसको दिया जाता है तो इस पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिये। यह उसके साथ कोई न्याय नहीं है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : उपाध्यक्ष महोदय, केवल दो मिनिट .....

श्री मुन्शी लाल : उपाध्यक्ष महोदय, न्याय सस्ता मिलना चाहिये। पूरे राजस्थान में, और पूर्वी राजस्थान में जयपुर शहर ही एक ऐसा स्थान है जहां पर हाईकोर्ट की बेंच कायम होनी चाहिये। यह राजधानी भी है इसलिये महत्वपूर्ण है। इस पर सोचा जाना चाहिये और जनता की भावनाओं को देखते हुए हाईकोर्ट की बेंच जयपुर में खोली जानी चाहिये।

श्री श्रीराम गोटेवाला : माननीय उपाध्यक्ष .....

श्री उपाध्यक्ष : श्री श्रीराम गोटेवाला।

श्री माणकचन्द सोगानी : माननीय उपाध्यक्ष, मुझे भी दो मिनिट देने की कृपा करें।

श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल, जयपुर) : माननीय उपाध्यक्षजी, आज मेरे न्याय व्यवस्था तथा पुलिस-व्यवस्था तथा यातायात के संबन्ध में तीन कटौती प्रस्ताव हैं....

एक माननीय सदस्य (कांग्रेस): यातायात कहां से आ गया?

श्री श्रीराम गोटेवाला : पुलिस में आता है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मैं यह चाहता था कि इस पर विस्तार से निवेदन करूं, लेकिन समय काफी हो चुका है। लेकिन सांचौर से आने वाले....

श्री उपाध्यक्ष : सूक्ष्म में।

श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल, जयपुर): सूक्ष्म में ही निवेदन करूंगा।

जैसलमेर से आने वाले सम्मानीय सदस्य और अन्य सम्मानीय सदस्यों ने जिस प्रकार की भावनाएं यहां पर व्यक्त की हैं उसके संदर्भ में यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से जयपुर से आने वाले जो इस सदन के सम्मानीय सदस्य हैं तो पश्चिमी राजस्थान की बात है, राजस्थान के विभाजन की बात है उसका हम लोगों ने विरोध किया था, और आज भी इस सदन के अन्दर, माननीय उपाध्यक्ष, यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो तथ्य हैं उन तथ्यों के बारे में ही निवेदन करूंगा, लेकिन एक बात निश्चत रूप से निवेदन करना चाहता हूं कि आज राजस्थान के टुकड़े करवाने की बात, राजस्थान की पूर्व और पश्चिम राजस्थान की बात है इस इश्यू को दुबारा उठाना चाहते हैं उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मेहरबानी करके इस प्रश्न को इस प्रकार से दुबारा उठाने की बात नहीं करेंगे। मैं निश्चित रूप से निवेदन करना चाहता हूं ....(श्री रघुनाथ बिश्नोई और श्री परसराम मदेरणा के बीच बीच में बोलने पर) मैं श्रीमान् बिश्नोईजी से और माननीय मंत्री महोदय से .... करूंगा कि वे शान्ति रखें और सुनें। जो बात कही गई है उसका उत्तर में सदन के अन्दर दूंगा।

माननीय उपाध्यक्ष, मैं निवेदन करूंगा कि पटेल कमेटी ने रिपोर्ट की उसके अनुसार राजस्थान में 22 रियासतों का राजस्थान में एकीकरण हुआ। उसमें यह कहा गया था कि राजस्थान की राजधानी जयपुर के

(श्री श्रीराम गोटेवाला)
अन्दर रखी जाय, हाईकोर्ट जोधपुर के अन्दर रखा जाय . . .

कई माननीय सदस्य : फिर क्या बात है ?

श्री श्रीराम गोटेवाला : जो तथ्य हैं उन तथ्यों को मैं निवेदन करना चाहता हूं। हमें यहां और वहां के लोगों की सुविधा होगी यह नहीं देखना है। हमें तो राजस्थान के लोगों की सुविधा के लिए कार्य करना है जिसके अन्दर हाईकोर्ट के बेंच की बात भी है।

अजमेर के विलीनीकरण के पश्चात् यह प्रश्न फिर उठा और वह सत्यनारायण राव आयोग बना और उसके सामने जो प्रमुख मुद्दे थे उनमें एक मुद्दा यह भी था। कि राजधानी अजमेर के अन्दर रखी जाय या जयपुर के अन्दर रखी जाय। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि फिर जब यह प्रश्न सामने आया तब यह हुआ कि सत्यनारायण राव आयोग की जो रिपोर्ट थी उस समय यह कहा गया कि विधि आयोग की रिपोर्ट आ चुकी है। विधि आयोग ने जब इस बात को माना है कि हाईकोर्ट की एक सीट होना चाहिए और कहीं पर बेंच नहीं होना चाहिए . .

कई माननीय सदस्य : फिर क्या बात है ?

श्री श्रीराम गोटेवाला : उस बात को मैं निवेदन करना चाहता हूं। माननीय उपाध्यक्ष, भारत सरकार ने जिस समय विधि आयोग नियुक्त किया था तो उन्होंने इस बात को अपेक्षा थी कि इस बेंच के मामले के प्रश्न को उठायेंगे तो उत्तरप्रदेश के अन्दर आन्दोलन होगा, आन्दोलन होगा मध्यप्रदेश के अन्दर, आन्दोलन होगा महाराष्ट्र के अन्दर, आन्दोलन होगा केरल के अन्दर। इस तरह से विभिन्न स्टेटों में आन्दोलन की परिस्थितियां थीं। भारत सरकार ने सोच-समझकर यह समझदारी पूर्ण निर्णय लिया था और उन्होंने विधि आयोग की रिपोर्ट रद्द कर दी लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि सत्यनारायण राव आयोग ने जब अपनी रिपोर्ट दी तो इस बात को कहा है कि राजस्थान की राजधानी जयपुर में रहनी चाहिए और हाईकोर्ट की बेंच के बारे में उनका यह सुझाव था, मैं बहुत साफ शब्दों में आपसे निवेदन करना चाहता हूं, मैं उसके बारे में गलत बात नहीं कह सकता, और सम्मानीय सदस्य मैं आपसे कहना चाहता हूं जो लोग पश्चिमी राजस्थान की बात करते हैं उसका विरोध करता हूं। वे इस तरह की भावना भड़का रहे हैं और राजस्थान का अहित करने जा रहे हैं। मैं जयपुर–जोधपुर की बात नहीं करता। मैं सुविधा की बात करता हूं। राजस्थान के अन्दर हाईकोर्ट की बेंच और हाईकोर्ट की मुख्य सीट अलग अलग नहीं है। मैं पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान की बात नहीं करता। मैं टिकिट के आधार पर बात नहीं करता। मैं ही सुविधा की बात नहीं करता हूं बल्कि गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य बात करते हैं। वह कहते हैं कि जयपुर में हाई कोर्ट की बेंच होना चाहिए। बीकानेर के सम्मानीय सदस्य ने उस पर हस्ताक्षर किये हैं। कुछ उदयपुर से आने वाले माननीय सदस्यों ने उस मांग का समर्थन किया है। मैं आपसे निवेदन करना

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

चाहता हूं कि यह प्रश्न सस्ते न्याय का प्रश्न है। जिस ब्यूरोक्रेसी की बात उन्होंने कही कि यह ब्यूरोक्रेसी भ्रष्ट है वह इस ब्यूरोक्रेसी के साथ रहेंगे तो वे भी भ्रष्ट हो जायेंगे। उस ब्यूरोक्रेसी पर कन्ट्रोल करने के लिए यह बहुत जरूरी है कि जहां राजधानी है वहां पर हाई कोर्ट की बैंच हो या हाई कोर्ट की मुख्य सीट हो। मेरा सवाल यहां पर यही होता है कि जोधपुर का औद्योगीकरण होना चाहिए, जैसलमेर में पीने के पानी की व्यवस्था करना चाहिए। मैं इस तरह की क्षेत्रीय बात नहीं करता हूं। सारे राजस्थान की बात करता हूं।

श्री मोहनलाल छंगाणी : फलौदी के लिए···

श्री श्रीराम गोटेवाला : फलौदी के क्षेत्र की बात भी करता हूं। फलौदी क्षेत्र से जो माननीय सदस्य आये हैं और जोधपुर से जितने माननीय सदस्य आये हैं, उनकी तन्दुरुस्ती जयपुर से जितने प्रतिनिधि आये हैं उनसे अच्छी है तो ऐसा लगता है कि फलौदी में इस प्रकार की बात वे कहते हैं शायद उस प्रकार की बात नहीं होगी।

(समय—समाप्ति—सूचक घंटी)

लेकिन मैं निवेदन इस संदर्भ में यह करना चाहता हूं कि इस प्रश्न को ये उलझाना चाहते हैं। मैं विनम्रतापूर्वक इस बात को निवेदन करना चाहता हूं कि इस हाईकोर्ट की बैंच को लेकर इस प्रकार की भावनाएं आपस के अन्दर हमारे दिलों के अन्दर इस प्रकार की भावनाएं पैदा कर रहे हैं उसके संदर्भ में जोधपुर के माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि वे इस संदर्भ के अन्दर अपना दृष्टिकोण बदलें।

(समय—समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं एक मिनिट पुलिस सेवा के संदर्भ में अवश्य निवेदन करना चाहता हूं। मैं दो मिनिट में ही बन्द कर देता हूं।

यहां पर पुलिस में जो रिश्वतखोरी है उसके बारे में निवेदन करना चाहता हूं कि भारत-पाक संघर्ष हुआ। उस संघर्ष के अन्दर सारे राजस्थान की पुलिस ने सराहनीय ढंग से कार्य किया चाहे वह आर. ए. सी. हो दूसरी पुलिस। आज जो व्यवस्था है वह उसी प्रकार की पुरानी व्यवस्था से काम करते चले आ रहे हैं······

श्री उपाध्यक्ष : श्री शंकरसिंह।

श्री श्रीराम गोटेवाला : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे जो शासनाधिकारी हैं, हमारे जो पुलिस के अधिकारी हैं वे इस बात का प्रयास करें और जनता को इस बात को महसूस करायें कि यह पुलिस विभाग उनकी रक्षा के लिए है, उनको तंग करने के लिए नहीं है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं एक मिनिट में ही समाप्त करता हूं।

वे इस प्रकार का वातावरण पैदा करें। गांधीनगर से आने वाले सम्मानीय सदस्य ने एक किसी व्यक्ति को जबरदस्ती ले जाकर पिटवाने की बात कही। मैं स्वयं गृह मंत्रीजी के ऑफिस में गया हूं और मैंने कहा था कि वे लोग रिपोर्ट दर्ज कराने गये तो उनको कोतवाली में पीटा

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

गया। जयपुर के अन्दर इस प्रकार की घटनाएं होती रहें, इस प्रकार के काम होते रहें तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हम इस प्रकार से जन-कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना चाहते हैं तो उसमें इस प्रकार की भावनाएं बाधक हैं। निश्चित रूप से हमें उनकी सुविधाओं का ध्यान रखना है, पर उनकी सुविधाओं के साथ-साथ जो जनता की सुविधा है उनके प्रति भी ध्यान रखने के लिये अधिकारियों को सोचना चाहिये।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

यातायात के बारे में विशेष रूप से मेरे क्षेत्र की समस्याओं पर मैं निवेदन करना चाहता हूं। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

एक मिनट में ही समाप्त कर दूंगा।

यहां पर जिस प्रकार की व्यवस्था हो रही है जयपुर शहर में वह ठीक प्रकार की व्यवस्था नहीं है। आज चाहे घड़ियों के सवाल को लेलें, चाहे और सवाल हों जिन सवालात को हल करने का उनकी जिम्मेदारी है, उनको हल नहीं करते हैं और इस प्रकार के प्रयास करते हैं कि जिसने एक साधारण आदमी ठेला चलाने वाला हो, रिक्शा चलाने वाला हो, ट्रक चलाने वाला हो उसको 10-5 रुपये की रिश्वत उनको देनी पड़ती है और इस प्रकार का जो वातावरण पैदा होता है उससे बड़ी गड़बड़ी पैदा होती है।

कुछ दिनों पहले मुख्य मंत्रीजी का स्वागत हो रहा था चांद पोल बाजार में (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) तो वहां पर आवाजें आ रही थीं। तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि बातें इस देश में निश्चित रूप से बन्द होना चाहिए। हमारी पुलिस आदर्श पुलिस होनी चाहिए।

जिस प्रकार न्याय व्यवस्था के संबंध में हमने प्रश्न उठाया था तो सारे तथ्यों को ध्यान में रखते हुए सारे राजस्थान की एकता बनी रहे, सारे राजस्थान को तरक्की हो (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) आज मैं समझता हूं कि उनको हल करने के लिये एक होकर चलना चाहिए।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : रिपोर्ट कर रहे हैं।

श्री चतुर्भुज (टोड़ारायसिंह): उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी मेरे कटौती प्रस्ताव के द्वारा कुछ सुझाव रखना चाहता हूं जो हमारे प्रशासन का दृष्टिकोण है, आज मैं आपकी मार्फत सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि प्रशासन और ईमानदारी में मेल नहीं है। गरीब जनता का क्या होगा-यह प्रश्न अहम् है। हम समाजवाद का नारा लगाते हैं लेकिन मैं जब सदन में देखता हूं तो मैं सोचता हूं, समाजवाद का नारा है। वह केवल नारा है। हम गरीब किसान और मजदूर के हित की बात नहीं करते हैं, उनके दुःख दर्द की बात नहीं करते हैं, केवल अपने हित की बात करते हैं....

श्री मूलचन्द सांभरिया : इन्हें सोचा करना चाहिए।

श्री चतुर्भुज : आज जनता और गरीब किसान सब समझते हैं कि आप और हम क्या करते हैं। यहां पर हाई कोर्ट की बात चल रही है, यहां पर जनता की आर्थिक स्थिति की बात नहीं होती है, कोई इसकी बात नहीं करता। गरीब किसान और मजदूर को हाईकोर्ट की जरूरत नहीं है। हम यदि जनता के पीने के पानी की समस्या की बात करते, नदी नालों पर पुलिया लगाने की बात करते, इन चीजों पर जोर देते तो हम समझते कि किसान और गरीब की बात होती है। यह सिद्धांत की बात है जो जनता की जरूरते हैं, इसलिए मैं इन बातों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मेरा निवेदन है कि प्रशासन में सुधार हो। आज जब हर मंडी में जितना अनाज आता है या मण्डी से माल ले जाया जाता है। उसमें गरीब किसान और मजदूर को चोट देते हैं। आढ़तियां लोग जो टैक्स वसूल करते हैं वह अपनी तिजोरी में ले जाकर रख देते हैं। पुलिस इस स्थान पर मौजूद रहती है लेकिन उसे मालूम नहीं कि टैक्स की किस तरह से चोरी होती है। इसी प्रकार सेल्स टैक्स अधिकारी भी हर मन्डी में जाते हैं, उनके द्वारा भी होता है उसके बारे में पुलिस को क्या मालूम नहीं होता है। जितना

(7.43 म. प.)

(श्री राम किशोर व्यास, अध्यक्ष, पदासीन)

टैक्स लगाना चाहिए वह किसान और मजदूर देते हैं लेकिन दुकानदार उसको अपने पास रख लेते हैं। लेकिन इसकी ओर कोई ध्यान देने वाला नहीं है, सब अपना मतलब सिद्ध करना चाहते हैं...

श्री अध्यक्ष : आप पौने आठ बजे समाप्त कर देंगे।

श्री चतुर्भुज : अभी मिनिट में करता हूं।

इससे आज पुलिस प्रशासन के अन्दर लोगों का भारी असंतोष है।

अब मेरा जो कटौती प्रस्ताव है उसके बारे में निवेदन करना चाहता हूं, मेरे क्षेत्र में दवोव में अक्टूबर माह में एक चमार को उनियारा रोड पर 146 रु. के कारण कत्ल कर दिया गया। उस केस का आज तक मालूम नहीं है, क्या हुआ ?

उसी गांव के नजदीक सुपारे ग्राम है, उसके पास में मालपुरा पड़ता है, वहां एक आदमी की नाक काट कर कोई चल दिया लेकिन आज दिन तक उसका पता नहीं।

तीसरी बात है, अभी की बात है, चिड़ौदा गांव है है, वहां एक आदमी को इतनी बुरी तरह मार कर चला गया, वह जिन्दा रहेगा या मरेगा यह पता नहीं है।

अभी प्रतापपुरा ग्राम में 18 तारीख को 3 बजे प्रातः की घटना है एक किसान सुल्तान जाट को मार कर चला गया, उसकी साइकिल ले गया। लेकिन पुलिस उसके बारे में आज तक मालूम नहीं कर सकी उस साइकिल पर पंचायत का नम्बर है, लेकिन पुलिस एक्शन नहीं ले सकी है।

(श्री चतुर्भुज)
इस कारण वहां आतंक फैला हुआ है। अगर पुलिस हमारी रक्षा नहीं करेगी तो कौन करेगा ?

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

श्री चतुर्भुज : मेरा निवेदन है कि हमारे यहां लाम्बा हरीसिंह है, वह थाना तहसील मालपुरा में है। अभी एक टोडारायसिंह का केस है, हमीरपुर ग्राम में औरत को मार कर पटक गया। वह अभी जिंदा है, वह दो चार दिन में मरेगी या जिन्दा रहेगी। यह दुश्मनी के कारण बताते हैं · · ·

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये।

श्री भानुकुमार शास्त्री : पुलिस वाले कहते हैं मे आई हैल्प यू, लेकिन इसका मतलब है, मे आई करप्ट यू।

श्री चतुर्भुज : मेरा निवेदन है कि इसके लिए स्पेशल जांच करनी चाहिए। जनता की जान, माल की रक्षा पुलिस करे, इस पर आप विचार नहीं करेंगे तो जनता की, गरीब किसानों का कोई भला नहीं होगा तो फिर गरीब लोगों का क्या होगा ?

टोडारायसिंह बजरंग लाल शर्मा की सात-आठ हजार की चोरी हुई, नकद और कपड़े की और वह कपड़ा थाने में मौजूद है लेकिन बाकी माल का अभी तक पता नहीं। इस लिए मेरा निवेदन है कि इसकी सुरक्षा के लिए आवश्यक कार्यवाही की जाय।

श्री अध्यक्ष : कारागृह मंत्री।

श्री केदारनाथ : मंत्री पर भी टाइम लिमिट हो।

श्री रामचन्द्र चौधरी (कारागार मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, कई माननीय सदस्यों ने कारागृह के विषय में अपने अपने विचार व्यक्त किये हैं जिसमें खास तौर पर चित्तौड़ से आने वाली माननीय सदस्या ने इस पर काफी प्रकाश डाला है। मैं मानता हूं कि कैदियों के बारे में विचारधारा बिल्कुल बदलती जा रही है और उनको सोसाइटी का एक बुरा अंग न मान कर यह समझा जाता है कि किसी मानसिक बीमारी के कारण या कमजोरी के कारण वह अपराध करते हैं और उनको भविष्य में अच्छे नागरिक बनाने के लिए जब जेल भेजते हैं तो वैसा बनाने के लिए कोशिश की जानी चाहिए। इस विषय में राजस्थान में कई काम किये गये हैं उनका सुधार करने के लिए जिससे जब वह वापिस समाज में जावें तो वह अच्छे नागरिक साबित हों अपने अपने धन्धे लगें। छोटे बच्चों के लिए भी उदयपुर में एक ऐसा कारागृह है जिसमें उनको साईकिल स्कूटर वगैरह का रिपेरिंग का काम सिखाया जाता है जिससे वह बाहर निकल कर गलत रास्ते पर न चल कर अपनी आजीविका का साधन अपनायें।

बन्दियों को अच्छे नागरिक बनाने के लिए उनको प्रौढ़ शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, विश्वविद्यालय शिक्षा और शिक्षा की विभिन्न स्तर की परीक्षाओं में सम्मिलित होने के लिए, अध्ययन की व्यवस्था की जाती है और बहुत से, जैसे कि रिजल्ट इसमें आये हैं उनसे पता चलता है कि

(श्री रामचन्द्र चौधरी)

उनके नतीजे भी करीब करीब सेंट पर्सेंट अच्छे रहे हैं परीक्षाओं में बैठने के। इस के अलावा बन्दियों को बुरे विचारों से बचाने के लिए जेल में नैतिक, सामाजिक व धार्मिक विषयों पर भाषण दिये जाने की भी व्यवस्था की जाती है। उनके सांस्कृतिक कार्य-क्रम और खेल कूदों में भी हिस्सा लेने की सुविधा प्रदान की जाती है। बन्दियों के मनोरंजन के लिए राजकीय बड़े बड़े कारागृहों में रेडियो, हारमोनियम, ढोल, मंजीरे आदि की व्यवस्था की गई है। जो बड़े–बड़े कारागृह है, उनमें पुस्तकालय की भी सुविधा प्रदान की गई है। बन्दियों में पंचायत समितियां भी कायम की गई हैं और उनका अच्छा आचरण बनाने के लिए गर्मी की ऋतु में, जिनका अच्छा आचरण साबित होता है, उनको गर्मी की ऋतु में खुले में सोने की, सजा में कमी करने, स्टोर का काम दिये जाने की, पत्र दिये जाने की, परिवार वालों को पत्र लिखने की या मिलने आदि की सब सुविधायें दी जाती हैं और जो जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा के पांच बड़े कारागृह हैं में उनमें सलाहकार मण्डलों की भी नियुक्ति की हुई है, जिससे उनसे मिल कर जिन कैदियों का अच्छा आचरण हो, जो अच्छे कैदी साबित होते हैं उनको सजा पूरी होने से पहले मुक्ति हो जाने की सिफारिश की जाती हैं। भिन्न भिन्न कारागृहों में अलग अलग उद्योग भी उनको सिखाये जाते हैं, जैसे कपड़ा, दरियां, गलीचा, निवार आदि बनाने का प्रबन्ध होता है। इसके अलावा राजस्थान में हमारे चार ओपन ऐअर कैम्प्स है. एक प्रशिक्षण केन्द्र दुर्गापुरा में है, कृषि प्रशिक्षण केन्द्र, दूसरा यंत्री फार्म सूरतगढ़ में है, तीसरा मण्डोर एग्रीकल्चर फार्म है और चौथा सम्पूर्णानन्द शिविर, सांगानेर में है। इनमें जिन बन्दिओं का चाल चलन जेल के समय में अच्छा पाया जाता है उनको भेज दिया जाता है। वहां पर वह अपने परिवार के दूसरे सदस्यों को रख सकते हैं और उनको मजदूरी के माफिक तनख्वाह भी दी जाती है जिससे कपड़ा, भरण–पोषण और मकान आदि का प्रबन्ध कर सकते हैं। इसमें खास विशेषता यह है कि एक कैम्प में जितने इस किस्म के बन्दी होते हैं उन पर कोई पहरा नहीं दिया जाता है। एक सिपाही रहता है और वे सारा खुला आचरण करते हैं और अपना काम करते हैं। इसके लिए बाहर से भी कई बड़े आदमी आए हैं जिन्होंने अपनी अपनी राय व्यक्त की है। श्री पीटरसन, चेयरमैन करेक्शन होम्स लन्दन से आया। उन्होंने राय जाहिर की है :

"It was an inspiring experience to visit the camp, the use of open establishment for long term prisoners with their families is most imaginative idea which will, I am sure, be copied by federal administration of some other countries."

इसी तरह के विचार

श्री मोहनलाल छंगाणी : सर्टीफिकेट की क्या आवश्यकता है।

श्री गुमानमल लोढा : टेस्टीमोनिइल्स सुनने के लिये हम बैठे हैं?

श्री रामचन्द्र चौधरी : इस तरह की ओपन एयर कैम्प्स सिवा राजस्थान के और कहीं नहीं हैं···

श्री मोहनलाल छंगाणी : इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं।

श्री रामचन्द्र चौधरी : जाने दीजिए·

श्री केदार नाथ : दरी 2 आने गज मिलती है।

श्री रामचन्द्र चौधरी : जितना सीमित साधनों से कर पाते हैं, जेल में सब सुविधायें कैदियों को देने का प्रबन्ध करते हैं और उनकी सफाई आदि अच्छी हो इसके लिये भी कोशिश की जाती है। जैसे जैसे धन उपलब्ध होगा उसी तरह छोटे लाकप्स की दशा सुधारने का प्रयत्न किया जाएगा। इन्हीं सब बातों को देखते हुये मैं निवेदन करूंगा कि मांग को पारित की जाए।

श्री अध्यक्ष : एक और है।

श्री केसरीसिंह : जो सत्याग्रह वगैरह करने जाते हैं उनके बारे में···

श्री रामचन्द्र चौधरी : न्याय प्रशासन के लिये कई माननीय सदस्यों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं जिनको मैं 4 कैटेगरीज में बांट सकता हूं। एक तो हाई कोर्ट बैंच जयपुर में होनी चाहिए। इस विषय में बहुत से माननीय सदस्यों ने अपनी राय व्यक्त की है और सबसे बड़ा कारण इसका यह बताया है कि इससे न्याय सस्ता प्राप्त होगा। यह बात तो मैं नहीं मानता क्योंकि हाई कोर्ट ट्रायल कोर्ट नहीं है। ट्रायल कोर्ट में जरूर ज्यादा खर्च आता है क्योंकि सैंकड़ों गवाह पेश करने होते हैं, वहां खर्च आता है। इसमें एक जगह से चलने के बाद दूसरी जगह जाने में 8-10 रु. से ज्यादा खर्चा नहीं आता है। इससे न न्याय सस्ता होता है न महंगा। न्याय महंगा और सस्ता होने का दूसरा कारण है–कोर्ट फीज, वकीलों की फीज इत्यादि। यह तो होगा ही चाहे जयपुर में रखें चाहे जोधपुर में रखें। लेकिन यह कहना कि जोधपुर में रहने से न्याय महंगा हो जाता है, जयपुर में बैंच रहने से सस्ता हो जाता है, मैं नहीं मानता।

श्री श्रीराम गोटेवाला : इलेक्शन पेटीशन्स तो नहीं होने ट्रायल कोर्ट्स में?

श्री मोहनलाल छंगाणी : लेट दी ओल्ड मैन कन्टीन्यू!

श्री रामचन्द्र चौधरी : ला कमीशन ने अपनी फोर्थ रिपोर्ट में लिखा है।

"The efficiency of the administration of justice should be the paramount consideration governing this problem. The structure and constitution of the courts should not be permitted to be influenced by political considerations. That this has happened in the past in some cases can be no valid ground for the extension of that policy. The Commission is of the view that we should firmly set out against steps which will lead to lowering of standards of administration of

(श्री रामचन्द्र चौधरी)

justice" और इसी बिना पर जो हमारे यहां सत्य नारायण राव का कमीशन आया था उसने भी इसी बात पर अपना डिसीशन पेश करते हुए रिमार्क्स लिखे हैं कि एक ही जगह हाई कोर्ट होना चाहिये। पहली बात, जैसे राजस्थान हाईकोर्ट में 10 जजेज हैं। इनको भिन्न भिन्न विषयों में बैंच बनानी पड़ती है। अगर इनके दो टुकड़े कर देंगे तो बैंच ठीक नहीं बन सकेगी।

श्री किशन मोटवानी : रेवेन्यू कोर्ट को इस तरह से क्यों सेट अप किया गया है?

श्री रामचन्द्र चौधरी : वह बैंच तो जगह जगह चली जाती है, वह दूसरी बात है और उसकी सीट एक ही है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : हम एक बैंच की मांग कर रहे हैं, सीट की नहीं।

श्री रामचन्द्र चौधरी : एक ही किस्म के जो सवाल हैं, क्वेश्चन्स आफ ला उन पर भिन्न भिन्न जगह बैंच होगी तो उन पर डिफरेंट जजमेंट्स होंगे। जैसे जोधपुर हाई कोर्ट में हुआ था। उसकी एक मिसाल आई है····

श्री श्रीराम गोटेवाला : सारे भारत वर्ष का अनुकरण करना चाहिये।

श्री रामचन्द्र चौधरी : उसके कारण फुल बैंच बैठाया गया है तो जो फैसला आसानी से हो सकता है उस पर डिफरेंट जजमेंट्स होने से फुल बैंच बिठाकर क्लायेंट्स का पैसा खर्च कराया जाय और जजेज को काम फालतू लगाया जाए····

एक माननीय सदस्य : सिंगल जज के फैसले में और उस फैसले में डिफर करते हैं तो जजेज की फुल बैंच बनाई जाती है, कौनसा फर्क पड़ेगा?

श्री रामचन्द्र चौधरी : एक जगह हाई कोर्ट की सीट हो तो परटीक्यूलर ब्रांचेज आफ ला में जजेज को स्पेशलाइज कर सकते हैं जैसे इन्कम टैक्स है, सैल्स टैक्स है, कम्पनी लॉ है, इलेक्शन लॉ है। इसमें अगर बैंचिज को बांट देंगे 3–3, 4–4 जजिज में तो जजिज स्पेशलाइजेशन नहीं कर पायेंगे और उससे हमें नुकसान होगा।

श्री भानुकुमार शास्त्री : उत्तर प्रदेश में स्पेशलाइज्ड जजेज नहीं हैं?

श्री रामचन्द्र चौधरी : उत्तर प्रदेश बहुत बडा राज्य है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : ऐसी बात तो नहीं है।

श्री रामचन्द्र चौधरी : हाई कोर्ट के लिए जरूरी है कि बहुत अच्छी वेल इकुइप्ड लाइब्रेरी होनी चाहिए। अगर आप जगह-जगह बैंचिज रखेंगे तो इतनी बड़ी लाइब्रेरी हर जगह नहीं बनायी जा सकेगी।

श्री श्रीराम गोटेवाला : दिल भी बड़ा होना चाहिए।

श्री रामचन्द्र चौधरी : बार एक जगह होने से वह बार इफीश्यंट होगा। जगह 2 होने से इफीश्यंट नहीं होगा। जब तक किसी जगह का बार इफीश्यंट नहीं होगा तो हाई कोर्ट का स्टैंडर्ड भी नहीं बन

(श्री रामचन्द्र चौधरी)

पाता । इसलिए एक जगह हाई कोर्ट बेंच होनी चाहिए, जगह-जगह नहीं होना चाहिए। दूसरा प्रस्ताव मेरे सामने न्याय प्रशासन के बारे में आया है कम्पलीट सेपरेशन आफ जुडीशियरी फ्राम एग्जीक्यूटिव। इस बारे में सन् 1959 में बापना कमेटी बिठाई थी जिसने फैसला किया था कि स्टेजिज पर जुडीशियरी और एग्जीक्यूटिव का सेपरेशन हो। 1962 से शुरू होकर 1969 तक आपके यहां इस माइने में कम्पलीट सेपरेशन हो गया कि जितने इंडियन पेनल कोड के केसेज होंगे वे सब जुडीशियल मजिस्ट्रेट् ट्राई करेंगे और जितने रेलवे एक्ट के नीचे केसेज होंगे वे जुडीशियल मजिस्ट्रेट्स ट्राई करेंगे, बाकी ओप्यम एक्ट है, फुड एडलट्रेशन के केसेज हैं या माइनर एक्ट्स हैं वह अपने एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स ट्राई करेंगे।

इसके लिये कम्पलीट सेपरेशन कब तक होगी इसकी कार्यवाही राज्य सरकार करने जा रही है। लेकिन इसमें थोड़ा समय लगेगा। इसमें सी. आर. पी. सी. में भारत सरकार एमेंडमेंट ला रही है लेकिन भारत सरकार इसमें जब फाइनल करेगी तब होगा इसमें इण्डियन पीनल कोड और जो अपर लॉज है उन सबको ध्यान में रखते हुए करना पड़ेगा। इसमें यह देखना पड़ेगा कि कौन से केसेज मुन्सिफी के अन्तर्गत जायेंगे और कौन से दूसरे मजिस्ट्रेट्स के पास जायेंगे। इस प्रकार जो मुकदमात जिस मजिस्ट्रेट द्वारा सुने जायेंगे उसका हवाला सी. पी. सी. में होगा जिन केसेज में किसी मजिस्ट्रेट का हवाला नहीं होगा वे सब जुडिशियल मजिस्ट्रेट ही सुन सकेंगे। इसके लिये अमेन्डमेंट, एक्ट में भारत सरकार कर रही है और जब अमेन्डमेंट वगैरह होकर पूरा एक्ट बन जायेगा जब पूरे भारतवर्ष के लिये ही वह एक्ट लागू हो जायेगा। पर वह एक्ट जो होगा वो भारतवर्ष दिल्ली स्टेट पर और काश्मीर में लागू नहीं होगा। इसके होने के बाद कम्पलीट जुडीशियरी और एग्जीक्यूटिव का सेपरेशन हो जावेगा।

श्री मूलचन्द सामरिया : अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि बाफना कमेटी ने यह सिफारिश की थी कि दौसा सिविल जजी का दफ्तर होना चाहिए। उसके बारे में अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें।

श्री मूलचन्द सामरिया : अध्यक्ष महोदय यह बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है।

श्री मोहनलाल छंगाणी : यह अलग से प्रश्न है।

श्री रामचन्द्र चौधरी : तीसरा प्रश्न है–करेप्शन के बारे में। यहां कहा गया कि आज न्यायालयों में बहुत ही भ्रष्टाचार फैल रहा है। इसको खतम करने के बारे में, इसके बारे में मैं माननीय सदस्यों से यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि चीफ जस्टिस व दूसरे जजेज वगैरह इन्सपैक्शन पर जाते हैं तो अगर इन्सपेक्शन के दौरान कोई शिकायत करेप्शन की होती है तो उस पर कार्यवाही की जाती है। दूसरी हाई कोर्ट में एक राजस्थान हायर जुडिशियल

(श्री रामचन्द्र चौधरी)

सर्विस के जज की नियुक्ति को हुई है जो रजिस्ट्रार विजिलेन्स कहलाता है वो सभी मुन्सिफों, सिविल जजों के खिलाफ कोई शिकायत आती है तो उसके खिलाफ जांच करता है। दूसरे वह यह भी ध्यान रखता है कितने केसेज तय हुए और किस प्रकार की कार्यवाही जिला स्तर पर केसेज के डिस्पोजल के लिये की जा रही है और देखते हैं कि केसेज के डिस्पोजल में गड़बड़ तो नहीं हो रही। वो सरप्राइज विजिट्स भी करते हैं इसके लिये चौथी बात है डिले-इन-डिस्पोजल आफ एरियर्स केसेज के बारे में यह निवेदन है कि यह एक ऐसी चीज है कि एक तो अमेन्डमेन्ट सिविल प्रोसीजर कोड में जो पेश किया हुआ है वह सन् 66 से अभी तक विचाराधीन है। वह अमेन्डमेन्ट हो जायेगा तब उसके मुताबिक कार्यवाही हो जायेगी। पर अभी तक जो रिपोर्ट इसके बारे में दी हुई थी उस पर फैसला नहीं हो सका है। इस रिपोर्ट में चीपर और स्पीडियर कार्यवाही होने के लिये सुझाव दिये गये हैं। पर अभी तक विचाराधीन हैं। इसके अलावा आज राजस्थान हाईकोर्ट में कुल 12,000 रिट्स सिविल और क्रिमीनल की अपील्स पेंडिंग हैं। इसके अलावा एक अभियान चलाया गया था जिसमें सन् 1970 में जो 1700 सेशन्स अपील केसेज थे, दायर किये गये थे, उनमें से 31-12-70 तक सिर्फ 1001 केसेज रह गये बाकी सब डिस्पोज आफ कर दिये गये और 30-4-72 तक 660 केसेज ही रह गये मैं समझता हूं केसेज के डिस्पोजल में यह काफी प्रगति हुई है। इसी तरह डिले-इन-एरियर्स को खतम करने पूरी कोशिश की जा रही है। दूसरे लॉ-कमीशन आफ इन्डिया ने भी इसी के बारे में सभी स्टेट्स को इसके बारे में क्वेश्चनेयर भेजे हैं। 15-3-72 उसमें यह है कि III–वेज–टू–मिनिमाइज कोस्ट आफ लिटिगेशन और एवोइडिंग (2) डिले इन-लिटिगेशन . . के बारे में यह सभी हाईकोर्ट्स को भेजा गया था। और इन पर विचार करके जल्दी ही फैसला किया जायेगा। गवर्नमेन्ट आफ इन्डिया भी इस प्रश्न पर काफी गम्भीरता से विचार कर रही है कि जनता को सस्ता और सुलभ न्याय मिले। इसके लिये ऐसा रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है लोगों को सस्ता और सुलभ न्याय मिले। मैं समझता हूं अध्यक्ष महोदय की न्याय प्रशासन में प्रगति हुई है। अब मेरा निवेदन है कि न्याय और विधि विभाग को मांगों को सदन में पास की जाय।

श्री अध्यक्ष : श्री बरकतुल्ला खां, गृह मन्त्री जी।

/ 6ए(A)

श्री बरकतुल्ला खां (मुख्य मन्त्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज का समाज कैसा है उसके लिये पुलिस विभाग एक शीशा है जिसमें यह नजर आता है कि आज का समाज कैसा है। इस शीशे में हमें नजर आता है कि आज/के समाज में किस प्रकार के जरायम होते हैं, चोर चोरी किस प्रकार करते हैं यह भी नजर आता है, किस प्रकार और क्यों हत्यायें

(श्री बरकतुल्ला खां)

होती हैं यह भी नजर आता है। आज चोरियां क्यों होती हैं, डाके क्यों डलते है इन सभी बातों का पता लगता है। आज का युग ऐसा है जिसमें समाज में असलियत में कानून सभी के लिये समान रूप से लागू होता है। एक जमाना था जब लोग समझते थे कि चोरियां और जरायम जितने भी प्रकार के होते हैं वे सभी गरीब वर्ग के लोग ही करते हैं और अमीर वर्ग के लोग नहीं करते है, वह खतम हो गया। अब वो जमाना खतम हो गया है। राजे महाराजाओं के जमाने में ऐसे वक्त जब किसी बड़े जागीरदार या बड़े ताजिमी सरदारों के खिलाफ कोई केस चलाने के लिये पहले वहां के राजा महाराजाओं से इजाजत लेनी पड़ती थी। और बाद में उनके लिये मुकदमा चलाने के लिये इजाजत लेनी पड़ती थी फिर अलग कमीशन बैठता था। पर आज बड़े जागीरदार तो क्या उन राजा महाराजाओं को भी मुकदमें चलने पर अदालतों में जाना पड़ेगा कोई प्रिवीलेज अब नहीं रहा है। अब जमाना बदल गया है। अब जनता को एहसास होने लगा है कि सभी के लिये समान कानून है। राज्य सरकार का यही उद्देश्य है कि जनता को सस्ता न्याय मिलना चाहिये। राज्य सरकार का कर्तव्य है कि वह जनता के दुखः दर्द को सुने। आज पुलिस विभाग की मांगों पर बहस चल रही है मैं आपके सामने कुछ निवेदन करूंगा। आज हाउस में पुलिस विभाग के बारे में हाउस में काफी कहा गया है पुलिस में भ्रष्टचार के बारे में उनकी निरंकुशता के बारे में। पर मैं एक बात निवेदन करूंगा कि पुलिस विभाग के लोगों की कुछ कठिनाइयां हैं, उनको भी कुछ मजबूरियां हैं, मैं उनकी वकालात नहीं करता पर यह मैं मानने को तैयार नहीं कि पुलिस विभाग कोई काम नहीं कर रहा है, भ्रष्टाचारी पुलिस अफसरों के खिलाफ कार्यवाही जरूर होगी। अध्यक्ष महोदय, पुलिस विभाग की कुछ कठिनाइयां हैं और उसके लिये जैसे जरायम पेशे के लोगों के खिलाफ कार्यवाही करनी पड़ती है, उन्हें चोरों को पकड़ना भी पड़ता है, उनका चालान भी करना पड़ता है। हालांकि यह पकड़ना वगैरह अच्छा काम नहीं है पर जो दोषी व्यक्ति है उन्हें तो दण्ड दिलाना पुलिस का कर्त्तव्य है। यह बड़ा डरटी काम है। आज के जमाने में ज्यों-ज्यों समाज में डवलपमेन्ट हो रहा है त्यों सभी वर्गों में विकास हो रहा है, आज के चोर व डकैत भी आपको पढ़े लिखे मिलेंगे। आज के चोरों के चोरियां करने के तौर तरीके भी बदल गये हैं, हालात बदल गये हैं आज जिस तरह के जरायम हो रहे हैं वे उनके तौर तरीके बदल गये हैं। एक जमाने में डाकुओं के पास साधारण बन्दूकें होती थीं। आज उनके पास टेलीस्कोपिक बन्दूकें होती हैं। तो मेरा मतलब यह है कि उन सभी के लिये पुलिस विभाग में कार्य करना पड़ता ही है। दूसरी मिसाल में मैं आपको पुलिस के सामने जो कठिनाई आती है, वह यह जैसे आज हाउस के सामने कोई प्रदर्शन करने आता है, ये डिमोन्सट्रेशन वगैरह होते हैं। क्या पुलिस उनको रोके या नहीं रोके? रोकती है तो लोग अन्दर आना चाहते हैं,

(श्री बरकतुल्ला खां)

पुश करना पड़ता है और पुलिस के पुश करती है तो आमतौर पर यह कहा जाता है कि पुलिस ज्यादती करती है। क्या 1790 में फ्रान्स में जो हालात पैदा हुए वे ही हालात चाहते हैं ? ऑर्गनाइज करना चाहते हैं। ऑर्गनाइज्ड सोसायटी में जब तक इन्सान का दिमाग इतना न बढ़े और अपने अन्दर से वह चीज पैदा न करे तो कोई न कोई तरीका ऐसा रहेगा कि कानून के बाहर जो जाय उनको रोका जाय। पुलिस को इस बात का भी खयाल रखना पड़ता है कि किस प्रकार का डिमोंस्ट्रेशन है और मैं कह सकता हूं कि पुलिस के अन्दर काफी कोशिश करने के बाद पुलिस वालों ने बहुत रेस्ट्रेन किया और अनड्यू तरीके से लाठी चलाने की कोशिश नहीं की। जब भी देखेंगे तो यह पता लगेगा कि पुलिस के ज्यादा तादाद में लोग जख्मी हुए हैं और भीड़ में से कम हुए हैं। पुलिस भी समझना चाहती है। कोई जुर्म होता है तो पुलिस वाले किसको बुलायें ? मुखबिर को बुलायेंगे चोर का भाई गिरहकट होगा। जब इन्सपेक्टर से बात करते हुए देखा जाता है तो आम तौर पर यह होता है कि पुलिस वाले उसके साथ होते हैं। नकबज़नी की खबर कौन देगा ? डकैती की खबर कौन देगा ? जो उसके अन्दर हिस्सेदार हैं उसको खबर होती है। जब उन लोगों को अन्दर बुलाया जाता है तो लोग यह कहते हैं कि पुलिस चोरों से मिली हुई है।

जहां तक जरायम का सवाल हैं पूरे भारत वर्ष में जुर्म बढ़े हैं। राजस्थान के अन्दर हमने बराबर इस बात की कोशिश की और बराबर करते रहेंगे। जो आया उसको रजिस्टर करते रहे हैं हम चाहते तो रोक सकते थे और कह सकते थे कि जुर्म रजिस्टर मत करो जहां तक डाका, नकबजनी, मर्डर का सवाल आता है ये प्रकट में रहते हैं। मर्डर को कोई छुपा नहीं सकता है। राजस्थान फीगर्स दिये हैं। पुलिस प्रशासन इस बात को नहीं चाहता कि उन फीगर्स को छिपायें।

मोडर्न मैथड होने चाहिये। राजस्थान मोर्डन मेथड में विश्वास रखता है। पूरे देश में जो आर्थिक स्थिति है उसके अन्दर स्काटलैंड यार्ड या अमेरिकन मैथड्स नहीं लगा सकते इतने बड़े बड़े देश हैं। न्यूयार्क को ही देखिये जहां जुर्म होते हैं उसको रोकना चाहिये। मैं साइन्टिफिक मैजर्स में इन्ट्रेस्टेड हूं। राजस्थान पुलिस में जहां तक वायरलेस का सम्बन्ध है, यह काफी बढ़िया है और काफी रियासतों से अच्छा है। इसी प्रकार लेबोरेट्री बढ़िया है भारत सरकार ने सहायता दी है और यह समझ कर दी है कि मोडर्न मैथड अख्तियार करें। लेबोरेट्री में काफी चीजें हैं। यह फंक्शन करती है। इनमें तीन डिविजन्स हैं। एक क्वेश्चन डाक्युमेन्टरी डिविजन, केमैस्ट्री डिविजन, और बायोलोजी डिविजन और कोशिश कर रहे हैं फिजिक्स और प्लास्टिक डिविजन खोला जाय। सी. बी. आई. से बातचीत कर रहे हैं। काफी प्रोग्रेस हो चुकी है। जो क्राइम का सिस्टम है उसमें कम्प्युटर लागू किया जाय और जिस प्रकार दूसरे देशों में फिंगर्स प्रिन्ट्स निकलते हैं यहां भी ऐसा ही किया जाय। कम्प्लीट रिकार्ड करते हैं कम्प्युटर के जरिये पता लगा सकें। राजस्थान सरकार पूर्ण रूप से जागरूक है, जागरूक

(श्री बरकतुल्ला खां)
रहेगा और मैं कह सकता हूं कि पुलिस के कर्मचारी इस मामले में पूरा सहयोग दे रहे हैं।

जहां तक करप्शन का सवाल है पूरी ताकत लगायी है। कमी भी हुई है। राजस्थान सरकार एक्जाम्पल भी सेट कर रही है। एस. पी. के रैंक के आदमी को, यह सरकार बनने के बाद, मोरल टरपीट्यूड में सस्पेन्ड किया है। लोग रिश्वत लेते रहें और अन्याय करते रहें यह नहीं हो सकता। केसेज एन्टी करप्शन को दिये। कमिश्नर डिपार्टमेन्टल इन्क्वायरीज बना कर डाईरेक्ट इन्वेस्टिगेशन दिया। मेरे दिमाग में बार बार एक सवाल आता है करप्शन के केसेज में समय बहुत लगता है। भारत सरकार ने यह तय किया है कि फिंगर प्रिन्ट्स के केसेज का एक स्पेशल जज फैसला करे। राजस्थान ने भी यह फैसला किया कि स्पेशल जज बनाया जाय। जयपुर में रखना चाहते हैं। किसी इन्स्पेक्टर को मौका दें स्पेसेलाइज करके जयपुर शहर में केसेज चलायें और ज्यादा से ज्यादा मजबूती से इसको लागू किया जाय। करप्शन से लड़ना पड़ेगा और उससे लड़ने के अलावा हमारे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। चन्द लोग हैं जो पूरे डिपार्टमेन्ट को बदनाम करते हैं। बड़े अफसरों की इन्क्वायरी का सवाल आता है, नीचे का पुलिस अधिकारी इन्क्वायरी नहीं कर सकता है। मैंने अपनी ओर से कोशिश की कि बड़े बड़े अधिकारी हैं जिनकी इन्क्वायरी कराना चाहें डाइरेक्ट उन केसेज को सी. बी. आई. में भेज दिया जाय। भारत सरकार इन्टरवीन करे क्योंकि हमारे बड़े अफसरों की इन्क्वायरी करने के लिए छोटे अधिकारी डरते हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने इस बात का भी खयाल कर रखा है कि जहां पुलिस अपनी जिम्मेदारी निभाये उसको पूरा प्रोटेक्शन दिया जाय पूरा प्रोक्टेशन मिलेगा। ईमानदारी से गलती की उसको बचाया जाय और जानबूझ कर लोगों की तकलीफ को बढ़ाया उनके खिलाफ सख्त एक्शन लें और यह करके बतायेंगे।

हमने यह भी फैसला लिया है कि अच्छे डिस्ट्रिक्ट हैं, पेइंग डिस्ट्रिक्ट हैं जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा वहां से जाना नहीं चाहते, सिफारिशों पर सिफारिशें आती हैं, हमने यह फैसला किया है कि जो होम डिस्ट्रिक्ट में दो साल से ज्यादा रह गये हैं वे होम डिस्ट्रिक्ट्स से जायं। यह भी फैसला लिया है कि जिन लोगों ने आठ साल गुजार दिये हैं उनका लाभ दूसरे डिस्ट्रिक्ट को मिलना चाहिये। जिन्होंने ठेकेदारी प्रथा कायम करली है उनकी ठेकेदारी तोड़ी जाय और उनको हटायें और अलग अलग करें।

एक सवाल उठा था कि जिनको डी. आई. जी. बनाया गया उनके खिलाफ रिट्रेंचर्स हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि स्ट्रिक्चर्स एक स्टेज तक पहुंच गये हैं, जांच हो रही है।

उसके बाद मैं उस स्टेज पर बाद में आउंगा लेकिन यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि किसी ऑफिसर की गलती पाई गई तो उसको सजा मिलेगी। सह नहीं हो

(श्री बरकतुल्ला खां)

सकता कि कोई ऑफिसर छोटा है या बड़ा है। मैंने ऐसे भी केसेज किये हैं कि आज से आठ साल पहले एक शराब का केस पकड़ा गया। थानेदार के दफ्तर में शराब की बोतलें रख दी गयीं और उसके बाद जब प्रासीक्यूशन हुआ तो पता लगा कि शराब की बोतलों में पानी था। 8 साल पुराना केस था। मैंने इसमें एस.पी. का एक्सप्लेनेशन मांगा है कि तुमने सिर्फ एक ग्रेड इन्क्रीमेंट रोकने को क्यों कहा और उसके बाद में आगे कार्यवाही भी की तो जिस समय केस सामने आता है तो उसको पकड़ता भी हूं लेकिन मैं कोई लोगों को परेशान करने नहीं जाता हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि पुलिस विभाग में पुलिस के कर्मचारियों ने मुझे पूरा सहयोग दिया है और बराबर देते चले आ रहे हैं और भ्रष्टाचार को मिटाने में उन्होंने कदम उठाये हैं और मुझे बताया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी अर्ज करना चाहता हूं कि जहां हमारे माननीय सदस्यों ने पुलिस की तारीफ की जिस समय पाकिस्तान ने हमारे ऊपर हमला किया उस समय से समझता हूं कि हमारी पुलिस के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आई हुई थी और उसने उस जिम्मेदारी को बहुत शान के साथ निभाया, बहुत कामयाबी के साथ निभाया और बड़ हिम्मत के साथ निभाया। जब हमारा इलेक्शन आया तो हमने पुलिस स्टेशन्स खोल रखे थे कि जिससे कहीं गड़बड़ी नहीं हो और देखते थे कि कोई गड़बड़ियां तो नहीं कर रहा है। भारत सरकार ने इसके लिए हमें बधाई दी कि बहुत कामयाबी के साथ हमने इलेक्शन कराये। पुलिस भी हर मौके पर जब भी उसकी जरूरत पड़ी उसने सहयोग दिया है और सहयोग देगी और होलसेल तरीके से कह देना कि पुलिस जहां सेवा करती है वहां उसमें जबरदस्त भ्रष्टाचार भी है। यह शीप एण्ड गोट को हमें डिस्क्रिमिनेट करना पड़ेगा, अच्छे लोगों के सिर पर हाथ रखना पड़ेगा और काम करने वालों के सिर पर हाथ रखना पड़ेगा। हमारे पड़ौस में मध्यप्रदेश है, पड़ौस में उत्तर प्रदेश है उनकी क्या हालत है वहां पर डकैत किस आसानी से घूमते हैं। राजस्थान के चम्बल के एरिया में हमने डकैतों को लिक्विडेट किया और आखिरी गैंग फूला की रह गयी थी उसको भी हमने लिक्विडेट किया। अब मध्यप्रदेश से कोटा और शाहबाद के क्षेत्र के अन्दर कभी कभी डाकू आते हैं उसके लिए भी हम जागरूक हैं और राजस्थान के अन्दर जो हमने कदम उठाये हैं वे सराहनीय हैं और सिवाय इसके कि डी. आई. जी. का दफ्तर वहां रहे तो उससे तो कुछ होने वाला नहीं है। हमें जरूरत इस बात की है कि वहां जाकर एडीशनल एस. पी. या ए. एस. पी. रहे और उसके साथ पुलिस फोर्स रहे और वह उस जगह पर रहे जहां कि डकैतियां हो रही हैं क्योंकि मध्यप्रदेश से डाकू बड़े इत्मिनान से चले आते हैं।

इसी तरह से यह सवाल भी उठा कि यहां पर पुलिस के मामले बहुत पुराने हो गये। हमने मेनुअल बनाने के लिए कदम उठाये हैं और एक डी. आई. जी. को रैंक के आदमी को लगा रखा है इस काम के लिए।

(श्री बरकतुल्ला खां)

इसी तरह से डी. आई. जी. सुपरफ्लुअस, हैं या नहीं, चौकियां कहां होनी चाहिये, थाने कहां होने चाहिये इसके लिए हमने एक कमेटी बनाई हैं जिसके चेयरमैन एडीशनल आई. जी. हैं और उसके मेम्बर एक तो डिप्टी सेक्रेटरी, होम हैं और दूसरे डिप्टी सेक्रेटरी फाइनेन्स हैं। ये सारी डिटेल में जायेंगी कि कहां किस चीज की जरूरत है और कहां क्या चीज होनी चाहिए, कहां थाने होने चाहिये, कहां प्रोटेक्शन देना चाहिये और कहां चौकियों की जरूरत नहीं है। आज के दिन जब कि हमारे पास रुपये की कमी है तो यह नहीं कर सकते कि सारा रुपया लॉ एण्ड आर्डर पर ही लगा दें। मैं जानता हूं कि लॉ एण्ड आर्डर ऐसी चीज है कि जो हर स्टेट करती है लेकिन हमने देखा कि चाहे वह पाकिस्तान हो या और मुल्क हो जिन्होंने जरूरत से ज्यादा रुपया लॉ एण्ड आर्डर पर लगाया और बेसिक प्रोब्लम्स को नहीं देखा और उन पर रुपया नहीं लगाया जैसे गरीबी है, विकास है भ्रष्टाचार को रोकना है तो लॉ एण्ड आर्डर पर चाहे जितना रुपया लगाये वह रुपया खतम हुआ है और लोगों ने बगावत की। इसी तरीके को चीज हम पड़ौस के मुल्क में देख रहे हैं और दूसरे मुल्कों में भी देख रहे हैं। लॉ एण्ड आर्डर वह तरीका है अपने आपमें जो अहमियत नहीं रखता। सिर्फ लोगों को प्रोटेक्शन देने की जरूरत है। पैसे वालों को तो प्रोटेक्शन देने की जरूरत नहीं है वह तो अपने यहां गार्डस रखते हैं या चौकीदार रखते हैं। प्रोटेक्शन की जरूरत है गरीबों को और प्रोटेक्शन की जरूरत है उन लोगों को जिनके पास खुद के साधन नहीं हैं। पुलिस का यह रोल रहा है कि केवल लॉ एण्ड आर्डर को मेन्टेन करे लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता पुलिस का रोल बदलता जा रहा है। नये जमाने में पुलिस का रोल बदला है, नये जमाने में पुलिस को समझना है और समझ रही है कि गरीब किसान, मजदूर आदिवासी, हरिजन याने जो वीकर सेक्शन हैं उसको प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। उन लोगों को मिलना चाहिए जो पीड़ित हैं, जिनके ऊपर अत्याचार होता है और उन लोगों से मिलना चाहिए जो कि छूआछूत करते हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी अर्ज करना चाहता हूं कि पुलिस के अन्दर जो शुरू के अन्दर भर्ती होती थी राजस्थान बनने से पहले उस समय केवल हरिजनों और आदिवासियों की भर्ती बहुत कम होती थी और हरिजनों को जो कार्य दिया जाता था वह कार्य दिया जाता था जो कि गन्दे से गन्दा काम होता था। राजस्थान सरकार ने अब तक जो भर्तियां की हैं और जो पुराने लोग चले आ रहे हैं पहले हमने 23 परसेन्ट का लक्ष्य निर्धारित किया था और अब हमने 28 परसेन्ट रिजर्वेशन पुलिस के अन्दर दे रहे हैं।

श्री दिनेशराय डांगी (देसूरी) : मैं आपकी जानकारी के लिए कहना चाहूंगा कि 28 परसेन्ट का रिजर्वेशन पुलिस विभाग के अन्दर नहीं है। आप जांच करें 28 नहीं है बल्कि 25 परसेन्ट है जब कि आम सर्विसेज में 28 प्रतिशत है और पुलिस के अन्दर 25 प्रतिशत रख कर भेदभाव की नीति बरती जा रही है। मैं आपको बताऊं कि..न

(श्री दिनेशराय डांगी)

तो डवलपमेन्ट होता है, न नौकरी के लिए किसी प्रकार की सूचना एम्पलाएमेन्ट एक्स-चेंज से मिलती है और जिनको चाहा उनको भर्ती कर लेते हैं।

श्री बरकतुल्ला खां : मैं लेटेस्ट आर्डर का कह रहा हूं जो कि माननीय सदस्य की नजर में नहीं है। जो लेटेस्ट डिसीजन है वह यह है कि 28 परसेन्ट सीट सुरक्षित रखी जायेंगी आदिवासियों के लिए और शिड्यूल्ड कास्ट के लोगों के लिए।

श्री गुमानमल लोढ़ा : मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अभी मुख्यमन्त्री महोदय ने फूला की गैंग को लिक्विडेट करने की बात कही, मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के एस. पी. ने इत्तला दी है कि यह गैंग लिक्विडेट नहीं हुई है और जय-प्रकाश नारायण के सामने इसी गैंग के डाकुओं ने आत्मसमर्पण किया है और एस. पी. अभिताभ गुप्ता ने जो पुलिस पदक लिया है वह झूंठी खबर देकर लिया है।

श्री बरकतुल्ला खां : फूला की गैंग लिक्विडेट हो गयी और बाकी गैंग मध्य-प्रदेश की आती है। राजस्थान में कोई गैंग नहीं है।

आज के दिन पुलिस ट्रैफिक के बारे में बातचीत आई। मैं समझता हूँ कि ट्रैफिक के अन्दर बहुत सी तब्दीलियां करने की जरूरत है और ट्रैफिक के अन्दर निरन्तर कन्ट्रोल रखने की जरूरत है। इसी तरीके से जयपुर के अन्दर जो ट्रैफिक का कहा यह मैटर हम पहले ही ले चुके हैं, सेक्रेटेरियट लेवल पर डिसकस हो चुका है, चीफ सेक्रेटरी की लेवल पर डिसकस हो चुका है और फिर होने जा रहा है। अगर जरूरत पड़ी तो भारत सरकार से एक्सपर्ट्स बुलाकर जो आपके धानमण्डी के पास में ट्रैफिक का बोटलनेक होता है उसको ठीक करने का प्रयत्न कर रहे हैं, यह मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं।....

माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने पहले भी अर्ज किया था, आज भी कुछ अर्ज करना चाहता हूं और वह यह है कि मेरे पर दो आरोप लगाए गए। एक हादी साहब जो कि चौहटन के माननीय सदस्य हैं, उनको मैंने मेरे घर में पनाह दी। मुख्य मंत्री का घर रेलवे के प्लेटफार्म की तरह है। कौन आता है, कौन जाता है, सब देखते हैं। मैं यह चैलेंज देता हूं कि कोई यह भी साबित कर दे कि हादी साहब मेरे घर में छः घण्टे भी रहे हों तो मैं इस्तीफा दे दूंगा।

(शोरगुल–अश्रव्य)

श्री गुमानमल लोढ़ा : मैं चैलेंज को स्वीकार करता हूं और यह फिर दावे के साथ कहता हूं कि वे तीन दिन तक आपके यहां रहे।....

(भयंकर शोरगुल–अश्रव्य)

मैं चैलेंज स्वीकार करता हूं। आप जांच करवा लीजिए।

श्री बरकतुल्ला खां : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक और चीज भी है। माननीय नेता महोदय जनसंघ के इतने जल्दी नाराज नहीं हो जावें। एक और किस्सा चला था

(श्री वरकतुल्ला खां)
शमीम के केस का और उसके बारे में इस तरीके का वातावरण बन गया कि जैसे मैंने उसमें हस्तक्षेप किया हो और वातावरण इस प्रकार का बनाने की कोशिश की गई कि जैसे मैंने कोई ज्यादती की हो। माननीय अध्यक्ष, मैं आपके सामने फैक्ट्स रखना चाहता हूं। यह फाईल असेम्बली में आ चुकी है और इस बारे में पहले भी चर्चा हुई है। जनसंघ के माननीय नेता तो नए आए हैं लेकिन जो उनके पुराने लीडर थे उन्होंने यह क्वश्चन यहां पर उठाया था और उसका जवाब भी गवर्नमेंट दे चुकी है। लेकिन आज मैं फिर दोहराना चाहता हूं और फिर यहां पर इसके फैक्ट्स रखते हुए जो केस था, जो शमीम का केस था उसके बारे में कहना चाहता हूं। इसके अन्दर जो अक्यूज्ड था उसको ट्रायल कोर्ट में अक्विट कर दिया गया। उसके बाद एस. पी. ने यह रिकमण्ड किया कि अपील होनी चाहिए लेकिन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने कहा कि अपील नहीं होनी चाहिए। इसके बाद ला डिपार्टमेंट ने यह समझा कि अपील कर देने में कोई नुकसान नहीं है। जो असल चीज आती है इसके अन्दर वह यह है माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके सामने फाइल यहां लाया हूं। फाइल पढ़ना नहीं चाहता लेकिन जनसंघ के नेता को यह चेलेंज देता हूं कि अगर मैंने यह नोटिंग किया हो, मैंने यह लिखा हो कि केस विथड्रा कर लिया जाय तो मैं इस्तीफा देता हूं या वे इस्तीफा दे दें।

श्री गुमानमल लोढ़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्य मंत्री जी से एक बात की जानकारी चाहता हूं कि हाई कोर्ट में अपील एडमिट हुई या नहीं? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करता हूं कि डिवीजनल बेंच ने इस बात को कहा है कि प्राईमाफेसी केस है। उसके बाद में माननीय मुख्य मंत्री जी ने.....

(भारी शोरगुल–अश्रव्य)

लॉ डिपार्टमेंट के जोइन्ट लीगल रिमेम्बरेंसर ने फोन किया....

श्री राजेन्द्र भारतीया : रिकार्ड के आधार पर कहिए।....

(भारी शोरगुल–अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : आप बैठिए। आप भी बैठिए।

(श्री राजेन्द्र भारतीया और श्री गुमानमल लोढ़ा निरन्तर एक साथ बोलते रहे–अश्रव्य)

श्री राजेन्द्र भारतीया : सदन के सामने इस प्रकार से झूठ नहीं बोला जा सकता। रिकार्ड के आधार पर ही आप बोल सकते हैं।

(भारी शोरगुल–अश्रव्य)

(पुनः श्री भारतीया एवं श्री लोढ़ा एक साथ बोलते रहे–अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : Not to be recorded.

श्री गुमानमल लोढ़ा : × × ×

श्री राजेन्द्र भारतीया : × × ×

श्री अध्यक्ष : अब सभी माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें।

श्री भानुकुमार शास्त्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि क्या सदन के नेता ने माननीय सदस्य श्री राजेन्द्र भारतीया को इस बात के लिए नियुक्त कर रखा है कि कोई भी विरोधी दल का सदस्य बोले तो उसको न बोलने दिया जाय और उसकी बात न सुनने दी जाय। अगर यही हालत रही और हमें नहीं बोलने दिया गया तो हम भी किसी भी माननीय सदस्य को इस सदन में बोलने नहीं देंगे।

श्री श्रीराम गोटेवाला : आप कैसे नहीं बोलने देंगे ? यह धमकी किसे दे रहे हैं ?

(भारी शोरगुल—कई माननीय सदस्य एक साथ बोलते रहे)

(अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : अब कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री भानुकुमार शास्त्री : आप उनको (श्री भारतीया) भी चुप रहने के लिए कहें।

श्री गुमानमल लोढ़ा : जब कोई माननीय सदस्य आरोप लगाते हैं तो सदन को उनको सुनना चाहिए। यह क्या तरीका है कि जब एक आरोप लगाया गया, कटमोशन दिए गए और उनका उत्तर दिया जा रहा है तो उसको सुनने का अवसर मिलना चाहिए। जब कोई झूठा उत्तर दिया जाता है तो उसका जवाब भी सुनने को तैयार रहना चाहिए। सदन में व्यवस्था रखने की जिम्मेदारी सत्ताधारी दल की सबसे ज्यादा है।

श्री राजेन्द्र भारतीया : व्यवस्था किसी रूल और नियम के तहत रह सकती है। व्यवस्था रखने की जिम्मदारी आपकी भी है। जब आप झूठी बातें बोलते हैं तो ही हमें मजबूर होना पड़ता है।

श्री गुमानमल लोढ़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, ला सेक्रेट्री श्री मेहरा मेरे साक्षी नम्बर एक हैं जिन्होंने कहा था कि हाई कोर्ट में अपील हो चुकी है, इसको विथड्रा नहीं किया जा सकता। जोइन्ट लीगल रीमेम्बरेंसर ने यहां से टेलीफोन किया गवर्नमेंट एडवोकेट को कि कानून मंत्री श्री बरकतुल्ला खां इसको विथड्रा करना चाहते हैं।

श्री राजेन्द्र भारतीया : क्या सबूत है आपके पास ? हमारे पास रिकार्ड है। रिकार्ड के आधार पर बात करिये, जबानी बात नहीं मानी जावेगी।

(शोरगुल—अश्रव्य)

श्री गुमानमल लोढ़ा : यह रिकार्ड के आधार पर ही कहा हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के 25 साल के इतिहास में ...

× × × अध्यक्षीय आदेश से भाषण अंश अंकित नहीं किया गया।

श्री राजेन्द्र भारतीया : एक सफेद झूंठ के बाद दूसरी सफेद झूंठ बोल रहे हैं।

(भारी शोरगुल—अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : आप चाहते हैं कि सबको इसी प्रकार छोड़ दिया जाय और चों चों हो जाय तो होने दीजिये, देखें।

श्री गुमानमल लोढा : यह महत्वपूर्ण प्रश्न है माननीय अध्यक्ष महोदय। प्रश्न इस बात का है कि हाईकोर्ट में अपील गई

श्री अध्यक्ष : वह आप कह चुके हैं।

श्री गुमानमल लोढा : जो हाई कोर्ट में अपील····

(शोरगुल—अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य (श्री लोढ़ा की ओर मुखापेक्षा), मैं आपसे एक बात कहता हूं सुन लीजिये आप मेरी बात। मैं यह कह रहा था····

श्री गुमानमल लोढा : मैं आपकी बात सुनने को तैयार हूं लेकिन जो कुछ मुख्य मंत्रीजी ने कहा है····

श्री अध्यक्ष : आप पहले मेरी बात सुन लीजिये। मैं माननीय सदस्य से निवेदन करता हूं कि जवाब मुख्य मंत्रीजी दे रहे हैं उसमें उतेजित होने की बात नहीं हैं। आप चाहें तो पांच-सात मिनिट और आपको दे दूंगा इनके बोलने के बाद। इसमें इतना उत्तेजित होने की बात नहीं है इनके बोलने के बाद मैं आपको फिर समय दे दूंगा।

श्री गुमानमल लोढा : मैं केवल दो मिनट लूंगा····

श्री अध्यक्ष : मैं आपको पांच मिनट दूंगा लेकिन पहले मुख्य मंत्रीजी को बोलने दीजिये।

श्री गुमानमल लोढा : प्रश्न नियम और व्यवस्थाओं का है····

श्री अध्यक्ष : जब व्यवस्था तो आप रहने देंगे।

श्री गुमानमल लोढा : प्रश्न जीवन को मान्यताओं का है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपको मैं कह चुका हूं कि अगर आप मुख्य मंत्रीजी के बोलने के बाद चाहेंगे तो पांच मिनट आपको दे दूंगा। पहले आप उनको बोल लेने दें।

श्री बरकतुल्ला खां : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपना चैलेंज वापिस रिपिट करता हूं ताकि गलतफहमी नहीं हो।···

श्री गुमानमल लोढा : मैं चैलेंज को फिर स्वीकार करता हूं।

(शोरगुल—अश्रव्य)

अपील प्रेस नहीं की गई हाई कोर्ट में····

श्री राजेन्द्र भारतीया : आप पहले इस्तीफा दीजिए। हमारे मुख्य मंत्रीजी ने कहा है कि अगर बात सही हो, तो मैं हाउस में इस्तीफा देता हूं आप भी हाउस में इस्तीफा दीजिए। फैक्ट्स रिकार्ड पर हैं।

श्री अध्यक्ष : आप बैठिए।

श्री बरकतुल्ला खां : माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी फैसला हुआ जाता है, दूध का दूध और पानी का पानी हुआ जाता है। हमारे जनसंघ के और मेरे दोस्त जो जोधपुर से आते हैं उन्होंने इस बात की चुनौती दी है। मैं इसके बारे में और ज्यादा तो क्या क्या कहूं। मैंने जब सारे मामले को देखा तो मुझे लगा कि—

> बहुत शोर सुनते थे पहलू में जिनका
> जो काटा तो कतरा-ए-खून-निकला।

अध्यक्षजी, यह फाइल मैं आपको पेश करता हूं, यह मैं अपनी ओर से पेश करता हूं और यह जो नोटिंग है, इस फाइल के अन्दर मैंने लिखा है, यह आप देख सकते हैं। मुकदमा चलता रहा या विथड्रा होना चाहिए, यह मैंने लिखा हो तो आप देख लीजिये ताकि इस सदन के अन्दर अभी ही फैसला हो सके।

श्री गुमानमल लोढा : लॉ मिनिस्टर कौन था···(शोरगुल)·· आप बैठिये आपके बोलने की आवश्यकता नहीं है। मैं मुख्य मंत्री को जवाब दे रहा हूं। राजस्थान····इसकी जांच की जानी चाहिये।

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीया : अध्यक्ष महोदय, ये उत्तेजित हो रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : मुझे आपके सलाह मशवरे की आवश्यकता नहीं है। मैं खुद फैसला कर सकता हूं।

श्री बरकतुल्ला खां : अध्यक्ष महोदय, मैं दूसरा चेलेन्ज भी स्वीकार करता हूं और फिर इनको कहता हूं वे सोच लें जो चेलेन्ज स्वीकार किया है—कहीं आप फंस न जायें और जोधपुर जाकर इलेक्शन लड़ना पड़े।

श्री गुमानमल लोढा : आप जोधपुर की जनता के सामने नहीं जा सकते। आपने राजस्थान में साम्प्रदायिकता को फैला दिया है। आपका जनाजा तो वहां पर निकल गया है। आप क्यों भाग गये ? तिजारा से क्यों चुनाव लड़ा ? आप कुर्सी छोड़ दीजिये।

श्री अध्यक्ष : आप मुख्य मंत्री को बोलने दें।

श्री गुमानमल लोढा : सदन के अध्यक्ष की गरिमा है। मैं दुबारा चेलेन्ज देता हूं, नेता महोदय भी दें और हिम्मत हो तो आवें चुनाव लड़ लीजिये जोधपुर में····

श्री बरकतुल्ला खां : जो केस विथड्रा हुआ है उस वक्त मैं लॉ मिनिस्टर नहीं था। आप फिर सोच लीजिये।

श्री गुमानमल लोढा : मेहरा इस बात का साक्षी है। आज जांच क्यों नहीं बिठाते हैं ? आप में हिम्मत नहीं है। आप में ताकत नहीं है। मेहरा लॉ सेक्रेटी था। आपने जबरदस्ती लिखवाया हैं। आपने पहले इस बात को स्वीकार किया है और यहां पर आकर मुकर रहे हैं।

श्री मोहरसिंह : अध्यक्ष महोदय, आपकी व्यवस्था है, कैसे बोल रहे हैं ये···

श्री गुमानमल लोढा : इस सदन की भी कुछ मान्यताएं हैं। सुखाड़ियाजी के

(श्री गुमानमल लोढ़ा)
खिलाफ चुनाव याचिका हुई थी, उससे एक प्रेसीडेन्ट कायम हुआ था । (शोरगुल)··· व्यवस्था रखना आसन की जिम्मेदारी है। दबाने से काम नहीं होगा···

श्री अध्यक्ष : मुख्य मंत्री उत्तर दे रहे हैं।

श्री बरकतुल्ला खां : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने फाइल आपके सामने पेश कर दी है। मेरी नोटिंग भी है और दूसरे जो मिनिस्टर हैं उनकी भी नोटिंग हैं, आप खुद इसको देख लीजिये । चाहे तो जनसंघ के नेता महोदय को भी दिखा दें । उनको तसल्ली हो जायेगी और सदन के अन्दर ही यह निर्णय हो जायेगा। वे स्वीकार कर लें कि जो उन्होंने कहा था वह सही है या नहीं है?

इसी तरीके से मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, एक चीज और कहना चाहता हूं और यह है कि आज बड़े जोर से कहा गया कि जब सन् 65 के अन्दर जिनको देशद्रोह से रूप में पकड़ा गया था उनको 71 में क्यों नहीं रिपीट किया गया। यहां पर मैं कहना चाहता हूं कि जो जनसंघ के पुराने नेता पालियामेंट के इलेक्शन में हारे···

श्री गुमानमल लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय··· (शोरगुल)···आप बैठ जाइये ।

श्री परसराम मदेरणा : यह कौन सा तरीका है ?

श्री मोहनलाल छंगाणी : अध्यक्ष महोदय, ये अपना बेलेन्स खो चुके हैं ! मैं नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि ये बेलेन्स में नहीं हैं और इनके आचरण पर इतका अधिकार नहीं हैं ।

श्री खेतसिंह : (अश्रव्य····)

श्री बरकतुल्ला खां : अध्यक्ष महोदय, यहां पर कहा गया था कि 65 के अन्दर पकड़ा···

श्री गुमानमल लोढ़ा : मैंने यह नहीं कहा अध्यक्ष महोदय, मैंने यह कहा था कि उनके खिलाफ मुकदमा क्यों नहीं चलाया गया ?

श्री अध्यक्ष : क्या माननीय सदस्य ने आज परम्परा को तोड़ने का निश्चय कर लिया है ?

श्री गुमानमल लोढ़ा : मैं तो ऐसी परम्परा डालना चाहता हूं जो कि अब तक नहीं रही है। मैं स्पष्टीकरण कर रहा हूं। मैंने यह नहीं कहा कि उनको क्यों नहीं पकड़ा गया। मैंने कहा था कि कई लोगों को 65 में पकड़ा, 71 में पकड़ा अगर वे देशद्रोही हैं तो उनके खिलाफ मुकदमा क्यों नहीं चलाया गया ?

श्री बरकतुल्ला खां : यह ठीक ही रहा कि आपने स्पष्टीकरण कर दिया, मैं गलती कर रहा था, वह ठीक हो गई। जो आपके कहने का इम्पेक्ट पड़ा, यह था कि उनके नाम 65 में थे। माननीय अध्यक्ष, यहां पर इसी सिलसिले में····

श्री गुमानमल लोढ़ा : माननीय अध्यक्ष, 71 की लिस्ट के लिये भी कहें···

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैंने निवेदन किया है कि जो कुछ भी आपको

(श्री अध्यक्ष)
फर्माना है तो उसके लिये मैं आपको टाइम दे दूंगा। आप बीच में उत्तेजित न हों।

श्री गुमानमल लोढ़ा : मुख्य मंत्री गलत बोल रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : आप से उम्मीद करता हूं कि आप उनको बोलने दें, उनको डिस्टर्ब न करें। आपको भी समय मिलेगा। आप बीच में क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं।

श्री गुमानमल लोढ़ा : मैं चाहता हूं कि वे अपने को करेक्ट कर लें।

श्री अध्यक्ष : मैंने कहा है, मैं आपको समय दूंगा। बीच में न बोलें। वक्त ज्यादा लगता है। मुख्य मंत्री।

श्री बरकतुल्ला खां : अध्यक्ष महोदय, जैसा मैं कह रहा था कि इस सदन में जनसंघ के भूतपूर्व नेता जब मिड टर्म इलेक्शन में खड़े हुए थे, उनके साथ वे लोग थे, कम से कम दो आदमी के बारे में इन्फरमेशन ऐसी थी कि वे लोग···

श्री गुमानमल लोढ़ा : व्यवस्था का प्रश्न है···(शोरगुल)···· वे व्यक्ति यहां पर उपस्थित नहीं हैं। उसके ऊपर आरोप नहीं लगाया जा सकता है।

श्री अध्यक्ष Not to be recorded.

कई माननीय सदस्य : ++++

श्री गुमानमल लोढ़ा : जो सदन में उपस्थित नहीं हैं उनके ऊपर आरोप बिना सूचना के कैसे लगा सकते हैं?

(शोरगुल)

श्री मोहन लाल छंगाणी : आपने सुखाड़िया पर कैसे कहा है?

श्री अध्यक्ष : मुख्य मंत्री····

श्री बरकतुल्ला खां : और जिक्र न करते हुए अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहता हूं कि बाड़मेर, जैसलमेर क्षेत्र से जनसंघ के जो उम्मीदवार थे पालियामेन्ट के मिड टर्म इलेक्शन में उनके साथ दो आदमी वे थे जिनको कि सन् 65 के अन्दर पकड़ा गया था····(शेम शेम की आवाज)···उनके नाम मैं देना चाहता हूं एक तो श्री मोहम्मद शफी और एक हैं श्री मोहम्मद आफ इसूरवाला, दोनों आदमी थे। मुझे ताज्जुब भी हुआ और मैं एन्क्वायरी भी कर रहा हूं कि नेशनेलिस्ट का सर्टिफिकेट जनसंघ की तरफ से मिलता है या आदमी के बिहेवियर में मिलता है। जो मिड टर्म पोल में उनके साथ थे उनका नाम 71 की लिस्ट में कैसे रह गया बाकी सारे नाम उसमें सम्मिलित हैं, इन टोटो रिपीट किये गये हैं। इसकी भी मैं जांच करा रहा हूं। उसकी रिपोर्ट बाद में आयेगी, लेकिन मैं अपनी पुलिस से इतना जरूर पता लगा रहा हूं कि आखिर यह सर्टिफिकेट उन्हें अपनी खास जात पर दिया है या जनसंघ के उम्मीदवार के सपोर्ट के बाद में यह माना गया है कि वे नेशनेलिस्ट हो गये हैं और एन्टी नेशनेलिस्ट नहीं रहे हैं।

श्री गुमानमल लोढ़ा : मुझे प्रसन्नता है कि आखिर माननीय मुख्य मंत्रीजी ने···

XXXX अध्यक्षीय आदेश से भाषण अंश अंकित नहीं किया गया।

(श्री गुमान मल लोढ़ा)

(कांग्रेस पक्ष की ओर से शोर व आवाजों के कारण अश्रव्य)

.... मुस्लिम जो जनसंघ के साथ नहीं थे।

श्री बरकतुल्ला खां : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बात तो सही है कि कुछ लोग आपके साथ भी हैं, कुछ लोग दूसरी अलग अलग पार्टियों के साथ भी हैं और कुछ लोग हमारे साथ भी हैं, लेकिन जो 65 के अन्दर विद्रोही थे जिनको हमने पकड़ा, वे मिड-टर्म पोल में देशभक्त कैसे हो गये, और उनका नाम कैसे नहीं आया, यह मालूम करना था, और यह मैंने सदन की जानकारी के लिए कहा है।

इसी तरह से जो डी. आई. आर. के मातहत पकड़े जाते हैं उन पर वाच रखी जाती है, उनकी एक्टीविटीज पर वाच रखी जाती है, उनके सम्बन्धी लोगों पर वाच रखी जाती है और आम तौर से मुकदमे नहीं चलाये हैं। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह निवेदन करूंगा कि जो मांग है उसको पारित किया जाय।

श्री गुमानमल लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय,

श्री अध्यक्ष : 5 मिनिट में समाप्त कर दें।

श्री गुमानमल लोढ़ा : पांच मिनिट में समाप्त कर दूंगा। (कई माननीय सदस्यों के बोलने पर) यदि आप बोलना चाहें तो आप बोल लें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मन्त्रीजी का आदर करता हूं। मैंने यह नहीं कहा। यदि माननीय मुख्य मंत्रीजी यह समझ गये कि 65 में जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है उन सब को 71 में भी पकड़ना चाहिए था। यह मेरा आरोप नहीं था। मैंने जो लिस्ट दी है जिसमें सारे के सारे लोग कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, वहां की कांग्रेस कमेटियों के पदाधिकारी, सरपंच या वहां जो सहकारी संस्थाएं हैं उनके अध्यक्ष या पंच हैं उनको 71 के अन्दर, माननीय श्री हादी को छोड़ कर गिरफ्तार किया गया है। देशद्रोही व्यक्ति किस कारण से थे मैं यह नहीं जानना चाहता था। डिफेन्स आफ इंडिया रूल्स में प्रावधान है मुकदमे चलाने के लिए एक बार नहीं दो-दो बार देशद्रोह का कार्य करे, हमारे कुछ जवानों के प्रति जिनके खून के कारण से हमें विजय प्राप्त हुई है। देश की सीमा पर खतरा पैदा हो और हमारे यहां की शासन व्यवस्था उनके खिलाफ मुकद्दमे चला कर कठघरे में पेश नहीं करे, मैं इसका कारण जानना चाहता था। मैं यह जानना चाहता था कि 65 के अन्दर चौहटन से आने वाले माननीय सदस्य को डी. आई. आर. के अन्दर गिरफ्तार किया गया...

श्री अध्यक्ष : यह आपने पहले भी फरमाया था।

श्री गुमानमल लोढ़ा : मैं यह कहना चाहता था कि 67 में इसी कारण से उनको कांग्रेस का टिकिट नहीं दिया गया और वे इन्डिपेण्डेंट के रूप में लड़े, और अल्पमत को बहुमत में परिवर्तित करने के लिए यहां पर उनको सफेद टोपी पहनाई

(श्री गुमान मल लोढ़ा)

गई । मैं यह जानना चाहता था कि क्या 71 के अन्दर होम डिपार्टमेंट ने पाकिस्तानी स्पाई की मदद करने वाले क्रिमनल की श्रेणी लिस्ट में दर्ज करके उनको गिरफ्तार करने के लिए मजिस्ट्रेट ने आज्ञा प्रसारित की है ? कुछ व्यक्ति थे जिन्हें इस आज्ञा को रोक कर गिरफ्तार नहीं किया गया । माननीय मुख्य मन्त्री जी यह कहने से काम नहीं चलेगा कि मेरा घर रेल्वे प्लेटफार्म नहीं है । रेल्वे प्लेटफार्म . . .

कई माननीय सदस्य (कांग्रेस पक्ष) : शेम, शेम ।

श्री बरकतुल्ला खां : मैंने तो कहा कि . . . . रेल्वे प्लेट फार्म है ।

श्री गुमानमल लोढ़ा : यह सूचना होम डिपार्टमेंट की है कि तीन दिन उन्हें अपने यहां पर रखा है ..

श्री बरकतुल्ला खां : मैंने कहा उसके बारे में अगर इत्तिला है . . .

श्री गुमानमल लोढ़ा : आप बीच में इन्टरप्शन कर रहे हैं . . .

श्री खेतसिंह : आप तो आरोप लगा दें...

श्री गुमानमल लोढ़ा : (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने के कारण अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : जल्दी ही समाप्त करें।

श्री गुमानमल लोढ़ा : यह माननीय मिनिस्टर महोदय की इस बात से स्पष्ट है । केवल एक बात का जवाब दे दें कि क्या होम डिपार्टमेंट ने एक सूची के अनुसार पाकिस्तान से सांठ-गांठ करने वाले व्यक्तियों को गिरफ्तार करने की आज्ञा चाही थी, उस सूची में क्या चौहटन से आने वाले माननीय सदस्य श्री हादी का नाम था ? अगर था, तो उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया । कौनसा अधिकारी था वह जिन्होंने इनको पकड़ने से रोक दिया । आई. जी. पी. सुलतानसिंह के सामने वे घूमते रहे और उनको गिरफ्तार नहीं किया गया । इसका स्पष्टीकरण किया जाना चाहिए । मैं यह नहीं कहता कि आप टालमटोल करते हैं, बल्कि लोग कहते हैं । इस तरह से राजस्थान की ढाई करोड़ जनता और राजस्थान की . . . . (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने के कारण अश्रव्य) . . . . स्पष्टीकरण करना चाहिए. और . . .

श्री श्रीराम गोटेवाला : इस सम्बन्ध में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने चुनौती दी है कि माननीय सदस्य तीन दिन तक उनके घर में रहे थे तो माननीय मुख्य मंत्रीजी त्यागपत्र देंगे, अन्यथा जिन्होंने इस तरह की गलत बात को कहा है उनसे मैं मांग करता हूं कि वे त्यागपत्र दे दें ।

श्री गुमानमल लोढ़ा : मैं तैयार हूं । माननीय मुख्य मंत्रीजी त्यागपत्र नहीं देंगे । मैं तैयार हूं ।

श्री अध्यक्ष : आप समाप्त करें।

श्री गुमानमल लोढ़ा : एक बात और कहना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष : काफी टाइम ले लिया।

श्री गुमानमल लोढ़ा : एक दो मिनिट की आज्ञा दे दें।

हाईकोर्ट के बार रूम में यह चर्चा हुई कि आप ने दिलचस्पी ली और लॉ सेक्रेटरी को मना कर गये तो लॉ सेक्रेटरी ने मना किया तो ज्वाइन्ट लीगल रिमेम्ब्रेंसर को टेलीफोन करवाया। इसकी इन्फर्मेशन लॉ डिपार्टमेन्ट को लग गई कि बरकतुल्ला साहब केस प्रेस नहीं कराना चाहते हैं। इसकी जांच करा लें तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जायगा। मैं त्यागपत्र देने को तैयार हूँ वर्ना मुख्य मंत्रीजी त्यागपत्र दें।

श्री बरकतुल्ला खां : माननीय सदस्य को जो मैं कहना चाहता हूं वह इतना ही कहना चाहता हूँ कि मुकद्मा नहीं चलाने का यह कारण रहा है कि हमने इसको डिसकस किया था कि इनको पकड़ें तो जुडिशियल कोर्ट में केस बेलेबल होता है या नहीं होता। उस दृष्टि से हम देने को तैयार थे। इस तरीके से जो कि माननीय सदस्य ने कहा कि मेरी तरफ से टेलीफोन गया। यह फाइल को देख लें कि कौन सी डेट को मैंने लिखा है और क्या लिखा है। दो दफे फाइल पेश की गई। मैंने यह कहा कि केस चलना चाहिए और मैंने इसको किया और उसके बाद में जब मेरे पास कन्फर्मेशन के लिए फाइल भेजी तो मैं दिल्ली में था उसी सिलसिले में नो एक्शन इज काल्ड फार लिखा। उसके बाद जब दूसरी दफा रिवोजन हुआ तो मैं लॉ मिनिस्टर नहीं था। यह गलतफहमी दूर कर लें।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23–पुलिस के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1973 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 13,37,11,000 रुपये तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

मांग पारित की गई।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 11, मुख्य शीर्षक 22–कारागार के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1973 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 80,29,000 रुपये तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 10, मुख्य शीर्षक 21–न्याय प्रशासन के संबन्ध में 31 मार्च, 1973 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के

Page No.216

(श्री अध्यक्ष)

निमित्त राज्यपाल महोदय को 1,18,01,000 रुपये तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

सदन की कार्यवाही कल प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही रात्रि 9 बज कर 2 मिनिट पर शुक्रवार दिनांक 12 मई, 1972 के प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

परिशिष्ट 1

(ता: प्र. सं. 438 की सूची)

गाडिया लुहारों को दी गई सहायता की सूची (अ)

वर्ष	जिला	कार्य	परिवार	राशि
55–56	वाड़मेर	जमीन साफ करना व खेती के औजार	10	3300
,,	वाड़मेर	मकान सहायता	7	2100
56–57	वाड़मेर	मकान सहायता	21	7300

गाड़िया लुहारों को मकान सहायता के लिए जो धनराशि स्वीकृत की गई उसकी सूची

क्रमांक	वर्ष	स्थान	जिला	परिवारों की संख्या	स्वीकृत धनराशि
1.	57–58	बूरन्डा	वाड़मेर	10	3500
2.	,,	फलौदी	जोधपुर	3	1050
3.	,,	चित्तौड़गढ़	चित्तौड़गढ़	3	1050
4.	,,	शिव एवं शरवी	वाड़मेर	8	2800
5.	,,	लाडनू	नागौर	26	9100
6.	,,	शेरगढ़	जोधपुर	5	1750
7.	,,	अशोप एवं मगरिया	जोधपुर	27	9400
8.	,,	भीलवाड़ा	भीलवाड़ा	4	1400
9.	,,	माटाखेरा	उदयपुर	4	1400
1.	58–59	सोजत	पाली	99	39600 अतिरिक्त सहायता
2.	,,	लाडनू	नागौर	26	3900 ,,
3.	,,	जोधपुर	जोधपुर	34	1190J ,,
4.	,,	परताव वस्ती	वीकानेर	28	12600 ,,
5.	,,	शेरगढ़	जोधपुर	4	800 ,,
6.	,,	शेरगढ़	जोधपुर	1	750 नई

क्रमांक	वर्ष	स्थान	जिला	परिवारों की संख्या	स्वीकृत धनराशि
7.	58–59	शिव	बाड़मेर	8	2800 अतिरिक्त सहायता
8.	,,	गणेशपुरा	जैसलमेर	16	5600 ,,
9.	,,	अशोप एवं मगरिया	जोधपुर	18	1800 ,,
10.	,,	बीकानेर	बीकानेर	32	14400 ,,
11.	,,	पोकरण	जैसलमेर	2	1500 नई
12.	,,	चित्तौड़गढ़	चित्तौड़गढ़	22	4400 अतिरित्त सहायता
13.	,,	माटा खेरा, नाडोती	उदयपुर	4	600 ,,
1.	63–64	ब्यावर	अजमेर	25	18750
2.	,,	किशनगढ़	अजमेर	16	12000
1.	64–65	पाली	पाली	16	12000
2.	66–67	बाड़मेर	बाड़मेर	1	750

Page No.219

परिवार सूची नेहरू नगर बाड़मेर की जिन्हें समाज कल्याण विभाग द्वारा गृह निर्माण हेतु अनुदान स्वीकृत किया गया।

सूची 'ब'

क्र. सं.	प्रार्थी का नाम	पिता का नाम	वर्ष	अनुदान राशि
1.	श्री ठाकरा	श्री राजू	1956–57	350)
2.	,, हरिया	,, आमका	,,	350)
3.	,, पोकर	,, रतना	,,	350)
4.	,, विरधा	,, चेना	,,	350)
5.	,, मगना	,, चेना	,,	350)
6.	,, सोना	,, हरजी	,,	350)
7.	,, राना	,, हेमराज	,,	350)
8.	,, सवाई	,, राना	,,	350)
9.	,, आदा	,, हमीरा	,,	350)
10.	,, जोरा	,, हमीरा	,,	350)
11.	,, केवा	,, हमीरा	,,	350)
12.	,, सवाई	,, राना	,,	350)
13.	,, गिरधारी	,, उम्मेदा	,,	350)
14.	,, भीखा	,, पन्ना	,,	350)
15.	,, पुरखा	,, बावरा	,,	350)
16.	,, केशरा	,, हरा	,,	350)
17.	,, लक्ष्मण	,, चेना	,,	350)
18.	,, राना	,, पाबू	,,	350)
19.	,, नेवा	,, सिदा	,,	350)
20.	,, विसना	,, चेना	,,	350)
21.	,, रतना	,, भगवाना	,,	300)
22.	,, कुम्भा	,, चेना	,,	300)
23.	,, लेखा	,, चिमना	,,	300)
24.	,, रवा	,, राणा	,,	300)
25.	,, सोना	,, हरजी	,,	300)
26.	,, किसना	,, पुरखा	,,	300)
27.	,, रामा	,, खेता	,,	300)
28.	,, जगदीश	,, नरवा	1965–66	750)

परिशिष्ट 2

(ता. प्र. सं. 442 की सूची)

पाली नगर के चीनी रिटेलर्स की सूची

नाम डीलर	वार्ड नं.
1. पाली जिला होलसेल उपभोक्ता भंडार, पाली	1,2
2. श्री किशनमल साधुमल, पाली	3,4
3. क्रय विक्रय सहकारी समिति, पाली (हाल ही में लक्ष्मी स्टोर के स्थान पर नियुक्त)	5
4. पाली जिला होलसेल उपभोक्ता भंडार, पाली	9-6,7,13
5. प्राथमिक उपभोक्ता भंडार वार्ड नं. 3, 4, 5	10,11,12
6. पाली जिला होलसेल उपभोक्ता भंडार, पाली	15,17
7. श्री ईब्राहिम मूसा, पाली	8,14,16
8. जैन महिला उद्योग मण्डल, पाली	18,19,20

पाली तहसील क्षेत्र से चीनी रिटेलरों की सूची

क्र. सं.	नाम डीलर	पंचायत क्षेत्र
1	2	3
1.	श्री अचलाराम मोदी	सोनाई-माजी
2.	श्री केशरसिंह सांवतसिंह	सोडावास
3.	श्री सुखदान केसुदान	मांडावास
4.	श्री गणेश मल आकेचंद	वायद
5.	श्री जोरावरसिंह केशरसिंह	नादान भाटान
6.	श्री हस्तीमल गुलाबचंद	मनीयारी
7.	श्री जीवराज गोमा	गुडा एन्दला
8.	श्री खीमदास भीखमदास	कुरणा
9	ग्राम सेवा सहकारी समिति	डिगाई
10.	श्री सोहनलाल हुक्मी चंद	कुलथाना
11.	श्री सोहनलाल लालचंद	खैरवा
12.	श्री अखयसिंह उदयसिंह	दिवान्दी
13.	ग्राम सेवा सहकारी समिति	चैण्डा
14.	ग्राम सेवा सहकारी समिति	लांबिया
15.	श्री कन्हैया लाल वांड़ड	खौड
16.	श्री राजूसिंह सोहनसिंह	वालराई
17.	श्री आईदान पुकजी	भूमादडा
18.	श्री जालमसिंह जवाहरसिंह	वाणियावास
19.	श्री केवलचंद शांतिलाल	गढ़वाडा
20.	ग्राम सेवा सहकारी समिति (कार्य नहीं करने से प्राइवेट नियुक्ति मीठालाल वस्तीमल की की गई)।	बिठू
21.	श्री गणेशमल आंकचन्द	सैदरिया
22.	श्री केशरसिंह सांवतसिंह	टेवाली
23.	श्री भीखाराम वाबूलाल	चांचोड़ी
24.	श्री नवयुवक मण्डल	गुन्दोज
25.	क्रय विक्रय सहकारी समिति	नयागांव
26.	श्री हस्तीमल मांगीलाल	मांडच
27.	ग्राम सेवा सहकारी समिति	बूसी
28.	ग्राम सेवा सहकारी समिति	कीरवा

1	2	3
29.	ग्राम सेवा सहकारी समिति	दयालपुरा
30.	श्री शांतिलाल वींजराज	रूपावास
31.	श्री वस्तीमल नैनूराम	माकरीवाला
32.	ग्राम सेवा सहकारी समिति	ढावर
33.	ग्राम सेवा सहकारी समिति	रोहट
34.	ग्राम सेवा सहकारी समिति	भीतडा
35.	श्री पन्नालाल पूनम चन्द	कलाली
36.	श्री बस्तीराम पैमा	डेण्डा
37.	श्री बख्तवार मल हेमराज	भांवरी
38.	ग्राम सेवा सहकारी समिति	निम्वाडा
39.	ग्राम सेवा सहकारी समिति	गैलावास
40.	श्री नारायणसिंह चिमनसिंह (ग्राम सेवा सहकारी समिति द्वारा त्याग-पत्र देने पर नियुक्ति हुई)	चोटीला
41.	श्री सुखदास रैगुदास	खांडी
42.	श्री हीराराम बूराराम	गिरादड़ा
43.	ग्राम सेवा सहकारी समिति	मंडीया
44.	क्रय विक्रय सहकारी समिति, पाली	खेतावास
45.	ग्राम सेवा सहकारी समिति, रोहट अटैच की गई	निमली उरा
46.	भांवरी के रिटेलर श्री बख्तावरमल हंसराज नई नियुक्ति होने तक चीनी वितरण करेंगे	डरी
47.	ग्राम सेवा सहकारी समिति की नियुक्ति की गई परन्तु माल नहीं उठाया गया	हेमावास

परिशिष्ट 3

(अता. प्र सं. 446 की सूची)

सारंगखेडा बांध की डूब में आने वाले गांवों की सूची

1. जावर 2. सारंगखेड़ा 3. डूंडा 4. डाबली कल्यान	472 एकड़

———

परिशिष्ट 4

(ता. प्र. सं. 452 की सूची)

क्र.सं.	कृषक का नाम मय गांव	कार्य का नाम	खसरा नम्बर मय रकबा	धनराशि व दि.	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6
1.	श्री अगरसिंह पुत्र भूरसिंह गुरारा	बैल खरीदने	1120/1124/1124 161)	500 10-12-60	
2.	,, पैमसिंह पुत्र भूरसिंह गुरारा	,,	14) 4	400 16-10-61	पटवारी की रिपोर्ट ख. नं. नहीं दिया हुआ।
3.	,, रघुनाथदास चेला गोरधनदास पनीहारवास	बगीचा	187 31) 2	150 / 150 30-10-61 / 20-12-61	
4.	,, भोलू पुत्र सालगा माली साठियावास	न. कूप	38 से 44 21)	1000 / 500 / 500 31-3-61 / 16-5-62 / 11-6-62	
5.	,, माधू, गोपाल पुत्र लालादेवा पनीहारवास	कू. म.	232/233/234/235/237 239/240/241/242/243	500 30-8-65	
6.	,, सावताराम पुत्र भूथाराम पनिहारवास	,,	79 से 85/399 से 404 141) 1	300 30-8-65	

1	2	3	4	5	6
7.	श्री गल्ला पुत्र दूला	अग्नि पीड़ित	नंबर जमा बन्दी 6 में माला का हिस्सा 1/3 7॥)	250 / 7-2-66	प. निरीक्षण में ख. नं. नहीं दिया गया है।
8.	„ गोपाल पुत्र देवा „	„	न. जमाबन्दी 30 में हिस्सा 1/4 8) 1	250 / 7-2-66	
9.	„ जवारा पुत्र छाजूराम „	„	470/461	250 / 7-2-66	
10.	„ माला पुत्र छाजू „	„	304/305/323/324	250 / 7-2-66	
11.	„ [illegible] पुत्र लालूराम „	„	नंबर जमा बन्दी 30 में हिस्सा 1/4 रकबा 8) 1	250 / 7-2-66	
12.	„ भवानी सिंह पुत्र मोहनसिंह गूजर	क. म.	निल	400 / 30-3-60	खाता नम्बर कार्यालय फाइल में उपलब्ध नहीं है।
13.	„ गुल्ला पुत्र जोधा हरिजन „	यू. नि.	977 / 26॥)	200 / 30-3-60	

1	2	3	4	5	6
14.	श्री छोटूसिंह पुत्र भगतसिंह पनिहारवास	यू. नि.	—	500 / 30—3—61	खा. नं. कार्यालय फाइल में उपलब्ध नहीं है।
15.	„ कजोड़ पुत्र बुला हरिजन „	रहट	11) 1	400 / 30—10—61	पटवारी की रिपोर्ट में खसरा नं. नहीं है।
16.	„ रामेश्वरप्रसाद पुत्र पन्नाराम गुरारा	कू.म.	698।707।708।709।710।711 / 12) 4	1000 / 28—10—63	
17.	„ सुरजा पुत्र सुरया गुवारिया	बैल खरीद	31) 1	400	पटवारी की रिपोर्ट में खाता नम्बर नहीं है।
18.	„ रघुनाथ पुत्र सुरजा माली गुरारा	क. नि.	17) 4	400 / 30—3—60	„ „
19.	„ होरा, अर्जुन, नारायण पुत्र टीकू गुवारिया	कू. म.	138।140 से 142।139। 722।726	1000	
20.	„ सुगरा पुत्र कूड़ा गुरारा	„	17(II) 1 का 1/2	500 / 3—11—61	पटवारी की रिपोर्ट में खसरा नम्बर नहीं है।

21. श्री रामला पुत्र बक्सा ढानी मालियान	न.कृ.	10111)2	250, / 7-7-62,	200 / 21-4-62	पटवारी की रिपोर्ट में खसरा नम्बर नहीं है।
22. ,, हरसा, लच्छा पुत्र हुक्मा किसन गुवारिया	कृ.मं.	4511)2	1000 / 2-11-61		,, ,,
23. ,, उदयनारायण पुत्र रामप्रताप तिवाड़ी साठियावास	कृ.मं.	16)1	750 / 25-2-64		,, ,,
24. ,, छोटू, धन्नाराम पुत्र हीरामगला गूजर चनीजा की ढानी (गुरारा)	न.कृ.	53 / 211)2, 192 / 8)3, 51 / 6111)2, 191 / 3)3	1000 / 18-6-60	1400 / 29-3-61	
25. ,, नाथुलाल पुत्र भूरामल गुरारा	कृ.म.	512	1500 / 26-3-60		
26. ,, खेमा पुत्र सुरजा माली मालिया की ढानी	कृ.प.	1711)	400 / 30-3-		ख. नं. उपलब्ध नहीं है।
27. ,, नन्दराम पुत्र सुरजा गुजर	बैल खरीद	663 से 666 व 667 से 670 / 19111)	500 / 11-6-60		
28. ,, मीठू सिंह पुत्र गणपत सिंह राजपूत गुरारा	ऊं. खरीद	583, 223, 224, 587, 588, 599, 595, 634 से 36 / 20)2	250 / 11-6-60		

1	2	3	4	5
29.	श्री गणपत पुत्र सुगरा मीणा गुरारा	बैल खरीद	6979 खसरा नं0 36 से 5	250 ——— 11-6-60
30.	,, सावत सिंह पुत्र वखतावर सिंह पनिहारवास	कू.म.	291)4	1000 ——— 31-3-61
31.	,, मेहंताराम पुत्र गोरूराम मीना गुरारा	कू.म.	151)1	1000 ——— 31-3-61
32.	,, वालदास पुत्र फूलदार स्वामी दादूपंथी पनिहारवास	कू.म.	28)1	500 ——— 31-3-61

परिशिष्ट 5

(ता. प्र. सं. 439 की सूची)

चिकित्सा स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन निदेशालय में वर्तमान में कार्यरत अधिकारियों की सूची

क. सं.	अधिकारी का नाम	वर्तमान पद	किस तिथि से	किस पद के लिये चयन किये गये	किस पद पर और किसके द्वारा स्थाई किये गये
1	2	3	4	5	6
1.	डा. पी. डी. माथुर	निदेशक राज्य प. नि अधि. अस्थाई	23-7-71	प्रोफेसर	स्पेशियल सलेक्शन कमेटी द्वारा 1969 में
2.	डा. वी. एम. शर्मा	उप निदेशक (स्वा.) ,,	30-10-71	सहायक निदेशक (क्षय)	सहायक निदेशक, लोक सेवा आयोग
3.	डा. डी. के. जगदेव	उप निदेशक (मलेरिया) ,,	22-5-71	सहायक निदेशक	,, ,,
4.	डा. आर. आर. पुरोहित	उप निदेशक (सी. डी.) ,,	29-3-69	सहायक निदेशक	,, ,,
5.	डा. एस. एल. अग्रवाल	उप निदेशक (चिकित्सा) ,,	11-1-72	,, ,, (स्वास्थ्य)	सहायक निदेशक, डी. पी. सी.
6.	डा. (श्रीमती) तारा भारद्वाज	उप निदेशक (ई.एस.आई.) ,,	7-12-71	आचार्य ए. एच. डबेल ट्रेनिंग सेन्टर	सहायक निदेशक, डी. पी. सी.
7.	डा. आर. एल. चोपड़ा	सहायक निदेशक (योजना) ,,	5-6-71	सहायक निदेशक (प्लान)	,, ,, राज. लोक सेवा आयोग

1	2	3	4	5	5
8.	डा. वी. एन. शर्मा	सहायक निदेशक(क्षय)अस्थाई	18—9—67	सी.ए.एस.	सी. ए. एस. राज्य सरकार द्वारा
9.	डा. वी. ए. सन्त	चीफ नर्सिंग सुपरिन्टेन्डेन्ट	17—9—69	,,	,, ,, ,,
10.	श्रीमती पी. सेन	सेक्रेट्री स्टोर परचेज ,,	2—3—71	मैट्रेन ग्रेड	मैट्रेन ,,
11.	श्री वी. एन. कल्ला	प्रशासनिक अधिकारी ,,	25—9—67	अकाउन्टेन्ट	अकाउन्टेन्ट मुख्य लेखाधिकारी, राज0
12.	श्री मोहम्मद इसहाक	अ. श. चि. ईकाई	1—9—70	कार्यालय अधीक्षक	का0 अधीक्षक निदेशक चि0 प्रभारी
13.	श्री वी. एल. शर्मा	सहायक लेखाधिकारी	1—8—70	लेखाकार	लोक सेवा आयोग से परीक्षा पास कर लेखाकार के पद पर स्थाई है।
14.	श्री गोपालदास खण्डेलवाल	,,	6—1—72	,,	,,
15.	श्री वाबूलाल गुप्ता	लेखाधिकारी	11—11—71	,,	,,
16.	श्री पी. एन. कानूनगो	सहायक लेखाधिकारी	21—7—71	,,	,,
17.	श्री अम्बरीष सक्सेना	स्टेटिस्टिशियन	6—8—69	स्टेटिस्टिशियन	स्टेटिस्टिक्स विभाग द्वारा प्रतिनियुक्त है
18.	श्री वी. एल. अग्रवाल	डेमोग्राफर	12—8—70	सांख्यिक	,,
19.	श्रीमती लक्ष्मी भटनागर (डा.)	सहायक निदेशक (प.नि.) स्थाई	19—6—68	सहायक निदेशक (प. नि.)	सहायक निदेशक (प. नि.) डी. पी. सी.
20.	डा. वी. वी0 एल. सक्सेना	,, ,, (प.नि.) अस्थाई	19—4—69	—	—
21.	श्री एल. एन. सिमलोत	अधिशासी अभियन्ता	25—3—71	पी. डब्लू. डी. द्वारा प्रतिनियुक्त है	—
22.	श्री जे. पी. सुपरा	सोशल साइन्टिस्ट	1—12—67	सांख्यकिक विभाग ,, ,,	—

23. श्री कृष्ण मोहन माथुर	स्टेटिस्टिशियन	28–3–70	,,	सांख्यकी विभाग द्वारा प्रतिनियुक्त हैं	सहायक निदेशक (प. नि.)
24. श्री प्रवीण चन्द्र संघी	,, ,,	7–2–70	,,	,, ,, ,,	डी. पी. सी.
25. श्री गंगासिंह चौहान	लेखाधिकारी	11–11–71	वित्त विभाग	,, ,,	—
26. श्री राम नाथ विजय	सहायक लेखाधिकारी	29–9–70	लेखाकार	लोक सेवा आयोग से परीक्षा पास कर लेखाकार के पद पर स्थाई है ।	
27. श्री महेन्द्र सहारिया	प्रदर्शनी अधिकारी	10–7–70	डी. पी. आर. से डेप्यूट किया गया है		
28. श्री जगदीश चन्द्र जोशी	सहायक सम्पादक	6–6–69	,,	,,	

परिशिष्ट 9

(ता. प्र. सं. 443 की सूची)

RAJASTHAN STATE ELECTRICITY BOARD

The following localities have been sanctioned for electrification under Tehsil Sarda of Udaipur District.—

1. Kejad
2. Chawand
3. Sarda
4. Gatod
5. Veerpura
6. Jhadol
7. Deengri

परिशिष्ट 7

(प्र. प्र. सं. 152 की सूची)

List of Localities Electrified in Tehsils Jaitaran nad Raipur of Pali District

S. No.	Name of localities
1	2
	Tehsil Jaitaran
1.	Jaitaran
2.	Nimbaj
3.	Balunda
4.	Banjakuri
5.	Talkia
6.	Thakurawas
7.	Khinawari
8.	Prithvipura
9.	Bed Kalan
10.	Anand Kaloo
11.	Sangowas
12.	Bhakarwas
13.	Karolia
14.	Kuri
15.	Agewa
16.	Latoti
17.	Birol Chak
18.	Ramawas Kalan
19.	Ramawas Khurd
20.	Garnia
21.	Deoriya
22.	Jhajawas
23.	Kanwalia
24.	Lambiya
25.	Kharchia
26.	Kheramaharajpura
27.	Nimbol
28.	Jodhawas
29.	Jhojhunda
30.	Chawandia
	Tehsil Raipur
31.	Babra
32.	Kushalpura
33.	Lilamba
34.	Jhunta
35.	Chandawati-ki-Dhani

1	2
36.	Maharpur
37.	Piplia Kalan
38.	Bansia
39.	Rampura
40.	Mohera Kalan
41.	Deolia Kalan
42.	Bugari
43.	Basni Ka[illegible] iyan
44.	Nimbara
45.	Karamawas
46.	Akeli
47.	Nokha
48.	Singla
49.	Raipur

परिशिष्ट 8

(अ. प्र. नं. 156 की सूची)

जिला गंगानगर के गंग नहर क्षेत्र में जनवरी, 1965 से अब तक हुए भूमि आवंटन की सूची:—

क्रम सं.	नाम तहसील	स्थाई आवंटन	अस्थाई आवंटन	गुरुद्वारों, मंदिरों व माफीदारों की मृत्यु जो स्थाई व अस्थाई आवंटन हुई	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6
1	श्री गंगानगर	408।।) 4	601।) 2	516।) 1	506।) 1 बीघा संस्थाओं के नाम से अस्थाई रूप से बदस्तुर चला आ रहा है। 10) बीघा भूमि दो माफीदारों को स्थाई आवंटन की गई है।
2.	करनपुर	7057।।।)	1774।) 3	184)	दो व्यक्तियों को स्थाई आवंटन की गई है व 28 व्यक्तियों को अस्थाई आवंटन किया गया। क्योंकि वहां पर कोई माफीदार नहीं था और रकबा खाली पड़ा हुआ था।
3.	पदमपुर	1683 1)	80264)	54।।।)	54।।।) बीघा माफी गुरुद्वारा आदि की भूमि 12 व्यक्तियों को आवंटन की गई है।

1	2	3	4	5	6
4.	रायसिंहनगर	35910)	94337)	2403।) 3	92।।) बीघा गुरुद्वारों, 94)4 बीघा मन्दिरों वा 2214।) 1 बीघा माफीदारों को स्थाई आवंटन की गई है।
5.	अनूपगढ़	10793)	6345)	1346।)	205 माफीदारों, गुरुद्वारों व मन्दिरों को 1346।) बीघा भूमि स्थाई आवंटन की गई है।
	योग	7200(।)4	183321।।)	4504।।)4	

परिशिष्ट 9

(ग्र. प्र. सं. 158 की सूची)

Copy of letter No. 3086, dated 5-4-1971 from the Executive Engineer, Gang Canal North Dn., Sri-Ganganagar to the Superintending Engineer, Bikaner Irrigation Circle, Sri-Ganganagar.

Submitted in original the attached case is for command of Square No. 51 in Chak 7 'O'.

Shri Gurnam Singh has applied that the square No. 51 owned by him is not getting canal water at site, therefore the square may kindly be declared as uncommanded.

On his request the Sub-Divisional Officer, Irrigation, Shri Karanpur has kila leveled the above square and reported that the square No. 51 is irrigated at site from tubewell water and the land is too high which cannot be irrigated from the canal water.

The command statement has been prepared as per kila chart attached with the case and submitted to your kind perusal.

As per command statement the under reference square is wholly uncommanded and as per this office record the C. C. A. of square is 23 Bighes rest area is under canal.

The whole case is submitted for your kind perusal and approval as the Square No. 51 is uncommanded at site and also as per fresh kila level chart please.

परिशिष्ट 10

(अ. प्र. सं. 160 की सूची)

(सूची 'अ')

जिलेवार नहर एवं तालाब द्वारा सिंचाई के आंकड़े (सन् 1968—69)

क्र. सं.	जिला	नहर द्वारा सिंचित भूमि (हेक्टर में)	तालाब द्वारा सिंचित भूमि (हेक्टर में)
1	2	3	4
1.	अजमेर	--	19375
2.	अलवर	—	4040
3.	बांसवाड़ा	--	6515
4.	बाड़मेर	--	--
5.	भरतपुर	27 86	14610
6.	भीलवाड़ा	--	35592
7.	बीकानेर	--	--
8.	बून्दी	57806	9039
9.	चित्तौड़गढ़	--	18980
10.	चूरू	--	—
11.	डूंगरपुर	—	6051
12.	श्री गंगानगर	4.66:3	—
13.	जयपुर	—	16006
14.	जैसलमेर	--	--
15.	जालौर	--	2145
16.	झालावाड़	1441	633
17.	झुन्झुनू	--	321
18.	जोधपुर	--	1381
19.	कोटा	92296	2680
20.	नागौर	132	196
21.	पाली	--	10644
22.	सवाई माधोपुर	24751	8009
23.	सीकर	--	--
24.	सिरोही	--	5611
25.	टौंक	--	32634
26.	उदयपुर	--	24860
		7,00,725	2,19,322

परिशिष्ट 11

(प्र. प्र. सं. 161 की सूची)

(सूची 'अ')

नहर वृत्त कोटा

नाम तालाब	तहसील	मुकदमा शुरू करने का साल
1. कोटली तालाब	कोटा	1968
बांसवाड़ा सिंचाई खण्ड		
1. मेतवाल तालाब	बांसवाड़ा	1963
भीलवाड़ा खण्ड		
1. शिवसागर उपहेड़ा	बनेड़ा	1968
2. ज्ञानगढ़	मांडल	1968
3. उदयसागर तहनाल	शाहपुरा	1969
4. सौदान सागर हिसनिया	मांडल	1967
5. झाड़ा	भीलवाड़ा	1967
6. महेन्द्रगढ़	भीलवाड़ा	1970
7. बेमाली	मांडल	1970

शुद्धि-पत्र

(वृहस्पतिवार दिनांक 11 मई, 1972)

स्कम्भ संख्या 1	पंक्ति संख्या 2	अशुद्ध 3	शुद्ध 4
5	नीचे से 4	—	रहे
28	नीचे से 10	डिडेक्ट	डिटेक्ट
28	,, 10	तरसीम	तरमीम
31	नीचे से 5	डिडेक्ट	डिटेक्ट
43	ऊपर से 10	ता	सकता
47	,, 1	राचन्द्र	रामचन्द्र
100	ऊपर से 10	न्द	बन्द
103	,, 10	।	
103	,, 12	।	
104	ऊपर से 3	माननय	माननीय
104	,, 13	ता	तो
108	,, 2	।	
112	,, 10	थो	थे
129	,, 16	फारित	फौरिन
130	,, 3	अफेक्ट	इफेक्ट
130	,, 14	खरी	खरीदने
131	ऊपर से 1		श्री
138	नीचे से 12	।	
139	ऊपर से 14	वहिगमन	वहिर्गमन
139	,, 16	वाकाआउट	वाकआउट
194	,, 9	हो ी	होनी
197	ऊपर से 8	जितनी	कितनी
206	ऊपर से 7	पोर	पीर
206	,, 13	समाजधादी	समाजवादी
209	नीचे से 2	जूठ	झूठ
212	,, 2	रणज त ि ह	रणजीतसिंह
212	,, 7	नम र	नम्बर
213	ऊपर से 11	श्र	श्री

1	2	3	4
214	नीचे से 16	रा८ द्रोहो	राष्ट्रद्रोही
216	,, 1	कौसी	कौनसी
216	ऊपर से 8	थ	साथ
217	,, 3	स ते	सकते
217	नीचे से 16	3 7	307
218	,, 14	मार	मोर
218	ऊपर से 3	व्य क्तयों	व्यक्तियों
219	नीचे से 3	हुवाई	हवाई
219	,, 6	का सी	कांग्रेसी
226	,, 1	कार्यवाही	कार्यवाही
227	नीचे से 2	अनगत	–
229	ऊपर से 13	दूसारों	दूसरों
230	नीचे से 9	खड़ा	खड़े
231	,, 7	।पके	आपके
236	नीचे से 15	श्रीमती निर्मलसिंह	श्रीमती निर्मला कुमारी
237	ऊपर से 2	ठिन	कठिन
238	,, 2	बुजाने	बुझाने
238	नीचे से 3	श्रीमती निर्मलासिंह	श्रीमती निर्मला कुमारी
239	,, 1	निर्मलासिंह	निर्मलाकुमारी
242	,, 10	जाता	जाता है।
256	,, 12	स	इस
261	ऊपर से 1	मोठालल	मोठालाल
261	नीचे से 9	इके	इसके
263	ऊपर से 10	क	कि
263	,, 12	दिया	दी
263	नीचे से 5	मुनसिफ	मुन्सिफ
263	,, 12	कारेप्न	करेशन
267	ऊपर से 1	प्रद्युमनसिंह	प्रद्युम्नसिंह
267	,, 2	प्रदुमनसिंह	प्रद्युम्नसिंह
268	,, 13	प्रसंशा	प्रशंसा
268	नीचे से 7	वंच	बैंच
274	ऊपर से 1	ा	था

1	2	3	4
278	नीचे से 16	कन्डे	कन्डेम
279	नीचे से 9	मझता	समझता
279	,, 20	लाज	लीज
282	,, 2	–	
282	नीचे से 1		हैं
282	,, 17	बफादार	वफादार
283	,, 10	मडर	मर्डर
286	नीचे से 18	विगाड़	बिगाड़
288	,, 2	रखता	रखती
291	ऊपर से 13	मा	भी
307	नीचे से 7	प्रभावशील	प्रभावशाली
313	,, 12	प्रिन्सीी	पत्नी
314	ऊपर से 2	चैयरमैन	सभापति
323	नीचे से 4	नुझे	मुझे
337	,, 7	क्रटेरियेट	सेक्रेटेरियेट
337	,, 8	पलिस	पुलिस
337	ऊपर से 8		जो
338	नीचे से 5	शियरा	शियरो
341	नीचे से 1	संत्री	मंत्री
342	,, 5	मुरू	मुख्य
343	ऊपर से 4	रगुल	शोरगुल
343	,, 10	रना	करना
344	,, 5	पलिस	पुलिस
346	नीचे से 12		तो
347	ऊपर से 12	उपा यक्षजो	उपाध्यक्षजो
349	नीचे से 15	रे	सारे
375	ऊपर से 12	न ाय	न्याय
376	,, 13	उचि	उचित
379	नीचे से 15	यक्ष	ध्यक्ष
406	,, 1	सह	यह
407	,, 6	व ड	बड़ी